लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-
Fumigated
On 3-2-
Parliament Library

[बारहवाँ सत्र
Twelfth Session]

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—2, मंगलवार, 10 नवम्बर, 1970/19 कार्तिक, 1892 (शक)

No.—2, Tuesday, November 10, 1970/Kartik 19, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
31. छोटी कार परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Small Car Project	2—3
34. छोटी कार के निर्माण के लिये आशय-पत्र देना	Issue of Letters of Intent for Manufacture of Small Car	3—14
32. सैयद सारावान (उत्तर रेलवे) के निकट दुर्घटना में एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु	Death of a Railway Employee in an Accident near Saiyad Sarawan (Northern Railway)	14—15
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
33. मद्रास अर्कोणम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	Electrification of Madras Arkonaum Line	16
35. राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा स्कूटरों के निर्माण के लिये प्रस्ताव	Proposal for Manufacture of Scooter by Rajasthan Industrial and Mineral Development Corporation	16
36. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, में आग लगने की घटना	Fire in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	16—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
37.	कलकत्ता में भूगत रेलवे लाइन के लिये ठेका	Contract for Underground Railway in Calcutta	17
38.	दक्षिण रेलवे की रेलवे लाइनों को दोहरा करने का कार्यक्रम	Programme of Doubling of Railway Lines on Southern Railway	17—18
39.	विदेशों द्वारा इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में भारत से जानकारी मांगना	Indian know how for setting up Steel Plants Sought by Foreign Countries	18
40.	तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं से सम्बन्धित समिति की सिफारिश	Recommendation of Committee on Technical Consultancy Services	18
41.	लघु उद्योग चलाने के लिये बेरोजगार इंजीनियरों की सहायता	Assistance to Unemployed Engineers for Starting Small Scale Industries	19
42.	छोटी कार परियोजना के लिये लाइसेंस देना	Issue of Licences for Small Car Project	19—20
43.	टायर और ट्यूब के मूल्यों में कमी करना	Revision of Tyre and Tube Prices	20
44.	कलकत्ता में भूगत रेलवे	Underground Railway in Calcutta	20
45.	पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश को उद्योगों का स्थानान्तरण	Shifting of Industries from West Bengal to U. P.	21
46.	सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना	Small Car Project in Public Sector	21—22
47.	औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग संघ की सरकार से वार्ता	Discussion by FICCI with Government on Industrial Growth and Investment	22—23
48.	राष्ट्रीय शिशु बोर्ड का गठन तथा बाल कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय नीति संकल्प	Formation of a National Children Board and National Policy Resolution on Children's Programme	23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
49.	हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल से ट्रान्सफार्मर के डिजाइन का भेद खुल जाना	Leakage of Transformer Design from Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	23—24
50.	मुगलसराय यार्ड से रेलवे संपत्ति की चोरी की जांच	Enquiry into theft of Railway Property from Mughal Sarai Yard	24
51.	रेडियो उद्योग में विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration in Radio Industry	25
52.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Muslim Employees of HEC., Ranchi	25—26
53.	माल डिब्बों की लागत तथा उसका उचित मूल्य निश्चित करना	Cost Structure and Fixation of Fair Price for Wagons	26
54.	संयुक्त क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कारखाना	Small Car Project in Joint Sector	26—27
55.	आदिवासी लड़कियों का रायगढ़ से हरियाणा भेजा जाना	Sending of Adivasi Girls to Haryana from Raigarh	27
56.	दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों को बिना किराए के क्वार्टर दिया जाना	Allotment of Rent free Quarters to Employees in Southern Railway	
57.	दिल्ली और खुर्जा के बीच अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाने की माग	Demand for Extra Trains between Delhi and Khurja	27
58.	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये देशी उपकरण	Indigenous Equipment for Bokaro Steel Plant	28
59.	औद्योगिक लाइसेंसों की छूट सीमा बढ़ाना	Raise in Exemption Limit for Industrial Licences	28
60.	रेलवे में सुधार के लिये ग्यारह सूची कार्यक्रम	Eleven Point Programme for Improvement in Railways	28—29

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
201. प्रयोग किये गये रेलवे टिकटों की बिक्री से सम्बद्ध रेलवे कर्मचारी	Railway Employees Involved in Selling used Railway Tickets	29
203. विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये स्थान	Site for Visakhapatnam Steel Plant	30
204. चौथी योजना के दौरान राज्यों में आदिम जाति ब्लाक	Tribal Blocks in States during Fourh Plan	30—32
205. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in HMT Bangalore	32—33
206. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में इंजीनियरों को प्रशिक्षण	Training to Engineers in HMT Bangalore	33
207. रेलवे लाइनों की टूट फूट से रेलों द्वारा उठाई गई हानि	Loss Suffered by Railways due to Breaches in Railway Lines	33—34
208. हिन्दुस्तान स्टील लि० में इस्पात व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं द्वारा नाम रजिस्टर कराना	Registration of Steel Dealers and Consumers with Hindustan Steel Ltd.	35—36
209. विशाखापत्तनम को एक स्पेशल गाड़ी चलाने का सुझाव	Suggestion for running a Special Train to Vishakhapatnam	36
210. खोई से कागज का निर्माण	Manufacture of Paper from Bagasse	36—37
211. हिन्दुस्तान इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपालके ट्रान्सफॉर्मर विभाग को एक भूतपूर्व इंजीनियर द्वारा देखने जाना	Visit of Former Engineer to Transformer Section in H. E. L., Bhopal	37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
212.	रेल दुर्घटनाएं	Railway Accidents	37—38
213.	रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों पर हमला	Assault on Passengers by R. P. F. Personnel	38—39
214.	देश में अन्धे	Blind Persons in the Country	39
215.	छोटी कार परियोजना के लिये लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने सम्बन्धी शर्तें	Conditions for Issuing Licence/Letter of Intent for Small Car Project	39—40
216.	इण्डियन टुबैको कम्पनी द्वारा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन	Production of Indian Tobacco Company beyond Installed Capacity	40—41
217.	बैरल तथा ड्रम क्षमता के संबंध में कपाडिया बन्धुओं द्वारा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Regulations by Kapadias in respect of Barrel and Drum Capacity	41—42
218.	क्यूल (पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के मकानों का विद्युतीकरण	Electrification of Residential Block of Railway Employees at Kiul (Eastern Railway	42
219.	कच्चे लोहे के संयंत्र की स्थापना के लिये आंध्र प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र का अनुदान	UN Grant to Andhra Pradesh for Setting up a Pig Iron Plant	42—43
220.	गंगरार और अमीरगढ़ (पश्चिम रेलवे) स्टेशनों के मध्य मालगाड़ी का पटरी से उतरना	Derailment of Goods Train between Gangrar and Hamirgarh Stations (Western Railway)	43
221.	आंध्र प्रदेश में जापानी सहयोग से टायर संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Tyre Plant in Andhra Pradesh with Japanese Collaboration	43—44
222.	दक्षिण रेलवे में तम्बरम और विल्लुपुरम के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करना	Doubling of Railway Line between Tambaram and Villupuram on Southern Railway	44

अ॰ता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
223.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबन्धक को दिये गये अधिकार	Powers Delegated to General Manager of Durgapur Steel Plant	44
224.	भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष का स्थानान्तरण	Transfer of Chairman of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	45
225.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को हुई हानि	Loss Incurred by Heavy Electricals, Bhopal	45—46
226.	दक्षिण में नये इस्पात संयंत्रों के लिये स्थान	Sites for New Steel Plants in South	46—47
227.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का प्रशासनिक ढांचा	Administrative Set up in Heavy Engineering Corporation	47
228.	दिल्ली और हावड़ा के मध्य झांसी होकर तेज चलने वाली रेलगाड़ी	Fast Train between Delhi and Howrah via Jhansi	47
229.	बंदा जंक्शन पर इन्टर लाक प्रणाली की व्यवस्था	Provision of Inter Lock System at Banda Junction	47—48
230.	दिल्ली शाहदरा लाइन की गाड़ियों में डकैती की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Incidents of Robbery in Trains on Delhi Shahdara Line	49
231.	निर्वाचन में भ्रष्टाचार के कारण उम्मीदवार की अयोग्यता को दूर करना	Removal of Disqualification of Candidate due to Corrupt Practices in Election	49
232.	बरास्ता अजमेर दिल्ली तथा बंगलौर के मध्य मीटर गेज लाइनों का चलाया जाना	Starting of Metre Gauge Lines between Delhi and Bangalore via Ajmer	49—50
233.	केरल निर्वाचन में कांग्रेस के तिरंगे झंडे का प्रयोग	Use af Congress Tricolour in Kerala Election	50
234.	रेलवे को माल पार्सल परिवहन से होने वाली आय में कमी	Decline in Earnings of Railways from Goods Parcel Traffic	50—51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
235.	राज्यों में महाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश	Recomendation of ARC on Appointment of Advocates Generals in States	51
236.	इस्पात श्रमिकों के लिये नया न्यूनतम मजूरी ढांचा	New Minimum Wage Structure for Steel Workers	51—53
237.	रेलों में चोरियों की रोकथाम	Check on Thefts on Railways	53—54
238.	उत्तर प्रदेश में नये उद्योग	New Industries in Uttar Pradesh	54
239.	सभी भाषाओं में संविधान का प्रामाणिक संस्करण	Authentic Version of Constitution in all Languages	54
240.	रेलवे आय में घाटा	Deficit in Railway Income	55
241.	फरक्का तथा खेजूरिया घाट के मध्य गंगा पर पुल	Bridge over Ganga between Farakka and Khejuria Ghat	55
242.	वर्षा तथा बाढ़ों के दौरान रेल सेवाओं में आई बाधा	Railway Services Affected during Rains and Floods	56
243.	व्यापार का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Trade	56
244.	बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	56—57
245.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को पुनः आरम्भ करने के लिये योजना	Scheme for Revival of Industrial Growth in West Bengal	57
246.	भारत में विदेशी स्वामित्व की सिगरेट कम्पनियों का कार्यकरण	Working of Foreign owned Cigarette Companies in India	57—58
247.	रेलवे की कार्यकुशलता के संबंध में चर्चा	Discussion on Efficiency of Railway System	58
248.	यात्री तथा माल परिवहन से रेलवे की आय	Railway Earnings from Passenger and Goods Traffic	58—59
249.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	Indian Iron and Steel Company Limited	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
250.	इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के बारे में नीति	Policy regarding Increase in Production of Steel	59—60
251.	उत्तरी रेलवे के रेल पथों को दोहरा बनाना	Doubling of Railway Tracks in Northern Railway	60—61
252.	टिमरनी स्टेशन पर वाराणसी एक्सप्रैस को ठहराना	Stoppage of Varansi Express at Timarni Station	61
253.	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh	61
254.	मध्य प्रदेश को इस्पात और लोहे का नियतन	Allotment of Iron and Steel to Madhya Pradesh	62
255.	मध्य प्रदेश में लोहे और इस्पात के गोदाम	Warehouse for Iron and Steel in Madhya Pradesh	62
256.	बम्बई मंगलूर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिये निर्धारित समय सीमा बढ़ाया जाना	Extension of Time Limit for Survey of Bombay Managalore Line	62
257.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल मे हिंसात्मक तरीके अपनाना	Violent Means Restored to in Strikes by Employees of HEC Ranchi	63
258.	इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी	Steel Scarcity in Engineering Industries	63—64
260.	मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को अपने नियन्त्रण में लेना	Take over of Martin Burn Light Railway	64
261.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि	Loss to Railway due to Floods in West Bengal	64—65
262.	लोहे का निर्यात	Export of Iron	65
263.	चम्बल घाटी क्षेत्र का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Chambal Valley Area	65
264,	ग्वालियर छोटी लाइन (मध्य प्रदेश) में सुधार	Improvement in Gwalior Narrow Gauge Line (Central Railway)	65—66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
265.	भिलाई इस्पात कारखाने के आस पास लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries Around Bhilai Steel Plant	66
266.	ग्वालियर और झांसी के बीच मालगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Goods Train between Gwalior and Jhansi	66
267.	राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में दासता की प्रथा का प्रचलन	Practice ot Slavery in Adivasi area of Rajasthan	66—67
268.	फरीदाबाद स्टेशन पर लड़कियों की छेड़-छाड़ को रोकने के लिये स्पेशल पुलिस की व्यवस्था	Measures to Check Eve Teasing at Faridabad Station	67
269.	रेलवे अस्पताल, भटीण्डा (उत्तर रेलवे) के परिचारकों (अटेंडेंट) के परिवारों को परिवार पेंशन दिया जाना	Grant of Family Pension to Attendent of Railway Hospital, Bhatinda (Northern Railway)	67
270.	चुनाव विधि में संशोधन करने के लिये सर्वदलीय बैठक	All Party Meeting for Considering Amendments to Election Laws	67
271.	हरदोई के निकट करना स्टेशन पर हावड़ा जाने वाली अमृतसर मेल का पटरी से उतरना	Derailment of Howrah Bound Amritsar Mail at Karna Station near Hardoi	67—68
272.	अगस्त, 1970 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों पर न्यायालयों में चलाए गये मुकदमें	Court Cases against Employees of South Eastern Railway for Participating in Agitation of August, 1970	68—69
273.	स्टैन्डर्ड मोटर फैक्टरी, मद्रास का पुनः चालू होना	Reopening of Standard Motor Factory, Madras	69
274.	त्रिपुरा में दियासलाई की फैक्टरियों का बन्द होना	Closure of Match Factories in Tripura	69

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2 5.	तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का पंजीकरण न किया जाना	Non Registration of Full Installed Capacity by Directorate General Technical Development	69—70
276.	शाहदरा सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द किये जाने के सम्बन्ध में ज्ञापन	Memorandum on Closure of Shahdara Saharanpur Light Railway	70
277.	अगस्त/सितम्बर, 1970 के हड़ताल में भाग लेने वाले दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रति नरमी का रूख	Liberal Attitude towards Employees and Workers of Durgapur Steel Plant who Participated in Strike in August/September, 1970	71
278.	मार्टिन लाइट रेलवे की वित्तीय स्थिति की जांच	Enquiry into the Financial Position of Martin Light Railway	71—72
279.	पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों की सहायता	Assistance to Backward Districts of West Bengal	72—73
280.	कलकत्ते में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Prices of Consumer Goods in Calcutta	73
281.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मशीनों की सप्लाई के लिये मांगी जाने वाली जमा राशि की दर	Rate of Deposit Money required by National Small Industries Corporation against Supply of Machines	74
282.	मोगा के निकट बिना चौकीदार के रेलवे फाटक पर दुर्घटना	Accident at an Unmanned Croosing near Moga	74—75
283.	बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर रेल दुर्घटनाएं रोकना	Prevention of Railway Accidents at Unmanned Railway Crossing	75—76
284.	रद्दी लोहे का इकट्ठा हो जाना	Accumulation of Scrap Iron	77
285.	सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण	Small Car in Public Sector	77—78

अतां० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
286.	गन्ने के ढुलाई भाड़े का पुनरीक्षण	Revision of Freight for Sugar Cane	78
287.	विभिन्न श्रेणियों की यूनियनों के महासंघ द्वारा मांग पत्रों का प्रस्तुतीकरण	Memorandum of Demands Submitted by the Confederation of Categorical Unions	78—79
288.	पूर्व रेलवे के कैरिज एण्ड वैगन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Employees of Carriage and Wagon Department, Eastern Railway	79
289.	पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा तथा नार्थ इस्ट्रन रेलवे चैकिंग स्टाफ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत करना	Memorandum by Purvottar Railway Mazdoor Sabha and North Eastern Railway Checking Staff	79—80
290.	बिहार विधान परिषद् को समाप्त करना	Abolition of Bihar Legislative Council	80
291.	रेल गाड़ियों की गति में वृद्धि	Increase in Speed of Trains	80—81
292.	रेल गाड़ियों के पुराने डिब्बों का बदला जाना	Replacement of Obsolete Railway Compartments	81
293.	नये उद्योगों की स्थापना में सुविधाएं	Facilities for Setting up of New Industries	81—82
294.	सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Production of Scooters in Public Sector	82—83
295.	फ़ुतवाह रेलवे जंक्शन पर तूफान एक्सप्रैस का रुकना	Stoppage of Toofan Express at Futwah Junction Railway Station	83
296.	पश्चिमी रेलवे की गाड़ियों में गुजरात से बम्बई तक तस्करी का सामान ले जाया जाना	Smuggled Goods Carried from Gujarat to Bombay on Western Railway Trains	83
297.	छोटी कार के निर्माण के लिये टाटा बन्धुओं को लाइसेंस का दिया जाना	Issue of Licence for Manufacture of Small Car by Tatas	83—84

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
298. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के रिक्त पद का भरा जाना	Filling up Post of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	84
299. नजर बाग रेलवे स्टेशन से एक ही नम्बर के टिकटों का जारी किया जाना	Passenger Tickets issued at Nazarbagh Railway Station bearing same Number	84—85
300. प्रिमियर औटोमोबाइल्स लिमिटेड, बम्बई को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Premier Automobiles Ltd., Bombay	85
301. पुना रेलवे गुडज यार्ड में गोली चलना	Firing at Ponna Railway Goods Yard	85—86
302. लोको सहचर स्टाफ के आन्दोलन काल में अनुपस्थिति का छुट्टी माना जाना	Treatment of Period of Absence during Agitation by Loco Running Staff as Leave	86
303. ड्रम तथा बैरल उद्योग का अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग	Utilisation of Installed Capacities of Drum and Barrel Industry	86—87
304. यात्री मोटर गाड़ियों का मूल्य निर्धारित करने के लिये आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission for Determining Prices of Passenger Cars	87
305. उड़ीसा में टाइटेनियम डायोक्साइड संयंत्र का लगाया जाना	Titanium Dioxide Plants in Orissa	87—88
307. भारतीय परामर्श दात्री सेवाओं का संवर्धन	Promotion of Indian Consultancy Service	88—89
309. टेलीफोन के केबलों का निर्माण करने के लिये नये कारखाने	New Units for Manufacture of Phone Cables	89—90
310. इस्पात के वितरण के संबंध में लूथर आयोग का प्रतिवेतन	Luther Commission's Report on Steel Distribution	90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
311.	माल डिब्बे बनाने वालों के प्रतिनिधि मंडल की रेलवे बोर्ड से भेंट	Meeting of Delegation of Wagon Building with Railway Board	90—91
312.	कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के लिये रूसी विशेषज्ञों का परामर्श	Advice of Soviet Experts for Tube Railway in Calcutta	91—92
313.	छपाई की मशीनों के निर्माण के लिये अतिरिक्त क्षमता	Additional Capacity for Manufacture of Printing Machinery	92—93
314.	इस्पात की मांग और पूर्ति	Demand and Supply of Steel	93
315.	छोटी कार के निर्माण के लिये मैसर्स जेटर (इण्डिया) लि० का प्रस्ताव	Offer by M/s Zetor (India) Ltd., to Undertake Manufacture of Small Car	94
316.	भारतीय कार निर्माण-कर्त्ताओं द्वारा कार का नया माडल बनाया जाना	Manufacture of New Model of Car by Indian Car Manufacturers	94—95
317.	कलकत्ता कालका मेल के लिये चण्डीगढ़ को टर्मिनस स्टेशन बनाना	Terminus for Calcutta Kalka Mail at Chandigarh	95
318.	अम्बाला और कालका के बीच रेल किराए में कमी करना	Reduction in Fare between Ambala and Kalka	95
319.	लुधियाना चण्डीगढ़ रेल लाइन के लिये सर्वेक्षण	Survey of Ludhiana Chandigarh Line	95
320.	लुधियाना से चण्डीगढ़ तक नई रेलवे लाइन के लिये भूमि	Land for New Railway Line from Ludhiana to Chandigarh	96
321.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात पिघलाने वाली शाप में तालाबन्दी	Lockout Steel Melting Shop of Durgapur Steel Plant	96
322.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike at Durgapur Steel Plant	96—97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
323.	नयी यात्री रेल गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of New Passenger Trains	97
325.	अतिरिक्त व्यय कम करने के लिये अपनाए गए उपाय	Measures Adopted to Reduce Excess Expenditure	98
326.	औद्योगिक विकास के लिये उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों का सर्वेक्षण	Survey of Eastern Districts of Uttar Pradesh for Industrial Development	98
3-7.	पेरूमल समिति की टिप्पणी तथा ग्यारह सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति	Observations of Perumal Committee and Implementation of 11 Point Programme	98 – 99
328.	लघु उद्योगों के लिये इस्पात	Steel for Small Scale Industry	99
329.	राज्यों के पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts in States	100
330.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में लाभांश योजना	Bonus Scheme in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	100—101
331.	भोपाल रेलवे स्टेशन से आय	Earnings from Bhopal Railway Station	101
332.	इन्दौर और उज्जैन रेलवे स्टेशनों से हुई आय	Revenue Earned from Indore and Ujjain Railway Stations	101
333.	मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशनों से अर्जित राजस्व	Revenue Earned from Railway Stations in Madhya Pradesh	101
334.	पश्चिम रेलवे में जंजीर खींचने की घटना	Incidents of Chain Pulling on Western Railway	102
335.	इन्दौर और मऊ के बीच बड़ी रेलवे लाइन	Broad Gauge Rail Line between Indore and Mhow	102
336.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बन्द किये जाने के बारे में कथित निर्णय	Reported Decision regarding Closing of Durgapur Steel Plant	102
337.	छोटी कार के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी	Issue of Licences for Manufacture of Small Car	103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
338.	सरकारी कार्यालयों में अस्पृश्यता का उन्मूलन	Eradication of Untouchability from Government Offices	104
339.	दिल्ली की रेलवे कालोनियों में रेलवे मंत्री का दौरा	Railway Minister's Visit to Railway Colonies in Delhi	104—105
340.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी	Lock out of Durgapur Steel Mills	105
341.	हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड, भोपाल में शिल्पियों और इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Artisans' and Engineers in Heavy Elactricals Ltd., Bhopal	105—106
342.	झांसी डिविजन (मध्य रेलवे) की क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सुझावों की क्रियान्विति	Implementation of Suggestions of Divisional Railway users Consultative Committee, Jhansi Division (Central Railway)	106
343.	ग्वालियर शिवपुरी रेलवे लाइन का बन्द किया जाना	Closure of Gwalior Shivpuri Line	107
344.	दिल्ली बम्बई जनता ट्रेन और ताज एक्सप्रैस का झांसी अथवा ग्वालियर तक विस्तार	Extention of Delhi Bombay Janta Train and Taj Express to Jhansi or Gwalior	107
345.	छोटी कार के निर्माता के लिये आशय पत्र को जारी करना	Issue of Letter of Intent for Manufacture of Small Car	108
346.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुटीर उद्योगों का विकास	Development of Cottage Industries during Fourth Plan	108—109
347.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल	Strike in Durgapur Steel Plant	109
348.	शक्ति चालित हलों का निर्माण	Manufacture of Power Tillers	109
349.	इस्पात का उत्पादन तथा निर्यात	Production and Export of Steel	109—110
350.	दक्षिण रेलवे के रेल पथ निरीक्षकों को किराया मुक्त क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Rent Free Quarters to Permanent Way Inspectors on Southern Railway	110

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
351.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुग्रों का उत्पादन	Production of Consumer Goods in Public Sector	110—111
352.	भारतीय सीमेंट निगम द्वारा नये कारखाने स्थापित किया जाना	Setting up of New Units by Cement Corporation of India	111
353.	ग्रौद्योगिक लाइसेंसों के लिये ग्रनिर्णीत पड़े ग्रावेदन पत्र	Pending Applications for Industrial Licences	112
354.	निर्वाचन आयोग की सिफारिशों पर विचार	Examination of Recommendations of Election Commission	112—113
355.	हिन्दु धार्मिक धर्मस्व ग्रायोग की सिफारिश	Recommendation of Hindu Religious Endowment Commission	113
356.	सेवा से त्याग पत्र देने वाले रेलवे डाक्टर	Railway Doctors resigned from Service	114
357.	ग्रतिरिक्त रेल गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of Extra Trains	114—115
358.	पारली (दक्षिण रेलवे) पर ऊपरी पुल के निर्माण कार्य का पूर्ण होना	Completion of Parli Over-Bridge (Southern Railway)	115
359.	छोटी कार बनाने के लिये लाइसेंस	Licences for Production of Small Car	115—116
360.	बैरल उद्योग की ग्रतिरिक्त क्षमता को मान्यता देना	Recognition of Additional Capacity in Barrel Industry	116
361.	रेलवे की ग्रार्थिक स्थिति का अधिक बिगड़ जाना	Deterioration in the Financial Position of Railways	116—117
362.	ग्रौद्योगिक लाइसेंस के लिये विचाराधीन ग्रावेदन पत्र	Pending Applications for Industrial Licences	117—118
363.	भारतीय कागज विशेषज्ञ शिष्टमंडल द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का यात्रा	Visit of Indian Delegation of Paper Exports to South East Asian Countries	118
364.	सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात पिण्डों का उत्पादन	Production of Steel Ingots at Public Sector Steel Plants	119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
365.	नई लाइसेंस नीति	New Licensing Policy	119
366.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने के स्पात गलन केन्द्र में तालाबन्दी	Lockout in Steel Melting Shop in Durgapur Steel Plant	119—120
367.	दुर्गापुर कारखाने में श्रमिक सम्बन्ध	Labour Relations in Durgapur Steel Plant	120—121
368.	बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण	Construction of Bokaro Steel Plant	121
369.	औद्योगिक उत्पादन में कमी	Fall in Industrial Production	122—123
370.	सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन	Production of Consumer Goods in Public Sector	123
371.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन रोक दिये जाने का कथित निर्णय	Reported Decision of Hindustan Steel Ltd. to Stop Production in Durgapur Steel Plant	123—124
372.	सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कारखाना	Small Car Project in Public Sector	124
373.	उद्योग में इस्पात की अत्यधिक कमी	Scarcity of Steel in Industry	125
374.	दिल्ली और रामनगर मंडी (जिला नैनीताल) के बीच सीधी रेलगाड़ियां चलाना	Direct Trains between Delhi and Ram Nagar Mandi of District Nainital	125
375.	रेलवे माल यातायात में गिरावट	Fall in Railway Goods Traffic	125—126
376.	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मरम्मत कार्य	Repairs in Durgapur Steel Plant	126
377.	कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिये रूसी सलाहकार	Russian Consultants for Calcutta Tube Railway	126—127
378.	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in Prices of Consumer Goods	127—128
379.	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences in West Bengal	128

अता० प्र० संख्या U. S. O. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
380.	छोटी कार का निर्माण करने के लिये आवेदन पत्र	Applications for Manufacture of Small Car	128—129
381.	लोहे का मूल्य	Price of Iron	129—130
382.	औद्योगिक लाइसेंस नीति की क्रियान्विति	Implementation of Industrial Licensing Policy	130
383.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति, सेवा से हटाया जाना तथा त्यागपत्र	Appointment, Removal and Resignation by various Chairman of Heavy Engineering Corporation	130—131
384.	विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये स्थान	Site for Visakhapatnam Steel Plant	131
385.	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में (मस्टर रोल) चिट्ठा कर्मचारी	Muster Roll Employees in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	131—132
386.	रेलवे डिवीजनल कार्यालय, रंगिया (आसाम)	Railway Divisional Office Rangiya (Assam)	132
387.	बरौनी होकर जाने वाली आसाम मेल के यात्रिओं की भोजन सम्बन्धी कठिनाईयां	Food Difficulties to Passengers of Assam Mail via Barauni	132
388.	रूरकेला इस्पात संयंत्र में क्रेन चालकों की हड़ताल	Strike by Crane Men at Rourkela Steel Plant	133
389.	वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	133
390.	चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवारों को चुनाव खर्च की अदायगी	Payment of Election Expenses to Candidates	133—134
391.	रेल मार्ग के दोनों ओर अप्रयुक्त पड़ी भूमि का उपयोग	Utilisation of Land Lying unused on both Sides of Railway Track	134
392.	विदेशी कम्पनियों द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक सिगरेटों का उत्पादन	Production of Cigarettes by Foreign Companies beyond Licensed Capacity	134
393.	शाहदरा सहारनपुर रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को नौकरी देना	Absorption of Ex-employees of Shahdara Saharanpur Railway	135

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ Pages
394. गोइनका समवाय समूह	Goenka Group of Concerns	135—136
395. छोटी कार बनाने के लिये आशय पत्र का जारी किया जाना	Issue of Letter of Intent for Manufacture of Small Car	136
396. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा अन्य सरकारी संगठनों द्वारा इस्पात की प्लेटों तथा इस्पात की चादरों का आयात	Import of Steel Plates and Steel Sheets by Hindustan Steel Ltd. and other Government Organisations	136—137
397. दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने द्वारा मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices by Alloy Steel Plant, Durgapur	137
398. ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड की कमी	Shortage of Graphite Electrodes	138
399. लघु उद्योगों के लिये जापान से प्राप्त सप्लाई क्रयादेश	Supply orders obtained for Small Scale Industries from Japan	138—139
400. सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters in Public Sector	139
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	139—145
श्री लंका में भारतीयों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के समाचार	Reported Difficulties Experienced by Indians in Ceylon	139
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	139
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	139
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	145—147
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	147—149
नियम समिति	Rules Committee	149
कार्यवाही सारांश	Minutes	149
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	149
औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक	Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill	149
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As Passed by Rajya Sabha	149
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	149—150
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	150

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
67 वां प्रतिवेदन	Sixty Seventh Report	150
लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक	Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill	151
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	152
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	151
खंड 2 से 5 तथा 1	Clauses 2 to 5 and 1	151—161
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as Amended	161—164
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiv Chandra Jha	165
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	165
कृषि उपज उपकर (संशोधन) विधेयक	Agricultural Produce Cess (Amendment) Bill	165
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	165
श्री अन्ना साहेब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	165
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	166
श्री सत्य नारायण सिंह	Shri Satya Narain Singh	167
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	167
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	167
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	168
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	168
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	169
श्री रणजीत सिंह	Shri Ranjeet Singh	170
खंड 2 से 7 तथा 1	Clauses 2 to 7 and 1	171—173
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	173
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	173
श्री अन्ना साहेब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	173
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	174
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider—As Reported by Select Committee	174
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	174
श्री नारायण दाण्डेकर	Shri N. Dandekar	177
मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में वक्तव्य	Statement Re. Statehood for Meghalaya	179
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	179
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	180
53 वां प्रतिवेदन	Fifty-third Report	180

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

9 नवम्बर, 1970 । 18 कार्तिक, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
vii	पंक्ति 18, 'अभिमिश्रित' के स्थान पर 'अपमिश्रित' पढ़िये ।
	पंक्ति 20, 'प्रनिश्रित' के स्थान पर 'प्रशिक्षित' पढ़िये ।
xvii	नीचे से पंक्ति 3, '161' के स्थान पर '162' पढ़िये ।
xxii	पंक्ति 2, 'भगवत' के स्थान पर 'भागवत' पढ़िये ।
79	नीचे से पंक्ति 7, 'वज' के स्थान पर 'वर्गा' पढ़िये ।
100	पंक्ति 12 के आरम्भ में 'संख्या 13' पढ़िये ।
136	पंक्ति नीचे से 13, '1429' के स्थान पर '14.29' पढ़िये ।
154	पंक्ति 7, 'के' के स्थान पर 'का' पढ़िये ।
167	पंक्ति 7 के बाद निम्नलिखित पढ़िये : 'अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : 'कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये'।

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 10 नवम्बर, 1970/ 19 कार्तिक, 1892 (शक)
Tuesday, November 10, 1970/Kartika 19, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्नों को लेंगे। श्री मधु लिमये।

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Question No. 4 may also be taken alongwith this.

श्री राम सुभग सिंह : इससे सम्बन्धित सब प्रश्नों को एक साथ लिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न संख्या 31, 34, 42, 46 तथा 54 सभी संबंधित हैं।

श्री दिनेश सिंह : क्या आप चाहते हैं कि मैं इन पांचों प्रश्नों को एक साथ लूं अथवा प्रश्न संख्या 31 तथा 34 का उत्तर दूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 31 तथा 34 का एक साथ उत्तर दिया जा सकता है।

Shri Rabi Ray : I want that the Prime Minister should be present here because she has made a statement regarding the help she is going to provide to her son. Therefore her presence is necessary. You should called her ... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अनुसार जिस मंत्री से प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी उपस्थिति आवश्यक होती है न कि अन्य किसी की और वह मंत्री सदन में उपस्थित हैं।

Shri Madhu Limaye : Will the Prime Minister not come to the House ?

अध्यक्ष महोदय : सम्बन्धित मंत्री सदन में उपस्थित हैं।

Shri Rabi Ray : Sir, I want to raise a point of order...(*Interruptions*).

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, On a point of order, the Minister cannot reply to this question because Shrimati Indira Gandhi is the chairman of the licensing committee and she herself has given licence to her son therefore her presence in the house is very essential.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर वही मंत्री देंगे जिनसे वह पूछा गया है और वह सदन में उपस्थित है, किसी अन्य की उपस्थिति से मुझे कोई सरोकार नहीं।

Shri Rabi Ray : The Prime Minister should resign. Is it the way to run the democracy . (*Interruptions*).

Shri Kanwar Lal Gupta : It is in the interest of the Prime-Minister also to come here and reply to the questions herself because people have a suspicious of favouritism having been done in this matter.

छोटी कार परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा

*31. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संजय गांधी की छोटी कार परियोजना के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की स्वीकृति दी जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या छोटी कार परियोजना को उप-संयोजनों (सब असेम्बलीज) पुर्जों एवं उप-करणों की सप्लाई करने वाली कम्पनियों के लिये स्वीकृत विदेशी मुद्रा छोटी कार परियोजना पर ही व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा के रूप में मानी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं. तो इस विदेशी मुद्रा परिव्यय को छोटी कार परियोजना परिव्यय में शामिल नहीं करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) श्री संजय गाँधी को इस शर्त पर कि विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत माल पुर्जों अथवा कच्चे माल के आयात पर केवल ऐसे मामलों को छोड़ कर जहां सरकार की सामान्य नीति के अनुसार सामान्य रूप में देश में उपलब्ध आयातित कच्चे माल की अस्थाई तौर पर कमी होने की स्थिति दी जा सकती है, और कोई विदेशी मुद्रा कम नहीं की जायेगी, यात्री कार बनाने के लिये आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

(ख) और (ग). गैर सरकारी क्षेत्र में अनेक फर्में मोटरों के सहायक पुर्जे बना रही है। कुछ सहायक पुर्जे बनाने वाले इस समय ये चीजें देशी माल से तैयार कर रहे हैं जबकि अन्य उत्पादनों को पुर्जे अथवा कच्चे माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सहायक पुर्जे बनाने वालों की उनके स्वीकृत प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सहायता की जाती है। ऐसे उत्पादकों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा

की राशि प्रत्येक एकक और उत्पाद के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। मोटर गाड़ियां बनाने वाले अपनी आवश्यकता के सहायक पुर्जे देशी सहायक पुर्जे बनाने वालों से ही जहाँ कभी भी उपलब्ध होता है खरीदते हैं। या मोटर गाड़ी बनाने वालों के देशी पुर्जों का हिसाब करते समय देशी पुर्जे बनाने वाले उत्पादकों से प्राप्त किये गये पुर्जों की गणना देशी पुर्जों से ही की जाती है। स्वीकृत तरीके के संदर्भ में आटोमोबाइल के सहायक पुर्जे बनाने वाले देशी उत्पादकों को सहायक टार्चों, हिस्सों पुर्जों और औजारों के तैयार करने के लिये विचाराधीन कार परियोजनाओं को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा को उस कार परियोजना के ऊपर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा नहीं माना जाता है।

छोटी कार के निर्माण के लिए आशय-पत्र देना

+

*34. श्री रवि राय : श्री क० लकप्पा :

श्री श्रद्धाकार सूपकर :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार के निर्माण के लिये मंत्रालय द्वारा श्री संजय गांधी और श्री मदन मोहन राव को आशय-पत्र जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उनमें से किसी एक को लाइसेंस जारी किया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार का अनुमानित बिक्रय मूल्य क्या होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) जी संजय गांधी तथा एम० मदन मोहन राव को प्रतिवर्ष क्रमशः 50 हजार तथा 25 हजार कारों के बनाने के लिये नये उपक्रमों के स्थापनार्थ निम्नलिखित शर्तों के अधीन आशय पत्र जारी किये गये हैं :—

1. विदेशी सहयोग तथा विदेशी परामर्श व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. पूंजीगत माल के आयात करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. कच्चे माल और पुर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां देश में सामान्यतः उपलब्ध कच्चे सामान के सम्भरण में अस्थाई कमी हो गई हो तो उस समय पर प्रचलित आयात नीति के अनुसार आयात किया जा सकता है।

4. आशय पत्र के लाइसेंस में परिणत किए जाने से पूर्व आद्यरूप विकसित किया जायेगा तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्राधिकरण द्वारा सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए परीक्षित तथा अनुमोदित कराया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) दोनों पार्टियों ने अपने औद्योगिक लाइसेंसों में कारों का अनुमानित विक्रय मूल्य कारखाने से निकलते समय इस प्रकार लिखा है :—

श्री संजय गांधी लगभग 7 हजार रुपये।

श्री एम० मदन मोहन राव 8,000 रुपये।

Shri Madhu Limaye : Sir, let the hon. Minister read out the statements.

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य के पास उसकी एक प्रति है।

Shri Madhu Limaye : But all the hon. Members have not got it.

Shri Rabi Ray : It is an important question therefore these statements should be read out.

अध्यक्ष महोदय : हम सामान्य प्रक्रिया को छोड़ना नहीं चाहते।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न का सम्बन्ध 'लाईसेंसिंग समिति' से है और प्रधान मंत्री उस समिति की सभापति हैं अतः इस नाते भी प्रधान मंत्री को यहां उपस्थित होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, यह कोई आवश्यक नहीं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : अन्यथा इस प्रश्न को प्रधान मंत्री के आने तक रोक दिया जाए।

श्री बलराज मधोक : मैं सुझाव का समर्थन करता हूं प्रधान मन्त्री की उपस्थिति आवश्यक है।

Shri Madhu Limaye : Has the attention of the hon. Minister been drawn to the statement made by the Prime Minister that more than two crores of youngmen are unemployed in the country and that she wants to encourage them by giving licence to her son. Enquiry Commissions were set up in the past to enquire into the irregularities committed by Sarvashri Pratap Singh Kairon, K. B. Sahay and Biju Patnaik when they granted certain concessions to their relatives and they were found guilty and as a result thereof they had to lay down their offices. The Prime Minister openly says that she will give license to her son. Will the hon. Minister make it clear...(*Interruption*),

Shri Madhu Limaye : I would like to know whether the Government will take a decision...(*Interruptions*). What the others do is wrong and what her son does is right ...(*Interruptions*). Is it the way ?

For living, it is not necessary to become Honey Ford. (*Interruptions*) Get him the job of a mechanic in some cycle factory. (*Interruptions*) This blatant demonstration of corruption is an affront to our country and our democracy. Can the honourable Minister say it categorically that small car licence will not be given to any close relative of the Prime Minister or any other Minister.

The Minister of Industrial Development and Internal Trade (Shri Dinesh Singh) : Honourable Member has referred to a statement alleged to be made by the Prime Minister that as there is a good number of unemployed youngmen in the country therefore she wanted to give or had already given a license to her son. I have not come across any such statement. (*Interruptions*)

Shri Mudhu Limaye : I do not want to do any injustice to the honourable Minister. I simply want to know whether he has seen any such statement ?

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, if you permit, we can get this statement from Library within ten minutes. (*Interruptions*)

Shri Hardayal Devgun : Is it known to the honourable Minister that he is the son of the Prime Minister ? (*Interruptions*).

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, Sir, it is known to the honourable Members that Prime Minister is an institution which can not have a son, he is the son of Shrimati Indira Gandhi...

श्री उमानाथ : आप को कितना बढ़ेगा कार्य करना पढ़ रहा है । हमारी सम्वेदनायें आप के साथ है ।

Shri Dinesh Singh : All that the honourable Member has said boils down to this that favour was shown while granting the licence. I would like to convey to the hon. Member that no such conversions have been given while granting the licence...(*Interruptions*). If the hon. Member wants to listen to me, then I may answer, otherwise he may speak first. We both cannot speak at a time.. (*Interruptions*). It has been rightly stated by the hon. Member that no concession should be given to the son or relative to any Minister and particularly the Prime Minister. There is no question of a Minister's relative but favour should not be shown to anybody. In this connection, I must make it clear that no favour has been shown to anybody while granting the license. There is no question of any malpractice. The license has been granted as per our rules.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied. I had asked whether Government will declare that no license will be granted to the relatives of any Minister in future to check the corruptions.

Shri Janeshwar Misra : If given, Ministers concerned will resign.

श्री पीलु मोडी : प्रत्येक व्यक्ति मंत्रियद और उद्योग दोनों में से एक को चुन सकता है......

श्री दिनेश सिंह : मुझे विश्वास है कि श्री मोडी दोनों में से उद्योग को चुनेंगे, परन्तु वास्तविक प्रश्न यह .....

Mr. Speaker : Do not provoke Piloo Mody...

Shri Dinesh Singh : If I do not say anything about him, he feels as if I did not take notice of him.

Mr. Speaker, Sir, it is not good to favour anybody or to do a thing by unfair means but if the children or relative of Ministers or hon. Members are thus prevented from undertaking an enterprise how can they earn their livelihood ? Rather that will give birth to the corruption, referred to by the hon. Member.

Shri Madhu Limaye : My second question is whether regarding the manufacture of the small car there is stipulation to the effect that no imported material will be used in its manufacture. But I am aware of their intentions. They intend to manufacture the small car with the help of sub assemblies of various materials. Thus the people who manufacture the sub-assemblies will get the foreign exchange which will not figure in the accounts of Sanjay Gandhi. It has been clearly stated in a sentence, which I am reading out :—

> "In the light of the accepted practice, the foreign exchange allocated to the indigenous manufacturers of automobile ancillaries for the manufacture of sub-assemblies, parts, components and equipment to be supplied to proposed car project under reference and not to be treated as foreign exchange outlay on that car project."

Will the hon. Minister state as honestly as he stated earlier the number of parts to be manufactured by Sanjay Gandhi in which no imported material will be used and the number of parts containing imported material which will be purchased from other companies. I want a clear cut reply about the percentage and the parts. In a car there are about two thousand parts, so it should be clearly stated by hon. Minister as to how many of its parts will be manufactured from the indigenous material in the factory of Sanjay Gandhi, and how many of them, have to be imported ? Kindly give a clear cut answer so that the hon. Members may know what a bogus reply has been given to Shri Rabi Ray's letter.

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, Sir, first of all we should know about the procedure of the material which is indigenously produced. Today, we are trying that maximum ancillaries whether motor ancillaries or others should be manufactured by the small scale industries instead of by the large scale industries. We are trying to do so even in our motor project of public sector. I hope, when Sanjay Gandhi manufactures his Car, he will make use of our small scale industries sector.. (*Interruptions*).

As regards the motor parts, even the parts which are indigenously manufactured at present have some imported content. We are trying to minimise it gradually. At present, there are several motor parts which are being produced by our small industries and purchased by Motorists. No special arrangement is being made for Sanjay Gandhi. For example imported content. Starter is 8 percent, in Generator 5 percent, head-lamps 1.5 percent, distributor 7.5 percent, lasher 1 percent, wiper 4.5 percent, switch Silanite 5 percent, alternator 5 percent, electric-horn 5 percent, brahes 5 percent, steering gear 10 percent, and so on. Thus the parts or components have imported content. All purchase them.

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, just now hon. Minister has stated that the ex-factory price of Sanjay Gandhi's car will be Rs. 7,000 and of Madan Mohan Rao's Rs. 8,000. I would like to know from the hon. Minister whether it is desirable to waste country's meagre resources on the small car project when 7 to 8 crores of people are without jobs and 30 crores are not getting two square meals a day. What is the justification of giving so much importance to the small car project ? The Prime Minister is making a public statement for giving license to her son. This modernisation will spelt disaster for the country. There is neither drinking water nor food nor clothing nor shelter for the poor. Will this scheme be cancelled to meet these basic requirements ? It has been stated by the Prime Minister that her son is very adventurous and he must get the license. I

directly charge the Prime Minister of being corrupt. Is Shri Dinesh Singh going to announce that the Prime Minister should resign. (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : जब आप प्रश्न पूछ रहे थे तो उस पर केवल पूरक प्रश्न पूछिये यदि आप सरकार की निन्दा करना चाहते हैं तो ऐसा उचित प्रस्ताव के माध्यम से कीजिये ।

Shri Rabi Ray : Hon. Minister should reply to my question.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has certain basic issues in the first part of his question and if you permit I may give a detailed reply. The first statement about the small car project was given in this House as early as 1966. Shri Sanjivayya was the Minister at that time. I quote from the statement made by him,

> In the meantime, we shall also examine further whether it is feasible to set up indigenous capacity in the private sector on the basis that no import of foreign items is involved. I would request the House to hear with me a little longer".

At that time Sanjay Gandhi was not in this field ..(*Interruptions*)... Now, the difficulty is that the hon. Member does not want to listen about the facts unpalatable to him (*Interruptions*) After that, again in 1967, a statement was made in this House, although no license had been given to Sanjay Gandhi by that time. At that time it was stated by Shri F. A. Ahmed that those engineers who can manufacture motor car with indigenous know-how and without any import content, will be permitted to do so. Afterwards, with your permission, on 10th August, 1970 I stated in this House that we will manufacture a popular car in public sector. At that time I said that those who can manufacture car with indigenous know how and without any import content will be permitted. In 1966, it was stated that people who can manufacture such a car, should submit their applications. Then, some applications were received, but none of them was without foreign collaboration or import content. Even after that, we received some application but these too were not without foreign collaborations or import content. So, hon. Member should understand that it is neither something new nor here we made a new policy to help Sanjay Gandhi. ...(*Interruptions*). It is the policy of the Government for the last so many years and we are acting according to that. All these things have been stated in reply to unstarred questions No. 4740 and 4747 during the last session of this House. These things are not new. But the hon. Member has got his own way of presenting it. I can not have any say in it. But I must emphasise that no special favour has been done to Sanjay Gandhi in granting this licence. It has been done according to procedure under which it should have been done. The people may give any political thing to it. I do not want to say anything in this connection. But no procedural wrong has been done ..(*Interruptions*).

Shri Rabi Ray : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied. While listening the statement of the hon. Minister, I felt as if I am listening to Industry Minister of America. I want to know how many people in India can afford to purchase this car worth 7 or 8 thousand rupees ? It is a luxury and I want to know whether Government is going to stop licensing of luxury items. How many people will purchase such a car in this country ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Member knows it that even today when cars are available at higher price, there is long waiting list, and people have to wait for five to six years ... (*Interruptions*) Today our country is progressing. There is industrial development and alongwith this development, people want means by which they can progress. Hon. Member is talking about the poor but does he wants that poor should for ever remain poor in this country...(*Interruptions*)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 34 में और सदस्यों के नाम भी हैं। मैं दूसरे सदस्यों के नाम बोलने से पहले इस प्रश्न में छपे नाम बोलता हूँ। श्री सूपकार।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना की स्थापना का प्रश्न बहुत वर्षों से लटक रहा है। ज्यों ही गैर-सरकारी क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में आवेदन-पत्र आया तो भारत सरकार को लाइसेंस जारी करने वाली समिति ने तुरन्त एक लाइसेंस जारी कर दिया। योजना आयोग के विचाराधीन वर्षों से चल रही मैसूर सरकार के हितों वाली सरकारी क्षेत्र परियोजना में लगे विदेशी मुद्रा के फुटकर हिस्सों का प्रतिशत और हाल ही में मंत्री महोदय द्वारा जिस नई परियोजना का उल्लेख किया गया है उसमें लगे विदेशी मुद्रा के फुटकर हिस्सों के प्रतिशत का तुलनात्मक अध्ययन क्या है ?

श्री दिनेश सिंह : जिस परियोजना का माननीय सदस्य मैसूर परियोजना के नाम से उल्लेख कर रहे हैं वह मैसूर राज्य उद्योग विनियोजन तथा विकास निगम की परियोजना है।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : अथवा सरकारी क्षेत्र की कोई अन्य परियोजना है जिसे योजना आयोग और भारत सरकार को सौंपा गया है।

श्री दिनेश सिंह : योजना आयोग क्या कर रहा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमारा तो यहां लाइसेंस जारी करने से सम्बन्ध है। हमें मैसूर राज्य उद्योग विनियोजन तथा विकास निगम से विदेशी फर्म के सहयोग से कार बनाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम विदेशी सहयोग से उत्पादन की अनुमति नहीं दे रहे थे। मैसूर राज्य का उद्योग विनियोजन तथा विकास निगम से देशी कार बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं था।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय ने अभी-अभी ही मैसूर राज्य के विरुद्ध आक्षेप लगाया है क्योंकि वह राज्य से सदा से ही उस राज्य में उपलब्ध देशी तकनीकी जानकारी का प्रयोग करने के लिये अनुरोध करता रहा है। मैसूर में पर्याप्त मात्रा में विद्युत् उपलब्ध है और ऐसी ही स्थिति कच्चे माल की भी है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। छोटी कार परियोजना अभी तक एक स्वप्न ही बनी हुई है क्योंकि कारों का निर्माण करने वाले एकाधिकार गृह सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में छोटी कार परियोजना की अनुमति नहीं देने के लिये सरकार पर दबाव डालते रहे हैं। क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कार्य तुरन्त आरम्भ करने और इस विवाद की समाप्ति करने का अन्तिम निर्णय लेगी।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बिना आयात के देशी तकनीकी जानकारी के आधार पर कार बनाने की अनुमति के लिए कोई आवेदन-पत्र मैसूर सरकार से प्राप्त हुआ था। यदि माननीय सदस्य मैसूर सरकार से ऐसा आवेदन-पत्र भेजने के लिये कह सकें तो मैं उसकी सिफारिश लाइसेंस जारी करने वाली समिति से कर दूंगा। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, और जैसा कि इस सदन में 10 अगस्त, 1970 को मैंने कहा था कि सरकारी क्षेत्र में एक लोकप्रिय कार बनाने का निर्णय ले लिया गया है। हमने विदेशी कम्पनियों से सहयोग की मांग की है और हमें कुछ प्रस्ताव पहले से ही प्राप्त

हो चुके हैं। हमने नवम्बर के अन्त तक सहयोग प्रस्ताव प्रस्तुत करने का समय दे दिया है और मुझे आशा है कि आगामी वर्ष के प्रारम्भ में हम सहयोग प्रबन्ध को अन्तिम रूप दे सकेंगे।

श्री क० लकप्पा : बहुत लम्बे समय से एकाधिकार गृह सरकार पर दबाव डालते रहे हैं इसीलिए छोटी कार के निर्माण में इस सरकार द्वारा विलम्ब किया गया है। इस बात का उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री दिनेश सिंह : जैसा कि सदन को यह भली भांति विदित है कि यह सरकार दबाव में नहीं आती हैं।

Shri Balraj Madhok : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister has stated that no discrimination has been made in this matter. I want to ask whether it is not a fact that a youngman of Delhi has manufactured a car entirely from indigenous material and he is ready to exhibit that by driving outside the Parliament House ? The cost of production of that car is five or five and a half thousand rupees. Has the said person requested the Government for a letter of intent ? Since he is not a son of the Prime Minister nobody listen to him.

Secondly, is it a fact, that no foreign exchange will be required ? Is it also a fact that Government entering into an agreement with the Renu Small Car Company of France according to which the foreign company provide free technical know how to Sanjay Gandhi in exchange of the collaboration ?

There is an old adoge, "Not only Caesar but also Caesar's wife should be above suspicion" since both Caesar and his wife are in suspicion at this time, will the hon. Minister voluntarily request the Prime Minister and prevail upon her to say that she will not help her son in getting the licence regardless of whether he deserves that or not so that suspicion of discrimination created in public mind is dispelled ?

Shri Dinesh Singh : So far as the first question that a youngman has manufactured an indigenous car at the cost of about rupees five thousand is concerned, there is no application submitted by him ...(*Inerrupiton*)...The hon. Member himself has not mentioned whether it is a licence or an application. He has said only this that the youngman can demonstrate that car by driving that outside the Parliament House. If he shows the licence instead of showing the car and uses indigenous know how in the manufacture of the car. I can consider his applcation...(*Interruptions*)...So long as the hon. Member has asked whether we have accepted collaboration with the Renu Company of France, the Renu Company is one of those who have shown interest for collaboration but still we have not decided whom we have to collaborate with.

The hon. Member has asked me to request the Prime Minister that she should ask her son to surrender the licence, I think it will not be a right step. We shall be very happy and helpful if any youngman whether he is the son of Shrimati Indira Gandhi or of any hon. Member manufactures a new thing ..(*Interruptions*)

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the hon. Minister whether it is a crime or a sin to give a chance to a deserving and enterprising man having initiative simply because he happens to be the son of Shri Morarji or Shri Ram Subhag Singh or Shrimati Tarkeshwari Sinha or Shri Madhu Limaye. I want to know the number of applications received in this particular case and whether the person mentioned by Shri Madhok has applied for the licence and whether the car manufactured by Shri Sanjay has been tested. I want to know whether the persons who have worked for four years as puisue mechanics in petty workshops can get licence or not ? Is it a fact that no collaboration is

required in this project ? Is it also true that no foreign exchange is required for this purpose ? Is it also true that fifty thousand cars will be manufactured at a cost of Rs. 4 crores whereas other applications stipulate the manufacture of only twenty-five thousand units at a cost of Rs. 8 crores ? Whatever can a licence be issued to other applicants while his quotation was the lowest ? I want from the hon. Minister the information on all these points.

Shri Dinesh Singh : The hon. Member has asked the number of applications received in this regard. We had received 10 applications in this regard out of which 8 applications stipulated for foreign collaboration or import of capital goods. Only two applications were on the basis of indigenous know-how and without any import-purchase and we have given letter of intent to both the applicants.

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि किसी बहुत ही विशेष कार्य के लिये असाधारण तकनीकी योग्यताओं के मामलों को छोड़ कर प्रधान मन्त्री जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निकट सम्बन्धियों को साधारणतया इस प्रकार के लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से जन-साधारण में अप्रिय प्रतिक्रिया होती है, सम्बन्धित व्यक्तियों को कष्ट होता है और कुछ सीमा तक देश के नाम पर धब्बा आता है ? क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि बहुत ही असाधारण योग्यता वाले मामले को छोड़ कर इस नियम का पालन किया जाना है और क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हमें इस विशेष मामले में सम्बन्धित व्यक्तियों को प्राप्त किसी असाधारण प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित योग्यताओं अथवा सुविधाओं के बारे में बताया जा सकता है जिन्होंने सरकार के लिये यह आवश्यक कर दिया है कि वह न केवल जनतांत्रिक व्यवहार से ही अलग हो अपितु सहजबुद्धि से भी अलग हो।

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि हमें किसी मामले में किसी के प्रति विशेष पक्ष अथवा रियायत नहीं दिखानी चाहिए...(**व्यवधान**)...महोदय, मैं कह रहा था...(**व्यवधान**) चूंकि मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को सुना है अतः मुझे भी मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिये।

मैं यह कह रहा था कि हमें इस बात की विशेष सावधानी का प्रयोग करना चाहिये कि विशेष पक्ष अथवा रियायत तो नहीं दिखाई गई है...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग, कृपया, उनकी बात सुनेंगे ? आपको कुछ धैर्य रखना चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : मैं इस विचार से सहमत हूं कि हमें न केवल प्रधान मन्त्री के लड़के बल्कि किसी मंत्री महोदय अथवा माननीय सदस्यों के लड़कों के प्रति भी कोई विशेष पक्षपात या रियायत नहीं दिखानी चाहिये। परन्तु प्रश्न तो इस बात का है कि यदि देश में कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है...(**व्यवधान**)

श्री रंगा : महोदय, वह इसका सीधा उत्तर दें। वह प्रश्न को टाल रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह : यदि सदस्य सुनना चाहें तो मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। यदि वे अपने ही विचारों पर टिके रहना चाहते हैं तो हमें किसी अन्य प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

जो कुछ मैं कहने का प्रयत्न कर रहा था वह यह है...(व्यवधान) यदि आचार्य रंगा जी चाहें तो उन्हें 'शॉक एब्जोर्बर' के लिये लाइसेंस देने में मुझे प्रसन्नता होगी।

जिस प्रश्न पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं वह असाधारण योग्यता दिखाने का प्रश्न नहीं है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति कुछ करने में सक्षम है, चाहे वह रोजगार ढूंढ़ने का प्रश्न हो अथवा कुछ काम करने का, उसे देश के आर्थिक जीवन का अंग बनने से केवल इसी बिनाय पर क्यों रोका जाये कि वह किसी मन्त्री का लड़का है ? (व्यवधान) जी, नहीं। यह मेरी राय में सर्वथा गलत होगा...(व्यवधान) मेरे विचार से एक मन्त्री के लड़के के लिए यह सर्वथा गलत होगा कि वह किसी पर आश्रित रहे अथवा अन्य संसाधनों के जरिये धन प्राप्त करे। यदि वह कोई ईमानदारी का कार्य कर सकता हो तो उसे वह अवश्य करना चाहिये, ऐसा करने से उसे रोका क्यों जाये ? (व्यवधान)

Shri Tulshidas Jadhav : Mr. Speaker, Sir, the issue of small car has been hanging fire for the last 7-8 years. Is it not a fact that no car manufacturer has till date submitted any proposal to the Government of India for the manufacture of a car completely from indigenous parts ?

Is it not a fact that Shri Sanjay Gandhi has manufactured four cars with the indigenous parts and two of them were shown to the Government and the Government gave its approval to them ? Is it also not a fact that no other car manufacturer has so far some forward to manufacture that type of car at the low cost of Rs. 6000 ? If any person, whether he the son or relative of any person down from a Gram Sewak to the Prime Minister, is able to manufacture that type of car at a comparatively lower rate cost and if he is not given the licence which he deserves, would it be justifiable on the part of the Government to do so ?

Shri Dinesh Singh : I have just stated that it is not our intention to come in the way of any person who is able to manufacture the car according to rules.

Any person, regardless of his percentage, will be issused a licence if he is able to execute the work according to Government rules.

कुछ माननीय सदस्य—खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर अब तक 45 मिनट तो समाप्त हो चुके हैं।

श्री पीलु मोदी : इस पर और 15 मिनट दिये जा सकते हैं।

Shri Kanwarlal Gupta : Shri Piloo Mody can not sit in a small car. Why is he being allowed to put a question ?

श्री स० मो० बनर्जी : श्री पीलु मोदी को छोटी कार परियोजना के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह छोटी कार में बैठ सकते हैं। यदि छोटी में दरवाजा एक ही हो तो श्री पीलु मोदी उसमें बैठ सकते हैं।

श्री पीलु मोदी : मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को और ईमानदारी के रूप में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया इस परियोजना को लाइसेंस दिया गया है। वहां ऐसे बहुत से कारखाने हैं

जो फुटकर हिस्से बनाते हैं और इस प्रकार का प्रत्येक कारखाना विदेशी मुद्रा के भाग के ठोस भाग का उपयोग करेगा। इस विदेशी मुद्रा के भाग को इस विशेष छोटी कार परियोजना के नाम लिखा जाना चाहिये न कि किसी व्यक्ति की परियोजना के, किसी अन्य आयात करने वाले के और न किसी अन्य मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी के नाम लिखा जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने इस बात को सत्रहवीं बार दोहराया है कि किसी विशिष्ट आवेदक से ये योग्यतायें अपेक्षित की गईं थीं। उन्होंने किसी सहयोग और विदेशी मुद्रा को न लेने का उल्लेख किया। अब भी स्थिति इस प्रकार है : इस छोटी कार परियोजना में विदेशी मुद्रा का ठोस प्रतिशत काम में लाया जायेगा जिसे, मैं कहता हूँ, 'बेईमानी से' इस परियोजना से अलग करके दूसरी परियोजना में रख दिया गया है। शॉक एब्जोर्वर्स, होर्न्स, स्प्रिंग्स या स्टार्टर्स और अन्य वस्तुयें जिनकी आवश्यकता होती है, उनके 50,000 कारखाने हैं। आखिर उन्हें इन चीजों को बाजार से तथा उन लोगों से जो इन विशेष चीजों को बनाते हैं उनसे खरीदना पड़ेगा। जब ये लोग लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र देंगे तो दूसरे प्रयोगकर्त्ताओं पर उसे प्राथमिकता दे दी जायेगी क्योंकि उस विशेष परियोजना को संजय गांधी द्वारा आरंभ किया जा रहा है। अत: मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ कि इस परियोजना में कितनी विदेशी मुद्रा को सही तौर पर काम में लाया जायेगा। वह मेरा पहला प्रश्न है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यह देखा जाता है कि प्रत्येक मंत्री के लड़के या सम्बन्धी के पास कोई न कोई परियोजना होती है जिसका सरकार के ढांचे के साथ मेल होता है। ऐसे दूसरे हजारों आवेदक हैं जिन्हें कभी अवसर प्राप्त नहीं होता है।

श्री दिनेश सिंह : पुर्जों तथा फुटकर हिस्सों के बारे में जब मैंने बताया था कितने प्रतिशत विदेशी फुटकर हिस्से काम में लाये जायेंगे, इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के गैर-सरकारी क्षेत्र में होने के कारण उन्हें भली भांति ज्ञात है कि इन पुर्जों का प्रतिशत...**(व्यवधान)**

श्री पीलु मोदी : क्या मैं एक आरोप लगा सकता हूँ कि वह अन्य लोगों अर्थात प्रधान मंत्री तथा उनके पुत्र के साथ बहुत घुलेमिले हुए हैं? जो आरोप इन्होंने लगाये हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। इन्हे श्री चव्हाण की तरह घटिया किस्म की मजाक नहीं उड़ानी चाहिये।

श्री दिनेश सिंह : मैं सरकारी क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं और मैं सरकारी क्षेत्र के साथ हूँ। जहां तक कार में लगने वाले पुर्जों का सम्बन्ध है। उनकी प्रतिशतता बहुत कम है। इस देश में तैयार की जाने वाली वर्तमान कारों की ही बात लीजिये जिनमें यही पुर्जे तथा छतक इस्तेमाल किये जाते हैं। उदाहरण इन्ही पुर्जों का इस्तेमाल करने वाली गैर-सरकारी क्षेत्र की फियाट को लीजिये। इन कारों में %99 देसी सामग्री होती है। यदि आप इसे कार के कुल उत्पादन में जोड़े तो लगभग लागत उतनी ही बनेगी। अतः जिस हानि की माननीय सदस्य ने चर्चा की है। उसका प्रतिशत कार की कुल लागत में पाँच या उससे अधिक प्रतीत होगा। देसी कार की चर्चा के सम्बन्ध में यही मुख्य बात थी।

सदन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि आज हम उद्योग और वाणिज्य के कार्यक्रम को एक दूसरे के आश्रय के आधार पर चला रहे हैं। बड़े-बड़े विकसित देश यह प्रत्येक पुर्जे

को तैयार करना लाभदायक नहीं समझते। कुछ पुर्जों का वे आयात करते हैं और कुछ का निर्यात। हम भी पुर्जों का निर्यात कर रहे हैं और कुछ जरूरी कच्चे माल का आयात भी करते हैं। अतः यह अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य का एक भाग है जो विकसित हो गया है। अतः कार के मूल्य सम्बन्धी तस्वीर जो माननीय सदस्य सामने रखना चाहते थे बिलकुल निराधार है।

श्री पीलु मोदी : ये यह जानना चाहता हूं कि यह कितना होगा।

श्री दिनेश सिंह : यह एक उपेक्ष्य पुर्जा होगा।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मैंने इसी विषय पर एक दूसरे प्रश्न की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें पचास मिनट से भी अधिक समय लग गया है। मेरे विचार में अन्य प्रश्नों पर भी विचार करना है। वे भी अच्छे प्रश्न हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : लेकिन हमने एक साथ दो प्रश्न लिये हैं। पहले ही उनके लिये इतना अधिक समय दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : इनके दल को अवसर नहीं मिला। अतः ये अब ले सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सभा पटल पर रखे गये विवरण में उस सरकारी अथवा गैर-सरकारी समवाय का कोई उल्लेख नहीं जिसकी ओर से भी संजय गांधी ने लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र दिया है। सम्भवतः यह एक स्वाम्य संस्था है। यदि ऐसा है तो क्या सरकार को इस बात की तसल्ली है कि श्री संजय गांधी का आर्थिक सामर्थ्य इतनी बड़ी परियोजना चलाने योग्य है। यदि नहीं, तो क्या वे हमें उनके आर्थिक सामर्थ्य के बारे कुछ बतायेंगे ?

श्री पीलु मोदी : असीमित।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि इन्होंने बताया है कि वे देसी सामग्री से ही इसे करेंगे, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस देश का कोई पूंजीपति अथवा एकाधिकारी इस परियोजना में पूंजी लगा रहा है ? माननीय मंत्री ने बताया है कि एक व्यक्ति को इसलिये गली में नहीं रहने दिया जाना चाहिये कि वह मंत्री का पुत्र है। लेकिन क्या यह सच नहीं है और क्या यह इस सदन की इच्छा नहीं रही, जो मेरे विचार में संतानम कमेटी की मुख्य सिफारिशों में से भी एक थी, कि किसी व्यक्ति, जो मंत्री हो या ऐसे ही अधिकारों से सम्पन्न हो। वे कार्यकाल में उसके परिवार के सदस्यों का सरकार स वाणिज्य अथवा व्यापार का सम्बन्ध नहीं होना चाहिये ? क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या लाइसेन्सिग कमेटी ने सिफारिश करते हुऐ तथा मंत्रीमंडल ने स्वीकृति देते हुऐ इस पहलु पर विचार किया ? और क्या मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि इस के बाद यदि उन्हें यह मालुम हो कि भीतरी प्रशासनिक तकनिकियों के जानकर मंत्रियों के निकट सम्बन्धी ऐसी परियोजनाएं चलाने के लिये प्रार्थना-पत्र दें तो वे इसके हकदार होंगे और उन्हें औरों की अपेक्षा अधिक तरजील दी जावेगी और सरकार उन्हें लाईसेंस देने के लिये स्वतंत्र होगी ? मैं एक निरुपाधि – उत्तर चाहता हूं।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक आर्थिक प्रबन्ध का सम्बन्ध है, मेरे विचार में श्री संजय गांधी पूंजी जुटाने तथा इस कार को बनाने के लिये सार्वजनिक समिति कम्पनी चलाना चाहते हैं।

श्री हरदयाल देवगुण : अभी तक ऐसी कोई कम्पनी नहीं। वे अब चलायेंगे।

श्री दिनेश सिंह : लाईसेंस नहीं केवल आशय पत्र ही जारी किया गया है। लाईसेंस जारी करने से पहिले ऐसी आशा है कि श्री गांधी सार्वजनिक सीमित कम्पनी चलायेंगे और हमें एक नमूना दिखाने योग्य होंगे ताकि हम इसका सड़क में चलने सम्बन्धी निरीक्षण कर सकें।

वितरण के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने संतानम कमेटी रिपोर्ट की चर्चा की है। मेरे विचार में इस पर विचार-विमर्श हुआ था और जिन मार्गदर्शी बातों को लागू किया जाना था उन पर भी पहले ही विचार किया जा चुका था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अगले प्रश्न के लिये भी कम से कम पांच मिनट देने चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देने दीजिये। दूसरे भाग का उत्तर सम्भवत: ये देना नहीं चाहते और मैं इस पर जोर भी नहीं देता लेकिन कम से कम इन्हें इस बात का स्पष्टीकरण करने दीजिये कि क्या आशयपत्र जारी करने से पहिले आर्थिक सामर्थ्य पर विचार किया जाता है। क्या मैं समझ सकता हूं कि आर्थिक स्रोतों को ध्यान में नहीं रखा जाता ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस मामले की जांच के लिये क्या एक संसदीय समिति स्थापित की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

सैयद सारावान (उत्तर रेलवे) के निकट दुर्घटना में एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु

***32. श्री वि० नरसिम्हा राव** :
श्री झारखण्डे राय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के इलाहाबाद-कानपुर सैक्शन पर सैयद सारावान रेलवे स्टेशन के निकट 3 अक्तूबर, 1970 को हुई एक दुर्घटना में एक मालगाड़ी के ड्राइवर और सहायक ड्राइवर की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) दुर्घटना का ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) 3-10-1970 को सीधी जाने वाली नं० ई/932 डाउन मालगाड़ी मनोहरगंज और सैयद सरावां स्टेशनों के बीच दो हिस्सों में कट गयी। अगले विभक्त भाग के साथ गाड़ी

का इंजन, सैयद सरावां स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल से गुजरने के बाद रुक गया और गाड़ी का पिछला विभक्त भाग सैयद सरावां स्टेशन के डाउन दूर-सिगनल के बीच रुक गया। उसी दौरान नं० ई/146 ग्र॰ डाउन मालगाड़ी पीछे से आयी और नं० ई/932 गाड़ी के पिछले विभक्त भाग से टकरा गयी। दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) दुर्घटना में मारे गये दो कर्मचारियों के आश्रितों को, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत देय आवश्यक क्षतिपूर्ति की रकम का शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है।

Shri Jharkhandey Rai : May I know whether the hon. Minister is aware of the steep rise of late in the Railway accidents in India rendering the railway journey increasingly insecure ? Railway Minister is also very much worried about it. Is it a fact that a high level conference no the subject was held or is going to be held and if so, what decisions were taken ? Is it also a fact that large scale pilferage and theft of goods is going on the Northern Railway and other Railways as for example on the Moghalsarai railway yard where theft of the order of Rs. Fifteen lacs reported to be the daily reported feature. The Hon'ble Railway Minister paid a visit to Moghalsarai in this connection. Was any high level conference held on this subject also if so, let what the decisions were taken there at ?

Shri Nanda : This supplementary question does not relate to the main questions. Even then my reply is that what the Hon'ble Member is saying is not correct has been decline. There is accidents during the period and not are increase.

An hon'ble Member : This is wrong.

Shri Janeshwar Misra : We will not tell a lie what will deginitely say that the Hon'ble Minister is not telling the truth...(*Interruption*)

Mr. Speaker : You enjoy this type of noise making. I am sorry you are not giving a chance to the Member who tabled this question.

Shri Janeshwar Misra : That is a mis-statement of facts.

Shri Jharkhandey Rai : I had said that there was a press reply that the Railway Minister was very much worried over the increasing number of railway accidents. I would like to know whether any high level conference was held on this subject or is going to be held and if so, what decisions were taken there at ?

Shri Nanda : A conference or General Managers over the subject of safety was held. This subject was fully discussed in that conference. Even one accident is painful to us. But this is a fact that the accidents registered as full during this period.

Shri Rabi Ray : Kindly do not compare the accidents after all accident is accident.

Shri Nanda : I have already stated that even a single accident is had and we are trying to check the accidents. I think that newly introduced schemes have decreased the number of accidents...(*Interruption*)

Mr. Speaker : You people do not suffer from headache. I do suffer from it.

Shri Jharkhandey Rai : What decisions were taken in the conference, it has not been stated and that is all I wanted to know.

Mr. Speaker : Question hour over.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मद्रास-अर्कोणम रेलवे लाइन का विद्युतीकरण

*3 **श्री एस० के सम्बन्धन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास-अर्कोणम रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का मामला इस समय किस अवस्था में है ; और

(ख) उक्त कार्य कब तक शुरू होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मद्रास-अरकोणम खंड के बिजलीकरण का काम जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना में अन्तिम रूप से शामिल कर लिया गया है, अभी रेल मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि इस योजना पर काम कब शुरू किया जा सकेगा ।

राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा स्कूटरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

*35. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम से प्राप्त स्कूटर निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) राजस्थान औद्योगिक और खनिज विकास निगम (दी राजस्थान इंडस्ट्रियल एण्ड मिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन) को दिनांक 7 अक्तूबर, 1970 को देशी डिजाइन के वार्षिक 24,000 स्कूटर की क्षमता के एक नये औद्योगिक उपक्रम की अलबर में स्थापना करने के लिये आशय पत्र दिया जा चुका है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Fire in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

*36 **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a fire broke out in Khadi Bhavan, New Delhi on the nigh of October 14, 1970 ; if so, the caases thereof and the extent of loss sustained as a result thereof ; and

(b) the extent of loss due to suspension of sales consequent to the Bhawan remaining closed for several days due to the fire ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R Krishna) : (a) Yes, Sir. A fire had broken out in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi on the night of 14th October, 1970. The fire was caused by electric short circuit and the extent of loss sustained as a result thereof is estimated at about Rs. 3 lakhs.

(b) The extent of loss due to suspension of sales is estimated at Rs. 30,000/- approximately.

कलकत्ता में भू-गत रेलवे लाइन के लिये ठेका

*37. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री हेम बरुग्रा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में भू-गत रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रूसी तकनीशनों को ठेका दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस बारे में अन्य देशों से परामर्श करने का भी यत्न किया था ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

दक्षिण रेलवे की रेलवे लाइनों को दोहरा करने का कार्यक्रम

*38. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर इस वर्ष के निर्माण-कार्यक्रम में लाइनों को दोहरा करने के कितने कार्यक्रम चालू किये गये हैं ;

(ख) क्या क्विलन-एरनाकुलम तथा क्विलन-त्रिवेन्द्रम लाइनें भी इस वर्ष के निर्माण-कार्यक्रम में सम्मिलित की गयी है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1970-71 के दौरान निम्नलिखित निर्माण-कार्यों की मंजूरी दी गयी है :

(i) मोराप्पुर-दासमपट्टी (15 कि० मी०)
(लागत 100.06 लाख रुपये)

(ii) मदुकरै-कांजीकोडे (2?.38 कि० मी०)
(लागत 273.36 लाख रुपये)

(iii) ग्रल्वार्य-एरणाकुलम (19.5 कि० मी०)
(लागत 195.13 लाख रुपये)

(ख) और (ग). सम्भवतः माननीय सदस्य एरणाकुलम-क्विलन-त्रिवेन्द्रम खंड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं। इस काम की सर्वेक्षण रिपोर्टों की अभी जांच की जा रही हैं और इस आमान-परिवर्तन के सम्बन्ध में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

विदेशों द्वारा इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में भारत से जानकारी मांगना

*39. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** **श्री मि० रं० लास्कर :**
श्री नारायणन :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बीस से अधिक देशों ने अपने देश में इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में भारत से जानकारी मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में उन देशों को किसी प्रकार की सहायता देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हाल में कई देशों ने अपने देश में छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने के बारे में भारत से जानकारी प्राप्त करने में अभिरुचि दिखाई है।

(ख) सरकार की नीति दूसरे देशों को इस प्रकार की जानकारी देने में प्रोत्साहन देने की है।

(ग) और (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं से सम्बन्धित समिति की सिफारिश

*40. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**
श्री अजमल खां :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं से सम्बन्धित समिति ने सिफारिश की है कि टैक्नोलोजी के अनेक क्षेत्रों में उपलब्ध देशीय परामर्शदात्री तथा इंजीनियरिंग सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया जाये और उन्हें कर में कमी तथा बैंक ऋणों सहित, आर्थिक राहत देकर प्रोत्साहन दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशें सरकार के विचाराधीन है।

Assistant to Unemployed Engineers for Starting small Scale Industries

*41. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Government are formulating any scheme for providing initiatives to unemployed engineers to run their own small scale industries ;

(b) whether any provision has also been made in the said scheme for providing loans from the nationalised banks ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The scheme envisages training of about 6,000 engineer entrepreneurs, each of whom will be assisted in the setting up of a small-scale industry. The training programme would be of three months' duration and emphasise the practical aspects of starting new enterprises and the procedural problems involved. During the training period, the entrepreneurs will do an in-plant study with an industrial enterprise similar to what he intends to start and will also prepare a feasibility report on the project he has in mind.

Once the trainee has completed his course and produced an acceptable feasibility report, the Government agencies on their part, will be committed to assist him in matters such as provision of land, water and power and financial assistance through the State Financial Corporations, the State Industrial Development Corporations and the nationalised Banks. In addition to the facilities normally available under the Small Industries Development Programme, it is proposed to provide the engineer entrepreneurs a suitable subsidy so that the interest actually paid by him does not exceed 5% per annum. This subsidy will be available for a period of three years to enable the entrepreneur to go into production and to suitable his enterprise ; in areas designated as industrially backward for the purpose of concessional finances, this subsidy may be extended upto 5 years.

छोटी कार परियोजना के लिए लाइसेंस देना

*42. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी यात्री कार का निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिये हैं ;

(ख) क्या ये लाइसेंस छोटी कार का विदेशी सहयोग से निर्माण करने के लिए हैं अथवा उसका देशी उत्पादन करने के लिए हैं ; और

(ग) उत्पादन की प्रारम्भिक स्थिति में अपेक्षित विदेशी मुद्रा की अनुमानित राशि कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं । अभी तक दो पार्टियों को केवल आशय पत्र जारी किये गये हैं । ये आशय पत्र इस शर्त पर जारी किये गये हैं कि विदेशी सहयोग या विदेशी परामर्शदात्री व्यवस्था का कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जायेगा तथा पूंजीगत सामान, पुर्जों व कच्चे माल के आयात के लिए कोई अनुमति नहीं दी जायेगी । हां, ऐसे मामलों में जहां उस समय प्रचलित सरकार की सामान्य नीति के अनुसार

देश में सामान्य रूप से उपलब्ध ऐसे कच्चे माल का आयात करना आवश्यक हो, जिसकी अस्थायी रूप से कमी हो, उसके आयात की अनुमति दी जा सकेगी ।

टायर और ट्यूब के मूल्यों में कमी करना

***43. श्री रामकिशन गुप्त : श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री अदिचन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे रबड़ के नये समर्थन मूल्यों के अनुसार विक्रय-मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के उनके मंत्रालय के सुझाव के अनुरूप टायर-निर्माता टायरों और ट्यूबों की कीमतों को कम करने के लिए सहमत हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे कितनी कमी करने के लिए सहमत हुए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग). निर्माताओं के साथ मामले पर बातचीत चल रही है ।

कलकत्ता में भू-गत रेलवे

***44. श्री दिनकर देसाई :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 में इस आशय का एक वक्तव्य दिया गया था कि कलकत्ता में भू-गत रेलवे का निर्माण करना सम्भव नहीं है ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रेलवे की व्यवहार्यता तथा उस पर लागत के बारे में पुनः अध्ययन आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सच नहीं है कि अप्रैल, 1970 में रेल मंत्री ने यह बयान दिया था कि कलकत्ता में भूगत रेलवे बिछाना सम्भव नहीं है ।

(ख) इस समय कलकत्ता के लिए व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए तकनीकी-आर्थिक अध्ययन किया जा रहा है । व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली में महानगरीय रेलवे लाइन के अन्तर्गत भूगत अथवा ज़मीन से ऊपर उठी हुई संरचना पर रेलवे लाइन बिछायी जायेगी । इन अध्ययनों से व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए लागत, निर्माण के लिए अपेक्षित समय आदि से सम्बन्धित ब्यौरे उपलब्ध हो जायेंगे ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश को उद्योगों का स्थानान्तरण

*45. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री समर गुह :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के लगभग दो दर्जन उद्योगपतियों ने अपने कारखानों को पश्चिमी बंगाल से स्थानान्तरित करके उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में पूर्ण व्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में कितने कारखानों को स्थापित करने की अनुमति मांगी गई है, कुल पूंजी निवेश कितना होगा और भाग (क) में उल्लिखित अनुमति मांगे जाने के क्या कारण बताये गये हैं ; और

(ग) उपरोक्त अनुरोध के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश में उद्योगों के स्थानान्तरण के बारे में कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना

*46. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री केदारनाथ सिंह :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग सरकरी क्षेत्र में छोटी कार परियोजना स्थापित करने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इसके बारे में और आगे कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) परियोजना में संयुक्त क्षेत्र अथवा बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्थान कितना-कितना धन लगायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). परीक्षित विदेशी डिजाइन पर आधारित सरकारी क्षेत्र में प्रति वर्ष 50,000 कारों की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण के लिए सरकार ने सिद्धान्त रूप में जो निश्चय किया है उसकी घोषणा 10 अगस्त, 1970 को लोक सभा में दिए गये वक्तव्य में कर दी गई थी। इस निश्चय के अनुसार में इच्छुक विदेशी फर्मों से 30 नवम्बर, 1970 तक प्रार्थना-पत्र मांगे हैं। इस प्रार्थना पत्रों के मिलने तथा उनकी जांच किये जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जायेगी। यह निश्चय किया गया है कि केंद्रीय सरकार और उसके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्धित कारखाने इस प्रस्तावित परियोजना की सामान्य पूंजी के 51 प्रतिशत शेयर खरीदकर अपना नियंत्रण रखेंगे। शेष 49 प्रतिशत पूंजी उसके शेयर जनता व अन्य व्यक्तियों से बेचकर इकट्ठी की जायेगीं।

औद्योगिक विकास तथा पूंजी निवेश के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल की सरकार से वार्ता

*47. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अगस्त, 1970 के समाचार पत्र टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि व्यापार तथा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों ने ऐसे कई नए कारणों के उभरने पर चिन्ता व्यक्त की है जिससे पूंजी निवेश तथा आद्योगिक विकास के मार्ग में रुकावट पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की समिति के सदस्यों को सरकारी नीतियों के उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए तीन केन्द्रीय मंत्रियों ने उनसे अलग-अलग भेंट की है ;

(घ) यदि हां, तो भेंट करने वाले मंत्रियों के क्या नाम हैं तथा उनके द्वारा की गई बात-चीत का व्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस दिशा में उद्योगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का विचार यह है कि इस समय नये विनियोजनों और विकास के लिए अनुकूल वातावरण विद्यमान है। विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती हुई मांग, लाइसेंस देने के मामले में उदारता पूर्ण नीति, विशेष रूप से मध्य क्षेत्र और अवस्थापन (इन्फ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं के अलावा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने वाले ऋण की दृष्टि से यह आवश्यक समझा जाता है कि अर्थ-व्यवस्था की शीघ्र गति से विकास करने की पूर्वापेक्षायें पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ). वित्त मंत्री, इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्री तथा विदेश मंत्री की वाणिज्य तथा उद्योग व्यापार संघ के प्रतिनिधियों से भेंट हुई थी। ये मंत्री तथा औद्योगिक और आन्तरिक व्यापार मंत्री ने भी अन्य सम्मेलनों जैसे उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों के प्रतिनिधियों से भी भेंट की थी। इन बैठकों में सरकार की आर्थिक नीतियों की व्याख्या की गई थी। इस बात पर बल दिया गया था कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने और आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकताओं विशेष रूप से इस्पात तथा यथा-संभव अधिकाधिक निर्यात बढ़ाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाएगा। फिर भी, उन उपायों को निरन्तर सम्पूर्ण रूप से सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के द्वारा

जैसी कि सरकार द्वारा परिभाषा की गई है और जैसा कि एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम जैसे विधानों में व्यवस्था हो, प्राप्त किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिशु बोर्ड का गठन तथा बाल कार्यक्रम के बारे में राष्ट्रीय नीति संकल्प

***48. श्री कंवर लाल गुप्ता :**
श्री शशिभूषण:

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री अपनी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिशु बोर्ड के गठन के बारे में सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे और उसके कृत्य क्या होंगे ;

(ग) बाल कार्यक्रम के बारे में प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति संकल्प पर प्रत्येक राज्य की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उक्त योजना कब तक लागू हो जायेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री हनुमन्तय्या) : (क) और (ख). एक राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना की जा रही है। इसकी रचना तथा कार्यों पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). अधिकतर राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय बाल बोर्ड की स्थापना किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। सरकार इस प्रस्ताव को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की आशा करती है।

हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल से ट्रांसफार्मर के डिजाइन का भेद खुल जाना

***49. श्री नाथ पाई :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल से एक गैर-सरकारी फर्म को एक ट्रांसफार्मर के डिजाइन का पता चल गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस रहस्य का उसे कैसे पता चला और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संयंत्र के डिजाइनों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध के अलावा जिसके अनुसार हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि० के कार्यालय या उत्पादन क्षेत्र से सामान या ड्राइंग बाहर ले जाने पर जांच की जाती है। ट्रांसफार्मर का डिजाइन किसी एक सेक्शन अथवा किसी एक ड्राइंग विशिष्ट विवरण के रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त इन्जीनियरिंग सूचना पत्रों में दिये गये डिजाइन सम्बन्धी आधारभूत आंकड़े गुप्त रखे जाते हैं तथा सम्बन्धित इन्जीनियरों को दिये जाने के लिये एक प्रति ही उपलब्ध की जाती है।

मुगल सराय यार्ड से रेलवे सम्पत्ति की चोरी की जांच

*50. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री दे० अमात :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय यार्ड से प्रतिदिन एक लाख रुपये के मूल्य के सामान की चोरी हो जाती है ;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार ने कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। सरकारी रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा दल और वाणिज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच की गई थी लेकिन प्रतिदिन 1 लाख रुपये की हानि की बात नहीं पाई गई।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है।

(2) रेलवे सुरक्षा दल के काम के पर्यवेक्षण के लिये मुगलसराय में रेलवे सुरक्षा दल का एक वरिष्ठ अधिकारी (सुरक्षा अधिकारी) तैनात किया गया है।

(3) मुगलसराय की समस्या से निबटने के लिए उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार के प्राधिकारियों का अधिक सहयोग मांगा गया है।

(4) इस काम के लिये स्वैच्छिक संगठनों और गैर सरकारी निकायों की सहायता ली गई है।

(5) मुगल सराय को प्रभावित करने वाली अपराध आदि की समस्याओं से सशक्त रूप से निपटने के उद्देश्य से विभिन्न एजेन्सियों के प्रयासों को समन्वित करने के लिये 2 नवम्बर, 1970 से "आपरेशन मुगलसराय" नाम का एक अभियान चलाया गया है।

Foreign Collaboration in Radio Industry

*51. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to allow foreign collaboration in those industries in which the country is self-sufficient ;

(b) if so, when the decision to this effect was taken ; and

(c) whether Government have included radio manufacturing industry in this category of industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Government policy in the matter of foreign technical collaboration continues to be, for quite some time, that wherever indigenous technology has developed to requisite levels in different industrial sectors and is available to other manufacturers in these sectors, foreign collaboration would not normally be allowed.

(c) The manufacture of commercial radio receivers is considered to be a field where no foreign collaboration is now necessary.

हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन रांची के मुसलमान कर्मचारियों का पुनर्वास

*52. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 के दंगों में बेघर हुए हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के मुसलमान कर्मचारियों को अभी तक नहीं बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा की आशा दिला कर उन्हें निश्चित रूप से कब तक उनके मकानों में बसा दिया जायेगा ;

(ग) उन दंगों में मारे गए कर्मचारियों के कितने परिवारों और आश्रितों को अब तक मुआवजा अथवा पुनर्वास भत्ता मिल चुका है ; और

(घ) 1967 के दंगों में कत्ल और लूट-पाट करने के आरोप में कितने आदमियों को सजा दी गई है अथवा मुकदमें चलाये जा रहे हैं और उन दंगों में भाग लेने के कारण कितने कर्मचारियों तथा अधिकारियों को दन्डित किया गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लगभग उन 500 मुस्लिम कर्मचारियों में से जिन्होंने बस्ती में अपने क्वार्टर छोड़ दिये थे और जिन्हें कम्पनी के दो होस्टलों में रखा गया था अब तक 61 कर्मचारी बस्ती में दिये गए अपने क्वार्टरों में वापिस आ गये हैं। जो अभी भी होस्टलों में उन्हें भी बस्ती में बसाया जायेगा।

(ख) मुस्लिम कर्मचारियों को बस्ती में पुनः बसाने की समस्या एक नाजुक सामाजिक समस्या है जिसमें सभी सम्बन्धित वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। इसलिये इस कार्य में प्रगति समझा-बुझा कर ही हो सकती है। इस समय यह बताना कठिन है कि पुनर्वास का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा।

(ग) भारी इन्जीनियरी निगम ने दंगों में मारे गये 28 कर्मचारियों के मामले में प्रत्येक

के आश्रितों या विधवाओं को 500 रुपये दिये हैं । भारी इन्जीनियरी निगम ने दंगों में सम्पत्ति की हानि के 583 मामलों में 237,000 रुपए की अदायगी भी की है जो रकम राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास के लिए अनुग्रह पूर्वक दिए गए अनुदान के बराबर है ।

(घ) कम्पनी के उन कर्मचारियों, पर जिन पर साम्प्रदायिक दंगों में भाग लेने का आरोप है, मुकदमे चलाये जा रहे हैं । ये मामले न्यायालय के विचाराधीन है ।

माल डिब्बों की लागत तथा उनका उचित मूल्य निश्चित करना

53. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिब्बा उद्योग ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि माल डिब्बों को लागत से सम्बन्धित मामलों को टैरिफ आयोग अथवा औद्योगिक सांख्यकी ब्यूरो को सौंप दिया जाये ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । कुछ माल डिब्बा निर्माताओं ने रेल मंत्रालय को सुझाव दिया था कि माल डिब्बों के उचित मूल्य निर्धारण के लिए मामला टैरिफ कमीशन को भेजा जाए ।

(ख) माल डिब्बा निर्माताओं ने कहा था कि रेलवे बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मूल्य अलाभप्रद हैं । उन्होंने सुझाव दिया था कि उचित मूल्य निश्चित करने के लिए मामला टैरिफ कमीशन अथवा किसी बाहरी एजेंसी को भेजा जाए । इसी तरह का अनुरोध माल डिब्बा निर्माताओं ने 1968 और 1969 में किया था लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया । इस वर्ष भी यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित मूल्य पिछली बार दिए गए मूल्य के आधार पर और श्रम एवं सामग्री की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखकर ही निश्चित किया गया था । रेल कारखानों में तैयार किए जा रहे माल डिब्बों की लागत को ध्यान में रखा गया था । ये मूल्य उचित समझे जाते हैं ।

संयुक्त क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कारखाना

*54. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित छोटी कार बनाने का कारखाना संयुक्त क्षेत्र में लगाया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने के स्वामित्व तथा प्रबन्ध का स्वरूप क्या होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). जी, हां । सरकार ने सिद्धान्तरूप में कारों के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है । सरकार इस प्रस्तावित कारखाने के 51 प्रतिशत शेयर

खरीद कर उस पर नियन्त्रण रखेगी और शेष 49 प्रतिशत पूंजी जनता तथा अन्य व्यक्तियों को शेयर बेचकर इकट्ठी की जाएगी।

Sending of Adivasi Girls to Haryana from Raigarh

*55. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item published in the "Nav Bharat Times" dated the 30th September, 1970 to the effect that adivasi girls have been sent to Haryana from the Social Welfare Centre of Raigarh in Madhya Pradesh after their forcible conversion as nuns and they are being sent abroad like the Kerala girls ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). Government have seen the news item. The State Governments concerned have been addressed in the matter. Their replies are awaited.

दक्षिण रेलवे के कर्मचारियों को बिना किराये के क्वार्टर दिया जाना

*56. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण रेलवे के सभी श्रेणियों के उन कर्मचारियों को बिना किराये के क्वार्टर देने का है, जिनको 1947 तक यह रियायत प्राप्त थी ;

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). उन सभी कोटियों में, जिन कर्मचारियों को भूतपूर्व कम्पनी रेलों और भूतपूर्व रियासती रेलों में इस सम्बन्ध में निर्धारित कुछ शर्तों को पूरा करने पर बिना किराए के क्वार्टर दिये जाते थे केवल उन्हीं कर्मचारियों को बिना किराए के क्वार्टर की सुविधा दी जाती है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

Demand for Extra Trains between Delhi and Khurja

*57. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the demand for extra trains between Delhi and Khurja ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, Sir.

(b) Introduction of any additional train between Delhi and Khurja is not operationally feasible at present for want of capacity on sections enroute and for want of terminal facilities at Khurja and Delhi.

बोकारो इस्पात कारखाने के लिए देशी उपकरण

*58. श्री पी० विश्वम्भरन: क्या इस्पात तथा भारी इंन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण देशी मशीनों, उपकरणों तथा तकनीशियनों की सहायता से किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस कारखाने के लिए अपेक्षित उच्च श्रेणी की तकनीकी योग्यता तथा कारीगर प्राप्त कर सकी है ?

इस्पात तथा भारी इंन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों इस्पात के ढांचों और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति को अधिकांश भाग देशीय सूत्रों से प्राप्त किया जा रहा है भारी संख्या में भारतीय इन्जीनियर और तकनीशियन भी कारखाने के निर्माण में सहयोग दे रहे हैं। सोवियत विशेषज्ञ मेसर्स त्याज प्रोमेक्सपोर्त कारखाने के प्रथम चरण के निर्माण और परिचालन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करके तकनीकी सहायता प्रदान पर रहे हैं। प्रथम चरण से 17 लाख टन इस्पात पिण्ड का वार्षिक उत्पादन होगा। कारखाने के द्वितीय चरण का रूपांकन और इन्जीनियरी कार्य पूर्णतया भारतीय रूपांकन संगठनों नामत: केन्द्रीय इन्जीनियरी और रूपांकन ब्युरो तथा दस्तूर एण्ड कंपनी द्वारा किया जायेगा। इस चरण में कारखाने की वार्षिक क्षमता 40 लाख टन इस्पात पिण्ड तक की जाएगी और यह काम प्रथम चरण के साथ-साथ ही किया जा रहा है। प्रथम चरण की तुलना में साज-सामान के भारतीय संभार का तथा भारतीय विशेषज्ञों का योगदान भी अधिक रहेगा।

औद्योगिक लाइसेंसों की छूट-सीमा बढ़ाना

*59. श्री जनार्दनन :

श्री शिव चन्द्र झा :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंसों की छूट-सीमा को एक करोड़ से बढ़ा कर पांच करोड़ रुपये करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो छूट की सीमा को बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

11-Point Programme for Improvement in Railways

*60. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) when the 11-point programme for improvement in Railways has been started ; and

(b) the experience gained so far and the future plan in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The Eleven Point Programme was announced in the Rajya Sabha on 12-3-1970. It was circulated to the Zonal Railway Administrations in April 1970, immediately after which action was initiated to implement it.

(b) The implementation of the Programme has yielded encouraging results. A statement in this connection is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4207/70]

The future plan is to vigorously pursue the objectives outlined in the Programme.

प्रयोग किये गये रेलवे टिकटों की बिक्री से सम्बद्ध रेलवे कर्मचारी

201. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर प्रयोग की गई रेलवे टिकटों की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) इस गिरोह से सम्बद्ध रेलवे के कर्मचारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) देश में कितने गिरोह यह जाल-साजी कर रहे हैं और वे किन स्थानों पर कार्य कर रहे हैं तथा वे किस ढंग से कार्य करते हैं ; और

(घ) इन गिरोहों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) गत छः महीनों (मई से अक्तूबर, 1970 तक) के दौरान, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर इस्तेमाल शुदा टिकटों की बिक्री करते हुए जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4208/70**]

(ख) 1. श्री जगन्नाथ पाल चौधरी, टिकट कलक्टर, चन्दन नगर (पूर्व रेलवे)।

2. श्री मुहम्मद जहीरुद्दीन, सहायक टिकट बाबू, जहानाबाद (पूर्व रेलवे)।

3. श्री चन्द्र स्वरूप राजवंशी, टिकट बाबू, अलीगढ़ (उत्तर रेलवे)।

4. श्री आर० यू० सिद्दीकी, टिकट कलक्टर, इलाहाबाद।

5. श्री एस० डी० पाठक, टिकट कलक्टर, इलाहाबाद।

(ग) अब तक तीन गिरोहों का पता चल गया है। वे, सामान्यतः, बम्बई, कलकत्ता और उत्तर प्रदेश के वाराणसी-इलाहाबाद खण्ड पर कार्य करते पाये गये हैं।

उनके काम करने का ढंग यह है कि वे रेल कर्मचारियों की साठ-गांठ से इस्तेमालशुदा टिकट ले लेते हैं, इन टिकटों पर छपी तारीखों को मिटा देते हैं और कुछ रसायन तथा धातु की छोटी डाई उपयोग करके इन टिकटों पर नयी तारीख डाल देते हैं।

(घ) पकड़े गए मामलों में गिरफ्तारियां की जाती हैं और मुकदमें चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, रेलों के सतर्कता संगठन और सम्बन्धित रेलों की वाणिज्य शाखाओं के जालसाजी निरोध दस्ते संदिग्ध स्टेशनों पर विशेष निगरानी और जांच करते हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए स्थान

203. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब श्री संजीव रेड्डी केन्द्र में इस्पात मंत्री थे, तब तकनीकी विशेषज्ञों ने पांचवे इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए विशाखापत्तनम के बालाचेरम क्षेत्र का चयन किया था और कुछ समय पश्चात इस्पात मंत्रालय के तकनीकी दल और मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी ने इस स्थान के चयन की पुष्टि की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने इस क्षेत्र के बाह्य 20 वर्ग मील की पट्टी के विकास की पूर्णतया उपेक्षा करते हुए कहा है कि बालाचेरम इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त स्थल नहीं है।

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रदेश चारों ओर से कारखानों, शोधनशालाओं, शिपशेडों, असैनिक हवाई अड्डे, पनडब्बी मुख्यालय तथा मेंघादरीगेड्डा नदी और बहुत से उपजाऊ ग्रामों से घिरा हुआ है ; और

(घ) सरकार के दृष्टिकोण में अचानक इस परिवर्तन के क्या कारण हैं।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा ब्रिटिश अमरीकन स्टीलवर्क्स फार इण्डिया कन्सोशियम दोनों ने क्रमश: अपनी अप्रैल 1964 तथा जून, 1965 की रिपोर्टों में विशाखापत्तनम 12 किलो मीटर दूर मजुबाका गांव के निकटवर्ती स्थल पर इस्पात कारखाना लगाने की सिफारिश की थी। इस्पात तथा भारी इन्जीनियरी मंत्रालय द्वारा जून, 1970 को तीन नई इस्पात प्रयोजनाओं के स्थलों का चयन करने के लिए नियुक्त की गई समिति ने बिशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए स्थल के बारे में अपनी सिफारिश को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। मैसर्स दस्तूर एण्ड कंपनी ने इस प्रयोजना के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया है परन्तु स्थल चयन समिति में हिन्दुस्तान स्टील लि० के केंद्रीय इन्जीनियरी तथा रूपांकन कक्ष के प्रतिनिधियों के साथ उनको भी शामिल किया गया है।

(ख) से (घ). विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के सम्भाव्य स्थल के लिए कई सुझाव प्राप्त हुए हैं। स्थल चयन समिति इन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

चौथी योजना के दौरान राज्यों में आदिम जाति ब्लाक

204. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को कुल कितने आदिम जातीय ब्लाकों के लिए स्वीकृति दी गई है और उक्त ब्लाक मंजूर करने के बारे में क्या कसौटी अपनाई गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार आदिम जातीय ब्लकों में आदिम जातियों की 60 प्रतिशत जनसंख्या के सिद्वान्त के स्थान पर कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत करने का है जिससे आदिम जातियों की जनसंख्या के 75 प्रतिशत व्यक्ति इसके अन्तर्गत आ जायें ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में राज्यवार कुल कितने आदिम जाति ब्लाकों की स्वीकृति दी गई तथा कितनों की स्वीकृति दी जानी है और इस कार्य पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंजूर किए गए आदिम जातीय विकास खण्डों की संख्या 493 है । अपनाई गई कसौटियां निम्नलिखित हैं :—

(1) 150-200 वर्ग मील का क्षेत्रफल ;

(2) लगभग 25,000 की कुल जनसंख्या ;

(3) 66⅔ प्रतिशत आदिम जातीय आबादी ; तथा

(4) सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में काम करने की व्यवहार्यता ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) मंजूर किए गए आदिमजातीय विकास खण्डों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 32.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

विवरण

मंजूर किए गए आदिम जातीय विकास खंडों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आदिमजातीय विकास खण्डों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	24
2. आसाम	49
3. बिहार	63
4. गुजरात	53
5. केरल	1
6. मध्य प्रदेश	127
7. महाराष्ट्र	44
8. नागालैंड	15
9. उड़ीसा	75
10. राजस्थान	18

1	2	3
	11. तामिलनाडु	2
	12. दादरा और नगर हवेली	2
	13. हिमाचल प्रदेश	7
	14. मनीपुर	8
	15. त्रिपुरा	5
	जोड़	493

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

205. **श्री सिद्दय्या :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 में अब तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने स्थान भरे गए ;

(ख) उनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जातियों के कितने पद आरक्षित थे ; और

(ग) उन पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए कितने-कितने व्यक्तियों का चयन किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) :

वर्ष	श्रेणी I	II	III	IV
1968-69	1	2	3	—
1969-70	—	24	82	—
1970-71	—	26	102	—
	1	52	187	—

(ख) और (ग). विगत वर्षों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में ऊपर लिखी श्रेणियों में कोई पद आरक्षित नहीं किये जाते थे यद्यपि अन्य चीजें समान होने पर अनुसूचित जाति और अनु-

सूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती थी। यार्डी कार्यकारी दल की सिफारिशों के बाद सरकार ने अप्रैल, 1970 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को कम्पनी के विभिन्न पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए पद आरक्षित करने का निर्देश दिया। उपरोक्त निर्देश मिलने के बाद कम्पनी भर्ती करते समय इनके अनुसार कार्य कर रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में इंजीनियरों को प्रशिक्षण

206. **श्री सिद्दय्या :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर में इंजीनियरिंग स्नातकों (इलेट्रिकल्स) को प्रशिक्षण देने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो 1 अक्तूबर, 1970 से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या क्या है ;

(ग) उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के प्रार्थियों की संख्या क्या है ; और

(घ) उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए जिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के स्नातकों का चयन किया गया उनकी संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) यद्यपि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में इंजीनियरिंग स्नातकों (इलेक्ट्रिकल) को प्रशिक्षण देने की कोई योजना नहीं है फिर भी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक लोगों के लिए एक इकरारनामा प्रशिक्षण योजना है जिसमें मेकेनिकल इंजीनियर स्नातक तथा गैर-इंजीनियर स्नातक 200.00 रुपये प्रति माह प्रशिक्षण शुल्क देकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके साथ ही स्नातक इंजीनियरों को भी भारत सरकार तथा राज्य-सरकारों की वजीफा योजना के अधीन हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके निमित क्रमशः प्रशिक्षण निदेशक, दक्षिण क्षेत्र, तथा रोजगार और प्रशिक्षण निदेशक मैसूर द्वारा उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है।

(ख) से (घ). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है वह इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे लाइनों की टूट-फूट से रेलों द्वारा उठाई गई हानि

207. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में, 30 सितम्बर, 1970 तक, प्रत्येक रेलवे में पृथक्-पृथक् कितनी रेलवे लाइनें बाढ़, सम्बन्धित अधिकारियों की लापरवाही तथा रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने के कारण, टूट गई ;

(ख) इस अवधि में फ्रन्टियर मेल की लाइन के टूट जाने के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या रेलवे लाइन के टूटने सम्बन्धी इन मामलों की जांच करने के लिए प्रसिद्ध इंजीनियरों का कोई आयोग गठित किया गया था ; यदि हां, तों उक्त आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या इस बारे में कुछ और जांच कार्य भी किया गया था ; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) 1970 के वर्ष में 30 सितम्बर, 1970 तक लाइन में टूट-फूट की जो घटनाएं हुई (ये केवल बाढ़ के कारण हुई, किसी अन्य कारण से नहीं), उनका विवरण संलग्न है।

(ख) लगभग 3.70 करोड़ रुपये।

(ग) जी, नहीं।

(घ) रेलों में यह आम परिपाटी है कि लाइनों में टूट-फूट के कारणों की जांच की जाये और आवश्यक निवारक उपाय किये जायें। जहां आवश्यक होता है, राज्य सरकार और केन्द्रीय जल-विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पूना से भी परामर्श किया जाता है।

विवरण

रेलवे	बाढ़ के कारण टूट-फूट	टिप्पणी
पश्चिम	23	सभी घटनायें 6/7-9-1970 को लगभग एक ही समय हुईं।
दक्षिण-मध्य	4	
पूर्वोत्तर-सीमा	1	
पूर्वोत्तर	2	
दक्षिण-पूर्व	3	
दक्षिण	कोई नही	
उत्तर	1	
मध्य	1	
पूर्व	कोई नहीं	बाढ़ से अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए 37 स्थानों पर गांव वालों द्वारा भी तटबन्ध में छोटे-मोटे कटाव किये गये।

हिन्दुस्तान स्टील लि० में इस्पात व्यापारियों तथा उप-भोक्ताओं द्वारा नाम रजिस्टर कराना

208. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितंबर, 1970 तक राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार कितने इस्पात व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने अपने नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में रजिस्टर कराये ;

(ख) 30 सितंबर, 1970 तक विभिन्न व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को किस-किस किस्म और कितनी-कितनी मात्रा में इस्पात का नियतन तथा सप्लाई की गई तथा इस सम्बन्ध में किस नीति का पालन किया गया ; और

(ग) क्या कोटे का गलत उपयोग करने के कारण किसी व्यापारी अथवा उपभोक्ता को काली सूची में रखा गया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 30 सितंबर, 1970 तक 53 व्यापारी और 1186 उपभोक्ता हिन्दुस्तान स्टील लि० नई दिल्ली के यहां पंजीकृत हुए थे। राज्य क्रम से और केन्द्र शासित क्षेत्रों के क्रम से व्यापारियों और उपभोक्ताओं की एक सूची सभा पटल पर रख दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—4209/70]

(ख) 1 अगस्त, 1969 से 30 सितंबर, 1970 की अवधि में 84,902 टन लोहे और इस्पात की वस्तुओं की आपूर्ति की गई थी। अर्ध-तैयार और दोषयुक्त वस्तुएं भी शामिल हैं। लोहे और इस्पात के वस्तुक्रम से और उपभोक्ता-क्रम से वितरण का ब्योरा भी सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4209/70] वस्तुओं का वितरण निम्नलिखित प्राथमिकता :—

1. प्रतिरक्षा की आवश्यकतायें।
2. संयुक्त संयंत्र समिति के आवंटन।
3. मुख्य उत्पादकों और बोकारो इस्पात कारखाने के आदेशों को पूरा करने वाले संविरचकों की मांगें।
4. केन्द्रीय और राज्य सरकारों/सार्वजनिक उपक्रमों की मांगे।
5. उद्योग निदेशक की सूची में सम्मिलित वास्तविक उपभोक्ताओं को निदेशक की सिफारिश पर।
6. तकनीकी विकास के महानिदेशक/ उद्योग निदेशक के यहां पंजीकृत वास्तविक उपभोक्ताओं की मांगें।

7. इस्पात व्यापारी ।

के आधार पर किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

विशाखापत्तनम को एक स्पेशल गाड़ी चलाने का सुझाव

209. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हाल ही में विशाखापत्तनम के लिए एक स्पेशल गाड़ी चलाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि वर्तमान तीनों अर्थात् ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस, सदर्न एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस गाड़ियां बीच के स्टेशनों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पातीं ;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जब तक उक्त सुझाव पर निर्णय नहीं लिया जाता, सरकार ने प्रयोगात्मक आधार पर ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में एक संयुक्त बोगी लगाने का निश्चय किया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस बोगी के लिये पहले दर्जे और तीसरे दर्जे में बैठने के लिये स्थानों का आरक्षण विशाखापत्तनम में किया जाता है ;

(ङ) यदि हां, तो उस बोगी के लिये ऐसी सुविधायें नई दिल्ली में नहीं दी जाती ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) जी, हां ।

(ख) विजयवाडा के रास्ते दिल्ली/नई दिल्ली और विशाखापत्तनम के बीच होंने वाले सीधे यातायात की मात्रा इतनी नहीं है कि इन स्थलों के बीच एक पूरी गाड़ी चलाने का औचित्य हो । इसके अलावा, मार्ग में विभिन्न खंडों में लाइन क्षमता के अभाव के कारण भी यह प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं है ।

(ग) जी हां, 11-9-1970 से विशाखापत्तनम और नई दिल्ली के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाला पहले एवं तीसरे दर्जे का एक डिब्बा चलाया गया है ।

(घ) और (ङ). बाल्टेयर और नई दिल्ली दोनों स्टेशनों पर पहले दर्जे के स्थान का आरक्षण किया जाता है । तीसरे दर्जे के लिए स्थान का आरक्षण नहीं किया जाता ।

(च) सवाल नहीं उठता ।

खोई से कागज का निर्माण

210. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में देश में कागज के संकट को देखते हुए सरकार ने चीनी के कारखानों में बेकार पड़ी हुई खोई से कागज का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कागज के निर्माणार्थ खोई का सफलतापूर्वक उपयोग करने के बारे में कोई प्रयोग किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). कागज उद्योग पहले से ही कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने की खोई तथा अन्य परम्परागत कच्चे मालों का प्रयोग कर रहा है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर इस कारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि चीनी मिलों द्वारा खोई को भट्टी में इंधन के रूप में उपयोग में लाने के कारण उसके कागज मिलों को मिलने में कठिनाई होती है। अपनी इंधन की आवश्यकता के बाद चीनी मिलों के पास नहीं के बराबर फालतू खोई रह जाती है।

हिन्दुस्तान इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल के ट्रान्सफोर्मर विभाग को एक भूतपूर्व इंजीनियर द्वारा देखने जाना

211. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक इंजीनियर का जिसने हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की नौकरी छोड़ दी थी और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी, बाद में साथियों के साथ फैक्टरी के ट्रांसफार्मर विभाग देखने की अनुमति दे दी गई थी और ऐसा बताया जाता है कि उसके साथियों ने कुछ नोट लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की अनुमति किन परिस्थितियों में दी गई थी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) तथा (ख). एक इन्जीनियर जिसने हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड से नौकरी छोड़ कर प्राइवेट फर्म में नौकरी कर ली थी, हाल में कारखाने को देखने आया। जबकि वह और उसके साथी कारखाने को देख रहे थे उस समय हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड के अधिकारी भी साथ थे और उन्होंने किसी प्रकार की कोई चीज नोट नहीं की। उक्त कम्पनी ने जिस में वह इन्जीनियर काम कर रहा है हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड भोपाल को ट्रांसफार्मरों के पुर्जे तथा स्विचगेयर बुकिंग के क्रयादेश दिये हैं। यह इन्जीनियर कम्पनी में अपने क्रयदिशों की प्रगति देखने आये थे और यह सामान्य प्रथा है। तथापि उन्होंने जिस क्षेत्र को देखा वह सभी ग्राहकों के लिए खुला है और इसमें किसी प्रकार की गोपनीय जानकारी नहीं है।

रेल दुर्घटनाएं

212. **श्री शशि भूषण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में अब तक कितनी दुर्घटनाए हुई हैं ;

(ख) देश में इस प्रकार की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप अनुमानत: कितनी जानें गई तथा रेलवे की सम्पत्ति को कितनी हानि पहुंची है ; और

(ग) रेल की यात्रा को सुरक्षित बनाने तथा बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या ठोस कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) 1-1-70 से 30-9-70 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में टक्कर, पटरी से उतरने, समपारों पर गाड़ियों के सड़क यातायात से टकराने और गाड़ियों में आग लगने की 635 दुर्घटनाएं हुई ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 99 व्यक्ति मरे और रेल सम्पति को अनुमानतः लगभग 1,05,41,000 रुपये की क्षति हुई ।

(ग) चालू वर्ष की दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कम है । रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन, रेल संचालन में लगे कर्मचारियों में संरक्षा की भावना जागृत करने तथा यह सुनिश्चित करने में लगे हैं कि उन्हें निर्धारित संरक्षा नियमों का यथोचित ज्ञान हो । इसके अलावा, यह देखने के लिए मौके पर जांच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन तो नहीं करते और शार्ट-कट तरीके तो नहीं अपनाते । सभी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की जाती है और जिम्मेदार पाये गए लोगों को कठोर दण्ड दिया जाता है । इसके अतिरिक्त यदि किसी जांच से किन्हीं अन्य कमियों अथवा गलतियों का पता चलता है तो ऐसी कार्यवाही की जाती है कि वे फिर न हों । जहां तक संभव हो सका है, अच्छी सिगनल व्यवस्था, अन्तर्पाश, रेल पथ परिपथन आदि के रूप में तकनीकी सुधार किए गए हैं ।

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों द्वारा यात्रियों पर हमला

213. **श्री नाबू राव पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा बल के उन दो कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 15 अगस्त, 1970 को या इसके आस पास ओखला स्टेशन के बाहर दिल्ली जाने वाली गाड़ी के एक द्वितीय श्रेणी के यात्री पर हमला किया, उसे लूटा तथा उसे बेहोस छोड़ कर चले गए ;

(ख) उन्होंने किस प्रकार के तथा कितने रुपये के माल की चोरी की और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) इस वर्ष हुई ऐसी घटनाओं में रेलवे सुरक्षा बल के कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(घ) उक्त घटनाओं को रोकने के लिये क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). कहा जाता है कि रक्षक राम किशन और जोध सिंह ने एक ट्रंक जिसमें कपड़े, 100 रु० नगद और कुछ कागजात थे, एक ब्रीफ केस जिसमें व्यापार सम्बन्धी कागजात और 713 रु० नकद थे और एक हाथ-घड़ी लूटी थी । नयी दिल्ली की

रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और दोनों रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों रक्षकों की गिरफ्तारी के दिन से ही निलम्बित कर दिया गया था।

(ग) लूट के चार मामले (उपर्युक्त मामले को मिलाकर)।

(घ) (i) सेवा में नियुक्ति से पहले पूर्ववृत का सत्यापन कर लिया जाता है।

(ii) दोषी कर्मचारियों को निवारक दंड दिया जाता है।

(iii) रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(iv) रात की सभी खास-खास गाड़ियों पर रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षी भेजे जाते हैं। रेलवे पुलिस के कर्मचारी मुसाफिरखानों और प्लेटफार्मों पर गश्त लगते हैं।

(v) जिला पुलिस और सरकारी रेलवे पुलिस के साथ सभी स्तरों पर निकट सहयोग रखा जाता है।

Blind Persons in the Country

214. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the number of blind persons in the country is between 40 lakhs and 1 crore at present which is nearly half of the entire blind population in the world ;

(b) whether Government have taken any steps to get the matter examined by any high power Committee ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) No reliable data is available. An estimate which is generally accepted is that India has 4-5 million blind persons. The World Council for the Welfare of the Blind which met in New Delhi in October, 1969, estimated that the world may have around 15 million blind persons. Thus about one third Blind population lives in India.

(b) and (c). A joint committee of the Central Advisory Boards of Education and Health, after making a comprehensive study of blindness, submitted a report in 1944. This report estimated that $\frac{1}{2}\%$ of the population in India was blind which at that time was estimated at about 2 million. Subsequently the National Society for the Prevention of blindness gave the estimate of 4.39 million on the basis of 1%.

In its 24th round, covering the period from July, 1969 to June, 1970, the National Sample Survey of India have undertaken sample enumeration of physically handicapped persons, including the blind. The results have not yet been tabulated.

छोटी कार परियोजना के लिये लाइसेंस/आशय पत्र जारी करने सम्बन्धी शर्तें

215. **श्री मधु लिमये** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने के कारखाने की स्थापना करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ में कितनी प्रतिष्ठापित क्षमता की स्वीकृति प्रदान की जाएगी ;

(ग) आशय पत्र जारी करने/लाइसेंस देने की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि ये शर्तें ऐसी रखी गई है कि केरल एक ही व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त कर सके अन्य दूसरा नहीं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने प्रतिवर्ष 50 हजार कारें बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का निर्णय सिद्धान्त रूप में ले लिया है, फिर भी यात्री कारें बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की दो पार्टियों अर्थात् श्री संजय गांधी तथा श्री एम० मोहन राव को आशय पत्र जारी किए गये हैं।

(ख) जारी किए गए आशय पत्रों की क्षमता क्रमशः प्रति वर्ष 50 हजार तथा 5 हजार कारें हैं।

(ग) आशय पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किए गए हैं :—

(1) विदेशी सहयोग तथा विदेशी परामर्श व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) पूंजीगत माल के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) कच्चे माल और पूर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां देश में सामान्यतः उपलब्ध कच्चे सामान के संभरण में अस्थायी कमी हो गई हो तो उस समय पर प्रचलित आयात नीति के अनुसार आयात किया जा सकता है।

(4) आशय पत्र के लाइसेंस में परिणत किए जाने से पूर्व आद्य रूप विकसित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्राधिकरण द्वारा सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए परीक्षित तथा अनुमोदित कराया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

इण्डियन टुबैको कम्पनी द्वारा प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन

216. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय सिगरेट उत्पादक संघ, इम्पीरियल टुबैको कम्पनी (अब इण्डियन टुबैको कम्पनी) तथा उससे सम्बद्ध संस्था वजीर सुल्तान द्वारा स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन करने के प्रयत्नों की ओर गया है ;

(ख) क्या यह सरकार की घोषित नीति नहीं है कि विदेशी कम्पनियों जैसे इम्पीरियल टुबैको, वजीर सुल्तान, गोडफ्रे फिलिप्स आदि को उत्पादन वृद्धि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी ;

(ग) क्या अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करने के लिए वजीर सुल्तान द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया है ;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने अधिक क्षमता के लिए वजीर सुल्तान के आवेदन के पक्ष में कोई अभ्यावेदन दिया है अथवा कोई दबाव डाला है ; और

(ङ) क्या सरकार तत्कालीन औद्योगिक विकास मन्त्री द्वारा एक संसद् सदस्य को 19 जून, 1970 को दिये गये इन आश्वासनों से हट जायेगी कि वजीर सुल्तान अथवा किसी अन्य विदेशी कम्पनी की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) लाइसेंसिंग उपबन्धों के अन्तर्गत दोहरी पाली के आधार पर क्षमता विषयक विधेयक आंकड़े तथा 1969 में हुआ वास्तविक उत्पादन क्रमशः नीचे दिया जा रहा है :—

लाइसेंसिंग उपबन्धों के अधीन उत्पादन क्षमता	1969	1969 में हुआ उत्पादन (दस लाख नगों में)
इण्डियन टोबैको कम्पनी	30,300	30038
वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी	11,100	11,774

(ख) भारत सरकार की घोषित नीति भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों को अधिक सिगरट बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की है। सरकार 100 प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की स्थापना को भी प्रोत्साहन दे रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी लिमिटेड के उनकी क्षमता में और अधिक विस्तार के लिए दिए गये आवेदन-पत्र को सिफारिश की है।

(ङ) सरकार 100 प्रतिशत भारतीय स्वामित्व वाली कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहन देना जारी रखेगी।

बैरल तथा ड्रम क्षमता के सम्बन्ध में कपाड़िया बन्धुओं द्वारा विनियमों का उल्लंघन

217. **श्री मधु लिमये :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री संसत्सदस्यों द्वारा लिखित पत्रों संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के कपाडिया बन्धुओं ने बैरल तथा ड्रम की क्षमता सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन करने लिये क्या-क्या प्रयास किये (प्राक्कलन समिति का 85वां प्रतिवेदन, चौथी लोक सभा) ;

(ख) क्या उक्त कपाडिया बन्धुओं ने रिजर्व बैंक के साथ सांठ-गांठ करके ब्रिटिश बर्मा पेट्रोल के रिजर्वस का नियंत्रण भी कर लिया था हालांकि इसमें विदेशी मुद्रा का बाहर भेजा

जाना अन्तर्गस्त था और इसके प्राप्त करने के लिए सन्देहात्मक वित्तीय साधनों का प्रयोग किया गया ;

(ग) क्या कपाड़िया बन्धुओं ने बैरल उद्योग की अपनी आय, ब्रिटिश बर्मा पेट्रोलियम रिजर्वस, बैंक ऋणों तथा अन्य प्रकार की हेरा-फेरी से प्राप्त की गई निधियों की सहायता से किल्लिक निक्सन समवाय-समूह को भी अपने साथ मिला लिया था ;

(घ) क्या कपाड़िया बन्धुओं ने इन सन्देहपूर्ण साधनों की सहायता से नेशनल रेयन कार्पोरेशन को भी हथियाने की योजना बनायी थी ;

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने कपाड़िया बन्धुओं के इस एकछत्र अधिकार बनाने के षड्यंत्र को तोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (च). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

क्यूल (पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के मकानों का विद्युतीकरण

218. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा स्वीकृत क्यूल (पूर्व रेलवे) में रेलवे कर्मचारियों के मकानों में बिजली लगाने का कार्य अन्तिम रूप से पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उसी रेलवे के झाझा कार्यालय के कुछ अधिकारियों के रवैये तथा उनके द्वारा पैदा किये गये अवरोधों के कारण से ही कार्य की प्रगति रुकी है ; और

(ग) अवरोध पैदा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं। क्यूल के आवासीय ब्लाकों में बिजली की व्यवस्था करने का काम 1971-72 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

कच्चे लोहे के संयंत्र की स्थापना के लिये आन्ध्र प्रदेश को संयुक्त राष्ट्र का अनुदान

219. **श्री वि० नरसिम्हाराव :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार को राज्य में कच्चे लोहे के सन्यंत्र की स्थापना के लिये संयुक्त राष्ट्र से कोई अनुदान प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त अनुदान की राशि क्या है ;

(ग) यह सन्यन्त्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऋण के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे दी है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (घ). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कोठागुडम में फाउण्ड्र ग्रेड के कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए एक प्रायोगिक/प्रदर्शन-संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। इसे कारखाने में कच्चे नान-कोकिंग कोयला इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन है।

गंगरार और हमीर ढ़ (पश्चिम रेलवे) स्टेशनों के मध्य मालगाड़ी का पटरी से उतरना

220. **श्री वि० नरसिम्हा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 सितम्बर, 1970 को पश्चिम रेलवे की अजमेर-खण्डवा मीटर गेज मुख्य लाइन पर गंगरार और हमीरगढ़ स्टेशनों के मध्य मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का ब्योरा क्या है ;

(ग) दुर्घटना में कितनी हानि होने का अनुमान है ;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए आदेश दे दिये गये हैं ; और

(ङ) जांच रिपोर्ट की विस्तृत रूप-रेखा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). जी, हां। 15-9-1970 को जब नं० एफ० कं० 5? डीजल अप मालगाड़ी हमीरगढ़ और गंगरार स्टेशनों के बीच जा रही थी तो गाड़ी के 23 माल डिब्बे पटरी से उतर कर उलट गये और 2 माल डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 41,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) और (ङ). जी, हां। जांच समिति के निष्कर्ष के अनुसार गाड़ी के इंजन की तरफ से 18वां डिब्बा, बायीं तरफ के पिछले पहिये पर लगे परतदार बेयरिंग स्प्रिंग की ऊपरी प्लेट टूट जाने के कारण, पटरी से उतर गया। इस डिब्बे के उतर जाने के फलस्वरूप शेष माल डिब्बे भी पटरी से उतर गये।

आंध्र प्रदेश में जापानी सहयोग से टायर संयंत्र की स्थापना

221. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री नारायणन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र में नाइलोन और टायर सन्यन्त्रों की स्थापना के लिए जापानी सहयोग प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो ये दोनों संयंत्र किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन संयंत्रों की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(घ) इनमें कितनी विदेशी मुद्रा लगेगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). मोटर गाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण करने के लिए हैदराबाद में एक कारखाना स्थापित करने के लिये आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम से औद्योगिक लाइसेंस हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। आवेदन पत्र मंजूर हो गया है और आशय पत्र जारी किया जाने वाला है । इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर ही विदेशी सहयोग की शर्तों पर विचार किया जायेगा ।

दक्षिण रेलवे में तंबरम और विल्लुपुरम के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करना

222. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में तम्बरम और बिल्लुपुरम के बीच रेलवे लाइन को दोहरी करने का काई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक को दिए गये अधिकार

223. **श्री रवि राय :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक ने अक्तूबर, के दूसरे सप्ताह दिल्ली में उनसे भेट की थी ;

(ख) क्या कथित महाप्रबंधक को वहां की स्थिति से निपटने के लिये और अधिक अधिकार दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रभारी निदेशक इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्री से अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में मिले थे ।

(ख) और (ग). प्रभारी निदेशक को इस्पात कारखाने के चलाने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं और इस सम्बन्ध में उसे अधिक अधिकार दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष का स्थानान्तरण

224. **श्री रवि राय :**　　　　**श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के अध्यक्ष (श्री सी० चेलापतिराव) को स्थानान्तरित करके सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य उपक्रम में भेज दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके स्थानान्तरण के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उनके स्थान पर नये अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) श्री सी० चेलापतिराव की जो रेल मंत्रालय के स्थायी अधिकारी हैं, सेवायें उस मंत्रालय को सौंप दी गई है।

(ख) उनका प्रत्यावर्तन हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के समस्त हित में आवश्यक समझा गया।

(ग) श्री जगोता को नया अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल को हुई हानि

225. **श्री रवि राय :**　　　　**श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलैक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड, भोपाल को कुल 55 करोड़ रुपये की हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). जी हां। एक अवधि के पश्चात् ऐसी परियोजनाओं में, जहां संश्लिष्ट तथा जटिल प्रकार के भारी वैद्यत उपकरणों का निर्माण किया जाता है, थोड़े से नुकसान से बचा नहीं जा सकता है और इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में भी पूर्वानुमान लगा लिया गया था। इसी के साथ, बस्ती स्थापना उपदान के कारण होने वाला व्यय, सीमा शुल्क का उच्चतर भार, ऋण आदि पर ब्याज की अधिक दर भी इस परियोजना में हुए घाटे के कारणों में से कुछ हैं।

(ग) हानि को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :

1. व्यापक मानव शक्ति आयोजना द्वारा परिष्कृत योजना के माध्यम से नयी भर्ती पर कठोर नियंत्रण ।
2. अधिकाधिक शीघ्र और प्रभावी प्रबन्धात्मक नियंत्रण करने की दृष्टि से विभागीकृत संगठनात्मक ढाँचा ।
3. उत्पादन वृद्धि के लिए सम्मिलित पुरुस्कार देकर विशेष अल्प कालिक उत्पादन आन्दोलन ।
4. उत्पादिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना ;
5. उत्पादन विविधिकरण तथा मानवीकरण ;
6. तालिका नियंत्रण की आधुनिक तकनीक को लागू करना ।
7. लम्बी अवधि वाले निर्माणकारी परिचालन के आयोजन तथा नियंत्रण करने में आधुनिक प्रबन्धात्मक उपायों को अपनाना ; तथा
8. संयत्र की प्रबन्धकारिणी के साथ बारंबार की गई बैठकों में कार्य की निरन्तर संवीक्षा करना ।

दक्षिण में नये इस्पात संयंत्रों के लिए स्थान

226. **श्री एस० आर० दामानी :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण में तीन नये इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या स्थानों का चयन कर लिया गया है और राज्य सरकारों को यह बता दिया गया है कि कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए उनको क्या करना है ; और

(ग) क्या उपकरणों की सप्लाई के लिए देशी और विदेशी संभरणकर्ताओं को क्रयादेश दे दिये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). इस्पात संयंत्र के स्थालों के लिये इस्पात चयन समिति ने हास्पेट तथा सेलम के दो क्षेत्रों की अन्तिम रूप से सिफारिश की है । आशा है विशाखापत्तनम के क्षेत्र के बारे में समिति शीघ्र ही अपना अन्तिम निर्णय देगी । तीनों सम्बन्धित राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि इस समिति में हैं तथा उनका समिति से निकटतम समन्वय है । लोह खनिज तथा कोयले के अतिरिक्त कोयले तथा कच्चे माल की समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । आशा है लोह खनिज समिति इस पर शीघ्र ही अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगी । तीनों प्रायोजनाओं के लिये सलाहकार नियुक्त करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

(ग) प्रत्येक प्रायोजना के विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार तथा स्वीकार किये जाने के पश्चात् उपकरणों की सप्लाई के आदेश जारी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन का प्रशासनिक ढांचा

227. **श्री एस० आर० दामानी : श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं ताकि इस बृहद् परियोजना से वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). उच्च प्रबन्धक वर्ग का पुनर्गठन अभी कम्पनी के विचाराधीन है। जहां तक मध्यम और निम्न वर्ग के प्रबन्धकों का सम्बन्ध है पुनर्गठन के लिए अभी कोई योजनाबद्ध उपाय नहीं किये गये हैं। परन्तु निम्नलिखित उपाय करने का विचार है :

(1) रूपांकन संगठन को सशक्त बनाना और इसका योजना और उत्पादन विभागों के साथ अच्छा समन्वय सुनिश्चित करना।

(2) योजना अनुभाग के कार्य पर जोर देना और उसे सप्रवाही बनाना।

(3) कच्चे माल, फालतू पुर्जों और उपभोज्य सामान का समय पर क्रय सुनिश्चित करने के लिए गोदाम तथा क्रय विभाग का पुनर्गठन करना।

(4) पर्यवेक्षकों तथा कनिष्ठ प्रबन्धकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरम्भ करना तथा कर्मकारों को मशीनों के ठीक परिचालन का प्रशिक्षण देना।

Fast Train between Delhi and Howrah via Jhansi

228. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state the steps taken by the Government to introduce a fast train between Delhi and Howrah, *via* Jhansi ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The number of passengers booked from Agra Cantt. (exclusive)—Jhansi—Manikpur—Allahabad (exclusive) section for stations beyond Mughalsarai towards Howrah averages about 8 per day and of those booked from stations Manikpur (inclusive)—Jhansi (exlusive) section to New Delhi and beyond averages about 30 per day. This quantum of traffic is too meagre to justify introduction of the proposed train between Delhi and Howrah *via* Jhansi and Manikpur. Besides, the proposal is also not operationally feasible at present for want of line capacity on Agra—Jhansi and Manikpur—Allahabad sections and terminal facilities in Delhi area.

Provision of Inter-lock System at Banda Junction

229. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is inter-lock system at Khairar Junction on Jhansi-

Manikpur lines and if so, the reasons for which inter-lock system has not been provided at Banda junction also on this very line particularly when it is district Headquarter ;

(b) the names of the trains passing through Banda junction from various directions at present, the time of arrival and departure of each of these trains and the time by which the various trains left Banda junction late during the last three months with the reasons of their late departure ; and

(c) whether it is also a fact that the absence of interlock system at Banda junction is the main cause of late departure of trains from that station ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes. Khairar junction is provided with Standard III interlocking. All other stations on Jhansi-Manikpur section, including Banda Station, are non-interlocked, provided with a system of modified non-interlocking through key locks. Interlocking of stations on any section depends upon the requirements of traffic and availability of resources.

(b) 521 Dn/522 Up Jhansi-Manikpur Passengers and 523 Dn/524 Up Jhansi-Manikpur Fast Passenger trains pass through Banda Junction. The scheduled arrival and departure timings of these trains at Banda as under :—

521 Dn	Banda	Arr.	13.05
		Dep.	13.25
523 Dn	„	Arr.	02.35
		Dep.	02.55
524 Up	„	Arr.	11.40
		Dep.	11.55
522 Up	„	Arr.	23.40
		Dep.	23.55

The extent of running of above trains ex. Banda, which is mainly due to alarm chain pulling, interruptions in Communications, detention of outer signal of Banda etc. during the 3 months—August to October, 1970, is indicated in the attached statement.

(c) No.

STATEMENT

Late Departure Ex. Banda of Passenger Trains Passing through Banda

Train No	Month	Late upto 15 minutes	Late by 30 minutes	Late over one hour
521 Dn Pass	August'70	2	2	10
	Sept. '70	4	1	8
	Oct. '70	2	3	16
523 Dn „	Aug. '70	3	5	5
	Sept. '70	2	2	10
	Oct. '70	10	6	10
522 Up „	Aug. '70	—	4	7
	Sept. '70	1	—	4
	Oct. '70	1	3	13
524 Up „	Aug. '70	—	3	11
	Sep. '70	—	—	4
	Oct. '70	1	1	15

दिल्ली-शाहदरा लाइन की गाड़ियों में डकैती की घटनाओं में वृद्धि

230. **श्री जगेश्वर यादव :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-शाहदरा लाइन पर चलने वाली गाड़ियों में डकैती की घटनायें बढ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1970 में अक्तूबर तक तीन मामलों की रिपोर्ट की गयी है, जबकि 1969 में कोई मामला नहीं हुआ।

(ख) (i) दिल्ली गाजियाबाद खंड पर रात में चलने वाली सभी गाड़ियों में उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के वर्दीधारी और सादे कपड़ों वाले, दोनों प्रकार के कर्मचारी साथ चलते हैं ;

(ii) सरकारी रेलवे पुलिस के मार्ग-रक्षकों को यह हिदायतें हैं कि वे रास्ते में महिलाओं के डिब्बे की जांच करते रहें जिससे यह सुनिश्चित रहे कि कोई पुरुष यात्री उन डिब्बों में न घुस जाये ;

(iii) सरकारी रेलवे पुलिस उस क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है ;

(iv) जिन व्यक्तियों को अपराधिक इरादों वाला पाया जाता है, उनके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

निर्वाचन में भ्रष्टाचार के कारण उम्मीदवार की निर्योग्यता को दूर करना

231. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्वाचनों में भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये उम्मीदवारों पर लगी हुई वर्तमान छः वर्ष की निर्योग्यता को दूर करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बरास्ता अजमेर-दिल्ली तथा बंगलौर के मध्य मीटर गेज लाइनों का चलाया जाना

232. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा बंगलौर के मध्य अजमेर से होकर जाने वाली एक नयी मीटर गेज लाइन बनाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है और इसे पूरा किये जाने में कितना समय लगेगा?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अजमेर और खण्डवा होकर दिल्ली से बेंगलूरू तक पहले से ही मीटर लाइन मौजूद है। इन स्थानों को मिलाने वाली एक और मीटर लाइन बनाने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

केरल निर्वाचन में कांग्रेस के तिरंगे झंडे का प्रयोग

233. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री शंकरराव माने :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में केरल में हुये निर्वाचन में कांग्रेस (विपक्षी) और कांग्रेस (सत्तारूढ़) दोनों ही दलों द्वारा कांग्रेसी तिरंगा झंडा प्रयोग किये जाने के कारण भ्रांति उत्पन्न हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेसी तिरंगे झंडे की इस प्रकार के प्रयोग के लिये अनुमति दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो यह अनुमति किस आधार पर दी गई थी?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसद् तथा राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों में पार्टी के झंडों के प्रयोग से निर्वाचन आयोग का कोई सरोकार नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे को माल पार्सल परिवहन से होने वाली आय में कमी

234. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे को माल पार्सल परिवहन से होने वाली आय में तेजी से कमी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). अगस्त, 1970 के अन्त तक अन्य कोचिंग आमदनी जिसमें पार्सल यातायात से होने वाली आमदनी भी शामिल है, कि स्थिति में पिछले वर्ष

ग्रौर बजट प्रत्याशा दोनों की तुलना में सुधार हुग्रा है, लेकिन यह सच है कि बजट प्रत्याशा का तुलना में 1970-71 की इस ग्रवधि में माल यातायात की ग्रामदनी कम रही है। यद्यपि पिछले वर्ष की इसी ग्रवधि की तुलना में यह ग्रधिक है।

बजट प्रत्याशा की ग्रपेक्षा 1970-71 में माल यातायात से आमदनी में कमी मुख्यतः कोयला ग्रौर इस्पात यातायात के ग्रन्तर्गत हुई। इस यातायात की ग्रामदनी में कमी रेलवे की किसी त्रुटि के कारण नहीं, बल्कि इस्पात कारखानों के उत्पादन में गिरावट और सार्वजनिक कोयले की मांग में कमी के कारण हुई है।

मुख्यतः कैमूर सीमेंट कारखाने में हड़ताल और दक्षिणी क्षेत्र में कम मार्ग के कारण सीमेंट का लदान भी थोड़ा कम रहा। ग्रन्य माल यातायात में कोई गिरावट नहीं ग्रायी है।

राज्यों में महाधिवक्ताग्रों की नियुक्ति के बारे में प्रशासनिक सुधार ग्रायोग की सिफारिश

235. **श्री मंगलाथुमाडम : क्या विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार ग्रायोग ने राज्यों में महाधिवक्ताग्रों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में जांच कर ली है ;

(ग) क्या इस उच्च पद के निर्देश-निबन्धनों को ध्यान में रखते हुए राज्यों में इस उच्च पद की कार्य-प्रणाली के बारे में कोई ग्रध्ययन किया गया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों ने भी इस बारे में केन्द्र को लिखा है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

इस्पात श्रमिकों के लिये नया न्यूनतम मजूरी ढाचा

236. **श्रीमती सुचेता कृपलानी : श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री स० कुण्डू :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात श्रमिकों के लिए नया न्यूनतम मजूरी ढांचा बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की प्रमुख बातें क्या हैं ;

(ग) इस योजना पर कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस योजना को कब तक ग्रंतिम रूप दिए जाने की संभावना है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). लोहा और इस्पात संबंधी औद्योगिक समिति के निष्कर्षों का अनुसरण करते हुए और यह देखते हुए कि लोहा और इस्पात उद्योग के प्रथम वेतन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर किये गये समझौते समाप्त/समाप्त-प्राय हो गए हैं, लोहा और इस्पात उद्योग में वेतन में संशोधन के प्रश्न पर एक संयुक्त वेतन निर्धारण समिति के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर औद्योगिक स्तर पर विचार किया गया। इस समिति में मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। समिति ने 27 अक्तूबर, 1970 को एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इस समझौते की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :

(i) यह समझौता हिन्दुस्तान स्टील लि०, टाटा आइरन एण्ड स्टील कं०, इंडियन आइरन एण्ड स्टील कं० तथा मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स, भद्रावती के कर्मचारियों पर लागू होता है।

(ii) इस समझौते में उन सभी वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं जिन पर या तो लोहा और इस्पात उद्योग संबंधी पहले केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिशें लागू होती थीं अथवा जिन पर इसको समझौते के फलस्वरूप या अन्यथा लागू किया गया था। इसमें हिन्दुस्तान स्टील लि० के इस्पात कारखानों के सभी वर्क चार्ज्ड कर्मचारी भी शामिल हैं।

(ii) समझौता 1 सितम्बर 1970 से लागू होगा और चार वर्ष तक लागू रहेगा।

(iv) एक अकुशल कर्मचारी का न्यूनतम वेतन चाहे वह कारखाने के अन्दर अथवा बाहर काम करता हो और चाहे मर्द हो या औरत हो, 240 रुपये मासिक होगा जिसमें मूल वेतन 200 रुपये होगा और 40 रुपये महंगाई भत्ता होगा।

(v) मंहगाई भत्ते की दर में हर तिमाही पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर (आधार वर्ष 1960-100) संशोधन किया जायेगा जिसमें बढ़ोतरी या कमी सूचकांक के प्रत्येक अंक की वृद्धि या कमी के लिए 1.30 रुपये की ही दर से होगी इस समझौते के अनुसार मंहगाई भत्ता सूचकांक के अंक 183 के आधार पर निश्चित किया गया है। यह अंक अप्रैल-जून 1970 की अवधि के लिये औद्योगिक कर्मचारियों के वास्ते अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंक का औसत है।

(vi) निम्नतम वेतन क्रम 200-3-221 रुपये का होगा। प्रत्येक इस्पात कारखाने के वेतन क्रमों की संख्या को यथा सम्भव न्यूनतम कर दिया गया है और प्रत्येक कंपनी के वेतन का ढ़ांचा फिर से तय किया गया है।

(vii) 31 अगस्त 1970 को व्याप्त मूल वेतन और महंगाई भत्ते की तुलना में प्रत्याभूत न्यूनतम लाभ (जिसे कम नहीं किया जा सकता) जो वेतन और महंगाई भत्ते के रूप में होता है सम्मिलित रूप से 67 रुपये प्रति मास से कम नहीं होगा।

(viii) जो कर्मचारी 1 सितम्बर 1970 को वेतन रजिस्टर में दर्ज थे, उन्हें 1 सितम्बर 1970 के पहले की अवधि के लिए 160 रुपये तदर्थ राशि दी जायेगी ।

(ix) संयुक्त वेतन निर्धारण समिति एक मानदण्ड समिति की स्थापना करेगी जो इस्पात उद्योग में वेतन मान और पद संज्ञा का मानकीकरण करेगी और अवकाश छुट्टी स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवा निवृति की उम्र जैसी सुविधाओं को एक जैसा बनाएगी ।

(x) संयुक्त वेतन निर्धारण समिति इस समझौते का पर्यवेक्षण करेगी तथा इस समझौते की और समझौते की अवधि में मानकीकरण संबंधी इसके निर्णयों का परिपालन सुनिश्चित करेगी ।

(xi) समझौते में कुछ अन्य बातें भी शामिल हैं जैसे कार्यकारी/स्थानापन्न भत्ता, आवास और मकान भत्ता, निवृति उत्पादन, प्रोत्साहन/उत्पादन बोनस, शैक्षणिक सुविधाएं आदि ।

(xii) समझौते के लागू रहने की अवधि में समझौते में शामिल बातों के संबंध में न तो कोई मांग प्रस्तुत की जायेगी और न कोई विवाद खड़ा किया जायेगा और औद्योगिक शांति और सदभावना कायम रखी जायेगी और उत्पादन बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जायेगा ।

(ग) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 31 अगस्त 1974 को समाप्त होने वाले 4 वर्षों में इस समझौते का वित्तीय भार लगभग इस प्रकार होगा : —

टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी	205 मिलियन रुपये
इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कं०	145 मिलियन रुपये
हिन्दुस्तान स्टील लि०	560 मिलियन रुपये
मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स	65 मिलियन रुपये
कुल	975 मिलियन रुपये

Check on Thefts on Railways

*237. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have achieved some success in checking thefts on Railways :

(b) the areas where such thefts are committed mostly ; and

(c) whether Government purpose to take some additional effective steps to check thefts on Railways in future ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) A statement showing the areas where thefts are mostly committed on the Indian Railways is attached. [*Placed in Library. See* No LT—4210/70].

(c) (i) Yes. An all India Drive against thefts and pilferages of booked consignments and for reduction of compensation claims paid has been launched on the Indian Railways from 1-8-1970 ;

(ii) Special measures are being taken in important yards and transhipments points.

New Industries in Uttar Pradesh

238. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Valmiki Choudhary :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently in Allahabad he gave an indication about the setting up of some new industries in Uttar Pradesh ;

(b) If so, whether any definite scheme has since been formulated in this segard; and

(c) if so, the time by which the said scheme would be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). In the course of a speech at Allahabad, reference was made to the possibilities and prospects of Industrial growth in Uttar Pradesh and the licences being issued for new industries in the State. The need for reducing regional imbalances in industrial growth was also emphasised, particularly in the context of UP continuing to be industrially under developed. I was also mentioned that industries set up in two selected districts of U.P. would be eligible for special financial assistance upto a certain level of investment, while industries in 24 other selected districts would qualify for concessional credit facilities from public financial institutions.

Authentic Version of Constitution in all Languages

239. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the time by which authentic version of the Constitution is likely to be made available in all the languages ;

(b) whether some assistance is being sought from the State Governments also in this regard ; and

(c) whether authentic version of the Constitution has since been made available in some of the languages ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) The question of preparation of authorised translations in Hindi and other official languages of the States of the Constitution of India, as modified upto-date, is under active consideration. As Parliamentary legislation will have to be enacted to enable the preparation of authorised translations of the Constitution in Hindi and other official languages of the States, it is not possible to say when such authorised translations will be available.

(b) The translations of the Constitution in the Official Languages of the States are being prepared by the Official Language (Legislative) Commission. Those translations will be finalised by the Commission in consultation with the State Governments concerned.

(c) No, Sir.

Deficit in Railway Income

240. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Kanwar Lal Gupta ; Shri Dinkar Desai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently Government estimated a deficit of about Rs. 70 crores on Indian Railways ;

(b) whether the causes leading to this deficit have since been detected and if so, the details thereof ; and

(c) the steps being taken to make up this deficit ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) As compared to the Budget estimates, it is assessed with reference to current trends that there will be a shortfall in earnings and an excess in working expenses, both taken together aggregating to approximately Rs. 69 crores.

(b) A recent review conducted during the year based on the first five months of 1970-71 reveals that the railway earnings are likely to be Rs. 20.00 crores lower than the initial estimates due to the withdrawals of increases proposed in respect of Third Class Fares, parcel rates and freight rates for foodgrains (Rs. 13 00 crores) and also on account a drop in goods traffic to steel plants, coal for public and general goods (Rs. 16.00 crores) offset partly by increases anticipated under 'Passengers' (Rs. 7.00 crores) and 'Other Coaching' and 'Sundries' (Rs. 2.00 crores). Approximately a rise of Rs 43.00 crores is expected in the Working Expenses chiefly due to interim relief (Rs. 37 00 crores), repairs to breaches (Rs 4.00 crores), implementation of Arbitration and Labour Awards (Rs. 2.00 crores) and post-budgetary increases in prices of Stores and materials for repairs and maintenance works etc. etc. (Rs. 6.00 crores). In result, surplus of about 22.38 crores anticipated in the original budget will get transformed as a shortfall of 46.60 crores.

(c) Continuous efforts are being made to effect economy on Indian Railways. Some of the important economy measures on hand aim at reduction in working expenses such as cost of staff and economy in fuel consumption. Other measures are economy in the use of stores and materials, better inventory control, reduction in steam engine holdings through periodic reveiw, work studies for greater efficiency, introduction of incentives in railway workshops for increased productivity, measures to reduce payment of compensation claims for goods lost or damaged and various drives for plugging of loop-holes, such as ticketless travelling, pilferage of coal, diesel oil, railway consignments etc. through intensive control and checks. Maximum effort is also being put in to augment earnings.

फरक्का तथा खेजुरिया घाट के मध्य गंगा पर पुल

241. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और असम के बीच सीधा रेल सम्बन्ध स्थापित करने के विचार से फरक्का तथा खेजुरिया घाट के मध्य गंगा पर पुल का निर्माण करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह योजना किस स्थिति पर है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). निर्माणाधीन फरक्का बराज के न्तर्गत एक रेलवे पुल को भी शामिल किया गया है। रेल पुल और दोनों ओर रेल-पथ के मार्ग परिवर्तन का काम तेजी से हो रहा है और आशा है, 1971 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

वर्षा तथा बाढ़ों के दौरान रेल सेवाओं में आई बाधा

242. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हाल ही की वर्षा तथा बाढ़ों के कारण प्रभावित हुई रेल सेवाओं के ब्यौरे (जोन-वार) क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : सूचना एकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

व्यापार का राष्ट्रीयकरण

243. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक महत्वपूर्ण कुछ व्यापारों के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है । उसका अधिक प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि चीनी मिलों से, जो अपने यहां भट्टियों में इसका प्रयोग करती है, इस सामान के प्राप्त करने में कठिनाई होती है । चीनी मिलों में जलाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के उपरान्त गन्ने की खोई मुश्किल से ही बच पाती है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण

244. **श्री दिनकर देसाई** :
डा० रानेन सेन :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी समयावलि में परिवर्तन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ; और

(ग) मूल समयावलि के अनुसार कार्य को पूरा करने तथा उत्पादन प्रारम्भ करने हेतु उठाये गये कदम क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । जुलाई, 1969 में संशोधित निर्माण अनुसूची जिसके अनुसार पहली धमन भट्टी को लगाने का काम दिसम्बर, 1971 तक और पूर्ण प्रथम चरण का काम मार्च, 1973 तक पूरा किया जाना था अब भी ज्यों की त्यों है :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) बोकारो इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए अत्यावश्यक इस्पात और उष्मसहों के आयात के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई हैं । क्योंकि निर्माण-कार्यक्रम के अनुसार कारखाने को पूरा करने के लिए ये देश में उपलब्ध नहीं है । सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के संभारकों के कार्यस्थलों पर जांच-कक्ष स्थापित करके आपूर्ति में शीघ्रता लाने का प्रबंध किया गया है । हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्स्ट्रकशन लि० भी निर्माण कार्य की गति में वृद्धि को देखते हुए अपने संगठनात्मक ढाचे और साधनों को और सुदृढ़ बना रही है। कार्य की प्रगति का अवलोकन करने के लिए प्रत्येक कार्य के लिए व्यवस्थित योजना लागू की गई है जिसमें कम्पयूटरों की सहायता से कार्य किया जाता है आशा है कि ये महत्वपूर्ण उपाय करने के फलस्वरूप कारखाना समय पर पूरा हो जायेगा ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास को पुनः आरम्भ करने के लिए योजना

245. **श्रीमती इलापाल चौधरी :** **श्री सरदार अमजद अली :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास बन्द होता जा रहा है तथा इस औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है तथा इसे भारत सरकार के अनुमोदन के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है तथा इससे कितना वित्तीय खर्च होगा ; और

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) :

(क) से (ग). नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना सुविधाजनक बनाने तथा बन्द एककों को फिर से चालू करने के निमित पश्चिम बंगाल सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए एक प्रोत्साहन योजना तैयार की है। योजना का विस्तृत विवरण संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4211/70] आर्थिक पेचीदगियों प्रोत्साहनों में मिले प्रत्युक्तों पर निर्भर करेगी। भारत सरकार यह आशा करती है कि इन प्रोत्साहनों से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा पश्चिम बंगाल में बन्द पड़े एककें क्रमिक रूप से पुनः चालू हो सकेंगे ।

भारत में विदेशी स्वामित्व की सिगरेट कम्पनियों का कार्यकरण

246. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**

श्री हरदयाल देवगुण :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन सिगरेट मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन में भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन

प्राप्त हुआ है जिसमें भारत में विदेशी स्वामित्व की सिगरेट कम्पनियों के कार्यकरण की जांच करने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच की मांग के लिये प्रस्तुत किए गए कारणों सहित अभ्यावेदन के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री म० र० कृष्ण) : (क) और (ख). विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों को भारत में कार्य विधि की इस प्रकार की जांच करवाने सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन भारतीय सिगरेट निर्माता संघ से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) उनसे प्राप्त अन्य सुझावों की जांच की जा रही है।

रेलवे की कार्यकुशलता के सम्बन्ध में चर्चा

247. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ ने उनके नाम लिखे एक पत्र में रेलवे की कार्यकुशलता में कमी के सम्बन्ध में पूर्ण एवं विस्तृत चर्चा की मांग की है और इसके कई कारण बताये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) पत्र में रेलों के परिचालन और अनुरक्षण की ऐसी समस्याओं के बारे में कुछ सामान्य टिप्पणियाँ दी गई हैं जिनके समाधान का उपाय करना आवश्यक है ।

(ग) इस मामले पर 16-9-1970 को फैडरेशन के जनरल सैक्रेटरी के साथ बातचीत हुई थी और उनसे यह कहा गया था कि वे निर्दिष्ट और ठोस मुद्दे लिख भेजें ताकि मामले पर आगे विचार किया जा सके ।

यात्री तथा माल परिवहन से रेलवे की आय

248. **श्रीमती इला पालचौधरी :** **श्री देवकी नन्दन पटोदिया :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 के चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 1969-70 वर्ष की इसी

अवधि की तुलना में यात्री एवं माल यातायात से अलग-अलग रेलवे की कुल तथा जोन के अनुसार कितनी आय हुई ; और

(ख) आय में वृद्धि अथवा कमी के जो भी हों क्या कारण थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०— 4212/70]

(ख) मुख्य रूप से यात्री यातायात में वृद्धि और दरों तथा किराये आदि में परिवर्तन के कारण, लगभग सभी क्षेत्रीय रेलों पर अप्रैल से जून, 1970 तक की आमदनी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०

249. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के बारे में नीति

250. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी दस वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 10 लाख टन अतिरिक्त इस्पात बनाने के उद्देश्य से एक युक्तियुक्त इस्पात नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहमम्द शफी कुरेशी) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना के इस्पात विकास कार्यक्रम में 9 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की वर्तमान क्षमता को पंचम योजना काल के अन्त तक नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार 19 मिलियन टन तक बढ़ाने का काम शामिल है :

(अ) वर्तमान क्षमता	9 मि० टन

(ब) अतिरिक्त क्षमता

भिलाई के तीसरे चरण का विस्तार	1.7 मि० टन
बोकरो के प्रथम और द्वितीय चरण	4.0 मि० टन
इस्को का विस्तार	0.3 मि० टन
नए इस्पात कारखानों की अतिरिक्त क्षमता	4.0 मि० टन
	19.0 मि० टन

इसके अतिरिक्त सेलम में विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु एक कारखाना लगाने का भी निर्णय किया गया है।

(ग) इस्पात के विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कई कदम उठाये गए हैं। भिलाई के तीसरे चरण के विस्तार के बारे में शक्यता प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। हास्पेट क्षेत्र में नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए स्थल चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लौह खनिज और कोयले के सिवाय दूसरे कच्चे मालों की समितियों तथा कोयला समिति ने अपनी रिपोर्टें पहले ही दे दी है। आशा है कि लौह खनिज समिति अपनी सिफारिशों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे देगी। विशाखापत्तनम प्रायोजना के स्थल पर विचार करने के लिये स्थल चयन समिति की 10 नवम्बर को बैठक हो रही है। परामर्शदाताओं की नियुक्ति पर भी सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

उत्तर रेलवे को रेल पथों को दोहरा बनाना

251. श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के उन रेल पथों का ब्यौरा क्या है जिनको चौथी योजना काल में दोहरा बनाने का विचार किया है ;

(ख) क्या इन में से किसी रेल पथ का निर्माण कार्य इस बीच आरम्भ किया गया है, और यदि हां, तो वे पथ कौन-कौन से हैं ;

(ग) चौथी योजना की अवधि में उत्तरी जोन में बिछाई जाने वाली नई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली-रिवाड़ी रेल पथ को भी दोहरा बनाने का विचार है ; यदि हां, तो कब और क्या इस क्षेत्र की बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का भी विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). शकूरबस्ती और रोहतक (59.60 कि० मी०) के बीच दुहरी लाइन बिछाने का काम जारी है।

गढ़ी हरसरू खलीलपुर खंड पर दोहरी लाइन बिछाने से सम्बन्धित सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सब्जीमंडी-सोनीपत और मेरठ शहर-मुजफ्फरनगर खंडों पर दुहरी लाइन बिछाने के संबंध में सर्वेक्षण-कार्य जारी है और सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद कोई विनिश्चय किया जायेगा। दिल्ली-रिवाड़ी खंड को बड़ी लाईन में बदलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चौथी योजना में नई लाइनों से सम्बन्धित प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Stoppage of Varanasi Express at Timarni Station

252. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Varanasi Express stops at Bir Station on the Central Railway but not at Timarni station ;

(b) if so, the criterion adopted in this regard ;

(c) whether Bir has more population than Timarni and whether it is also an industrial town ;

(d) if so, the population of Bir and Timrani, separately ;

(e) the comparative passenger traffic at Timarni and Bir Stations ;

(f) whether it is a fact that an assurance was given in the last meeting of the Central Railway that the question of stopping the Varanasi Express at Timarni station also would be examined ; and

(g) it so, the outcome thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) The main criterion adopted in this regard is the quantum of long-distance traffic offering at these stations.

(c) and (d). The popultation of Bir has been estimated to be 3,800 and that of Timarni about 6,600.

(e) During the first 7 months of 1970, a total of 83,003 and 45,511 passengers respectively were booked from Bir and Timarni stations giving a daily average of 391 passenges at Bir station and 219 at Timarni station.

(f) Yes.

(g) The examination has shown that the existing services *i.e.* 2 pairs of passenger trains and one pair of Express trains scheduled to stop at Timrani are adequate and as such the additional stoppage of 27 Dn/28 Up Bombay—Varanasi Express there is not justified at present.

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

253. **Shri G C. Dixit :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) the increase in the number of small scale industries in Madhya Pradesh during the last three years and the total value of their production during that period ;

(b) the number of small scale industries closed down or facing crisis due to financial difficulties during the said period ; and

(c) the details of the various steps taken by the Government to help these small scale industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of House.

Allotment of Iron and Steel to Madhya Pradesh

254. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state the total quantity of iron and steel allotted to Madhya Pradesh during 1968-69 and 1969-70 separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Warehouse for Iron and Steel in Madhya Pradesh

255. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Steel Limited propose to open any warehouses for iron and steel in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the locations thereof and the time by which they are likely to be opend ;

(c) the date when a decision in this regard was taken ; and

(d) whether any official of the Hindustan Steel Limited visited Madhya Pradesh in this Connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Quershi) : (a) to (d). A branch Sales Office-Cum-Stockyard of Hindustan Steel Limited is already functioning at Indore in Madhya Pradesh from February, 1969. A proposal to open a second stockyard in the State at a suitable location is under active consideration in consultation with the State Government. In this connection, an official of Hindustan Steel Limited visited Bhilai and Raipur in July, 1970, for conducting survey and feasibility study.

बम्बई-मंगलूर रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा बढ़ाया जाना

256. **श्री नाथ पाई :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1250 किलो मीटर लम्बी बम्बई-मंगलूर रेलवे लाइन के यातायात तथा इन्जीनियरिंग संबंधी प्रारंभिक सर्वेक्षण को पूर्ण करने के लिए निश्चित समय सीमा को बढ़ा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). आप्ता (बम्बई के निकट) से मंगलूर तक एक नई लाइन के लिए, शुरू-शुरू में केवल तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन का प्रस्ताव किया गया है। बाद में, यह विनिश्चित हुआ कि नई लाइन के लिए इन्जीनियरिंग टोह सर्वेक्षण के साथ-साथ एक विस्तृत यातायात सर्वेक्षण किया जाये। जून, 1970 में सर्वेक्षणों की मंजूरी दी गई और उन्हें पूरा करने में 18 महीने लगेंगे। हाल में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे सर्वेक्षणों को पूरा करने की अंतिम तिथि पर असर पड़े।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल में हिंसात्मक तरीके अपनाना

257. श्री रा० को० अमीन क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के कर्मचारियों ने हाल में हुई हड़ताल में हिंसात्मक तरीके अपनाये हैं ;

(ख) क्या हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष पर भी हमला किया गया था ; और

(ग) कर्मचारियों की हड़ताल के क्या कारण थे, और जिन लोगों ने हिंसात्मक तरीके अपनाये, उनके विरुद्ध अगर कोई कार्यवाही की गई थी तो, वह क्या थी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). संभवत: आशय 26/27 अगस्त, 1970 को भारी इन्जीनियरिंग निगम के शिल्पियों के प्रदर्शन से है। 26 अगस्त, 1970 की सांय को लगभग 400 शिल्पी मुख्यालय के प्रशासन भवन के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने गमनागमन में बाधाएं डालीं।

वे रात भर नारे लगाते रहे तथा सड़क को बंद रखे रहे। 27 अगस्त, 1970 को प्रात: काल स्थानीय सरकारी अधिकारियों से निगम के अध्यक्ष और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को भवन से बाहर निकलने में सहायता करने को कहा गया था। जब अध्यक्ष और कार्मिक-प्रमुख पुलिस और दंड नायकों की देख-रेख में बाहर लाये जा रहे थे तो प्रदर्शनकारियों ने बार-बार उनका रास्ता रोकने की कोशिशें की। रास्ते को साफ करने की प्रक्रिया में पुलिस ने 14 शिल्पियों को गिरफ्तार कर लिया। कठिनाई से ही पुलिस अध्यक्ष की कार के जाने का मार्ग साफ कर सकी। जब कार द्वारा से बाहर पहुँच गई तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फैंकने शुरू कर दिये जिससे अध्यक्ष की कार को क्षति पहुंची तथा अध्यक्ष व कार्मिक-प्रमुख को मामूली चोटें आई। गमनागमन को रोकने के लिए साइकलों और वृक्षों की टहनियों को सड़क पर फैंका गया। पुलिस ने ही इन अपराधियों को हटाया और 14 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कई बार अश्रु-गैस छोड़ी गई।

शिल्पी अपनी मांगों के लिए, प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी एक मांग यह थी कि केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान में उनके प्रशिक्षण काल को छुट्टियों के लिए ड्यूटी माना जाये। श्रम, आयुक्त की सहायता से प्रबन्धक वर्ग और शिल्पियों के बीच विवादग्रस्त प्रश्नों पर बातचीत हो रही है।

इंजीनियरिंग उद्योगों में इस्पात की कमी

259. श्री बे० कु० दासचौधरी :		श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की कमी के कारण इस्पात उद्योगों को और विशेषकर निर्यात करने

वाले उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा है और इंजीनियरिंग निर्यात सम्बद्ध परिषद के अध्यक्ष के अनुसार का वास्तव में अकाल पड़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). मंदी के पश्चात् देश में इस्पात की सभी किस्मों की मांग पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाने के कारण इसकी कमी की स्थिति पैदा हो गई है। स्वभावतः इंजीनियरी उद्योग पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जहां तक इन्जीनियरी मालों के निर्यात से संबंधित, उद्योगों की मांग का संबन्ध है, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा थोक आयात किया गया है परन्तु इन्जीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा अभी तक निर्यात इकाइयों को सारे आयातित माल का आवंटन नहीं किया गया है।

मार्टिन बर्न लाइट रेलवे को अपने नियन्त्रण में लेना

260. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री सीता राम केसरी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के लाइट रेलवे को अपने नियंत्रण में लेने का विचार किया है जैसा कि हाल ही में मार्टिन बर्न लाइट रेलवे कर्मचारियों के प्रतिनिधिमण्डल ने अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) प्राइवेट रेलों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया गया था। इस समय सरकार इन में से किसी भी लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं रखती।

(ख) देश में प्राइवेट रेलें ऐसी संविदाओं के अधीन चलाई जा रही हैं जिन के अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा उस क्षेत्र के जिला बोर्ड जिसमें वे रेलें स्थित हों, को निर्दिष्ट समयांतरों पर उन्हें खरीद लेने का प्राधिकार प्राप्त है। जब इस तरह के आवधिक विकल्प देने का समय आता है तब सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रख कर उनकी खरीद के बारे में विचार किया जाता है। कुछ अवसरों पर सभी सम्बद्ध बातों की जांच करने के बाद सम्बन्धित प्राधिकारियों ने यह विनिश्चय किया कि खरीद का विकल्प न दिया जाये। अगली बार जब खरीद का विकल्प देने का समय आयेगा, तब उनको खरीदने के प्रश्न पर फिर विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ के कारण रेलवे को हुई हानि

261. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में हाल ही में आई बाढ़ के कारण रेलवे को लगभग कुल कितनी हानि हुई ; और

(ख) रेल-पथ तथा रेलवे लाइनों आदि के मरम्मत का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) लगभग 12.36 लाख रुपये।

(ख) रेल-पथ और लाइनों की मरम्मत पूरी हो चुकी है।

Export of Iron

262. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently scarcity of iron in the country has adversely affected the country's exports ; and

(b) if so, the concrete action taken by Government to make up the shortage of iron ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). There is no shortage at present of pig iron, and neither the export of pig iron nor that of articles made out of pig iron has been affected.

चम्बल घाटी क्षेत्र का औद्योगिक विकास

263. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ लगने वाले चम्बल घाटी के क्षेत्र में डकैती समस्या को हल करने के विचार से सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग के साथ उपर्युक्त क्षेत्र के उद्योगीकरण की योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Improvement in Gwalior Narrow Gauge Line (Central Railway)

264. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the steps being taken during the current financial year for undertaking the necessary improvements in the Gwalior Narrow Gauge section (Central Railway) section and the steps proposed to be taken during the ensuing year ;

(b) the details of the progress made so far in connection with the procurement of four diesel locomotives for this section ;

(c) whether it is a fact that the narrow gauge locomotive repair workshop located at Gwalior has now been shifted ; and

(d) if so, whether there is any programme to establish another workshop at Gwalior for undertaking the necessary repair work of narrow gauge locomotives etc. or the programme to lay a narrow gauge Railway line from Gwalior to Jhansi is being undertaken so that the narrow gauge locomotives etc. can be taken to Jhansi for repairs ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No improvements are proposed at present.

(b) There is no proposal for the procurement of diesel locomotives for this section at present.

(c) No. Prior to the taking over of the Scindia State Railway, the locomotives and rolling stock of this Railway were being overhauled by the Gwalior Engineering Works. This workshop was retained by the Madhya Pradesh Government and is in operation at Gwalior. Repairs to rolling stock operating on this section is being carried out at other workshops of the Railway.

(d) There is no proposal to establish another workshop at Gwalior nor is there any programme to lay a narrow gauge line from Gwalior to Jhansi.

भिलाई इस्पात कारखाने के आस-पास लघु उद्योगों की स्थापना

265. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात कारखाने के आस-पास के क्षेत्र में लघु उद्योगों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Looting of Goods Train between Gwalior and Jhansi

266. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train was looted between Gwalior and Jhansi during the month of June or July, 1970 ;

(b) if so, the details of the incident and the estimated loss as a result thereof ;

(c) the action taken against the culprits ; and

(d) whether any compensation has been paid to the owners of the goods looted from the train ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No. However, on 31-7-70 at Antpath Station between Jhansi and Gwalior a goods train was tampered with and 11 wagons were found with defective seals.

(b) There was no loss in this case as all the 11 wagons were checked and found correct.

(c) and (d). Do not arise.

Practice of Slavery in Adivasi Area of Rajasthan

267. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the fact that slavery is still being practised in the Adivasi areas of Rajasthan ; and

(b) if so, the steps taken by Government to abolish it ?

The Minister of State in the Ministry of Law and Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) and (b). Though forced labour has been abolished under Article 23 of the

Constitution, a form of bonded labour known as "Sagri" is prevalent in Rajasthan for which the extreme indebtedness of the people is responsible. The State Government have taken the following legislative measures to combat this evil :—

(i) The Agricultural Indebtedness Act, 1958.

(ii) The Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness (Amendment) Act, 1962.

(iii) The Rajasthan Money-lenders Act, 1963.

(iv) The Rajasthan Co-operative Act, 1965.

Measures to Check Eve Teasing at Faridabad Station

268. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state the measures proposed to be taken by Government to stop eve teasing by factory workers in the evening at Faridabad station ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : A Government Railway Police outpost already exists at Faridabad and incidents of eve teasing by factory workers in the evening at Faridabad station which are not reported frequently can be controlled by the local police who are aware of the position.

रेलवे अस्पताल, भटिंडा (उत्तर रेलवे) के परिचारकों (अटेंडेंट) के परिवारों को परिवार पेंशन दिया जाना

269. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में सेवा करते हुए मरने वाले रेलवे अस्पताल भटिंडा (उत्तर रेलवे) के परिचारकों के परिवारों को कोई परिवार-पेंशन नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त मामलों में परिवार-पेंशन का शीघ्र भुगतान करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). भटिंडा अस्पताल में केवल एक परिचर का ऐसा मामला हुआ है जिसकी मृत्यु 1965 में हुई थी। इस कर्मचारी ने पेंशनी लाभ के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसलिए उसके परिवार को 1965 में अंशदायी भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य सारी देय रकमों का भुगतान कर दिया गया था। वह कर्मचारी उक्त नियमों द्वारा शासित था।

(ग) सवाल नहीं उठता।

(घ) जी, हां। उक्त स्थिति बता दी गई है।

All Party Meeting for Considering Amendments to Election Laws

270. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken in regard to convening an all-party meeting

under the Chairmanship of the Speaker of Lok Sabha for considering amendments to the Election Law ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) The Speaker has already been addressed in the matter. The meeting is expected to be convened shortly.

(c) Does not arise.

हरदोई के निकट करना स्टेशन पर हावड़ा जाने वाली अमृतसर मेल का पटरी से उतरना

271. **श्री झारखण्डे राय :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 सितम्बर, 1970 को लखनऊ के निकट 'करना' स्टेशन पर अमृतसर मेल के साथ हुई रेलवे दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा इस बारे में आगे और क्या कार्यवाही की गई ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). 28-9-70 को करना स्टेशन पर 6 डाउन अमृतसर-हावड़ा डाक गाड़ी के पटरी से उतरने की विधिक जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने की थी। उनके अनन्तिम निष्कर्ष के अनुसार दुर्घटना का कारण यह था कि जब गाड़ी चल रही थी, तो चौथे डिब्बे का वैकुअम रिजर्वायर अपने स्थान से हट गया और गिर पड़ा जिसके कारण गाड़ी के मार्ग में रुकावट आ गयी। वैकुअम रिजर्वायर को और मजबूती से लगाने के सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई शुरू कर दी गयी है और उसके अभिकल्प की भी जांच की जा रही है।

अगस्त, 1970 के आन्दोलन में भाग लेने के कारण दक्षिण पूर्वी रेलवे के कर्मचारियों पर न्यायालयों में चलाए गए मुकदमें

272. **श्री जि० मो० बिस्वास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1970 में अपने-आप फूट पड़ने वाले आन्दोलन के कारण डिवीजनवार दक्षिण-पूर्वी रेलवे के कितने कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालयों में मुकदमें अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ; और

(ग) कार्मिक संघ के अध्यक्ष और रेलवे के जनरल मैनेजर के बीच हुए समझौते के तहत मामलों को वापिस न लिये जाने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

स्टैन्डर्ड मोटर फैक्टरी मद्रास का पुनः चालू होना

273. श्री नम्बियार : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु सरकार को स्टैन्डर्ड मोटर फैक्टरी, मद्रास को पुनः चालू करने के लिये प्रयत्न करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सुझाव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के सुझाव के प्रति तमिलनाडु सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

त्रिपुरा में दियासलाई की फैक्टरियों का बन्द होना

274. श्री नम्बियार : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल की कमी और उत्पादों की बिक्री न होने के कारण त्रिपुरा में बन्द होने वाली दियासलाई की फैक्टरियों की संख्या कितनी है ;

(ख) फैक्टरियों के बन्द होने से कुल कितने कर्मचारी बेकार हो गये हैं ; और

(ग) इन दियासलाई की फैक्टरियों को बन्द होने से रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का पंजीकरण न किया जाना

275. श्री सी० दास :
श्री राजशेखरन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीकरण की पुनरीक्षित प्रक्रिया के अन्तर्गत तकनीकी महानिदेशालय में औद्योगिक कारखानों का पंजीकरण नियमानुसार स्वतः हो जायेगा किन्तु शर्त केवल यह होगी कि सम्बन्धित कारखाने आवश्यक आंकड़े प्रस्तुत करें।

(ख) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1970 में तकनीकी विकास महानिदेशालय ने एल्युमीनियम उत्पादकों से अनुरोध किया है कि मैसर्स जिन्दल (इण्डिया) प्रा० लि० बंगलौर को, उसकी धातु की आवश्यकता को पूरा करने के लिये 200 मीट्रिक टन प्रति मास की दर से धातु सप्लाई की जाये जिससे यह कारखाना बन्द न हो; और

(ग) यदि हां, तो मैसर्स जिन्दल (इण्डिया) प्रा० लि० के औद्योगिक कारखाने को केवल 1200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिये पंजीकृत करने की क्या परिस्थितियां हैं जबकि इसकी अधिष्ठापित क्षमता तीन पारियों के आधार पर 3600 मीट्रिक टन है जिसे मैसूर के उद्योग निदेशक ने प्रमाणित किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) ऐसी योजनाएं जिनके औद्योगिक आंकड़े प्रत्यक्षत: तकनीकी संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं, उनका नियमत: पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन स्वत: पंजीकरण हो जाता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मैं० जिन्दल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर ने, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके विद्यमान प्रेस की क्षमता 1500 मी० टन है तथा उनका वर्तमान उत्पादन केवल 1150 मी० टन प्रति वर्ष है, एल्यूमिनियम 1200 मी० टन की क्षमता के एक्सट्रूडेड सैक्सन्स के निर्माण करने के लिये तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण कराया है । फिर भी, वर्तमान नीति के अनुसार, फर्म द्वारा अधिक उत्पादन करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है ।

Memorandum on Closure of Shahdara-Saharanpur Light Railway

276. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Yamuna Prasad Mandal : Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he has received any letters and memoranda from some Members of Parliament and other voluntary associations on the closure of the Shahdara-Saharanpur Railway line and requesting for its re-opening under the management of the Ministry of Railways ;

(b) if so, the names of the Members of Parliament and the associations from whom such communications have been received ; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) A list is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-4213/70].

(c) The suggestion was examined. It has been decided that it would not be in the national interest to take over Shahdara-Saharanpur Light Railway and run it under Government management as it cannot be run profitably in competition with road services. Further, the traffic that was previously carried by the Light Railway, can be carried by the road. In fact, the bus services in the area have already been augmented by the Government of U. P.

अगस्त/सितम्बर, 19 0 के हड़ताल में भाग लेने वाले दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रति नरमी का रुख

277. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**　　　　**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
श्री लखन लाल कपूर :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लि० के दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों और मजदूरों की श्रेणीवार संख्या क्या है ;

(ख) अगस्त और सितम्बर, 1970 की 'आम हड़ताल' में भाग लेने के कारण कितने कर्मचारियों तथा मजदूरों को आरोप पत्र (चार्जशीट) दिया गया ;

(ग) कितने कर्मचारियों और मजदूरों को उन पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर दण्डित किया गया ;

(घ) क्या सरकार हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों और मजदूरों के प्रति नर्म रुख रखने के लिए वचनबद्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस वचन को कैसे और किस सीमा तक पालन किया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) अगस्त 1970 में कर्मचारियों और मजदूरों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार थी :—

प्रभारी निदेशक	1
अधिकारी	1,395
कर्मचारी (तकनीकी)	23,0[illegible]2
कर्मचारी (गैर-तकनीकी)	3,176

(ख) हड़ताल की अवधि में अनुपस्थित रहने के कारण 7,150 कर्मकारों को आरोप-पत्र दिये गये थे। इनमें से 626 कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को, उन द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर वापिस ले लिया गया था। 4,629 कर्मचारियों को परिनिन्दित किया गया और 5 की वेतन-वृद्धि रोक दी गई। 1,890 कर्मचारियों के मामले में अभी जांच हो रही है।

(ग) शून्य।

(घ) और (ङ). हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों और मजदूरों से निपटने का उत्तरदायित्व दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों पर है जो सिवाय उन मामलों के जिनमें हिन्सा की गई हो इस विषय में उदार दृष्टिकोण अपनाने की सामान्य नीति बरतते हैं।

मार्टिन लाइट रेलवे की वित्तीय स्थिति की जांच

278. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्टिन लाइट रेलवे (पश्चिमी बंगाल) के प्रबन्धकों ने

1 सितम्बर, 1970 से शाहदरा-सहारनपुर रेलवे शाखा को बन्द कर दिया था ; यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ख) उपर्युक्त रेलवे के बन्द हो जाने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा ;

(ग) क्या सरकार ने इस रेलवे की वित्तीय स्थिति की जांच की है, यदि हां, तो कम्पनी के घाटे पर चलने के क्या कारण थे ; और

(घ) क्या यह सच है कि 15 अधिकारियों पर कम्पनी का औसत वार्षिक व्यय लगभग 4 लाख रुपये होता था ; यदि नहीं, तो वास्तविक स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां। रेलवे कई वर्षों से घाटे में चल रही थी।

(ख) लगभग 1,100।

(ग) कम्पनी को घाटा कड़ी सड़क प्रतियोगिता और परिचालन की बढ़ती हुई लागत के कारण हो रहा था।

(घ) एस०एस० लाइट रेलवे कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, कम्पनी को 15 अधिकारियों पर 1.93 लाख रुपये वार्षिक खर्च करना होता है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) एस०एस० लाइट रेलवे को चार अधिकारियों का खर्च जो प्रत्यक्ष रूप से उठाना होता है।	66,600 रुपये
(ख) 11 अधिकारियों का खर्च संयुक्त रूप से मार्टिन ग्रुप की रेलों द्वारा (वार्षिक लागत—2,81,800 रुपये) वहन किया जाता है—उसमें एस०एस० लाइट रेलवे कम्पनी का आनुपातिक भाग	1,26,800 रुपये
जोड़	1,93,400 रुपये

पश्चिम बंगाल के पिछड़े जिलों की सहायता

279. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सरकार की नीति है कि देश के "पिछड़े प्रदेशों" के औद्योगिक विकास के लिए हर सम्भव सहायता की जाए ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, बरद्वान, मिदनापुर जिले तथा 24 परगना का एक भाग औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों की कोटि में आते हैं ;

(ग) क्या यह सच है इन जिलों में प्राकृतिक तथा खनिज संसाधन भारी मात्रा में उपलब्ध है ;

(घ) क्या यह सच है कि इन संसाधनों का अब तक उपयोग नहीं किया गया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इन जिलों में भारी संख्या में बड़े, मध्यम वर्गों के और छोटे उद्योगों के संवर्द्धन एवं विकास की काफी सम्भावना है ; और

(च) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (च). औद्योगिक नीति के उद्देश्यों में से एक यथा संभव सीमा तक, औद्योगिक प्रसार में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करना भी है इस उद्देश्य को प्राप्ति हेतु, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापनार्थ अपने प्रस्तावों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों से सम्बन्धित मामलों से वित्तीय संस्थान जैसे भारत औद्योगिक विकास तथा भारत औद्योगिक वित्त निगम रियायत प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा विभिन्न राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े 93 जिलों को चुना गया है। पश्चिम बंगाल में चार जिले अर्थात पुरुलिया बाकुंड़ा, मिदनापुर तथा दार्जिलिंग इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। पश्चिमी बंगाल सरकार ने राज्य में औद्योगिक एककों के स्थापनार्थ विभिन्न रियायतों तथा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। आशा की जाती है कि राज्य में औद्योगिक कार्यों के प्रसार में इन अभ्युपायों से सहायता मिलेगी और विशेषकर पश्चिमी बंगाल के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में इन जिलों के औद्योगिक विभव का पर्याप्त रूप से विदोहन हो सकेगा।

कलकत्ते में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

280. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ते में दिसम्बर, 1969, जनवरी, 1970, जून, 1970 और सितम्बर, 1970 में प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली जीवन की आवश्यक वस्तुओं के फुटकर मूल्य क्या थे ; और

(ख) प्रत्येक मामले में फुटकर मूल्यों के बढ़ने अथवा घटने के क्या कारण थे ; ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). कलकत्ता के उपभोक्ता वस्तुओं के दिसम्बर, 1969 जनवरी, 1970, जून, 1970 तथा सितम्बर, 1970 के खुदरा मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1)। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4214/70] की कीमत में हुई उतार-चढ़ाव के कारणों को बताने वाला एक विवरण भी संलग्न है (अनुबन्ध 2)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4124/70]

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मशीनों की सप्लाई के लिए मांगी जाने वाली जमा राशि की दर

281. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० ने अब उद्योगपतियों से आयातित मशीनों की सप्लाई के लिए 5 प्रतिशत तथा देशी अयस्क के लिए 10 प्रतिशत जमा राशि लेती है ;

(ख) यदि हां, तो देशी मशीनों के लिए अधिक जमा राशि माँगने के क्या कारण हैं, जिससे कि देशी मशीनों के प्रयोग को धक्का लगेगा और जिससे देश के मशीन निर्माण उद्योग की उन्नति में रुकावट पड़ेगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार जमा राशि के प्रतिशत को बदल कर आयातित मशीनों के लिए 10 प्रतिशत तथा देशी मशीनों के लिए 5 प्रतिशत करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) आयातित और देशी मशीनों के विषय में बरते जाने वाले विभेदपूर्ण व्यवहार के कारण मशीनों में सम्भावित त्रुटियों, मशीनों को बेचकर उनकी पूरी कीमत वसूल करने में निहित जोखिम है जो देशी मशीनों की अपेक्षा आयातित मशीनों में कम होती है। संशोधित दर में बयाने के रूप में जमा की जाने वाली राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है इससे यह आशा की जाती है कि देशी उद्योगों के विकास में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

(ग) बयाने के रूप में जमा की जाने वाली राशि में संशोधन विषयक निर्णय पर 31-3-1971 के बाद पुनर्विचार किया जायेगा।

मोगा के निकट बिना चौकीदार के रेलवे फाटक पर दुर्घटना

282. **श्री प्रदिचन :**

श्री दे० अमात :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 अक्तूबर, 1970 को मोगा के निकट लुधियाना-मोगा लाइन पर बिना चौकीदार के एक रेलवे फाटक पर एक यात्री बस की एक रेलगाड़ी से टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ; और

(ग) दुर्घटना का क्या कारण था और वह किन परिस्थितियों में हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दुर्घटना लुधियाना-फिरोज पुर छावनी खण्ड में जगरांव और अजोतवाल स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले समपार पर घटी।

(ख) इस दुर्घटना में 6 व्यक्ति मारे गये और 39 घायल हुए जिनमें से 5 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आयीं।

(ग) यह दुर्घटना बस के ड्राइवर की लापरवाही के कारण हुई। बस के ड्राइवर ने आती हुई रेलगाड़ी के सामने से बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने की कोशिश की जबकि ऐसा करने की गुंजाइश नहीं थी।

बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों पर रेल दुर्घटनायें रोकना

283. श्री अदिचन :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968, 1969 और 1970 में अब तक बिना चौकीदार के रेल फाटकों पर कितनी दुर्घटनायें हुई और उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कितने व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए ; और

(ख) उक्त प्रत्येक वर्षों में बिना चौकीदार के रेलवे फाटकों की समस्या को राष्ट्रीय समस्या के रूप में हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस पर कितना खर्च किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1968, 1969 और 1970 अर्थात् जनवरी, 1970 से सितम्बर, 1970 तक की अवधि में भारत की सरकारी रेलों में बिना चौकीदार वाले समपारों पर क्रमशः 90,80 और 52 दुर्घटनायें हुई। इन दुर्घटनाओं में 126 व्यक्ति मारे गये और 128 गम्भीर रूप से घायल हुए।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनाओं में कमी करने के उद्देश्य से रेलों ने निम्नलिखित कई उपाय किये हैं :—

(i) सड़क उपयोगकर्त्ताओं को यह चेतावनी देने के लिए कि वे सावधानी से रेलपथ पार करें, बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुँच-मार्गों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले स्टाप बोर्ड लगाये गये हैं।

(ii) सड़क उपयोगकर्त्ताओं को एक और चेतावनी देने के लिए सीटी बोर्ड लगाये गये हैं जो आती हुई गाड़ियों के ड्राइवरों को यह निर्देश करते हैं कि जब गाड़ी बिना चौकीदार वाले समपार पहुंच रही हो, तो वे सीटी बजायें।

(iii) बिना चौकीदार वाले किसी समपार पर चौकीदार तैनात करने का निश्चय करने के लिए रेलें यातायात की अवधिक संगणना करती हैं। समपारों पर चौकीदार रखने/समपारों का दर्जा बढ़ाने के बारे में रेलें राज्य सरकारों के परामर्श से

वार्षिक कार्यक्रम तैयार करती है। वर्तमान नियमों के अनुसार समपारों का दर्जा बढ़ाने की प्रारम्भिक लागत राज्य सरकारें वहन करती हैं। 1968-69 और 1969-70 में बिना चौकीदार वाले 126 समपारों पर चौकीदार तैनात किये गये।

2. राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना चौकीदार वाले सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर उपयुक्त चेतावनी सिगनलों सहित सड़क-चिह्नों की व्यवस्था करें।

3. राज्य सरकारों ने मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत यह कानून भी बनाया है कि यात्री बसों के ड्राइवर बिना चौकीदार वाले समपारों से पहले ही अपने वाहनों को रोक लें और तब रेलवे लाइन पार करें जब बस का कण्डक्टर बस के आगे-आगे चल रहा हो।

4. चूंकि बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटनायें अधिकांशतः सड़क उपयोगकर्त्ताओं को लापरवाही के कारण होती हैं, इसलिए मुख्यतः निम्नलिखित आधार पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने का अभियान चलाया जा रहा है :—

(i) आटोमोबाइल एसोसिएशन, परिवहन और लारी मालिकों के संघों आदि से अपील करना

(ii) मोटर वाहन अधिनियम में निर्धारित नियमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के जरिये प्रादेशिक भाषा में बस, टैक्सी और मोटर ट्रकों के मालिकों और चालकों को पर्चे जारी करना।

(iii) समपारों के समीप स्थित ग्राम पंचायतों के प्रधानों आदि से सम्पर्क स्थापित करके उन्हें बिना चौकीदार वाले समपारों को लापरवाही से पार करने के खतरे से परिचित कराना।

(iv) ट्रक चालकों के संघों और ट्रक चालकों से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें बिना चौकीदार वाले समपारों को तेजी से पार करने के खतरे से परिचित कराना।

(v) दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आल इण्डिया रेडियो पर देहाती कार्य-क्रम के माध्यम से प्रचार करना।

(vi) ऐसे सिनेमा स्लाइड दिखाना जिनमें समपारों पर लापरवाही से वाहनों को चलाने का खतरा बताया गया हो और रेलवे समपारों से सटे हुए ग्रामों में बाजार और मेले के दिनों लाउड स्पीकर के जरिये घोषणा करना आदि, आदि

ऐसी मदों पर किया गया खर्च राजस्व के खर्च जैसा होता है, इसलिए अलग से विस्तृत आंकड़े नहीं रखे जाते।

रद्दी लोहे का इकट्ठा हो जाना

284. श्री अदिचन :

श्री हेम राज :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न स्क्रेप यार्डों में 50,000 टन रद्दी लोहा इकटठा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो रद्दी लोहे के इकट्ठा हो जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इकट्ठा हुए उक्त रद्दी लोहे को शीघ्र प्रयोग तथा निर्यात द्वारा प्रयाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जिनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि 31 अक्तूबर, 1970 को स्क्रेप व्यापारियों के पास विभिन्न किस्मों का 75000 टन स्क्रेप उपलब्ध था।

(ख) स्टील फरनेस एसोसीएशन आफ इण्डिया और आयरन एण्ड स्टील स्क्रेप एसोसीएशन आफ इण्डिया के बीच हुए मूल्य समझौते को, जो कुछ माह पहले समाप्त हो गया था, फिर से लागू नहीं किया गया है। सम्मत मूल्य के अभाव में स्क्रेप का अपक्रय कम हुआ है।

(ग) स्क्रेप के वर्तमान स्टाक में से 24,750 टन स्क्रेप के निर्यात की हाल में अनुमति दी गई थी। शेष स्टाक की स्थिति का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण

285. श्री अब्दुल गनी दार : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत 31 मार्च, 1972 तक खुले बाजार में बिक्री के लिए सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का निर्माण कार्य पूरा कर लेगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कार का निर्माण कार्य इससे भी बहुत पहले पूरा हो जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) परीक्षित विदेशी डिजाइन पर आधारित कारें बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाली परियोजना के अनुसरण में इच्छुक विदेशी पार्टियों से विस्तृत प्रस्ताव निमंत्रित किये गये हैं। इन प्रस्तावों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 3 नवम्बर 1970 है। प्रस्ताव प्रतीक्षित हैं। इस अवस्था में यह बताना कि सरकारी क्षेत्र की प्रस्तावित प्रायोजना में कब तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा संभव नहीं है।

(ख) और (ग). गैर-सरकारी क्षेत्र की दो पार्टियों को देशी जानकारी और माल से यात्री कारें बनाने का आशय पत्र दे दिया गया है जो अठारह मास तक वैध है । 31 मार्च 1972 से पूर्व ये पार्टियां उत्पादन प्रारम्भ कर देंगी यह संभव नहीं है ।

गन्ने के ढुलाई भाड़े का पुनरीक्षण

286. **श्री क० ना० तिवारी : श्री काशी नाथ पांडेय :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1970 से रेल के माल भाड़े में 0.2 प्रतिशत से 7 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1970 से पूर्व चीनी मिलों को जो गन्ना ढोया गया उस पर माल डिब्बा भार दर से एक मुश्त भाड़ा वसूल किया गया और 1 अप्रैल, 1970 के बाद यह दर समाप्त कर दी गई यदि हां, तो क्या भाड़े में लगभग 40 प्रतिशत की भारी वृद्धि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो केवल गन्ने के भाड़े में उक्त वृद्धि करने का क्या औचित्य है जबकि अन्य माल के भाड़े में केवल 2 से 7 प्रतिशत वृद्धि की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) अधिकांश मामलों में 1-4-1970 से माल भाड़े में 2 से लेकर 7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, लेकिन बहुत से मामलों में यह वृद्धि इससे अधिक है ।

(ख) यह सही है कि 1 अप्रैल, 1970 से पहले चीनी मिलों को बुक किये गये प्रायः कुल गन्ने की ढुलाई एकमुश्त मालडिब्बा दरों पर की जाती थी । ये दरें 1-4-1970 से वापस ले ली गयी । एकमुश्त मालडिब्बा दरों को रद्द करने के साथ माल भाड़े में विभिन्न रेलों पर विभिन्न वहन-दूरियों के लिए लगभग 7 से लेकर 43 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

(ग) 1-4-1970 से पहले लागू एकमुश्त माल भाड़ा दरें बहुत कम थी और उन्हें पर्याप्त रूप से बढ़ाना पड़ा । पर्याप्त रूप से बढ़ी हुई ये दरें भी ढुलाई का खर्च पूरा नहीं कर पाती । यही कारण है कि गन्ने पर भाड़े की दर में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गयी । यह भी उल्लेखनीय है कि भाड़े की दर में 7 प्रतिशत से अधिक वृद्धि केवल गन्ने पर ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य वस्तुओं पर भी की गयी है ।

Memorandum of Demands Submitted by the Confederation of Categorical Unions

287. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a meeting of the representatives of Categorical unions was held on 27th September last in which representatives from fifteen Unions had participated ;

(b) if so, whether it is also a fact that a confederation has been formed consisting of representative of different categorical unions in the said meeting ;

(c) if so, the reaction of Government thereto ;

(d) whether it is a fact that a memorandum of demands has been submitted to him on behalf of this confederation ; and

(e) if so, the details thereof and the reaction of the Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). It is understood that such a meeting was held and that a confederation has been formed.

(c) Since it is the policy of Government not to recognise category-wise Unions, Government will continue to deal with the two existing Federations enjoying negotiating facilities.

(d) and (e). It has not been possible to trace any memorandum of demands as having been received so far.

Strike by Employees of Carriage and Wagon Department, Eastern Railway

288. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees of the Carriage and Wagon Department of the Eastern Railway were on strike from the 29th August to 21st September, 1970 ;

(b) if so, the reasons therefor :

(c) the details regarding the loss suffered by the Railways as a result of the said strike ;

(d) whether any action has been taken against the striking employees ; and

(e) if so, the details with the justification therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes, from 29th August to 19th September, 1970.

(b) The strike followed the suspension of an employee of Danapur Division of the Railway.

(c) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Memorandum by North-Eastern Railway Mazdoor Sabha and North Eastern Railway Checking Staff

289. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway workers led by the North Eastern Railway Mazdoor Sabha staged a demonstration before the Deputy Railway Minister during his visit to Garhara on 1st October, 1970 ;

(b) if so, whether it is a fact that two separate memoranda were submitted to him on behalf of the North Eastern Railway Mazdoor Sabha and North Eastern Railway checking Staff ;

(c) if so, the main points thereof ; and

(d) the action taken or proposed to be taken by Government thereon and the time by which the action would be taken ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) and (b). A number of Railway employees belonging to various Unions including these two had gathered to meet the Deputy Minister for Railways, and presented their representations.

(c) The representations received from the North Eastern Railway Mazdoor Sabha and the North Eastern Railway Checking Staff Welfare Association contain certain demands

mostly of local in nature and also include issues relating to interim relief, pay structure and recognition of N. E. Railway Checking Staff Welfare Association.

(d) Action as necessary is being taken by the Railway Administration, in respect of matters within the purview of the local authorities.

In regard to the revision of pay structure, the Pay Commission, now set up by the Government will consider the same and no separate action is possible.

In regard to the recognition, it is not the policy of the Government to recognise category-wise Associations.

Abolition of Bihar Legislative Council

290. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have taken a final decision on the proposal of Bihar Legislative Assembly regarding the abolition of Bihar Legislative Council ;

(b) if so, the details of the decision taken ;

(c) if not, the time by which Government propose to take a decision in this regard ; and

(d) the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) to (d). The question of undertaking legislation for the abolition of the Bihar Legislative Council is under active consideration. A decision in the matter is likely to be taken shortly.

रेल गाड़ियों की गति में वृद्धि

291. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ गाड़ियों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन रेलगाड़ियों पर भीड़ कम करने में यह कहां तक सहायक होगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). अधिक तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने के सम्बन्ध में जांच और अध्ययन आदि के लिए अग्रता निर्धारित करने के सिवाय, गाड़ियों को वर्तमान अनुमत-रफ्तार बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये हैं। परीक्षण के रूप में, हवड़ा-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को रास्ते में यातायात के लिए कहीं भी न ठहरा कर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम अनुमत रफ्तार पर चलाया जा रहा है जबकि सामान्य रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययनों के आधार पर ही इस पायलट योजना को अन्य मार्गों पर लागू किया जा सकता है। इस समय पश्चिम रेलवे के रास्ते बम्बई दिल्ली मार्ग पर इस तरह का अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) सभी अतिरिक्त गाड़ियों की तरह अधिक रफ्तार वाली गाड़ियां भी, जहां चलायी जाती हैं वहां उनसे भीड़-भाड़ को कम करने में सहायता मिलती है।

रेल गाड़ियों के पुराने डिब्बों का बदला जाना

292. **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यात्री-गाड़ियों के बहुत से डिब्बे पुराने हो जाने के कारण प्रयोग में लाये जाने के योग्य नहीं रहे हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या ऐसे डिब्बों को गाड़ियों से अलग कर दिया गया है और इसी वजह से गाड़ियों में भीड़ बढ़ गई है ;

(ग) उनके स्थान पर नये डिब्बों की व्यवस्था के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उपयोग के अनुपयुक्त पुराने डिब्बों को बेचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यह सही नहीं है कि रेलवे के सवारी डिब्बे बड़ी संख्या में पुराने पड़ गये हैं। फिर भी, यह सही है कि लगभग 19 प्रतिशत सवारी डिब्बे उनकी निर्धारित अवधि के अनुसार गतायु हो चुके हैं। किन्तु वे उपयोग में आने लायक हैं इसलिए उन्हें सवारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) सवारी डिब्बों को केवल उनकी आयु और हालत के आधार पर सेवा से हटाया जाता है लेकिन रेलों को अपने उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत यात्री यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कुछ गतायु सवारी डिब्बों को उपयोग में लाना पढ़ता है। इसलिए, यह सही नहीं है कि गतायु सवारी डिब्बों को हटा लेने से गाड़ियों में भीड़-भाड़ बढ़ गयी है।

(ग) सवारी डिब्बों को उनकी आयु और हालत के आधार पर सेवा से हटा लिया जाता है और ऐसे सवारी डिब्बों की जगह चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार नये सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाती है।

(घ) जब पुराने सवारी डिब्बे अनुपयोगी घोषित कर दिये जाते हैं और उन्हें आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त समझा जाता है तब उन्हें सार्वजनिक नीलाम के जरिये बेच कर ठिकाने लगा दिया जाता है।

नये उद्योगों की स्थापना में सुविधाएं

293. **श्री वेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरुआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक ऐसा निर्णय किया है कि देश में बिना लाइसेंस के नये

उद्योगों की स्थापना के बारे में अधिकतम वित्तीय सीमा की शर्त आदि के संबंध में उदारता बरती जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या नए नियमों के अन्तर्गत नए उद्योग स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को भी कोई सुविधाएं दी जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकार ने फरवरी, 1970 में नई लाइसेंस नीति की घोषणा की है जिसमें अन्य पूंजी बातों सहित लाइसेंस के लिये छूट दी गई सीमा को (भूमि, भवन तथा मशीनों के रूप में स्थायी को) कुछ शर्तों के साथ 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। इस उदारीकरण सुविधा से बड़ी संख्या में नए उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजरे बिना ही उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलेगी। नए उद्यमियों को जानकारी देने के विचार से सरकार ने ऐसे 123 उद्योगों की एक सूची भी प्रकाशित की है जिनमें विनियोजना की गुंजाइश है। ऐसे मामलों में जहां लाइसेंसों का लिया जाना आवश्यक होगा वहां 5 करोड़ रुपये तक के विनियोजन पर लघु तथा माध्यम श्रेणी के उद्यमियों सहित नई पार्टियों को लाइसेंस देने में उदारता बर्ती जाएगी। किन्तु विदेशी मुद्रा का व्यय उसमें निहित नहीं होना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटर निर्माण संबंधित समिति का प्रतिवेदन

294. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री रा० बरूआ :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित स्कूटर परियोजनाओं के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में इस परियोजना की स्थापना की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का उपयुक्त डिजाइन और उनके निर्माण कार्यक्रम के संबंध में सरकार को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) रिपोर्ट के भाग 1 और 2 में उल्लिखित समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—4215/70]

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है और सरकारी क्षेत्र में परीक्षित विदेशी डिजाइन पर आधारित स्कूटरों का निर्माण करने के लिए एक कारखाना लगाने का निश्चय

किया गया है जिसकी वार्षिक क्षमता 1 लाख स्कूटर प्रतिवर्ष होगी। इस निर्णय के अनुसार विदेशी पार्टियों के परीक्षित डिजाइन के स्कूटर का निर्माण करने के सहयोग के प्रस्ताव 15 नवम्बर, 1970 तक मांगे गए हैं। इनकी प्रतिक्षा की जा रही है।

फतवाह रेलवे जंक्शन पर तूफान ऐक्सप्रैस का रूकना

295. **श्री सत्य नारायण सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी रेलवे के फतवाह जंक्शन पर तूफान ऐक्सप्रेस (7 अप/8 डाउन) को रोके जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांग को स्वीकार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जाएगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस मांग पर विचार किया गया है। फतुहा स्टेशन पर लम्बी दूरी के यात्रियों और अन्य यात्री-यातायात के स्तर के लिए वर्तमान गाड़ियों को पर्याप्त समझा जाता है, इसलिए 7 अप/8 डाउन तूफान एक्सप्रेस को भी इस स्टेशन पर ठहराने की व्यवस्था करने का औचित्य नहीं है।

पश्चिमी रेलवे की गाड़ियों में गुजरात से बम्बई तक तस्करी का सामान ले जाया जाना

296. **श्री स० कुन्दू :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी रेलवे की गाड़ियों में गुजरात से बम्बई तक बड़े पैमाने पर तस्करी का सामान ले जाया जाता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने रेलवे के कुछ बड़े अधिकारियों के नाम बताये हैं जिन पर उन्हें तस्करी की गति विधियों से सम्बद्ध होने का सन्देह है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच पड़ताल कराई गई है, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) यह सच नहीं है कि पश्चिमी रेलवे में बड़े पैमाने पर तस्करी का माल ढ़ोया जा रहा है। लेकिन, घड़ियों आदि विलास सामग्री की तस्करी के कुछ मामले ध्यान में आये हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

छोटी कार के निर्माण के लिए टाटा बन्धुओं को लाइसेंस का दिया जाना

297. **श्री स० कुन्दू :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटी कार के निर्माण के लिए टाटा बन्धुओं को लाइसेंस का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या टाटा-बन्धुओं ने छोटी कार के निर्माण के लिए आवेदन दिया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह आश्वासन सार्वजनिक रूप से किस आधार पर दिया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के रिक्त पद का भरा जाना

298. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का पद कब से रिक्त पड़ा है ;

(ख) उक्त रिक्त पद पर नई नियुक्ति करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि उक्त पद पर इन जातियों/आदिम जातियों के किसी ख्याति प्राप्त विद्वान-प्रशासक को नियुक्त किया जायेगा ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) यह पद 21 सितम्बर, 1970 के अपराह्न को खाली हो गया था ।

(ख) और (ग). अनेक नामों पर विचार किया जा रहा है । उपयुक्त व्यक्ति के चुने जाने पर नियुक्ति कर दी जाएगी ।

नजरबाग रेलवे स्टेशन से एक ही नम्बर के टिकटों का जारी किया जाना

299. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें शिकायत मिली है कि 10 अगस्त, 1970 को नजर बाग रेलवे स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) में जारी किये गये नजरबाग से मोर्वी के लिये दो यात्री टिकटों का एक ही नम्बर था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) क्या इसी प्रकार के और मामलों की सूचना रेलवे को प्राप्त हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). कोई शिकायत नहीं मिली है लेकिन जांच करने पर इस बात की पुष्टि हुई है कि 10-8-1970 को नजरबाग स्टेशन से मोर्वी के लिए एक ही

नम्बर की दो टिकटें जारी हुई थीं । इस गलती के कारणों का पता लगाने तथा जिम्मेदारी निर्धारित करने के उद्देश्य से, इस घटना की जांच का आदेश दिया जा रहा है ।

(घ) जी, हां ।

प्रिमियर औटोमोबाइल्स लिमिटेड बम्बई को वित्तीय सहायता

300. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ महीनों से प्रिमियर औटोमोबाइल्स लि०, बम्बई वित्तीय कठिनाई में है ;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी अगस्त और सितम्बर, 1970 के वेतनों की अदायगी नियत तिथि पर नहीं कर पाई ;

(ग) क्या कम्पनी ने वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता के लिए सरकार से प्रार्थना की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) प्रीमियर औटोमोबाइल्स लि०, बम्बई कुछ वित्तीय कठिनाइयों में है ऐसी सूचना है। इस सम्बन्ध में विवरण ज्ञात नहीं है । उसका सुनिश्चय किया जा रहा है ।

(ख) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ग) और (घ). कम्पनी अपने द्वारा निर्मित फीएट कार की कीमत बढ़ाने के बारे में निवेदन करती रही है । वस्तुतः यह कम्पनी तथा अन्य दो कार बनाने वाली कम्पनियों ने सितम्बर, 1969 में सर्वोच्च न्यायालय में तीनों कारों के अधिसूचित मूल्य की वैधता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की है । सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों पर तीनों कारों के उचित मूल्यों की सिफारिश के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है । आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, फीएट कार के मूल्य में वृद्धि करने के आवेदन पर आगे कार्यवाही की जायेगी ।

पूना रेलवे गुड्स यार्ड में गोली चलना

301. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 सितम्बर, 1970 को पूना के रेलवे गुड्स यार्ड में गोली चलाई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं । 6 सितम्बर, 1970 को पूना के रेलवे माल

यार्ड में कोई गोली नहीं चली। लेकिन 5 सितम्बर, 1970 की रात में पूना यार्ड में गोली चली थी।

(ख) 5-9-1970 को, लगभग 22.30 बजे करीब 5 आदमी पूना यार्ड में चोरी करने के लिए घुस आये। जब वे एक सवारी डिब्बे से सीसा अम्ल सेल निकाल रहे थे तो गश्त लगाते हुए एक सशस्त्र रक्षक ने उन्हें देख लिया। उसने उन्हें ललकारा जिस पर एक अपराधी ने उस पर छुरे से हमला कर दिया। अपनी जान आसन्न संकट में देखकर उस रक्षक ने आत्मरक्षार्थ गोली चलायी, जिसके फलस्वरूप एक अपराधी घटनास्थल पर मारा गया।

(ग) जी हां। पूना की सरकारी रेलवे पुलिस ने 6-9-1970 को भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अन्तर्गत इस अपराध को दर्ज कर लिया है और इसकी जांच हो रही है।

(घ) अभी इस मामले की जांच हो रही है।

लोको सहचर स्टाफ के आन्दोलन काल में अनुपस्थिति को छुट्टी माना जाना

302. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री को आश्वासन दिया था कि लोको सहचर स्टाफ की मई, 1970 के आन्दोलन में अनुपस्थिति को छुट्टी माना जायेगा ;

(ख) क्या उन्हें यह विश्वास भी दिलाया गया है कि उनकी मांगें दो महीने में स्वीकार कर ली जायेंगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मामले में उचित कार्यवाही की जा चुकी है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि जिन मांगों का संमंजन या समाधान स्थानीय रूप से नहीं किया जा सकता उन पर मान्यता-प्राप्त संघों के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी। लेकिन अन्य स्थानीय किस्म के प्रश्नों पर रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जायेगा।

(ग) ऐसी अधिकतर मांगों की जिनका संमंजन स्थानीय रूप से किया जा सकता है, रेल प्रशासन द्वारा जांच की गयी है और आवश्यक कार्यवाही की गयी है। सभी रेलों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित अधिकतर सामान्य मांगों पर मोटे तौर पर सरकार द्वारा नियुक्त तीसरे वेतन आयोग द्वारा विचार किया जायेगा, और काम-घण्टा विनियमों और रनिंग कर्मचारियों के वेतनमान में परिवर्तन से सम्बन्धित कुछ प्रश्न रेलवे श्रम अधिकरण को भेजे गये हैं जिनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

ड्रम तथा बैरल उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग

303. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री ड्रम तथा बैरल उद्योग की प्रतिष्ठापित क्षमता के उपयोग के बारे में 14 अप्रैल, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 995 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रम तथा बैरल उद्योग में प्रति दिन एक पारी के आधार पर लाइसेंसकृत क्षमता उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार लाइसेंस प्राप्त कारखानों को प्रतिदिन दो पारी के आधार पर इस्पात की चादरें आवंटित करने का है ;

(ग) क्या सरकार ने विस्तार करने तथा नई क्षमता के लिए लाइसेंस देने से पहले अप्रयुक्त पड़ी क्षमता के उपयोग करने पर विचार किया है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या ऐसे तेल शोधक कारखाने, जिनके पास अपने गढ़ाई संयंत्र नहीं हैं किन्तु जिन्हें तारकोल के ड्रमों की चादरों के आयात के लिए लाइसेंस मिलते हैं, उन चादरों को तारकोल के ड्रमों की मढ़ाई करने वाले कारखानों को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता के आधार पर वितरित करते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार का वक्तव्य कि गढ़ाई करने वालों की अपेक्षा उपभोक्ताओं को आयात लाइसेंस देने की नीति राष्ट्रीय हित में घातक नहीं हैं, का आधार है जब तक कि उपभोक्ताओं को दृढ़ अनुदेश नहीं दिये जाते कि कच्चे माल को लाइसेंस प्राप्त सभी कारखानों को यथानुपात वितरित किया जाए ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ङ). 18 अगस्त, 1970 तारांकित प्रश्न सं० 479 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

यात्री मोटर गाड़ियों का मूल्य निर्धारित करने के लिए आयोग का प्रतिवेदन

304. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्री मोटर गाड़ियों के मूल्यों का औचित्य निश्चित करने के लिए श्री सरजू प्रसाद के सभापतित्व में गठित समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मूल्य सिफारिशें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में टाइटेनियम डायोक्साइड संयंत्र का लगाया जाना

305. **श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में निजी क्षेत्र में टाइटेनियम डायोक्साइड संयंत्र लगाने के लिए कोई लाइसेंस दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाना किस जगह और कब तक स्थापित हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : इस राज्य में टिटेनियम डायोक्साईड का निर्माण करने के लिए एक गैर-सरकारी पार्टी को जून, 1970 में एक आशय पत्र जारी किया गया था।

(ख) चूंकि टिटेनियम डायोक्साइड निर्माण करने की प्रक्रिया अत्यन्त जटिल है अतः इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी सीमा को निर्धारित नहीं किया जा सकता। तथापि पार्टी को जारी किये गये आशय पत्र की वैधता जारी किये जाने की तिथि से 6 मास तक है। इस अवधि में पार्टी (1) पूंजीगत वस्तु के लिए तथा (2) विदेशी सहयोग यदि कोई हो तो आवेदन प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तावित एकक उड़ीसा राज्य के संभलपुर स्थान पर स्थापित किया जाना है।

भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं का संवर्धन

307. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश में विशेषतः सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में विदेशी परामर्शदाताओं एवं उपकरणों के प्रति भारी झुकाव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस झुकाव को समाप्त करने तथा भारतीय परामर्शदात्री सेवाओं को अन्य विकासशील देशों में निर्यात करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) देश में औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक अवस्थाओं में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना के लिये विदेशी परामर्श तथा उपकरणों के आयात का सहारा लेना पड़ता है। तथापि तकनीकी परामर्श दात्री तथा इन्जीनियरी सेवाओं के देश में ही विकास और उपकरणों की निर्माण क्षमता के विकसित हो जाने से अब देशीय तकनीकी परामर्श-दात्री सेवाओं तथा संयंत्र और मशीनों का अधिक आश्रय दिया जा रहा है।

(ख) सरकार ने देश के तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उद्‌मियों के मन में देशीय परामर्शदात्री सेवाओं के प्रति विश्वास उत्पन्न करने के लिये कुछ अभ्युपाय किये हैं। देश में उपलब्ध परामर्शदात्री सेवाओं के पूर्ण प्रयोग को सुनिश्चित करने के हेतु विदेशी परामर्श के आयात की अनुमति केवल उन्हीं क्षेत्रों को दी जाती है जिनमें देशीय परामर्शदात्री सेवायें उपलब्ध नहीं हैं। जहां भारतीय परामर्श के साथ-साथ विदेशी परामर्शदात्री सेवाएं आवश्यक हों वहां यह विधान कर दिया गया है कि इन परियोजनाओं में भारतीय परामर्श दाताओं को भी साथ में रखा जाये। देश में तकनीकी सेवाओं की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश में चल रही सभी परामर्शदात्री इंजीनियरी फर्मों को परामर्श दिया गया है कि वह अपना नाम औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के पास अपने नाम लिखवायें। भारतीय परामर्शदात्री फर्मों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रश्न पर भी सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस दिशा में उठाये गये पदों में एक पग भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 में हाल ही में जोड़ा गया उपबन्ध है जिसमें तकनीकी जानकारी प्रदान करने

वाली तथा तकनीकी सेवायें उपलब्ध करने वाली फर्मों की उस आय पर जो कर लगाये जाने योग्य हैं की गणना करते समय उन्हें रायल्टी, तकनीकी सेवाओं की फीस तथा कमीशन (किन्तु लाभ नहीं) आदि के रूप में प्राप्त होने वाली आय पर 40 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

परामर्शदात्री तथा इन्जीनियरी सेवाओं की देश में उद्भव बिल्कुल नया है और यह मुख्यतः आयात प्रति स्थापनोन्मुख है। तथापि ऐसी सेवाओं के विकास शील देशों को यथा सम्भव सीमा तक निर्यात करने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय परामर्शदात्री फर्मों को परामर्श दिया गया है कि वह अपने नाम अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास पंत्रीकृत करायें ताकि इन राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा काम का आवन्दन करते समय इनका ब्यौरा उन संस्थाओं के पास उपलब्ध हो। इन परामर्शदात्री इंजीनियरी फर्मों को परामर्शदात्री सेवाओं के निर्यात से प्राप्त होने वाली आय पर भी करों की कुछ रियायतें दी गई हैं।

योजना आयोग द्वारा तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं सम्बन्धी स्थापित की गई समिति ने सरकार को हाल ही में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में भारतीय तकनीकी परामर्शदात्री सेवाओं के विकास तथा उपयोग और इन सेवाओं के निर्यात सम्बन्धी विभिन्न सिफारिशे की हैं। शिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

टेलीफोन के केबलों का निर्माण करने के लिए नये कारखाने

309. **श्री एस० एम० कृष्ण :**

श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन के केबलों की कमी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार 1970-71 में देश में केबल बनाने के कारखाने स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों की स्थापना कहां पर होगी तथा इनकी वार्षिक निर्माण क्षमता क्या होगी ; और

(घ) प्रत्येक कारखाने पर कितना धन व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केरल सरकार के उपक्रम में ट्रैको केबल कम्पनी एरणाकुलम को अपनी एरणाकुलम केरल, स्थित वर्तमान फैक्टरी में 100 किलो मीटर की वार्षिक क्षमता तक टैली कम्युनिकेशन केबल बनाने के लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है। रूपनारायणपुर स्थित मे० हिन्दुस्तान केबल लि० इस समय अपनी 3200 किलो मीटर ड्राई कोर टेली कम्यूनिकेशन केबलों की क्षमता को 4800 किलो मीटर प्रति वर्ष तक बढ़ा रहे हैं। हिन्दुस्तान केबल्स लि० हैदराबाद

(आन्ध्र प्रदेश) के अधीन 5000 किलो मीटर की वार्षिक क्षमता वाली एक अन्य केबल फैक्टरी स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) मे० ट्रैको केबल कम्पनी लि० का प्रस्तावित पूंजी विनियोजन 1 करोड़ रुपया है। रूपनारायणपुर स्थित कम्पनी में ड्राईकोर क्षमता के विस्तार के लिए प्रस्तावित पूंजी विनियोजन करीब 4.77 करोड़ रुपए है तथा द्वितीय प्रस्तावित केबल फैक्टरी के लिए प्रस्तावित पूंजी विनियोजन 5.25 करोड़ रुपये का है।

इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में लूथर आयोग का प्रतिवेदन

310. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात के वितरण के संबन्ध में लूथर आयोग का प्रतिवेदन सरकार को इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग की क्या सिफारिशें हैं ;

(ग) क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). सरकार ने इस्पात के वितरण के लिए कोई आयोग नियुक्त नहीं किया था। विभागीय अधिकारियों के एक दल को इस्पात की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये कहा गया था जिससे मंत्रालय इस प्रणाली में संशोधन यदि कोई आवश्यक हो तो करने के बारे में निश्चय कर सके। चूंकि यह एक विभागीय दल था और इसमें बाहर का कोई सदस्य नहीं था। इसलिये विवरण को सभा पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा गया। रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने लोहे तथा इस्पात के आयोजन तथा आवंटन की प्रणाली में परिवर्तन की घोषणा 22 मई 1970 के संकल्प में ही कर दी थी, जो उस तारीख के भारत सरकार के असाधारण राजपत्र के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित की गई थी।

माल डिब्बे बनाने वालों के प्रतिनिधिमंडल की रेलवे बोर्ड से भेंट

311. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल डिब्बे बनाने वालों के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल सितम्बर, 1970 के तीसरे सप्ताह में रेलवे बोर्ड से मिला था ;

(ख) प्रतिनिधि मंडल की मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त मांगों को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड के साथ अपनी बैठक के समय माल डिब्बा निर्माताओं के प्रतिनिधि-मंडल ने निम्नलिखित अनुरोध किए :

(i) इस्पात की विदेशी सप्लाई कठिन होने के कारण, रेलवे बोर्ड को चाहिए कि वह माल डिब्बा निर्माण के लिए इस्पात के स्वदेशी उत्पादन में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए इस्पात का आयात करें।

(ii) 'सी आर' टाइप के माल डिब्बों का मूल्य अलाभप्रद है, इसमें संशोधन होना चाहिए।

(ग) जहां तक इस्पात के आयात का प्रश्न है, उन्हें बताया गया था कि यथासंभव स्वदेशी सप्लाई में होने वाली कमी को आयात से पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने कार्यवाही की है, बशर्ते विदेशी मुद्रा आदि उपलब्ध हो। इसके अलावा सरकार ने हाल में एक नीति की घोषणा की हैं जिससे सभी उपभोक्ताओं को पिछले वर्ष की अपनी खपत के 50 प्रतिशत तक इस्पात आयात करने की अनुमति होगी। माल डिब्बा निर्माताओं को सूचित किया गया था कि चालू स्टाक के रूप में अपने लिए जरूरी इस्पात का आयात करने की इस नीति का लाभ उठाना उन्हीं पर निर्भर करता है। 'सी आर' टाइप के माल डिब्बों के मूल्य में संशोधन से सम्बन्धित उनके अनुरोध के सम्बन्ध में उन्हें सूचित किया गया था कि संशोधन के लिए सहमत होना सम्भव नहीं है।

(घ) 'सी आर' टाइप के माल डिब्बों का मूल्य निर्धारित करते समय माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा पिछली बार स्वीकृत मूल्य और तब से मजदूरी, इस्पात और प्रमुख पुर्जों की लागत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखा गया था और इसलिए इस मूल्य को उचित समझा गया।

कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के लिए रूसी विशेषज्ञों का परामर्श

312. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ट्यूब टाइप रेलवे स्थापित करने की सम्भावनाओं पर परामर्श देने के लिए कुछ रूसी विशेषज्ञ कलकत्ता आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने विशेष रूप से क्या सिफारिश की है और परियोजना पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) उनके परामर्श को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). कलकत्ता में ट्यूब रेलवे की व्यवस्था की संभावना के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए कोई रूसी विशेषज्ञ कलकत्ता नहीं आया है। महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं, जिनमें कलकत्ता के लिए व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली भी शामिल है, के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह देने के लिए, नवम्बर, 1970 के मध्य से पहले, पांच रूसी विशेषज्ञों

की एक टीम के कलकत्ता आने का कार्यक्रम है जिसमें एक तकनीकी सचिव भी होगा। व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली में भूगत और/अथवा उत्थापित संरचना पर महानगर रेलवे लाइन होगी।

रूसी विशेषज्ञों की टीम भारत में दो महीने तक रहेगी। कलकत्ता महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर वे तकनीकी सलाह देंगे। वे काम के दायरे और विस्तार का अध्ययन करेंगे। और भारतीय शिल्प विज्ञानियों के साथ वे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि निम्न-लिखित के सम्बन्ध में आगे किस हद तक तकनीकी सहायता अपेक्षित होगी :

(i) कलकत्ता में व्यापक द्रुत पारवहन प्रणाली के लिए सर्वेक्षण, जांच-पड़ताल अभि-कल्प, परियोजना रिपोर्ट और अनुमान तैयार करने के सम्बन्ध में।

( ) उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन परियोजना के कुछ तकनीकी पहलुओं पर कार्रवाई।

(iii) इस निर्णय पर पहुँचने के लिए कि इन दो परियोजनाओं के निर्माण में किसे प्राथमिकता दी जाये, उपनगरीय डिस्पर्सल लाइन परियोजना तथा व्यापक द्रुत प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन।

छपाई की मशीनों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता

313. श्री हिम्मतसिंहका : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छपाई की मशीनों के विभिन्न मदों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता प्रदान करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मद के लिये कितनी अतिरिक्त क्षमता प्रदान की जायेगी ;

(ग) क्या इस उद्देश्य हेतु प्रस्ताव मंगाये गये हैं ; और यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) आशय-पत्र के ब्यौरे क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) मशीन उद्योग के योजना आयोग के कार्यकारी दल ने मुद्रण मशीनों की विभिन्न वस्तुओं की 1973-74 तक वार्षिक मांग 17 करोड़ रु० आंकी है। जबकि मुद्रण मशीनों की गैर सरकारी क्षेत्र में वर्तमान स्वीकृत क्षमता 320 लाख रुपये प्रति वर्ष है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र 462 लाख रुपये तथा गैर सरकारी क्षेत्र में 8 लाख रुपये की क्षमता स्थापित करने के प्रस्ताव हाल ही में स्वीकृत किये जा चुके हैं। अतिरिक्त क्षमता जिसे अभी स्थापित किया जाना है 900 लाख रुपये प्रति वर्ष की है।

(ग) 20 सितम्बर, 1970 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संभावित उद्यमियों से मुद्रण मशीनों की क्षमता स्थापित करने के लिए आवेदन मांगे गये थे। प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में निजी क्षेत्र की कम्पनियों से कई आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और वे अभी विचाराधीन हैं।

(घ) अनिर्णीत प्रस्तावों की जांच के उपरांत ऐसे प्रस्तावकों को आशय पत्र जारी किये जायेंगे जिनके प्रस्ताव सभी प्रकार से संतोषजनक पाये जायेंगे ।

इस्पात की मांग और पूर्ति

314. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ते हुए अन्तर को दूर करने के लिए सरकार ने, विशेषकर बेकार क्षमता का, जो हाल के कुछ वर्षों में अन्य उन्नत देशों के औसत 10 प्रतिशत की तुलना में अपने देश में 29 प्रतिशत रही है, अधिकतम उपयोग करके, एक दीर्घ कालीन नई इस्पात नीति बनाई है ;

(ख) क्या सरकार ने देश में इस अधिष्ठापित क्षमता के कम उपयोग के कारणों का अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चतुर्थ योजना के इस्पात विकास कार्यक्रम में 9 मिलियन टन इस्पात पिन्ड की वर्तमान क्षमता को पंचम योजना काल के अन्त तक नीचे दिये गये कार्यक्रम के अनुसार 19 मिलियन टन तक बढ़ाने का काम शामिल है :

(अ) वर्तमान क्षमता :	9 मि० टन
(ब) अतिरिक्त क्षमता :	
भिलाई के तीसरे चरण का	1.7 मि० टन
विस्तार बोकारो के प्रथम और द्वितीय चरण	4.0 ,,
इस्को का विस्तार	0.3 ,,
नये इस्पात कारखानों की अतिरिक्त क्षमता	4.0 ,,
	19.0 मि० टन

इसके अतिरिक्त संलेष्ट में विशेष इस्पात के उत्पादन हेतु एक कारखाना लगाने का भी निर्णय किया गया है ।

(ख) और (ग). तकनीकी कारणों तथा कारखानों में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति के कारण इस्पात कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता पर उत्पादन नहीं कर सके हैं । सरकार को इन कारणों का पता है और औद्योगिक संबंध को सुधारने तथा तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं ताकि निर्धारित क्षमता प्राप्त की जा सके ।

छोटी कार के निर्माण के लिए मैसर्स जेटर (इंडिया) लि० का प्रस्ताव

315. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की एक फर्म जैटर (इण्डिया) लि० ने अपनी वृहद् योजना के अन्तर्गत उत्पादन की पहली अवधि में 8,000 छोटी कारों के उत्पादन का प्रस्ताव किया है जिनकी संख्या 1973 तक 50,000 तक बढ़ा दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की ठीक-ठीक शर्तें क्या हैं ; और

(ग) क्या फर्म को आशय पत्र जारी कर दिया गया है अथवा किया जा रहा है, यदि नहीं, तो ्सके कारण क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) मै० हिन्दुस्तान आटो प्राडक्ट्स नई दिल्ली जिसका नाम अब बदल कर मै० जेटर इण्डिया हो गया है से आस्ट्रेलिया के मै० लाइट बर्न्स के सहयोग से एक सवारी कार बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्ति हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह पेशकश जेटा कार के निर्माण के लिए भी जिसके लिए 12,000 कार प्रतिवर्ष की क्षमता का एक संयंत्र मैसर्स लाइटबर्न्स द्वारा भारतीय कम्पनी को भेंट किया जाना था और उन्हें केवल तकनीकी परामर्श की फीस दी जानी थी ।

(ग) इस आवेदन पर गैर सरकारी क्षेत्र की अन्य पार्टियों से प्राप्त इसी प्रकार के आवेदनों पर विचार भारत सरकार के इस निर्णय के प्रकाश में किया गया था कि आशय पत्र गैर सरकारी क्षेत्र की उन पार्टियों को जारी किया जायेगा जो कि कारों को पूर्णरूपेण देशीय नमूने की तथा विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत वस्तुओं, पुर्जों या कच्चे माल के आयात पर विदेशी मुद्रा के व्यय के बिना कारों का निर्माण करने को तैयार हों । चूंकि यह योजना एक विदेशी नमूने पर आधारित है तथा इसमें विदेशी सहयोग निहित है और इसमें विदेशी मुद्रा का व्यय भी है अतः इस आवेदन को रद्द करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय कार निर्माणकर्त्ताओं द्वारा कार का नया माडल बनाया जाना

316. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या औद्योगिक विकास तथा आँतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी भारतीय कार निर्माणकर्त्ता द्वारा नये माडल अथवा सुधरे हुए माडल की कार बनाने के प्रस्ताव रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ग). मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स ने पश्चिमी जर्मनी की फर्म जरनल मोटर ओपेल लोटे जो कि अमरीका की जरनल मोटर कारपोरेशन की एक अधीनस्थ कम्पनी है के सहयोग से ओपेल केडेट नामक नयी सवारी कार बनाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

कलकत्ता-कालका मेल के लिए चण्डीगढ़ को टर्मिनस स्टेशन बनाना

317. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता-कालका मेल के लिए चंडीगढ़ को टर्मिनस स्टेशन बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

अम्बाला और कालका के बीच रेल किराये में कमी करना

318. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अम्बाला और कालका के बीच रेल के किराये में कमी करने पर विचार कर रही है, ताकि उनको अन्य क्षेत्रों के किराये के स्तर पर लाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

लुधियाना-चंडीगढ़ रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

319. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने लुधियाना-चंडीगढ़ रेलवे लाइन के सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित धन में अपना हिस्सा दे दिया है ; और

(ख) क्या सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है, और यदि हां तो कब तक इसके पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सर्वेक्षण कार्य लगभग एक वर्ष में पूरा हो जायेगा।

लुधियाना से चंडीगढ़ तक नई रेलवे लाइन के लिए भूमि

320. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विभाग को इस बात का ध्यान है कि यदि लुधियाना से चंडीगढ़ तक नई रेलवे लाइन बनाने का कार्य आरम्भ किया जाये तो इस कार्य के लिए चंडीगढ़ में पर्याप्त भूमि उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि निश्चित की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). चंडीगढ़ के रास्ते जगाधरी तक रेलवे लाइन के मार्ग निश्चित करने के लिए अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण पंजाब, हरियाणा और केन्द्र शासित क्षेत्र सरकारों की लागत पर शुरू कर दिया गया है। अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण में रेलवे लाइन के लिए जो जमीन निश्चित की गई है, राज्य सरकारें उसे प्रतिवाधित कर लेना चाहती हैं।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात पिघलाने वाली शाप में तालाबन्दी

321. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अधिकारियों ने 27 सितम्बर, 1970 को कारखाने की इस्पात पिघलाने वाली 'शाप' के आपरेशन, मैकेनीकल तथा इलैक्ट्रिकल मेंटिनेंस विभागों में तालाबन्दी की घोषणा की, जिसमें 1,355 कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) तालाबन्दी को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). जी, हां। फरनेस स्टेज के मजदूरों ने 26-9-1970 को आकस्मिक हड़ताल कर दी थी। 27-9-1970 को प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिकारियों पर किए गए कार्यालय के सामान और अभिलेखों को आग लगा दी गई। चूंकि सामान्य रूप से काम करना असम्भव था, महत्वपूर्ण संयंत्रों तथा उपकरणों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था और वफादार मजदूरों और अधिकारियों की जानें खतर में थीं, इसलिए प्रबन्धक वर्ग को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। 20-10-1970 को तालाबन्दी हटा दी गई परन्तु मजदूर काम पर नहीं आए। राज्य के श्रम-आयुक्त के समक्ष समझौता वार्ता तथा प्रबन्धक वर्ग और श्रमिक वर्ग में समझौते के फलस्वरूप 31-10-1970 को मजदूर काम पर वापस आ गए।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में हड़ताल

322. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत अगस्त मास के दौरान दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र में हुई हड़ताल के क्या कारण थे और यह कितनी अवधि तक चली ;

(ख) इस अवधि में सन्यन्त्र को कितना घाटा हुआ तथा मजदूरों को कितनी राशि की मजदूरी का घाटा हुआ ; और

(ग) किन हालातों में हड़ताली संघों ने इसे वापिस लिया ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ग). दुर्गापुर मजदूर संघ समन्वय समिति ने दुर्गापुर के समस्त कारखाने में 12 अगस्त 1970 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने का आवाहन किया था। यह हड़ताल दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबंधकवर्ग के साथ हुए किसी औद्योगिक विवाद से संम्बद्ध नहीं थी बल्कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के दुर्गापुर से हटाए जाने, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की योजना के कार्यान्वित किये जाने स्थानीय दंडनायक द्वारा दंड संहिता की धारा 144 के अधीन जारी की गई निषेधाज्ञा को हटाने और राज्य सरकार द्वारा मजदूर संघों के नेताओं की गिरफ्तारी जैसी सामान्य बातों को लेकर की गई थी। हड़ताल के लिए कारखाने के अधिकारियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया था जैसा कि कानून आवश्यक है। अतः हड़ताल गैर कानूनी थी। हड़ताल 22 अगस्त 1970 को समाप्त कर दी गई। अनुमान है कि यूनियनों ने हड़ताल इसलिए खत्म की क्योंकि उन्होंने देखा कि दिन प्रति दिन अधिक मजदूर काम पर वापस लौट रहे थे और हड़ताल असफल होती जा रही थी।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० का अनुमान है कि उक्त अवधि में विक्रेय वस्तुओं का उत्पादन न हो सकने के कारण लगभग 1.93 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और इस अवधि में मजदूरों को लगभग 14 लाख रुपये के वेतन का घाटा हुआ है।

नयी यात्री रेल गाड़ियों का चलाया जाना

323. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नई यात्री गाड़ियां चलाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रेल गाड़ियों में भारी भीड़ भाड़ को कम करने में यह कार्य कहां तक सहायक होगा ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). हर साल सर्दी और गर्मी में समय-सारणी में संशोधन करते समय कुछ नयी गाड़ियां चलायी जाती हैं और कुछ वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पर 1-10-70 से लागू होने वाली समय सारणी में 27 अनुपनगरीय और 2ͅ उपनगरीय गाड़ियां अर्थात् 53 नयी गाड़ियां चलायी गयी और 8 अनुपनगरीय और 8 उपनगरीय गाड़ियों अर्थात् 16 वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया गया। अप्रैल, 1971 की समय सारणी के लिए अभी प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) जहां नयी गाड़ियां चलायी जाती हैं अथवा वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाया जाता है वहाँ उन खण्डों पर भीड़-भाड़ कम करने में भी मदद मिलती है।

Measures Adopted to Reduce the Expenditure

325. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Railways be pleased to state :**

(a) whether any remedial measures have been adopted to reduce the excess expenditure as pointed out recently in the Appropriation Accounts (Railways), 1968-69 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefore ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) The excess expenditure mentioned below, which featured in the Appropriation Accounts (Railways) 1968-69 has been examined by the Public Accounts Committee who in their 123rd Report (4th Lok Sabha) presented to Parliament on 13-8-70, have recommended that the excess be regularised in the manner prescribed in article 115 of the Constitution of India.

	Rs.
Grant No. 4-Administration (Charged)	120
Grant No. 10-Staff Welfare (Charged)	179
Grant No. 16-Pensionary Charges-Pension Fund (Voted)	10,87,651

2. The excess demands in this connection were presented in the previous session of the Parliament on 31-8-70 and are expected to be taken up for regularisation in the current session.

(b) and (c). Instructions already exist for concurrent review of expenditure *vis-a-vis* the budget allottment through August Review, Revised Estimates and Final Modifications and the Ministry of Railways are always alive to the requirement of avoiding excess over the sanctioned funds and every care is taken to assess the expenditure under each grant as realistically as possible and to take supplementary grants, where necessary, so that excess are obviated as far as possible.

Survey of Eastern Districts of Uttar Pradesh for Industrial Development

326. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether Government propose to conduct a survey in the most backward districts of Eastern Uttar Pradesh for bringing about industrial development *i.e.* for setting up (i) industries for which raw material can be made available locally ; (ii) industries whose products are in great demand in that area and outside ; and (iii) ancillary or feeder industries to big industries of the areas ;

(b) if so, by what time such a survey would be made ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). The State Government of U. P. have organised surveys of certain backward districts of U. P. A techno-economic survey of eight districts has also been conducted by the National Industrial Development Corporation, New Delhi and a survey of 15 other districts has been conducted by the Small Industries Service Institute, Kanpur in collaboration with the Directorate of Industries of U. P. Government.

पेरूमल समिति की टिप्पणी तथा ग्यारह सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

327. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या रेलवे मन्त्री 27 अगस्त, 1970 को अपने मंत्रालय की अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में यह बताने की

कृपा करेंगे कि (एक) रेलवे सेवाओं के बारे में पेरूमल समिति की टिप्पणी ; (दो) ग्यारह सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के बारे में समाचार-पत्रों में प्रकाशित कुछ समाचार ; और (तीन) कुछ प्रश्नों के उत्तर यह दिये जाने की जानकारी एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा, बातों के बारे में लिखित जानकारी भेजने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (i) पेरूमल समिति की रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई के सम्बन्ध में, माननीय संसद सदस्य को लिखित उतर भेजा जा चुका है ।

(ii) ग्यारह-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में 27-8-70 को लोक सभा में स्थिति स्पष्ट रूप से बता दी गयी थी । अतः इस सम्बन्ध में लिखित उत्तर भेजना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(iii) "अधिक अन्न उपजाओ" योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे पर खेती के लिए 26,612 एकड़ भूमि विभिन्न व्यक्तियों को लाइसेंस पर दी गयी है । इसमें से 14,483 एकड़ भूमि लाइसेंस पर देने के लिए राज्य सरकार को सौंपी गयी है, जबकि बाकी भूमि का लाइसेंस रेलवे द्वारा सीधे दिया गया है । जिन लोगों को भूमि लाइसेंस पर दी गयी है उनके नाम—पते आदि सम्बन्धी सूचना इकट्ठी करना व्यावहारिक रूप में सम्भव नहीं है, क्योंकि इसमें काफी श्रम और समय लगेगा जो सम्भवतः उससे मिलने वाले नतीजे के अनुरूप नहीं होगा । फिर भी माननीय सदस्य की जिस विशेष क्षेत्र या स्टेशन में दिलचस्पी होगी उसके बारे में सूचना दी जायेगी ।

Steel for Small Scale Industries

328. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to refer to the reply given to starred question No. 456 on the 18th August, 1970 regarding steel for small scale industries and state :

(a) whether the information asked for in a supplementary to part (c) of the question has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). Yes, Sir, Import of G. P., G. C. and B. P. sheets from Japan from 1964-65 had been as below. The imports were mainly against licenses issued to Actual users and Registered Exporters.

(In tonnes)

	G. P. sheets	G. C. Sheets	B. P. Sheets
1964-65	2·344	707	12035
1965-66	11874	304	21426
1966-67	3960	521	8282
1967-68	12098	265	13442
1968-69	9275	153	16647
1969-70	6642	4	16571

(c) Does not arise.

Development of Backward Districts in States

329. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Industrial Development and Internal** Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has selected 78 backward districts in 14 States for development programmes as reported in the Hindi Hindustan, dated the 26th September, 1970 ;

(b) if so, the basis on which the selection of backward districts has been made by the Commission ; and

(c) the full details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). A statement is attached.

STATEMENT

Subsequent to the Press release regarding the list of 78 selected backward districts, 15 more backward districts have since been selected to qualify for concessions from the financial institutions.

The question of evolving criteria for selection of industrially backward districts was considered by the Planning Commission in consultation with the financial institutions and the State Government were addressed to furnish a list of industrially backward districts of their respective States.

The State Governments were advised that the following criteria may be adopted as guidelines for selection of industrially backward districts. They were also advised that only those districts with indices well below the State average may be selected for suitable incentives from financial institutions.

(i) Per capita foodgrains/commercial crops production depending on whether the district is predominently a producer of foodgrains/cash crops. (For inter-district comparisons conversion rates between foodgrains and commercial crops may be determined by the State Government on a pre-determined basis where necessary).

(ii) Ratio of population to agricultural workers.

(iii) Per capita industrial output (gross).

(iv) Number of factory employees per lakh of population or alternatively number of persons engaged in secondary and tertiary activities per lakh of population.

(v) Per capita consumption of electricity.

(vi) Length of surfaced roads in relation to population or railway mileage in relation to population.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में लाभांश योजना

330. **श्री भगवान दास** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में 1963 से उत्पादन आरम्भ होने पर लाभांश योजना लागू नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो लाभांश योजना लागू न करने के क्या कारण है ; और

(ग) उनको लागू करने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 16 के मुताबिक नये उद्योगों को उत्पादन की बिक्री शुरू करने की तारीख से 6 वर्ष तक के लिए, बशर्ते इस अवधि में किसी वर्ष कंपनी ने लाभ न कमाया हो, बोनस से छूट है। बोनस से 6 साल की छुट्टी की यह सुविधा सरकारी क्षेत्र के अप्रतिस्पर्धी उपक्रमों को भी प्रदान की गई है। कम्पनी के जांचे हुए आंकड़ों के अनुसार भारी इंजीनियरी निगम ने सर्वप्रथम 1964-65 में अपने माल की बिक्री प्रारम्भ की थी। चूंकि भारी इंजीनियरी निगम को कोई लाभ नहीं हुआ अतः बोनस की छुट्टी 1969-70 तक चलती रही। 1970-71 के लिये लाभांश देय है जो 1971-72 में दिया जायेगा।

Earnings from Bhopal Railway Station

331. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state the revenue earned by Government from passenger traffic and goods traffic separately from Bhopal Railway Station in Madhya Pradesh during the financial year 1969-70 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The revenue earned by the Railway from passenger and goods traffic at Bhopal Railway Station in 1969-70 was as below :—

	Rs.
Passenger :	85,43,994/-
Goods :	39,03,786/-

Revenue Earned from Indore and Ujjain Railway Stations

332. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the revenue earned by Government from passenger traffic and goods traffic separately from Indore and Ujjain Railway stations in Madhya Pradesh during the financial year 1969-70 ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House as early as possible.

Revenue Earned from Railway Stations in Madhya Pradesh

333. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total revenue earned by Government from all the Railway stations in Madhya Pradesh during the financial year 1969-70 ;

(b) the revenue earned by Government from passenger and goods traffic separately ; and

(c) the total amount spent by Government on the Railway station in Madhya Pradesh during the aforesaid period for providing amenities to the passengers ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (c). Railway earnings and expenditure are maintained gauge-wise for each zonal railway and not State-wise. The particulars asked for are, therefore, not available.

Incidents of Chain Pulling on Western Railway

334. **Shri Hukam Chand Kachwal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the total number of incidents of chain pulling on the Western Railway during the last five months ;

(b) the total period in terms of hours for which the trains were detained due to such chain pulling ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check the growing number of incidents of chain pulling on the Indian Railways ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) There were 3330 cases of Alarm Chain pulling on the Western Railway during the five months from April, 1970 to August, 1970.

(b) 340 hours 37 minutes.

(c) Besides educative compaigns through posters, cinema slides, lectures in schools and colleges and announcements over the Public Adress System, surprise checks are conducted by the Anti-Alarm chain pulling squads which include TTEs and R. P. F. personnel. In addition, the assistance of voluntary organisations is utilised to educate the public. Cash awards are also given to persons who help in apprehending the culprits.

Broad Gauge Rail Line between Indore and Mhow

335. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received proposals that Indore and Mhow should be linked by broad gauge railway line ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) Yes.

(b) Due to lack of adequate traffic and financial justification the proposal for providing a broad gauge line between Indore and Mhow is not being considered at present.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को बन्द किये जाने के बारे में कथित निर्णय

336. **श्री जे० अहमद** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ढलाई विभाग में तालाबन्दी से सम्बन्धित समझौता वार्ता के विफल होने पर संपूर्ण दुर्गापुर संयंत्र को बन्द करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). समझौता वार्ता विफल नहीं हुई थी यद्यपि सर्वसम्मत समझौता होने में समय लगा। दुर्गापुर के कारखाने को बन्द नहीं किया गया था, केवल इस्पात पिघलाने के कारखाने में 26-9-70 से लेकर 20-10-70 तक तालाबन्दी की गई थी। 31-10-70 को कर्मचारी काम पर वापस लौट आये।

छोटी कार के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी करना

337. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के एक पुत्र ने छोटी कार बनाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में जनता में कोई असंतोष है ; और

(घ) यदि हां, तो जनता को यह बताने के लिये कि निर्णय करते समय सरकारी नीति का दृढता से तथा पक्षपात रहित ढंग से पालन किया गया है, क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) श्री संजय गांधी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन देशी डिजाइनों पर आधारित यात्री कारों को बनाने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है :

1. विदेशी सहयोग तथा विदेश परामर्श व्यवस्था की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. पूंजीगत माल के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. कच्चे माल और पुर्जों के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी सिवाय ऐसे मामलों के जहां देश में सामान्यतः उपलब्ध कच्चे सामान के संभरण में अस्थाई कमी हो गई हो तो उस समय पर प्रचलित आयात नीति के अनुसार आयात किया जा सकता है।
4. आशय पत्र को लाइसेंस में परिणत किए जाने से पूर्व आद्यरूप विकसित किया जाएगा तथा सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्राधिकरण द्वारा सड़क पर चलने योग्य बनाने के लिए परीक्षित तथा अनुमोदित कराया जाएगा।

(ग) सरकार को जनता के किसी असन्तोष के बारे में जानकारी नहीं है।

(घ) 10 अगस्त, 1970 को लोक सभा में दिए गए औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री के वक्तव्य में यह कहा गया था कि सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र में ऐसी पार्टियों को आशय पत्र जारी करने का निश्चय किया है जो सम्पूर्णतः देशी डिजाइन पर आधारित कार बनाने को तैयार हों तथा विदेशी मुद्रा का आयात अथवा आवंटन करना नहीं चाहेंगे। चूंकि श्री संजय गांधी तथा श्री मदन मोहन राव को कार चलाने के लिए आशय-पत्र इन नीति निर्णयों के पूर्ण अनुसरण में जारी किए गए है, अतः ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जनता को सरकार के निर्णय को स्पष्ट करने के लिए किसी विशेष कदम उठाने की आवश्यकता हो।

सरकारी कार्यालयों में अस्पृश्यता का उन्मूलन

338. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के कार्यालयों में दिन प्रति दिन के क्रिया कलापों में अस्पृश्यता का उन्मूलन करने हेतु सरकार ने क्या निवारक, शैक्षणिक तथा उपचारी उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ख) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत नई दिल्ली के क्षेत्र में कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) सरकार द्वारा अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें सरकारी कर्मचारियों से संविधान के अनुच्छेद 17 तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के उपबन्धों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है । उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अस्पृश्यता का आचरण करता हुआ पाया गया तो उसे सार्वजनिक सेवा के अयोग्य समझा जाएगा और उसके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।

(ख) 1969 तथा 1970 के दौरान अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अधीन नई दिल्ली में दो मामले रजिस्टर किए गए थे । इन दोनों मामलों का अदालतों में विचारण किया जा रहा है ।

दिल्ली की रेलवे कालोनियों में रेलवे मंत्री का दौरा

339. **श्री म०ला० सोंधी :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सेवा नगर, लोधी कालोनी, सरोजनी नगर और मिन्टो ब्रिज, तिलक ब्रिज, और निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के रेलवे क्वाटरों के निवासियों को पानी की अपर्याप्त सप्लाई, छोटी मोटी चोरी और अस्वास्थ्यकर परिस्थिति आदि के कारण कठिनाई हो रही है ;

(ख) क्या आवास की विषम परिस्थितियों को देखने के लिए उन्होंने इन रेलवे कालोनियों का स्वयं दौरा किया है अथवा उनका विचार कोई दौरा करने का है ; और

(ग) राजधानी के केन्द्र में स्थित इन रेलवे कालोनियों की समेकित देख भाल और सुधार से सम्बन्धित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) सरोजनी नगर और सेवा नगर की रेलवे बस्तियों को छोड़कर, जहां पिछली गर्मियों में पानी की कमी थी, दिल्ली की अन्य बस्तियों से पानी की कमी की रिपोर्ट नहीं मिली है ।

अस्वास्थ्यकर स्थितियों के सम्बन्ध में, केवल सेवा नगर और लोदी कालोनी से शिकायत मिली है कि रेलवे परिसर के बाहर पास में ही नयी दिल्ली नगर पालिका का खुला नाला है । तिलक नगर बस्ती से शिकायत मिली है कि रेलवे परिसर के बाहर पास की नीची जमीन पर, जो

रिंग रोड और बिजली घर साइडिंग के बीच है, दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ा जमा किया जाता है। सेवा नगर और लोदी कालोनी के खुले नाले के बारे में नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा आवश्यक निवारक उपाय किए जा रहे हैं। तिलक पुल बस्ती के पास दिल्ली नगर निगम द्वारा कूड़ा जमा करने के सम्बन्ध में उसके स्वास्थ्य अधिकारी से लिखा-पढ़ी की गयी है।

छोटी-मोटी चोरियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि यह विषय स्थानीय प्रशासन के क्षेत्राधिकार में पड़ता है और वे ही कानून और व्यवस्था कायम रखने के जिम्मेवार हैं।

(ख) इन बस्तियों का निरीक्षण अभी तक रेल मंत्री ने नहीं किया है।

(ग) मौजूदा कार्य विधि के अनुसार मरम्मत के काम, जिसमें कर्मचारियों के क्वार्टरों की छोटी-मोटी मरम्मत, सफेदी और रंगाई आदि काम शामिल हैं, समय-समय पर किये जाते हैं। छोटी मरम्मत पुस्तिकाएं रखी जाती हैं जिनमें दर्ज की गयी शिकायतों पर निरन्तर कार्रवाई की जाती है। वरिष्ट रेल अधिकारियों द्वारा भी बस्तियों का आवधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनका ठीक-ठीक अनुरक्षण एवं देख-भाल की जाती है। जहां कहीं कमी पाई जाती है वहां क्वार्टरों और बस्तियों का सुधार धन की उपलब्धता के अनुसार एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में तालाबन्दी

340. श्री इन्द्रजीत गुप्ता : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखानों की तालाबन्दी के प्रश्न पर विचार करने के लिए 30 सितम्बर, 1970 को दुर्गापुर में त्रिपक्षीय बातचीत के असफल होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) मिलों की तालाबंदी के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) वार्ता इसलिए फेल हो गई क्योंकि यूनियन ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने के प्रबन्धक वर्ग और श्रम-उपायुक्त के प्रस्ताव को नहीं माना था।

(ख) श्रमिकों द्वारा आकस्मिक हड़ताल कर देने, कुछ अधिकारियों पर हमला करने और कुछ उच्छृंखल व्यक्तियों द्वारा कार्यालय के सामान और अभिलेखों में आग लगा देने के कारण इस्पात पिघलाने के कारखाने में तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी। चूंकि सामान्य रूप से काम करना असंभव हो गया था और महत्वपूर्ण यंत्रों और उपकरणों की सुरक्षा तथा स्वामिभक्त कर्मचारियों और अधिकारियों का जीवन खतरे में पड़ गया था इसलिये प्रबन्धक वर्ग को तालाबन्दी की घोषणा करनी पड़ी।

Recruitment of Artisans and Engineers in Heavy Electricals Ltd, Bhopal

341. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to recruit 500 Artisans and

Engineers every year in the Heavy Electricals Ltd., Bhopal, until their number reaches to twenty thousand ;

(b) if so, reasons for making the said recruitment particularly when the total production of the said public sector undertaking during 1969-70 had been much less than the target fixed therefor ;

(c) whether Government propose to give priority to the people of Madhya Pradesh while making the said recruitment, because the policy of recruiting local people in the public sector undertakings is being emphasised by Government ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a and (b). The management of Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal, on the basis of forward planning for manpower needs, anticipate to recruit about 500 Artisans and Engineers every year partly to step up production which declined in the year 1969-70 and partly for the following reasons :—

(i) To man new shops in the factory in which manufacture of turbines has been started ;

(ii) To meet the increased output targets' in the existing lines of production by increasing the workers in the second shift ;

(iii) To meet the needs of certain expansion and diversification programmes.

(c) Recruitment to these posts will be made in accordance with the general instructions issued by Government to Public Undertakings, according to which priority is given to local candidates for vacancies in all jobs carrying salary not more than Rs. 500.00 per month.

(d) Does not arise.

झांसी डिविजन (मध्य रेलवे) की क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सुझावों की क्रियान्विति

342. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झांसी डिवीजन की क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति ने झांसी डिवीजन के ग्वालियर, भिण्ड सोनी, गोहद रोड, घोसीपुरा, सीन्धा रोड, अशोखर, मुरैना तथा दतिया रेलवे स्टेशनों पर और ऊपरी पुलों तथा प्लेटफार्मों आदि का निर्माण तथा रेल सेवाओं के सुधार के बारे में रेलवे बोर्ड को कुछ सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इन्हें कब तक कार्यान्वित करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री नंदा) : (क) और (ख). मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति, झांसी ने रेलवे बोर्ड को कोई सुझाव नहीं भेजा । 24-9-1970 को हरपालपुर में हुई मंडल रेल उपयोग कर्ता परामर्श समिति, झांसी की पिछली बैठक में कुछ सुझाव दिये गये थे जिनके सम्बन्ध में स्थिति संलग्न विवरण में बतायी गयी है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4216/70]

Closure of Gwalior-Shivpuri Line

343. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to close Gwalior-Shivpuri line ;

(b) if so, the reasons therefor, particularly when the people of that area are entirely against the closure of this railway line ; and

(c) whether Government have any difficulty in converting the said line into that a broad-gauge line ; and if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No proposal to do so is under consideration of the Government at present.

(b) In view of the answer to part (a) above, this question does not arise.

(c) The conversion of the Gwalior-Shivpuri N. G. section is not justified on traffic or financial considerations at present. In view of the present difficult position regarding funds and resources, investments on such schemes cannot be considered.

Extension of Delhi-Bombay Janata Train and Taj Express to Jhansi or Gwalior

344. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Railways be pleassd to state :

(a) whether Government propose to (i) introduce Delhi Bombay Janata train, (ii) extend the Taj Express to Jhansi or Gwalior, (iii) restart and complete the construction work of Maksi-Guna Railway line expenditiously (iv) link Gwalior Sheopurkalan line with Kotah Gwalior—Bhind line with Etawah and (v) extend Gwalior-Shivpuri line to Guna and to convert these lines into broad gauge lines ;

(b) if so, the details thereof and the time by which the aforesaid works are likely to be completed ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a)

(i) No.

(ii) No.

(iii) Yes, already restarted.

(iv) No.

(v) No.

(b) Construction of Maksi-Guna line is likely to be completed by the end of 1972.

(c) Bombay-Delhi Janata cannot be introduced immediately because of want of capacity on several sections en-route and because of want of terminal facilities at Delhi. Taj Express cannot be extended to Gwalior for want of terminal capacity at Gwalior and because the Taj Express works with one rake providing a convenient service for tourists for same day return to Delhi and the maintenance time at Agra is already too short to be curtailed.

Linking of Sheopur Kalan—Bhind line with Kotah and Etawah after conversion into Broad Gauge and extension of Gwaliar-Shivpuri line to Guna and its conversion into Broad Gauge are not economically justified and cannot be undertaken for want of funds.

छोटी कार के निर्माता के लिए आशय-पत्र को जारी करना

315. श्री रामावतार शर्मा : क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दो व्यक्तियों को छोटी कार के निर्माण के लिये दो आशय-पत्र दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम, पते, योग्यता तथा आयु क्या है तथा उनके द्वारा परियोजना में कितनी धन राशि लगाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) उनकी आय के साधन क्या हैं तथा छोटी कार के निर्माण के लिये उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये डिजाइन का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी हां।

(ख) (1) श्री संजय गांधी, 1, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।

संयत्र और मशीन पर 4.63 करोड़ रुपये का विनियोजन करने का संकेत किया गया है।

(2) श्री एम० मदन मोहनराय, 4, चेंगलावारायुलु नायडू स्ट्रीट, मद्रास—30

संयत्र और मशीन पर 8.4 करोड़ रुपये विनियोजित करने का प्रस्ताव है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिये जाने आवेदन पत्र में चूंकि प्रार्थी की आयु और योग्यता का विवरण नहीं देना होता है अतः ये उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में प्रार्थियों को आय स्रोतों का विवरण देने की भी आवश्यकता नहीं होती। दोनों उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित नमूनें देशी हैं। श्री संजय गांधी ने चार दरवाजों वाली माडल यात्री कार का प्रस्ताव रखा है इसमें 352 सी० सी० के 2 स्ट्रोक इन्जिन पिछले भाग में लगे होंगे। श्री राव ने 996 सी० सी० एंजिन की एक यात्री कार का प्रस्ताव रखा है।

Development of Cottage Industries during Fourth Plan

346. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether Government propose to develop some cottage industries during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) if so, the names of those cottage industries and the time by which they are likely to be developed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). Yes, Sir. The names of the cottage industries proposed to be developed during the Fourth Five Year Plan are mentioned below :

Handlooms and Powerlooms ; Khadi and Village Industries such as Khadi, Processing of cereals and pulses, Village Leather, Cottage Match, Gur and Khandsari, Palm gur, Non-edible oils and soap, Handmade paper, Village pottery, Bee-keeping Fibre, Blacksmithy

and carpentry, Manufacture and use of methane gas and manure, Lime stone and its products, Manufacture of shellac, Collection of forest plants and fruits for medicinal purposes, Bamboo and cane work, Manufacture of house-hold utensils from aluminium, Manufacture of gum resigns, Manufacture of katha, Ghani oil, Sericulture, Coir Industry and Handicrafts.

The above mentioned industries will be developed progressively every year during the Fourth Five Year Plan.

Strike in Durgapur Steel Plant

347. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether any political party is responsible for instigation the staff to go on strike in Durgapur Steel Plant so frequently ;

(b) if so, the name of the party ; and

(c) the action being taken by Government against it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). The labour Unions in the Durgapur Steel Plant are affiliated to political parties. To that extent the parties to which they are affiliated could be regarded as responsible for strikes sponsored or supported by the Unions concerned.

(c) Does not arise.

Manufacture of Power Tillers

348. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering the establishment of factories for manufacturing power tillers ;

(b) if so, the number of factories established so far ; and

(c) the steps being taken by Government to popularise power tillers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) and (b). One firm in the private sector licensed for the manufacture of Power Tillers is already in production. Two more firms have also been granted industrial licences but they have not yet gone into production. One of these is expected to commence production within the next few months. In addition, letter of intent has also been granted to one firm. The applications of six other parties for the grant of industrial licences for the manufacture of Power Tillers are, at present, under examination.

(c) Government have taken a number of steps to popularise power tillers among farmers. These includes import for demonstration purposes by perspective manufacturers of those models of power tillers, which on testing at the Tractor Testing Station, Budni, are found suitable for Indian conditions and steps taken by the Department of Agriculture for imparting training in use and maintenance of these power tillers.

Production and Export of Steel

349. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the categories of steel being produced in the country ;

(b) the categories of steel being exported generally ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by the export of steel during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The main categories of steel produced in the country are structurals, rails, sheets, plates, bars, rods, wires, hoops, strips, sleepeers, tin-plates, skelp, wheels, tyres, axles, etc. In addition, certain categories of tool, alloy and special steels are also produced in the country.

(b) The categoi ies of steel generally exported are bars and rods, structurals, rails, billets and pig iron (basic grade).

(c) In 1969-70 the value of our exports amounted to Rs. 75.71 crores.

दक्षिण रेलवे के पथ रेल निरीक्षकों को किराया मुक्त क्वार्टरों आवंटन

350. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण रेलवे के स्टेशन मास्टरों और रेलपथ निरीक्षकों जैसे आवश्यक कर्मचारियों को वर्ष 1947 तक किराया मुक्त क्वार्टरों का आवंटन किया गया था और यह छूट उसी वर्ष समाप्त कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह छूट बाद में 1968-69 में केवल स्टेशन मास्टरों के लिये पुन: आरम्भ कर दी गई थी और रेल पथ निरीक्षक जैसे अन्य वर्गों को उक्त छूट की अनुमति नहीं दी गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). भूतपूर्व मद्रास और सर्दन मरहठा रेलवे, साउथ इन्डियन रेलवे और मैसूर स्टेट रेलवे के कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट कोटियों को जो किराये से मुक्त क्वार्टरों का लाभ उठा रही थीं, कुछ निर्धारित शर्तों के पूरा करने पर यह लाभ उठाने की अनुमति है ।

लेखा परीक्षा की एक आपत्ति पर भूतपूर्व साउथ इन्डियन रेलवे के कुछ स्टेशन मास्टरों, प्रभारी क्लर्कों, ब्लाक आपरेटरों, गाड़ी नियंत्रकों, माल डिब्बा नियंत्रकों और सिगनल मैनों से यह रियायत वापिस ले ली गयी थी क्योंकि वे इस एक शर्त को पूरा नहीं करते थे कि मूल रूप से उनकी नियुक्ति 31-12-45 को या उससे पूर्व हुई हो । स्थिति का पुनरीक्षण किया गया और रियायत फिर से चालू कर दी गयी बशर्ते कर्मचारी 31-12-45 को इन पदों पर काम कर रहे हों और उस तारीख में इस रियायत का वास्तव में लाभ उठा रहे हों ।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

351. **डा० रानेन सेन :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाये ;

(ग) योजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(घ) उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). सिद्धान्त रूप में यह निश्चय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र की भूमिका को ऐसे क्षेत्रों में जहां आने वाले वर्षों में उत्पादन में बड़ा अन्तर पड़ने की सम्भावना हो और विस्तृत और व्यापक बनाया जाय। इस में सरकारी उद्यमों द्वारा कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन भी सम्मिलित होगा। ऐसी वस्तुओं के चयन तथा इस विषय में विस्तृत ब्यौरे पर अभी विचार हो रहा है।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा नये कारखाने स्थापित किया जाना

352. **डा० रानेन सेन :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये भारतीय सीमेंट निगम को नये कारखाने स्थापित करने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होगा ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सीमेंट निगम ने 2 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता वाली सीमेंट फैक्टरियां मध्य प्रदेश में मन्धार, मैसूर से कुरकुन्टा तथा आसाम में बोकाजन नामक स्थानों में या तो स्थापित कर दी है या कर रही है। मन्धार के कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है जब कि कुरकुन्टा की फैक्टरी में अगले वर्ष तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है 2 लाख मी० टन की वार्षिक क्षमता का हिमाचल प्रदेश, पोन्टा में एक अन्य कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है। सीमेंट निगम द्वारा अतिरिक्त एककों को स्थापित किया जाना आवश्यक राशि उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(घ) एकक	वार्षिक क्षमता	होने वाला व्यय (लाख रु०)
1. मन्धार	2 लाख	451.51
2. कुरकुन्टा	2 लाख	422.79
3. बोकाजन	2 लाख	+ विचाराधीन
4. पौन्टा	2 लाख	विचाराधीन

+ प्रारम्भिक व्यय के लिए 47.82 रु० तक की स्वीकृति दी गई है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र

353. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी अनेक आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 1970 के अन्त पर उनकी संख्या कितनी थी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी कारण क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). 31 दिसम्बर 1969 तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में से केवल 76 आवेदनों को अभी तक लाइसेंसिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1970 की अवधि में प्राप्त हुए 1123 आवेदनों में से (कार्य चलाते रहने के लिए दिये गये आवेदनों को छोड़कर) 648 आवेदनों पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार कर लिया गया है। शेष आवेदनों की अभी जांच की जा रही है। जुलाई, 1970 से 559 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इन पर पहले प्राप्त हुए आवेदनों के साथ अगले दो चार हफ्तों में निर्णय ले लिए जाने की आशा है। चूँकि प्रत्येक आवेदन की विभिन्न मंत्रालयों और तकनीकी अधिकारियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से जांच करनी पड़ती है अतः कभी कभी अन्तिम निर्णय लेने के पूर्व कुछ विलम्ब हो ही जाता है। अधिकांशः बहुत से मामलों में प्रार्थी अपने आवेदनों में प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम आवश्यक विदेशी मुद्रा प्रबन्ध संबंधी व्यवस्था, विदेशी सहयोग संबंधी शर्तों आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पूरी जानकारी नहीं देते हैं तथा स्पष्टीकरण के लिए प्रार्थियों को प्रायः अक्सर लिखना पड़ता है। इसके अलावा उद्योग विशेष में लाइसेंस दी जाने वाली अतिरिक्त क्षमता के विचाराधीन होने पर तथा ऐसे मामलों में सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाता है ताकि सब प्रकार से उपयुक्त योजना को ही लाइसेंस दिया जा सके। फिर भी सरकार लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं पर पुर्नविचार कर रही है ताकि इस प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया जा सके तथा जिससे लाइसेंस संबंधी आवेदनों पर यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की जांच

354. **श्री हेम राज :**

श्री जनेश्वर मिश्र :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 25 अगस्त, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 580 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्वाचकों की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष करने का है ; और

(घ) सरकार का विचार निर्वाचन विधि में संशोधन करने वाला विधेयक कब तक पुरःस्थापित करने का है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि संसद् को दिए गए आश्वासन का पालन करते हुए, अध्यक्ष के सभापतित्व में राजनैतिक पार्टियों / दलों के प्रतिनिधियों की एक समिति में विभिन्न संशोधन पर वाद-विवाद की व्यवस्था की जा रही है, इसलिए यह बात, होने वाले विचार-विमर्श के परिणाम पर निर्भर करेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) विधेयक की पुरःस्थापना कब की जाएगी, यह बात भाग (ख) में निर्दिष्ट प्रस्थापित समिति में होने वाले विचार-विमर्श के साथ ही जुड़ी हुई है ।

हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिश

355. **श्री हेम राज :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1330 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिशों की जांच कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में सदन में कब तक एक विधान पेश करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय तथा कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). हिन्दू धार्मिक विन्यास आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हिन्दू धार्मिक विन्यास विधेयक, 1965 के नाम से एक विधेयक तृतीय लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इसके पहले कि लोक सभा द्वारा विधेयक पर विचार किया जा सके लोक सभा का विघटन हो गया और इसलिए विधेयक व्यपगत हो गया ।

एक नया विधेयक तैयार किया गया और राज्य सरकारों और संघराज्य क्षेत्रों के विचार जानने के लिए, उसको उनमें परिचालित किया गया । उन अभ्यावेदनों की दृष्टि से जो प्राप्त हुए, यह मामला विधि आयोग को फिर से निर्दिष्ट किया गया है और विधान का उपयुक्त प्रारूप तुरन्त तैयार करने के लिए विधि आयोग से निवेदन किया गया है । इस मामले में अगली कार्रवाई विधि आयोग से विधेयक का प्रारूप मिल जाने पर की जाएगी ।

सेवा से त्याग-पत्र देने वाले रेलवे डाक्टर

356. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967, 1968 और 1969 तथा अक्तूबर, 1970 के अन्त तक कितने रेलवे डाक्टरों ने त्यागपत्र दिये हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : 1967, 1968, 1969 में और अक्तूबर, 1970 के अन्त तक जिन डाक्टरों ने सेवा से त्याग-पत्र दिया, उनकी संख्या इस प्रकार है :

1967	—	75
1968	—	57
1969	—	60
1970 (अक्तूबर, 1970 के अन्त तक)	—	28
		220

अतिरिक्त रेल गाड़ियों का चलाया जाना

357. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1970 से जोनवार कितनी अतिरिक्त रेल गाड़ियां चलाई गयीं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली-पठानकोट रेल मार्ग पर यात्रियों की अत्याधिक भीड़ होती है, परन्तु डिब्बों की कमी का तर्क देकर इस मार्ग पर अतिरिक्त रेलगाड़ी की मंजूरी नहीं दी जाती ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे ने अतिरिक्त रेलगाड़ियों को चलाने के लिए रेल डिब्बे किस प्रकार प्राप्त किए हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1-10-70 से प्रत्येक रेलवे पर चलाई गई अनुपनगरीय गाड़ियों की संख्या नीचे दी गई है :—

रेलवे	1-10-70 में चलाई गई अनुपनगरीय गाड़ियों की संख्या
पूर्व	2
उत्तर	6
पूर्वोत्तर	4
पूर्वोत्तर सीमा	3
दक्षिण	4
दक्षिण पूर्व	8

(ख) इस समय दिल्ली-अम्बाला-राजपुरा के संतृप्त खंड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी के कारण, न कि सवारी डिब्बों की कमी के कारण, दिल्ली और पठानकोट के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

पारली (दक्षिण रेलवे) पर ऊपरी पुल के निर्माण-कार्य का पूर्ण होना

358. **श्री ई० के० नायनार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे में पारली ऊपरी-पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ख) इसे जनता के लिए कब तक खोल दिया जायेगा ; और

(ग) निर्माण-कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पुल संरचना के काम में रेलवे का अपने हिस्से का काम पहले ही पूरा हो चुका है। सड़क पहुंच मार्गों का काम, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पहुँच मार्गों का क्रम पूरा होते ही पुल यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

छोटी कार बनाने के लिए लाइसेंस

359. **श्री स० मो बनर्जी** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छोटी कारों का उत्पादन करने के कार्य में क्या अतिरिक्त प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ अन्य पार्टियों ने भी लाइसेंसों के लिए आवेदन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पार्टियों के क्या नाम हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाली परियोजना में कारों के बनाने के लिए परीक्षित प्रसिद्ध विदेशी डिजाइन पर आधारित विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। गैर सरकारी क्षेत्र की दो पार्टियों को जिनकी कार बनाने की योजनायें देशी डिजाइन तथा संशोधनों पर आधारित थीं आशय पत्र जारी कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग). यात्री कारें बनाने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए निम्नलिखित पार्टियों से 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे :

(1) मे० मैसूर राज्य औद्योगिक विनियोजन तथा विकास निगम लि० बंगलौर।

(2) मे० हिन्दुस्तान आटो प्राइवेट्स (न्यू जीटा इंडिया), नई दिल्ली।

(3) मे० मनुभाई एच० ठाक्का, बड़ौदा ।

(4) मे० आर० आर० चौकसी एण्ड कं० अहमदाबाद ।

(5) मे० गणेश रेनाल्ट, लखनऊ ।

(6) मे० भविमान लि०, नई दिल्ली ।

(7) मे० अरबिन्द आटोमोबाइल, त्रिवेन्द्रम ।

(8) श्री संजय गांधी, नई दिल्ली ।

(9) मे० केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०, त्रिवेन्द्रम ।

(10) श्री एम० मदन मोहन राव, मद्रास ।

उपरिलिखित पार्टियों में से क्रम संख्या (8) तथा (10) को आशय पत्र स्वीकृत किये गए हैं । बाकि की 8 पार्टियों के आवेदन पत्रों में या तो विदेशी सहयोग अथवा उनमें पंजी गत वस्तुओं पुर्जों अथवा कच्चेमाल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय निहित था, अतः उनके रद्द करने का प्रस्ताव किया गया है ।

बैरल उद्योग की अतिरिक्त क्षमता को मान्यता देना

360. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्रालय बैरल उद्योग के प्रतिबन्धित सूची में होने के बावजूद भी उसमें अतिरिक्त क्षमता को मान्यता देने के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (चौथी लोकसभा) के 85 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर 114 वें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि कच्चे माल के वितरण की वर्तमान योजना में कोई परिवर्तन न करने सम्बन्धी दिल्ली उच्च न्यायालय की अन्तरिम निषेधाज्ञा तेल कम्पनियों को प्रत्यक्षतः इस्पात चद्दरों के गैर नियतन से सम्बन्धित थी अथवा अन्य संरचकों की लाइसेंस प्राप्त क्षमताओं से संबंधित थी ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : विधि मंत्रालय के परामर्श से यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए अन्तरिम आदेश की शर्तों में बैरल निर्माताओं के अलावा सरकार को बैरल के उपभोक्ताओं को इस्पात का आवंटन करने की छूट नहीं होगी और निर्धारित क्षमता के आधार पर आवंटन करने की अपनाई गई प्रक्रिया के बजाय प्रक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कोटा के आवंटन को परिवर्तित करना भी सम्भव नहीं होगा ।

रेलवे की आर्थिक स्थिति का अधिक बिगड़ जाना

361. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दण्डपाणि :**

श्री मयावन :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संसाधनों की कमी में, जो 200 करोड़ रुपये होने का अनुमान था, अब अत्यधिक वृद्धि हो गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या रेलवे बोर्ड भी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि चौथी योजना का 26.50 करोड़ मीटर टन की क्षमता बनाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकेगा ; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) चालू वर्ष के संक्कलन परिणामों में गिरावट के फलस्वरूप 47 करोड़ रुपये का घाटा होगा, जबकि पारित बजट में 9.38 करोड़ की बचत प्रत्याशित थी । इसकी वजह से इस वर्ष और आगामी वर्षों में, खर्च और साधनों का अन्तर तदनुसार बढ़ेगा ।

(ग) वित्तीय स्थिति में गिरावट के मुख्य कारणों में एक तथ्य यह है कि प्रत्याशा के अनुरूप भाड़े वाला माल यातायात नहीं बढ़ा । 21 करोड़ 70 लाख मीटरिक टन के बजट पूर्वानुमान की तुलना में, वर्तमान स्थिति यह है कि अब 20 करोड़ 60 लाख मीटरिक टन से अधिक यातायात की आशा नहीं है । तदनुसार चौथी योजना के अंतिम वर्ष के लिये 26 करोड़ 50 लाख मीटरिक टन के लक्ष्य की भी समीक्षा की गई है वर्तमान अनुमान यह है कि योजना के अन्तिम वर्ष में 24 करोड़ मीटरिक टन या इसके लगभग मात्रा में यातायात होगा ।

क्षमता का निर्माण भी संशोधित यातायात अनुमानों के अनुसार सीमित रखना पड़ेगा ।

(घ) स्थिति में आमूल सुधार यातायात के बढ़ने पर निर्भर करता है जो स्वयं बढ़े हुए उत्पादन खास तौर पर इस्पात क्षेत्र के उत्पादन और हड़तालों और बंदों में कमी होने पर निर्भर है । लेकिन रेलों के नियंत्रण के भीतर वाले मामलों के संबंध में, खर्च में किफायत करने और आमदनी बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए विचाराधीन आवेदन-पत्र

362. **श्री नि० रं० लास्कर :**　　**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री अदिचन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में अनेक शंकाओं के नवीनतम स्पष्टीकरण से औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन-पत्रों पर निर्णय लेने में सुविधा नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार नीति के क्रियान्वयन के अपेक्षित तरीके का समाधान करने में असफल रही है ;

(ग) क्या सरकार के पास लाइसेंस देने के लिए 50 आवेदन-पत्र अनेक महीनों से विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो इन आवेदन-पत्रों का निपटान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिसम्बर, 1969 से पूर्व प्राप्त 76 आवेदन पत्रों में से 76 आवेदन पत्र लाइसेंसिंग समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हैं। 1 जनवरी, 1970 से 3 जून, 1970 तक प्राप्त 1123 आवेदन पत्रों (कार्य चालू रखने के आवेदनों के अतिरिक्त) में से 648 पर लाइसेंस समिति ने विचार कर लिया है, शेष आवेदनों पर तथा उसके बाद के प्राप्त आवेदनों पर आगामी कुछ सप्ताहों में विचार किये जाने की आशा है।

(घ) आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने के और प्रक्रिया को सप्रवाही बनाने के और प्रयत्न किये जा रहे हैं। समिति को प्रेषित किये बिना ही प्रशासकीय मंत्रालयों को कुछ प्रकार के मामलों के निपटाने की शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। लाइसेंस समिति की पाक्षिक बैठक में प्रायः की जाती हैं। विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ देर के कारणों पर समय-समय पर विचार किया जाता है और समिति के अध्यक्ष द्वारा सभी सम्बन्धितों को आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटाने के लिए निदेश दिये जाते हैं। अनिर्णीत आवेदनों के निपटाने में हाल के महीनों में पर्याप्त प्रगति हुई है।

भारतीय कागज विशेषज्ञ शिष्टमंडल द्वारा दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की यात्रा

363. **श्री नि० रं० लास्कर : श्री दण्डपाणि :**
श्री मयावन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कागज उद्योग के एक बीस सदस्यीय विशेषज्ञ शिष्टमंडल ने कई दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कागज उद्योग के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए सितम्बर, माह में इन देशों की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितने देशों की यात्रा की थी ;

(ग) क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं और यह यात्रा किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुई हैं ;

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) सरकार ने इस प्रकार का कोई भी शिष्टमंडल नहीं भेजा है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात पिंडों का उत्पादन

364. **श्री क० लकप्पा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीनों कारखानों में इस्पात पिंडों के उत्पादन में अत्यधिक कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, । अप्रैल-अक्तूबर 1970 के महीनों में राउरकेला और दुर्गापुर में वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है ।

(ख) इन कारखानों के उत्पादन में कमी मुख्यतः विषुब्ध औद्योगिक सम्बन्धों के कारण हुई है ।

नई लाइसेंस नीति

365. **श्री क० लकप्पा :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंस देने के लिए एक नई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह योजना कब से लागू की गई है ; और

(घ) नई योजना के लागू होने के बाद से लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन-पत्रों पर विचार किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (घ). इस प्रकार की कोई नई योजना नहीं बनाई गई है । तथापि सरकार ने फरवरी, 1970 में लाइसेंस नीति में कुछ संशोधन की घोषणा की थी । तब से औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदनों के शीघ्र निपटान पर विशेष बल दिया जाता है । 1 जनवरी, 1970 से 30 जून, 1970 तक प्राप्त 1123 आवेदनों में से 648 आवेदनों पर लाइसेंस समिति विचार कर भी चुकी है और ऐसी आशा है कि आगामी कुछ महीनों में शेष आवेदनों को भी निपटा दिया जायेगा ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात गलन केन्द्र में तालाबन्दी

366. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के इस्पात गलन केन्द्र में जिस स्थिति की वजह से तालाबन्दी हुई थी, उसमें कोई सुधार हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रबन्धों और श्रमिकों के विवाद को हल करने के लिए राज्य श्रम आयुक्त के प्रयास विफल हो गये हैं ;

(ग) क्या वर्तमान गतिरोध का मूल कारण मजदूर संघों की प्रतिद्वन्दिता है ;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) इस कारखाने के उत्पादन में अब तक कितना घाटा हुआ है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). 20 अक्तूबर, 1970 को प्रबन्धकों ने इस्पात पिघलाने के कारखाने की तालाबन्दी हटा दी थी। राज्य श्रम आयुक्त द्वारा की गई समझौता वार्ता विफल नहीं हुई किन्तु श्रम आयुक्त द्वारा पेश किये गये प्रस्तावों को मजदूर संघों तथा दुर्गापुर स्टील प्लान्ट के प्रबन्धों द्वारा स्वीकार करने में लिये गये समय के कारण विलम्ब हो गया था। कामगारों ने 3:-10-70 से फिर कार्य आरम्भ कर दिया है और अब स्थिति सामान्य है।

(ग) जैसा कि सदा होता आया है श्रमिक झगड़ों का एक कारण मजदूर संघों की प्रतिद्वन्दिता भी है।

(घ) मजदूर संघों को सलाह दी गई है कि वे ऐसे कार्यों में भाग न लें जो कामगारों तथा कारखाने के परिचालन दोनों के हित में न हो।

(ङ) अनुमान है कि 31-3-70 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 8354.2 लाख रुपये की कुल हानि हुई है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 12-8-70 से 24-8-70 तक की हड़ताल की अवधि में, विक्रेय उत्पादों, तथा 26-9-70 से 3:-10-70 तक इस्पात पिघलने के कारखाने में उत्पादन स्थान के कारण हुई उत्पादन की हानि का अनुमान क्रमशः 1.93 करोड़ रुपये तथा 85.28 लाख रुपये है। एक बार जब उत्पादन बन्द हो जाता है तो उत्पादन को सामान्य क्षमता तक लाने में कुछ समय लग जाता है, और इसीलिए हानि का अभी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक-सम्बन्ध

367. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक-सम्बन्धों की समस्याओं और उनमें अनुशासन लाने के प्रश्न पर अक्तूबर, 1970 में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु से विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री ने इस्पात कारखाने में मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व वाली मजदूर संघ की ओर से संघ के सदस्यों के शांतिपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया था उनका ब्यौरा क्या है

और दुर्गापुर इस्पात कारखाने में चलाई जाने वाली विध्वंशक गतिविधियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री अक्तूबर, 1970 में इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्री से मिले थे। बातचीत के दौरान दुर्गापुर में कठिन औद्योगिक सम्पर्क के सम्बन्ध में भी वार्ता हुई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे स्थिति को सुधारने और कारखाने में अनुशासन बनाये रखने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करें। भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री से कोई विशेष आश्वासन देने को नहीं कहा गया था और न ही उन्होंने ऐसा कोई आश्वासन दिया था।

बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण

368. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण अब वर्ष 1972 की बजाय, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, वर्ष 1973 में पूरा होगा ;

(ख) इस कारखाने का निर्माण कार्य आरम्भ होने से अब तक कितनी बार निर्धारित समय-सूची में परिवर्तन किया गया है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप निर्माण-कार्य की लागत में किस प्रकार वृद्धि हुई है और हाल में किये गये परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) लोक-सभा में दिनांक 10-3-1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2287, दिनांक 31-3-70 के तारांकित प्रश्न संख्या 708 तथा दिनांक 4-8-70 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1264 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि संशोधित निर्माण अनुसूची के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने का प्रथम चरण मार्च 1973 तक पूरा हो जाएगा। पहली अनुसूची के अनुसार प्रथम चरण के समस्त कारखाने को जून, 1972 में चालू किया जाना था।

(ख) तीन बार।

(ग) कारखाने को चालू होने में प्रत्येक मास की देरी से वेतन, सिब्बन्दी, तकनीकी पर्यवेक्षण आदि पर 25 लाख रुपये का अप्रत्यक्ष खर्च होगा। इसमें ऋण की रकम पर व्याज तथा इस्पात तथा सीमेंट के मूल्यों में कानूनी संशोधन के कारण वृद्धि और मजदूरी की बढ़ी हुई दरों से उपक्रमों और सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि शामिल नहीं है। इस वृद्धि से मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का ठीक-ठीक अनुमान अभी नहीं लगाया गया है।

निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं : संविरचनात्मकों के निर्माण के लिए शान्त इस्पात की प्लेटों की अनुपलब्धि, देशीय निर्माताओं द्वारा ऊष्मसह की समय पर आपूर्ति न कर सकना तथा श्रमिक संकट आदि।

औद्योगिक उत्पादन में कमी

369. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 के प्रथम चार महिनों में औद्योगिक उत्पादन में औसत वृद्धि वर्ष 1969 की इसी अवधि में हुई वृद्धि बहुत कम है ;

(ख) वर्ष 1970 और 1969 के अलग अलग आंकड़े क्या हैं और सरकार के विचार में वृद्धि की इस दर में कमी के लिये क्या कारण उत्तरदायी हैं ;

(ग) वे कौन-कौन सी मुख्य मदें हैं जिनमें वृद्धि की दर सबसे कम है और किन मदों के उत्पादन में कमी आई है ;

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के कारखानों का उत्पादन वृद्धि की दर में तुलनात्मक कार्य कैसा रहा है ; और

(ङ) वर्ष 1970 की शेष अवधि में उत्पादन में कितनी वृद्धि की सम्भावना है और इससे रोजगार के अवसरों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). औद्योगिक उत्पादन के सूचकांग सम्बन्धी प्रारम्भिक आँकड़े 1970 के केवल छः महीनों के उपलब्ध हैं वहां इन आंकड़ों से पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले में 1969 के पूर्वार्द्ध में, 1968 की इसी अवधि में हुए उत्पादन से 5. 8. प्रतिशत अधिक उत्पादन होने का पता चलता है वहाँ इन आंकड़ों पर कोई निश्चित राय बना लेना उचित होगा क्योंकि ये आंकड़े अभी तक प्रारम्भिक अनुमान के ही तौर पर हैं। निःसन्देह, औद्योगिक उत्पादन दर में इस्पात की कमी के कारण गिरावट आई है।

(ग) जनवरी से जून 1970 की अवधि में 1969 की इसी अवधि के मुकाबिले में जिन वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट आई है उनमें से कुछ ये हैं :— प्रेशर स्टोव्स, स्टील पाइपें और टयूबें, क्रेने, लिकटें, अलौह धातुयें तथा कास्टिंग्स्, शीशे, कोयला खनिज मशीनें, कीट नाशक औजार, टिवस्ट ड्रिलों, बिजली के पंखे, तांबे के खुले कन्डक्टर्स, थ्री हीलर्स, ब्लीचिंग पाउडर, फासफोरस उर्वरक, मोटर गाड़ियों के टायर, साइकिलो के टायर और ट्यूबें, तथा खर के जूते। आय वस्तुओं जैसे आटो लीफ स्प्रिगों, आयल प्रेशर लैम्पों, स्ट्रकचरल्स, ट्रांसमीटर टावर्स, ताँबा, अलम्यूनियम फबायलें। घर में लगाये जाने वाले मीटरों, अलम्यूनियम कन्डक्टरों कागज लपेटे गये बिजली की तारों, आटोमोवाइलों, गन्धक का अम्ल, सीमेंट तथा सायकिल की ट्यूबों में यद्यपि 1970 के पूर्वार्द्ध में 1969 की इसी अवधि के मुकाबिले उत्पादन में वृद्धि हुई पर यह वृद्धि 5 प्रतिशत से भी कम रही है।

(घ) सरकारी और गैर सरकारी एककों के अलग 2 व्यौरे इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) विभिन्न तरीके अपनाये गए हैं जिनसे 1970 के बाकी महीनों में औद्योगिक

उत्पादन की गति में तेजी आने की आशा है। इस्पात की कमी को उदार आयात नीति द्वारा पूरा करने का निश्चय किया गया है। नयी लाइसेंस नीति से भी औद्योगिक विनियोजन में तेजी आने की सम्भावना है। इसके अलावा विविध उत्पादों की मांग भी जोर पकड़ रही है इससे भी बढ़ते उत्पादन को गति मिलेगी। इन तथ्यों के परिणाम स्वरूप वर्ष की शेष अवधि के उत्पादन में स्थायी तौर पर वृद्धि होने की आशा की जाती है।

सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन

370. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के चेतावनी देने के बावजूद मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग ने क्या क्या आपत्तियां की थी ;

(ग) मंत्रालय का विचार किस प्रकार उन आपत्तियों का समाधान करने का है ; और

(घ) सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में किन किन उपभोक्ता वस्तुओं का निर्णय करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (घ). सिद्धांतरूप में सरकारी क्षेत्र की भूमिका उपभोक्ता उद्योगों जहां आने वाले वर्षों में बड़ा उत्पादन अन्तर पड़ने की सम्भावना है के साथ अन्य क्षेत्रों तक बढ़ाये जाने का सिद्धान्त रूप में निश्चय कर लिया गया है। ये योजनाएं चौथी योजना में सम्मिलित प्रयोजनाओं के अलावा होंगी। इस विषय में योजना आयोग के साथ कोई मत भेद नहीं है। योजना आयोग ने साधन स्रोतों पर महत्व देते हुए इस बात के सुनिश्चय पर जोर दिया है कि योजना में सम्मिलित प्रायोजनाओं का कार्यान्वियन निर्धारित तौर पर किया जाए सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा योजना आयोग तथा अन्य सम्बन्धित अभिकरणों के से परामर्श नयी प्रायोजनाओं को अन्तिम रूप देते समय तथा उनका विस्तृत ब्यौरा तैयार करते समय इन दोनों तथ्यों पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन रोक दिये जाने का कथित निर्णय

371. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हैवी स्टील लिमिटेड के उस निर्णय के विषय में हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है जिसमें उसने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिक संबन्धी गंभीर समस्याओं के कारण उत्पादन बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) उपर्युक्त कारखाने में श्रमिक समस्याओं के आरम्भ से लेकर कुल कितनी हानि हुई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० ने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन बन्द करने का कोई फैसला नहीं किया है, अतः सरकार द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) 31-3-70 तक दुर्गापुर इस्पात कारखाने को 8354.2 लाख रुपए का घाटा हुआ है। हिन्दुस्तान स्टील लि० ने अनुमान लगाया है कि 12-8-70 से 24-8-70 तक की हड़ताल की अवधि में और इस्पात पिघलने के कारखाने में 26-9-70 से 31-10-70 तक की तालाबन्दी की अवधि में विक्रेय उत्पादों के रूप में क्रमशः 1.93 करोड़ रुपये और 85.28 लाख रुपये की हानि हुई है। यदि एक बार उत्पादन रुक जाय तो फिर से सामान्य निर्धारित उत्पादन प्राप्त करने में कुछ समय लगता है इसलिए इन हानियों का ठीक-ठीक अनुमान लगाना समय पूर्व होगा।

सरकारी क्षेत्र में छोटी कार बनाने का कारखाना

372. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटी कार परियोजना को केवल सरकारी क्षेत्र में रखने का अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है तथा किसी भी गैर-सरकारी पार्टी को आशय-पत्र जारी नहीं किया जाएगा ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कुछ विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ; और

(ग) गैर-सरकारी उपक्रमों के कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। माननीय सदस्य का ध्यान यात्री कारों के बनाने के बारे में औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त वक्तव्य के अन्तिम पैरे में दिए गए नीति संबंधी निर्णयों के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र की दो पार्टियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। इस निर्णय की सीमा के अन्तर्गत आने वाले आगे के आवेदन पत्रों पर भी उसी प्रकार विचार किया जाएगा।

(ख) सरकारी क्षेत्र में यात्री कारें बनाने में पूंजीगत सामान के आयात रायल्टी का भुगतान, यदि कोई है, आदि के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय निहित होने की आशा है। यात्री कारों के बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में, जिनके लिए आशय पत्र जारी किए गए हैं, विदेशी मुद्रा का व्यय निहित नहीं होगा।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त हुए 10 आवेदन पत्रों में से 8 में योजनाएं या तो विदेशी सहयोग पर आधारित थी या पूंजीगत सामान आदि पर विदेशी मुद्रा का व्यय होना था, उन्हें रद्द किए जाने का प्रस्ताव है।

उद्योग में इस्पात की अत्याधिक कमी

373. श्री प्र० के० देव :

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात की अत्यधिक कमी के कारण देश में औद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं ;

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र में हानि का अनुमान लगाया गया है यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उद्योग और इस्पात की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयत्न किए जा रहे है ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). यद्यपि इस्पात की कमी के कारण उत्पादन की हानि का विस्तृत अनुमान नहीं लगाया गया है किन्तु इसे स्वीकार किया जाता है कि इस्पात की कमी विगत कुछ महीनों में बड़ी संख्या में उद्योगों के उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारणों में से एक है । हाल ही में विभिन्न कोटियों के इस्पात की काफी मात्रा में आयात करने के अभ्युपाय किए गए हैं और ऐसी आशा है कि सम्भरण के भारत पहुँचते ही और साथ में देशीय इस्पात के उत्पादन में वृद्धि से आगामी महीनों में स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाएगा ।

Direct Trains between Delhi and Ram Nagar Mandi of District Nainital

374. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any scheme to run direct trains between Delhi and Ram Nagar Mandi of District Nainital was under consideration ;

(b) when the scheme is likely to be finalised especially in view of the fact that passengers from Garhwal, Kumaon and Almorah have to waste lot of time and money in boarding the train of Moradabad and Kashipur ;

(c) when the scheme is likely to be completed ; and

(d) if not early, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) No.

(b) to (d). The scheme involves elimination of transhipment from broad gauge and *vice-versa* at Moradabad by converting the Moradabad-Ram Nagar metre gauge section into broad Gauge. Due to paucity of funds and lack of adequate traffic justification, conversion of this section is not being considered at present.

रेल माल यातायात में गिरावट

375. श्री शिव कुमार शास्त्री :

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष के पहले तीन महीनों के दौरान रेलवे माल यातायात में 29 लाख टन की कमी हुई है जबकि इसमें इस अवधि में 19 लाख टन वृद्धि होने की आशा थी ;

(ख) क्या रेलवे का इसका कारण अदक्षतापूर्ण कार्य है ; और

(ग) यदि हां, तो दक्षता लाने और परिणामस्वरूप हानि के निराकरण हेतु उठाये गये कदम क्या हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) 1970-71 के पहले तीन महीनों में कुल प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात में पिछले साल के उन्हीं महीनों की तुलना में 18.69 लाख मीटरिक टन की वृद्धि प्रत्याशित थी जबकि उक्त यातायात पहले की तुलना में 10.4 लाख मीटरिक टन कम हुआ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में मरम्मत कार्य

376. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विभिन्न सैक्शनों की मरम्मत तथा उनके प्रतिस्थापन के प्रश्न पर एक समिति इस समय विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने से इस समिति को कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने को ठीक प्रकार चलाने के लिए उस पर एक बड़ी पूंजी लगाई जाये ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). परिवर्द्धन और परिवर्तन आदि के लिए 1970-71 और 1971-72 के बजट में पूंजीगत खर्च के लिए क्रमशः 370 लाख और 660 लाख रुपये की व्यवस्था है। अनुमोदित मुख्य मदें इस प्रकार हैं :—

(1) स्टील मेकिंग टीमिंग लेडल्स में परिवर्तन ।

(2) 4 अतिरिक्त शोक्न गड्ढों की स्थापना ।

(3) कोक भट्टी श्रृंखला नम्बर 1 का पुनर्निर्माण ।

(4) 2 वी० आई० सी० क्रेनों को बदलना ।

कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए रूसी सलाहकार

377. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रस्तावित कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए रूसी सलाहकारों को नियुक्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सलाहकारों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय वाणिज्य संघ ने कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए भारतीय सलाहकार के स्थान पर विदेशी सलाहकार रखने का विरोध किया है ;

(घ) क्या नियुक्त किये गये रूसी सलाहकारों को कलकत्ता ट्यूब रेलवे के लिए अपेक्षित कार्य का विशेष अनुभव है और यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये पिछले कार्य का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने डम डम प्रिन्सिपल घाट डिसपरसल रेलवे लाइन के लिए कार्य आरम्भ करने का निश्चय कर लिया है ;

(च) क्या इन दोनों रेलवे के लिए कार्य साथ-साथ आरम्भ किया जायेगा ; और

(छ) यदि नहीं, तो किसको वरीयता दी जायेगी और उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री नन्दा) : (क) से (छ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4217/70]

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

378. **श्री समर गुह** : क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो यह वृद्धि कितने प्रतिशत हुई और इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने मूल्यों में इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). अप्रैल, 1970 और सितम्बर, 1970 के आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य सूचकांक, उनमें हुई वृद्धि यदि कोई है, तथा उनके कारणों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4218/70]

(ग) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में अनावश्यक/अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय बर्ते जाते हैं ; जैसे :—

(1) आवश्यकता या मांग को पूरा करने के लिए कृषि और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने हेतु निरन्तर प्रयत्न करना, आवश्यकता होने पर आयात भी करना ;

(2) खाद्यानों का विशाल भण्डार रखना ;

(3) दूध, खाद्यान्न और चीनी जैसी आम जनता के उपभोग की वस्तुओं का वितरण करने की व्यवस्था करना ;

(4) मूल्य नियन्त्रण लागू करना, कानूनी तौर पर जैसे वनस्पति के प्रकरण में अथवा गैर-सरकारी तरीके से जैसे टायर और ट्यूबों, दियासलाइयों ड्राई सेलों और साबुन आदि के मामलों में ;

(5) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन लगाये गये नियन्त्रणों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का उचित और समान रूप में वितरण करना ;

(6) सुपर बाजार, सहकारी उपभोक्ता भण्डारों आदि जैसे सहकारी तरीकों से आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि का सुनिश्चय करना ;

(7) राजकोषीय तथा वित्तीय तरीकों से मांग वृद्धि को नियंत्रित करना, जैसे वायदा बाजार के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिम धन देने के नियमों को सख्त बनाना ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना

379. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में अब तक पश्चिम बंगाल में कितने औद्योगिक लाइसेंस (1) मांगे गये ; तथा (2) स्वीकृत किये गये ; और

(ख) इन लाइसेंसों में से कितने व्यपगत हुए तथा कितने लाइसेंसों का उपयोग राज्य में नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) औद्योगिक लाइसेंस से सम्बन्धित सूचना कैलेण्डर वर्ष के आधार पर रखी गयी है। 1968 में पश्चिमी बंगाल के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत प्राप्त हुए आवेदन-पत्र 96 में थे। 1969 में 110 तथा 1970 में (30-9-70 तक) 107। जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या 1968 में [illegible]3, 1969 में 64 तथा अगस्त, 1970 तक 28 थी।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये लाइसेंस व्यपगत नहीं होते। उन्हें, तथापि, लाइसेंस में निर्दिष्ट कतिपय शर्तों के पूरा न करने पर प्रतिसंहृत किया जा सकता है। चूंकि सामान्यतः लाइसेंस के कार्यान्वियन में दो तीन वर्ष से अधिक लग जाते हैं, चालू लाइसेंस कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे। प्रतिसंहृत तथा आभ्यर्पित सभी लाइसेंसों का ब्यौरा नियमित रूप से साप्ताहिक बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिज, इम्पोर्ट लाइसेंसिज, एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिज, साप्ताहिक 'इण्डियन ट्रेड जर्नल' तथा मासिक जर्नल आफ इण्डस्ट्री तथा ट्रेड' में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

Applications for Manufacture of Small Car

380. **Shri Ram Sewak Yadav :** **Shri Samar Guha :**
Shri Ram Kishan Gupta :

Will the Minister of **Industrial Development and Internal Trade** be pleased to state :

(a) the total number of applications received for the grant of licences for the manufacture of small and low cost car ;

(b) the comparative prices of a car quoted by each applicant alongwith other details ;

(c) whether his Ministry have decided to grant the licence and if so, to whom alongwith reasons therefor ;

(d) whether Government will be required to provide any kind of assistance to the licences ; if so, the details thereof; and

(e) whether the financial position of the licences has been fully assessed and enquired into ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) Ten applications under the Industries (Development and Regulations) Act. 1951, for the grant of a licence for the manufacture of passenger cars were received from private parties by Government.

(b) A statement giving the required information is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-4219/70].

(c) In accordance with the decision of Government on the manufacture of passengers cars announced in a statement made in the Lok Sabha on 10th August 1970, all these applications have been considered and letters of intent have been issued to two parties, Shri Sanjay Gandhi and Shri Madan Mohan Rao, those schemes conformed to the stipulations in the Government decision, i.e., they were based on indigenous designs, did not involve foreign exchange expenditure for the import of capital goods, components or raw materials.

(d) The letters of intent have been granted to the two parties mentioned above, subject to the following conditions :

(i) no foreign collaboration or foreign consultancy arrangements will be permitted.

(ii) no import of capital goods will be allowed.

(iii) no import of components or raw materials will be allowed to except in cases of raw materials normally available in the country which in the event of temporary short supply, may have to be imported in accordance with the import policy prevailing at that time.

(iv) Before the letter of intent is converted into an industrial licence, prototypes will be developed and got tested for roadworthiness by an authority appointed for the purpose of Government.

Normal facilities as are accorded to industrial undertakings holding licences under the Industries (Development and Regulations) Act, 1951, will be accorded to these two parties also, subject to the above stipulations in the letter of intent.

(e) No, Sir. It is for the entrepreneurs to make suitable financial arrangements for implementing their schemes.

Price of Iron

381. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether his Ministry is aware that the market price of iron is higher than the price that has been fixed for it ;

(b) if so, whether his Ministry has made a study of the causes responsible for this increase ; and

(c) if so, the steps being taken to check the rising prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes, Sir. The market prices are higher than the prices fixed by the Joint Plant Committee for sale of iron and steel items by the main products.

(b) The higher open market price is mainly due to the scarcity conditions for steel at present.

(c) The steps that are being taken to check the rise in prices comprise better distribution, liberalisation of imports and some restrictions on exports.

औद्योगिक लाइसेंस नीति की क्रियान्विति

382. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार औद्योगिक नीति की क्रियान्विति के ढंग के सम्बन्ध में एकमत नहीं हो सकी ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति, सेवा से हटाया जाना तथा त्यागपत्र

38?. **श्री हुचे गोडा :** क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापना से लेकर उसके कितने अध्यक्ष नियुक्त किये जा चुके हैं ;

(ख) इन अध्यक्षों के हटाये जाने और अध्यक्षों द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अध्यक्षों के त्याग-पत्र से कारपोरेशन के कार्यकरण पर कोई प्रभाव पड़ा था ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) निम्नलिखित व्यक्ति समय-समय पर भारी इन्जीनियरी निगम के अध्यक्ष रहे हैं :

(1) डा० नागाराजा राव	28-1-59 से 24-2-64
(2) श्री टी० आर० गुप्त	24-3-64 से 7-10-67
(3) श्री के० डी मालविया	23 2-68 से 4-1-69
(4) श्री सी० चेला पति राव	27-4-69 से 30-9-70
(5) श्री एस० एस० जगोता	6-11-70 से

(ख) डा० नागाराजा राव सिविल अधिकारी हैं जो कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर आये थे

और कारखाने में एक आग दुर्घटना हो जाने के पश्चात् उन्हें वापस भेज दिया गया था। श्री गुप्त तथा श्री मालवीया ने व्यक्तिगत कारणों से त्याग-पत्र दिये थे। श्री चेला पतिराम को जो रेलवे के स्थायी अधिकारी हैं कारखाने के समस्त हित को ध्यान में रखते हुए उनके विभाग को वापस भेज दिया गया है।

(ग) अध्यक्षों के बार-बार बदले जाने से भारी इन्जीनियरी निगम जैसे जटिल तथा महत्वपूर्ण कारखाने के कार्यकरण पर अवश्य ही प्रभाव पड़ता है। परन्तु ऐसे परिवर्तन अनिवार्य हैं। भारी इन्जीनियरी निगम में वरिष्ठ पदों के लिए एक नियमित संवर्ग बना कर भविष्य में ऐसे परिवर्तनों को यथासम्भव रोकने का प्रस्ताव है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिये स्थान

384. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम के प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थान का नाम तथा चुनाव का आधार क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं। परन्तु इस महीने के अन्त तक स्थल का चयन हो जाने की सम्भावना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारी इन्जीनियरिंग निगम, रांची में (मस्टर रोल) चिट्ठा कर्मचारी

385. **श्री पं० गोपालन** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 196 से रांची स्थित भारी इन्जीनियरिंग निगम के विभिन्न एककों में नियुक्त (मस्टर रोल) चिट्ठा कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन चिट्ठा कर्मचारियों में से अब कितने कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया गया है ;

(ग) चिट्ठे पर कार्य कर रहे आदिवासी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) चिट्ठे कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त करने सम्बन्धी नियम तथा शर्तें क्या हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में 1-1-68 से 30-6-70 तक नियुक्त चिट्ठा कर्मचारियों की कुल संख्या 1180 हैं।

(ख) इनमें से नियमित पदों पर लगा दिये गये कर्मचारियों की संख्या 109 है।

(ग) चिट्ठा पर कार्य कर रहे आदिवासी कर्मचारियों की कुल संख्या 914 है ।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार चिट्ठा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने हेतु मिम्न लिखित प्रणाली का अनुसरण किया जाता है :

(i) कुशल और अर्द्ध-कुशल पद : उचित वेतन-मानों में नियुक्तियाँ तब दी जाती है जब कि कर्मचारी ने 12 मास की निरंतर सेवा संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली हो।

(ii) अकुशल पद : इन वर्गों में चिट्ठा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए उनको तीन वर्ष की निरंतर सेवा सन्तोषजनक ढंग से पूरी करनी होती है ।

रेलवे डिवीजनल कार्यालय, रंगिया (आसाम)

386. **श्री हेम बरुआ :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रंगिया (आसाम) में एक रेलवे डिवीजनल कार्यालय स्थापित करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कार्य शुरू किया जा चुका है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). सरकार ने रंगिया में एक मंडल मुख्यालय स्थापित करने का फैसला कर लिया है बशर्ते असम सरकार इसके लिए उपयुक्त जमीन उपलब्ध कर दे । असम सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अब तक जिन स्थानों का प्रस्ताव किया है, उनका निरीक्षण किया गया है, लेकिन वे मंडल मुख्यालय बनाये जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाये गये ।

उपयुक्त जमीन उपलब्ध कर दिये जाने के बाद काम शुरू कर दिया जायेगा ।

बरौनी होकर जाने वाली आसाम मेल के यात्रियों की भोजन सम्बंधी कठिनाइयां

387. **श्री हेम बरुआ :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बरौनी होकर जाने वाली आसाम मेल के यात्रियों की भोजन सम्बन्धी कठिनाइयों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास अब तक कोई शिकायतें आयी हैं ; और

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की गयी है तथा इस सम्बन्ध में उचित कदम उठाये गये हैं?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) बड़ी लाइन और मीटर लाइन पर असम मेल से यात्रा करने वाले यात्रियों की भोजन सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्गवर्ती स्टेशनों पर खान-पान की पर्याप्त व्यवस्था है । इसके अलावा, मीटर लाइन वाली असम मेल में बरौनी और तिनसुकिया के बीच एक भोजन यान भी लगाया जाता है ।

(ख) भोजन की किस्म और सेवा के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ग) शिकायतों की जांच करके उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की गयी है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में क्रेन-चालकों की हड़ताल

388. **श्री हेम बरुग्रा :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र के क्रेन-चालकों ने 31 अगस्त से काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या थे ; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). 1 सितम्बर 1970 को राउरकेला इस्पात कारखाने की बेलन मिलों के क्रेन चालकों ने हड़ताल की थी उनकी मांग थी कि प्लेट मिल के उस क्रेन चालक को निलम्बन आदेश रद्द किया जाय जिस पर कदाचार का आरोप लगाया गया था और जिसे 31-8-70 से निलम्बित किया था । 8 सितम्बर 1970 को क्रेन चालकों ने स्वयं ही बिना शर्त हड़ताल खत्म कर दी ।

Old Age Pension Scheme

389. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the All India Conference on Social Welfare had recommended for the grant of old age pension ;

(b) if so, the reaction of Government thereon ; and

(c) the estimated annual expenditure on the implementation of the old age pension scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jagannath Rao) : (a) No such recommendation has been received.

(b) and (c). Does not arise.

Payment of Election Expenses to Candidates

390. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the fact that the present system of election is so costly that only those people win elections who are economically well off ;

(b) if so, whether Government propose to take a decision to pay the election expenses to the successful candidates as well as to those who have retained their security deposits, in order to encourage the poor and suitable individuals to take part in elections ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Jaganath Rao) : (a) The matter raised is one of opinion.

(b) The question relates to a matter of far reaching importance and as such calls for careful examination. The Committee proposed to be set up under the Chairmanship of the Speaker consisting of the representatives of political parties/groups in compliance with the assurance given to Parliament in this behalf will shortly be examining the question

of amendments to Election Law which includes amendments to the Chapter relating to election expenses. Any decision in the behalf would depend on the outcome of the discussions in the proposed Committee.

(c) Does not arise.

Utilization of Land Lying Unuesd on Both Sides of Railway Track

391. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the acreage of land lying on both sides of the entire railway trace in the ecountry ;

(b) the propose for which the said land is being utilised ;

(c) the annual revenue to Government from that land ;

(d) whether Government propose to give the said land for producing foodgrains and fruits ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri Nanda) : (a) to (d). Presumably the information required is regarding surplus cultivable Railway land. If so, the total area of such land on the Railways was 1.21 lakhs area as on 31-3-1968, upto which period only information is readily available. The total annual income derived is approximately Rs. 7.00 lakhs.

Wherever there is demand, surplus cultivable railway land is licensed to the cultivators either directly or through the State Government for Grow More Food purposes. So far 75,478 acres of land have been licensed for Grow More Food purposes.

(e) Does not arise.

Production of Cigarattes by Foreign Companies beyond Licensed Capacity

392. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Industrial Development and Internal Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign cigarette manufacturing companies manufactured 700 crore cigarettes in 1968 and 800 crore cigarettes in 1969 in excess of their licensed capacity and have thus violated the Industries Development and Regulation Act, 1951 ;

(b) whether the production in excess of the licensed capacity was undertaken with the permission of Government ; if so, the reasons for giving such permission ; and

(c) the action taken by the Government against these companies, in case no such permission had been granted to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Shri M. R. Krishna) : (a) to (c). Figures regarding capacity under licensing provisions, calculated on a two-shift basis, and actual production in 1968 and 1969 respectively are given below :

Capacity under licensing provisions	Production in 1968	Production in 1969
	(in million pieces)	
44,400	46,105	46,131

The question of actual production against capacity indicated above is being reviewed by Government.

शाहदरा-सहारनपुर रेलवे के भूतपूर्व कर्मचारियों को नौकरी देना

393. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहदरा-सहारनपुर रेलवे के बन्द होने के कारण हजारों लोग बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार उन्हें रेलवे के अन्य विभागों में नौकरी पर रखेगी और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री नन्दा) : (क) शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे के बन्द होने के कारण लगभग 1,100 कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे।

(ख) केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिलाने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं।

गोइनका समवाय समूह

394. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोइनका समवाय-समूह के समवायों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार उनमें से कुछ समवायों को अधिगृहीत करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि किस समवाय समूह के बारे में प्रश्न है। श्री राम नाथ गोयनका ग्रुप से सम्बन्धित अथवा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के नाम वाला एक विवरण संलग्न है। श्री एस० दत्त की अध्यक्षता में बनी औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने कई कम्पनियों को अन्य गोयनका समूह के अन्तर्गत वर्गीकृत किया था जिसे बड़े औद्योगिक गृहों में से एक माना गया था। बाद वाले ग्रुप में आने वाली कम्पनियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट 2 (क) (1) में दी गई है जिसकी एक प्रति पहले ही सभा पटल पर रखी जा चुकी है।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, के अन्तर्गत केवल विशेष कारणों से, जैसे कि उत्पादन मात्रा में पर्याप्त गिरावट, वस्तु आदि के गुण में विशिष्ट ह्रास, अधिनियम में निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपक्रमों को सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जा सकता है।

विवरण

श्री राम नाथ गोयान का समवाय समूह

1. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई)

2. एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्रा० लि०

3. इण्डियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्रा० लि०

4. आंध्र प्रभा प्रा० लि०

5. माउंट रोड प्रोपर्टीज लि०

6. मथुरा रोड प्रोपर्टीज लि०

7. कोलाबा प्रोपर्टीज लि०

8. ए० आर० के० इंवेस्टमैंट्स प्रा० लि०

9. एयर लाइन्स होटल्स एण्ड कैटर्स (मद्रास) प्रा० लि०

10. नेशनल कम्पनी लि०

छोटी कार बनाने के लिये आशय-पत्र का जारी किया जाना

395. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री राव तथा श्री संजय गांधी को छोटी कार का निर्माण करने के आशय-पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) क्या अमरीका से डिजाइन संबंधी सलाह लेने तथा खाके तैयार कराने के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा भी प्रदान की गई है ; और

(ग) क्या उक्त निर्माताओं ने उपर्युक्त कारखाने के लिए कुछ सरकारी वित्त-संस्थानों से लगभग 30 लाख रुपए का ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । आशय पत्र अन्य बातों के साथ इस शर्त के अधीन जारी किए गए हैं कि विदेशी परामर्श व्यवस्था की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा अन्य सरकारी संगठनों द्वारा इस्पात की प्लेटों तथा इस्पात की चादरों का आयात

396. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कमी की स्थिति का मुकाबला करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन ने गत 5 महीनों के दौरान इस्पात की प्लेटों तथा इस्पात की चादरों का आयात किया है ;

(ख) कितनी मात्रा में, कितने मूल्य का तथा किन-किन महीनों में ये चीजें आयात की गई ;

(ग) आयात किए गए इस सामान को वास्तविक उपभोक्ताओं में कब तथा कितनी मात्रा में आवंटित/वितरित किया गया ; और

(घ) कितनी मात्रा का अभी आवंटन करना शेष है तथा यह आवंटन कितने दिन से नहीं हुआ है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) 81,894 टन जिनका मूल्य 12.50 करोड़ रुपये है । आयात अप्रैल से अक्तूबर 1970 तक की अवधि में किया गया ।

(ग) अप्रैल-अक्तूबर की अवधि में वास्तविक उपभोक्ताओं को लदान/आमद के अनुसार 73,194 टन माल आवंटित/वितरित किया गया ।

(घ) 8700 टन, जिसमें 4000 टन का आवंटन अप्रैल, 1970 से 4300 टन का जून, जुलाई 1970 से और 400 टन का अगस्त 1970 से शेष है ।

दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने द्वारा मूल्यों में वृद्धि

397. **श्री मु० कु० तापड़िया** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने ने गत दो वर्षों के दौरान अपने मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) वे मदें/श्रेणियां कौन सी हैं जिनके मूल्यों में गत दो वर्षों के दौरान 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 100 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है ; और

(घ) इन वृद्धियों का इंजीनियरी के सामान पर क्या प्रभाव पड़ा ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) विभिन्न इंजीनियरी उद्योगों की मिश्र-इस्पात उत्पादों की खपत अलग-अलग है । अतः मिश्र-इस्पात उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव समान नहीं होगा । इंजीनियरी उद्योगों द्वारा खपत के विभिन्न मान दण्डों तथा आयातित मिश्र-इस्पात अथवा देशीय मिश्र-इस्पात के इस्तेमाल की सीमा के बारे में आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है ।

ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड की कमी

398. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड की काफी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस महत्वपूर्ण पदार्थ का देश भर में एक ही निर्माता है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त कमी को दूर करने के लिए ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड का आयात करेगी अथवा आयात करने की अनुमति देगी ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां। ग्रेफाईट इलैक्ट्रोड्स तथा विद्युत इस्पात भट्टियों की अनुमानित आवश्यकता आजकल प्रतिवर्ष लगभग 8400 मी० टन है जबकि प्रतिवर्ष उत्पादन 3000 मी० टन है।

(ख) जी, हां।

(ग) देशीय सम्भरण से जितनी कमी रह जाती है उतने ग्रेफाईट इलेक्ट्रोड्स के आयात की अनुमति वास्तविक उपभोक्ता को दी जा रही है।

लघु उद्योगों के लिये जापान से प्राप्त सप्लाई क्रयादेश

399. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व जापान का दौरा करने वाले एक सरकारी दल ने लघु उद्योगों द्वारा निर्मित पदार्थों के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये के मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों के लिए तथा कितने मूल्य के क्रयादेश प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) इन क्रयादेशों को देश के लघु उद्योगों में किस प्रकार वितरित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). सरकारी दल ने जो जापान की यात्रा पर गया था 58 करोड़ रुपये के मूल्य की निम्नलिखित वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए निर्यात आर्डर प्राप्त किए हैं :—

(1) मोटर गाड़ियों के हिस्से	35 करोड़ रुपये
(2) सिलाई मशीन के हिस्से	9 „ „
(3) साइकिल के हिस्से	9 „ „
(4) वैद्युत पुर्जे	2 „ „
(5) विविध वस्तुएं	3 „ „

(ग) लघु उद्योग जो इन आर्डरों पर क्वालिटी की वस्तुएं सप्लाई कर सकेंगे उनका चयन किया जा रहा है। जापान की फर्म द्वारा पक्का आर्डर मिल जाने के बाद जितनी जल्दी व्यावहारिक होगा इन आर्डरों पर इन उद्योगों को निर्यात में सक्षम बनाने के लिये आवश्यक सुविधाएं दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण

400. **श्री एस० आर० दमानी :** क्या औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों का निर्माण करने का कारखाना स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस लाभप्रद श्रम को सरकारी क्षेत्र में स्थापित न करने के क्या कारण हैं जबकि स्कूटरों की मांग और उन पर लाभ होना निश्चित है ?

औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जी, हां। सिद्धान्त रूप में यह निश्चय किया गया है कि 1,00,000 वार्षिक क्षमता वाला स्कूटर बनाने का एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाए जो पूर्ण रूप से परीक्षित विदेशी नमूने पर आधारित हो। इस निर्णय का अनुसरण करते हुए, विदेशी पार्टियों से 15 नवम्बर, 1970 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने तथा उस पर विचार कर लेने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्रीलका में भारतीयों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों का समाचार

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "श्रीलंका में भारतीयों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयों के समाचार तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : श्रीलंका में भारतीय व्यापारियों की वर्तमान कठिनाइयों पर हाल ही में जो टिप्पणियाँ की गई हैं उनकी ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

मई 1970 में श्रीलंका में नई सरकार की स्थापना हुई और उसने घोषणा की कि वह

कुछ तरह के व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण कर देगी। इस सरकार ने यह भी घोषणा की कि उसका इरादा विभिन्न व्यवसायों का श्रीलंकाकरण करने का है। इन नीतियों के अनुसरण में उन्होंने 'खाद्य आयात व्यापार' को पहले आयात का जितना कोटा निर्धारित था उसमें कमी कर दी है और 'सीलोन कोपरेटिव होलसेल्स स्टेब्लिशमेंट' को तरजीह दी है। आयात के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया बदल दी है और पहले 'ओपन जनरल लाइसेंस' के अन्तर्गत जिन कतिपय वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता था उन्हें भी अब कोटा पद्धति के अन्तर्गत रख दिया है। श्रीलंका की सरकार ने आयात और निर्यात व्यापार अपने हाथ में लेने के लिए एक राज्य व्यापार निगम की स्थापना करने का निश्चय किया है। रत्न के व्यापार में काम करने वाले अनेक भारतीय राष्ट्रिकों को उसने रिहायसी परमिट नहीं दिये हैं। यह सभी कदम एक सामान्य नीति के अंग हैं जो कि भेदभावपूर्ण नहीं हैं और इसका लक्ष्य खासतौर से भारतीय व्यावसायिक संस्थाओं का अहित करना नहीं है। इसका श्रीलंका के नागरिकों और दूसरे विदेशियों पर प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय राष्ट्रिक अपने वर्तमान रोजगार से अलग हो जायेंगे और यह भी संभव है उनमें से कुछ लोग भारत लौटना चाहें। सरकार इस स्थिति पर निगरानी रख रही है और अगर जरूरी होगा तो वह भारत लौटने वालों की समुचित सहायता करेगी।

भारतीय मूल के राष्ट्रिकताहीन नागरिकों को नागरिकता प्रदान करने, और जिन्हें भारत आना है उनका देश-प्रत्यावर्तन करने, के बारे में 1964 में जो समझौता हुआ था उसपर अमल किया जा रहा है, श्रीलंका की सरकार ने इसे, इसके भाव और भाषा के अनुरूप, क्रियान्वित करने का अपना निश्चय दोहराया है तथा भारत सरकार ने भी श्रीलंका की सरकार को सूचित कर दिया है कि वह भी इसे क्रियान्वित करने के लिए कृत संकल्प है। इस समय दोनों देशों की सरकारें इस समझौते के अन्ततर्ग प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने की संभावना पर विचार कर रही है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भारतीय व्यापारियों के सम्बन्ध में नहीं था। यह एक समाचार पर आधारित था कि वहां के बागानों आदि में काम करने वाले भारतीयों को कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं। मगर माननीय मंत्री महोदय का उत्तर केवल व्यापारियों से संबंधित है। इस अवसर पर मैं श्रीलंका की क्रांतिकारी सरकार को बधाई देता हूँ, क्योंकि उसने आयात-निर्यात व्यापार को राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया है। आशा है कि भारत सरकार को इस धीरतापूर्ण कदम से प्रेरणा मिलेगी। बड़े व्यापारी अपनी सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। वहाँ के छोटे व्यापारी तथा अन्य नागरिकों ने भारतीय उच्चायुक्त से भारत को वापस आने के लिए पारपत्र तथा अन्य सुविधाओं की मांग की है। सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है जिनके पास जीविका का क्या कोई साधन नहीं है। वक्तव्य में कहा गया है "दोनों देशों की सरकारें इस समय...प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने की संभावना पर विचार कर रही है।" मैं जानना चाहता हूं कि क्या दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों के बीच इस सम्बन्ध में चर्चा होने की संभावना है। यदि नहीं, तो किस स्तर में चर्चा की जायेगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर वक्तव्य के तीसरे पैरा में दे दिया गया है जहां 1964 में किये गये समझौते का जिक्र कियां गया है। लुसाका में हुई मंत्रिस्तरीय वार्ता में

इस मामले पर अनौपचारिक रूप से विचार किया गया था और श्रीलंका के मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे 1964 के समझौते को हर तरीके से क्रियान्वित करेंगे। उस समझौते के दो भाग हैं। हमने कुछ लोगों को वापिस लेना स्वीकार किया है और श्रीलंका की सरकार भी कुछ लोगों को वहां की नागरिकता के अधिकार प्रदान करने से सहमत हुई। इस समझौते के कार्यान्वियन की यह समस्या काफी हद तक सुलझ जायेगी।

जो लोग वापिस आना चाहते हैं उन्हें सुविधाएं प्रदान किये जाने का जहां तक सवाल है, यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है जो केवल हम से संबंधित है। हम तमिलनाडु सरकार और अन्य राज्य सरकारों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। लोगों को पुनर्वास की कुछ योजनायें बनाई गई हैं। आम-तौर पर जो व्यवस्थायें की गई हैं वे संतोषजनक मालूम होती हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आप उन योजनाओं की मुख्य विशेषतायें बता सकेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : उन लोगों को किसी न किसी काम पर लगाने की योजनायें बनाई जा रही हैं। कुछ लोगों को बागानों में काम पर लगाया जायेगा और कुछ लोगों को कुछ अन्य कामों पर। इस विषय पर विस्तृत रूप से पुनर्वास मंत्रालय विचार कर रहा है। अगर माननीय सदस्य इच्छुक हैं, तो वे संबद्ध मंत्रालय से प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : The progressive people of Asia and Africa must welcome the historical steps taken by the revolutionary Government of Ceylon in nationalising the import and export trade. It is an admirable deed that they have driven out the profiiteers of America and Britain from Ceylon. We cannot have sympathy towards the big businessmen there. The only thing that we have to see is whether the workers of origin working in that country are suffering or not. Has the Indian High Commission in Ceylon been told that the worker should be advised to give mass support to the co-operative and nationalisation movements there, which are aimed at changing the complexion of the country ? We also endeavour to entrust our trade with Afganisthan and Nepal to State Trade Corporation. But the big business houses and vasted interests would not find favour with their movement. But the working class of these country will support this measure. I would like to know whether the Government has instructed the Indian High Commission in Ceylon to ensure that the Indian citizens working in Ceylon do not suffer there, and that all possible facilities are accorded to them. Inspite of this, if they come over to India on their own accord, are the Government going to give maximum facilities to them ?

श्री स्वर्ण सिंह : इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले 1964 के समझौते पर ध्यान देना चाहिए। इस समझौते के अधीन श्रीलंका में रह रहे भारतमूल के लोगों की कुल संख्या का पता लगाया गया। यह समस्या काफी समय से अनिर्णीत रही। 1964 में दोनों देशों के प्रधान मन्त्रियों के बीच समझौता हुआ। अब सवाल केवल इसके कार्यान्वियन का है। आशा की जाती है कि समझौते के अन्तर्गत काफी लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त होगी और इन की सही संख्या समझौते में निश्चित की गई है। कुछ लोगों को भारत में बसाया जाएगा। जैसा मैंने कहा, जो लोग भारत आयेंगे उन के पुनर्वास की सारी व्यवस्थायें की जाएंगी। यह सही है कि उन्हें पहले कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मगर हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि उनकी कठिनाइयां यथा संभव दूर की जाए।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमान्, श्रीलंका तथा अन्य कई देशों में भारतीयों के साथ

अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। श्रीलंका की सरकार की ओर से कई बार इस प्रकार के बुरे व्यवहार देखने को आये हैं। वहां के भारतीयों में अधिकांश लोग दक्षिण भारत के हैं। 1964 में श्री शास्त्री और श्रीमती भंडार नायके के बीच हुए समझौते पर अमल नहीं किया है। भारत सरकार का भी इस सम्बन्ध में रुख संतोषजनक नहीं रहा। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि यह उस सरकार की कुछ आम नीति का भाग है। मगर इस आम नीति के बहाने वे भारतीयों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। देश-प्रत्यावर्तन के मामले में भी श्रीलंका की सरकार का रवैया संतोषजनक नहीं था। अब उस सरकार ने भारत के राष्ट्रिकों को दो या तीन महीनों के अन्दर इसे छोड़ने का आदेश दिया है। इतनी कम अवधि में वे अपनी अस्तियों के मूल्य का सही पता कैसे लगा सकेंगे ? वहां के भारतीयों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कहना उचित नहीं होगा कि श्रीलंका की सरकार ने भारत विरोधी रवैया अपना लिया है। भारत और श्रीलंका की सरकारों ने आपसी हित के आधार पर 1964 में समझौता किया था। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है। दोनों सरकारें इस बात से सहमत हैं कि इस पर अमल किया जाना चाहिए। ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आई है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि श्रीलंका की सरकार ने इस पर अमल करने का प्रयत्न न किया हो यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट बात मेरे ध्यान में लायेंगे, तो अवश्य उस पर विचार करूंगा। वापिस आनेवालों की समस्या का जहां तक सवाल है उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

दो या तीन महीने की अवधि के सम्बन्ध में मैं और अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। एक व्यवस्था वहां कायम थी जिसके अनुसार उन लोगों को रहने का परमिट जारी किया जाता था। इस के अन्तर्गत जो मामला आता है, उस की जांच की जा सकती है। व्यक्तिगत मामलों पर ध्यान देने के लिए भारत के उच्चायुक्त से कहा जाएगा। मगर व्यक्तिगत मामलों से मुख्य समस्या को नहीं उलझाना चाहिए। हमें 1964 के समझौते को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका की सरकार भी ईमानदारी से इस दिशा में प्रयत्न करेगी।

श्री क० लकप्पा : मैंने भारतीयों को देश छोड़ने का आदेश दिये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रश्न रखा था। मंत्री महोदय ने इसका जवाब नहीं दिया।

श्री स्वर्ण सिंह : इस संबंध में सही स्थिति इस प्रकार है : श्रीलंका में अन्य देश के राष्ट्रिकों को वर्ष 1955 तक अस्थायी तौर पर रहने का परमिट दिया गया था। 1954 के समझौते के अन्तर्गत इन परमिटों का नवीकरण केवल श्रीलंका की सरकार के निर्देशानुसार ही किया जा सकता था। इसके परिणाम स्वरूप कभी कभी भारत के राष्ट्रिकों को वहां से जाना पड़ा है। उच्चयुक्त का मत यह है कि समाचार पत्र में 22,000 का जो आंकड़ा दिया गया है। वह गलत है। वहां अब 10,000 लोग जिनके पास अस्थायी तौर पर रहने का परमिट है। इन में से काफी लोगों को वहां रहने का अधिकार है। इस प्रकार हम उस समस्या का भी निपटारा कर रहे हैं जो 1964 के समझौते के बाहर है।

श्री एस० कन्डप्पन (मैट्टूर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय वैदेशिक कार्यमंत्री ने जो जवाब दिया है, वह सही नहीं है। समझौते को कार्यान्वियन में इसीलिए विलम्ब हो रहा है कि दोनों सरकारों के बीच मतभेद है।

अध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० कन्डप्पन : मंत्री महोदय कई तथ्यों को छिपा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि आपने नाम नहीं दिया। अतः आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

श्री एस० कन्डप्पन : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय असत्य जानकारी दे रहे हैं। कार्यान्वियन के लिए निश्चित की गई अवधि अब समाप्त हो चुकी है। तो मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक ढंग से चल रहा है ?

श्री स्वर्ण सिंह : अवधि समाप्त नहीं हुई है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को अपना घर-बार छोड़कर बाहर जाना पड़ रहा है। यह बर्मा से हो, अफ्रीकी देशों से हो, या श्रीलंका से हो मगर ऐसी घटनायें इस बात का द्योतक हैं कि हमारी विदेश नीति पूर्णतः असफल हो गई है। गत वर्ष समाचार पत्रों में पढ़ने को आया था कि भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार को पूंजिगत माल खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए देने से सहमत हुई है। अब मंत्री महोदय श्रीलंका की सरकार की घोषणा की ओर जरा ध्यान दें। वहां से 15,000 भारतीयों को निकाला जा रहा है। यही हमारी मित्रता का परिणाम है।

श्रीलंका की सरकार ने यह दलील दी है कि 15,000 लोग शास्त्री-सिरिमाओं समझौते के अन्तर्गत नहीं आते। वे अब आप्रवास कानून में संशोधन कर इन लोगों को वहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार श्रीलंका की सरकार ने भारतीयों को खतरे में डाल दिया है। मगर हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि यह सब भारत के नागरिकों के हित में हैं।

दूसरी बात यह है कि बताया जाता है कि श्रीलंका के प्रधान मंत्री ने कहा कि वे पूर्व समझौतों का पालन नहीं करेंगी। आशा है, भारत सरकार इस ओर ध्यान देगी।

मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक इन अभागे 15,000 लोगों का संबंध है जिन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया जा चुका है, भारत सरकार उन के लिए क्या खास कार्यवाही कर कर रही है।

दूसरी बात यह है कि जो लोग भारत लौट आ रहे हैं, उनको पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा रोजगार के अन्य उपाय प्रदान करने के लिए क्या किसी एक मंत्रालय के अधीन एक विशेष पुनर्वास निधि बनाई जाएगी ?

श्री स्वर्ण सिंह : जहां तक भारत सरकार के साथ किये गये समझौते का संबंध है, यह 1964 में दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने किया था और श्रीलंका की भूतपूर्व तथा वर्तमान

सरकारों ने इस समझौते के पालन में आना कानी नहीं की है । अब राष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों में इस के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ और कदम भी उठाये जाने हैं । जहां तक श्रीलंका की सरकार का सवाल है, श्रीलंका में आवश्यक कार्यवाही करना उनका कर्त्तव्य है और 1964 के समझौते के अन्तर्गत जो भारत आते हैं उन्हें बसाना हमारा कर्त्तव्य है ।

अतः आप को राष्ट्रीय कार्यवाही को अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व से पृथक करना होगा । दोनों सरकारों ने मूल करार के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है और करार को लागू किया जा रहा है ।

मैं माननीय सदस्य को विशेष रूप से यह बताना चाहता हूं क्योंकि वह तमिल नाडु के रहने वाले हैं जहां इन व्यक्तियों को पुनर्वासित किया जाना है । इस करार को क्रियान्वित करने की अवधि 15 वर्ष है । अतः यह कहना उचित नहीं है कि करार की अवधि समाप्त हो चुकी है । इस करार को क्रियान्वित करने में जो कठिनाईयां आयेंगी उन्हें दोनों सरकारें यदि आवश्यक समझी गई तो, मंत्रालय स्तर तक पर सुलझाने का प्रयत्न करेंगी ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : The treatment met by Indians by the neighbouring countries is deplorable and produces thrilling sensation in the country. The hon. Minister has just now said that the new steps taken by Ceylon Government to deal with Indians are completely non-discrematory and impartial. I would like to ask the hon. Minister as to how far the Indians are affected by these new orders of Ceylon Government and what is the percentage of the Indians affected.

It was decided in 1964 in an agreement with Ceylon Government that 50,000 people will migrate to India every year. I would like to know the total number of Indians in Ceylon and one of those the number of Indians who have been given the right of permanant residence and temporary residence separately ? I would also like to know the number of the people who have already come over here and whether the hon. Minister is satisfied with the arrangements made for their rehabilitation and employment etc. ?

Has the attention of the hon. Minister drawn towards the budget speech of Ceylonese Finance Minister made by him on 26th October in his country's parliament that he has imposed a fresh tax of Rs. 500 per year on Indians residing there ? What is the justification of this new tax ? In case Indian Government does not take it justified, what action they have taken or going to take ? The objective of the taxation be indicated is a very serious matter. He said that this taxation has been imposed in view or compelling the largest number of Indians to leave Ceylon. I would like to know, whether the Indian Government would protest to this speech and apprise us of the factual position ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले प्रश्न के लिए मेरा उत्तर यह है कि व्यापार अथवा किसी औद्योगिक संस्थान का श्री लंका सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किये जाने पर यह धारणा बनाना उचित नहीं है कि केवल भारतीयों के अहित की दृष्टि से ही ऐसी कार्यवाही की गई है ।

कुछ समय पहले जब श्री लंका सरकार ने तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया था, भारत से यह मामला बिल्कुल भी सम्बन्धित नहीं था । बहुत से बड़े-बड़े देशों की पूंजी इन कंपनियों में लगी थी और श्री लंका सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों तथा विदेशी तेल संस्थानों को अपने नियंत्रण में ले लिया था । इस कार्यवाही के लिये हम यह नहीं कह सकते कि उन्होंने भारतीयों का अहित करने के लिये ऐसा किया ।

वर्तमान श्री लंका सरकार के नीति सम्बन्धी वक्तव्य में कहा गया है कि अनेक दिशाओं में महत्व पूर्ण कदम उठाये गए हैं। उदाहरणार्थ खाद्यान्नों के आयात में कमी करने के लिये एक तो सीलोन कारपोरेशन होलसेल एस्टेब्लिशमेंट को प्राथमिकता दी गई है दूसरे खुले सामान्य लाइसेंसों के स्थान पर कोटा (quota) प्रथा लागू कर दी गई है। खुले सामान्य लाइसेंसों के मामले में हम अपने देश में भी कोटे की प्रथा आरम्भ कर रहे हैं। तीसरे आयात तथा निर्यात व्यापार के लिए राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई है। चौथे हीरों के व्यापार में काम करने वाले भारतीयों के निवास परमिटों की अवधि नहीं बढ़ाई गई है। इस सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं इससे कितने भारतीयों पर असर पड़ेगा तथा कितने लंका निवासियों पर। इस सम्बन्ध में केवल यह सोचना कि यह सारा आयात और निर्यात व्यापार प्रमुख तथा भारतीयों के हाथों में है, अनुचित है। इस मामले का असर श्री लंका के व्यारियों पर ही अधिक पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार के व्यापार में वहां के ही व्यापारी हैं। अतः केवल यह कह देना कि राष्ट्रीयकरण से केवल भारतीयों का ही अहित हुआ है ठीक नहीं है।

जहां तक श्री लंका में भारत मूल के निवासियों की संख्या का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में समय समय पर सूचना पहले ही दी जा चुकी है। 1964 के करार में यह बताया गया है कि कितने भारतीयों की श्री लंका में स्थाई निवास की अनुमति दी जायेगी और कितनों को भारत लौटाया जायेगा। वे लगभग 3 लाख लोगों को श्री लंका की नागरिकता प्रदान करेंगे और लगभग 5 लाख या उससे अधिक कुछ लोगों को भारत आना होगा। इस बात के एक बार निश्चित हो जाने पर भी जो अन्य कठिनाईयां सामने आती हैं उन पर दोनों सरकारों द्वारा विचार कर लिया जाएगा।

मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि भारत आने वाले लोगों के पुनर्वास का मामला बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उन्हें उचित ढंग से पुनर्वासित करने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही करनी चाहिये। वित्त मंत्री के भाषण के बारे में जो आपत्ति उठाई गई है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है भारतीयों पर नये टैक्स लगाने आदि बातों पर हम श्री लंका सरकार से अलग से बातें कर रहे हैं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

श्री नाथ पाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक मुझे मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त नहीं होता तब तक के लिए मैंने उसे अनिर्णित रखा हुआ है।

Shri Rabi Ray (Puri) : Have you directed the hon. Minister to furnish the information ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें सूचित कर रहा हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. The Government has not presented the report and the same has been received by Mr. Maxwalle. Therefore, its absolute responsibility goes to the Minister concerned.

अध्यक्ष महोदय : इस संबंध में मुझे कुछ जानकारी नहीं है । मेरे पास कोई सूचना होनी चाहिये कि सरकार ने ऐसा करने को कहा है । क्योंकि कोई बात कही गई है केवल इसी आधार पर मैं इसे नहीं मान सकता । सूचना प्राप्त होने पर कोई निर्णय किया जाएगा ।

श्री नाथ पाई : अध्यक्ष महोदय, प्रतिवेदन की एक प्रति देने के लिए मेरे बार-बार निवेदन करने पर मंत्री महोदय ने कहा कि मैं इसे आप को नहीं दे सकता । सदन की मर्यादा भंग किये जाने का इससे अधिक ठोस प्रमाण और क्या हो सकता है । यह सब आपकी उपस्थिति में हुआ है । मेरे विचार से इसके लिए और किसी सूचना की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : कोई सूचना किसी व्यक्ति अथवा किसी विदेशी को दी गई है और मंत्री महोदय ने उस दस्तावेज को सभा पटल पर रखने से इन्कार किया है । यह निश्चय ही विशेषाधिकार का प्रश्न है । इसमें जांच का कोई प्रश्न नहीं आता । सरकार जांच कराये अथवा कुछ और कराये परन्तु विशेषाधिकार का प्रश्न तो रहता ही है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सूचना किसी को दी जाती है तो सूचना देने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकारी जीवनीयता अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

श्री राम मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, उस स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ जिस पर आपने विचार करने के लिए कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : कल मैंने कार्य मंत्रालय समिति में पश्चिम बंगाल की स्थिति पर चर्चा करने के लिए समय निकालने के लिए कहा था और इसे मान लिया गया था ।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मैं आप का ध्यान उड़ीसा के संसद सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों द्वारा उड़ीसा में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना की मांग के लिए दिये गये धरने की ओर दिलाना चाहता हूँ । आज सात विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है ।... ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में मैं ध्यानाकर्षण सूचना की मंजूरी दे रहा हूं ।

श्री नाथ पाई : यह एक गम्भीर मामला है कि संसद के लिए आते हुए सात नवयुवकों को मार्ग ही में गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : क्या हमारे विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह संयुक्त राष्ट्र के महा सचिव होने वाले हैं । श्री आदम मलिक ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है । इस सदन को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कुछ बताना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री महोदय को इस आशय की सूचना प्राप्त होगी तभी इस पर विचार किया जाएगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : There should be discussion regarding the Pay Scales of Primary School Techers. They are on strike, and their demands are reasonable. The hon. Minister should make a statement on it.

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता यह कार्य सूची में शामिल नहीं है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : This is a threadening lettet I have received ...(*Interruptions*). I would like to read it.

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नई बात नहीं है। हम सभी को ऐसे पत्र प्रतिदिन ही प्राप्त होते रहते हैं सदन में इन पत्रों का पढ़ा जाता रहना उचित नहीं दीखता है।

श्री शिव चन्द्र झा : इस पत्र में कहा गया है **

अध्यक्ष महोदय : यह कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जायगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री पार्थासारथी (राजमपेट) : मैं श्री जगन्नाथ राव की ओर से भारतीय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1908 के बारे में विधि आयोग के 34वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों, तीसरे वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन अधिसूचनाओं आदि के बारे में विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—** 4198/70]

केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिव्यय दर्शने वाला विवरण, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के बारे में तीसरे वेतन आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन, सरकारी बचतपत्र अधिनियम औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1970-71 के दौरान केन्द्रीय सरकार के बाजार ऋणों का परिणाम दर्शने

** कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

**Not recorded.

वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4199/70]

(2) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता के बारे में तीसरे वेतन आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4200/70]

(3) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति।

(एक) डाक-घर बचत पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 7 सितम्बर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1340 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक घर बचत पत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1970 जो दिनांक 21 अक्तूबर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1863 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4201/70]

(4) औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1713 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—4202/70]

(5) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1250 में प्रकाशित हुई थी। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4203/70]

(6) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी०एस०आर० 1248, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी०एस०आर०, 1249 जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गये। देखिये संख्या एल० टी०—4204/70]

व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री का वार्षिक प्रतिवेदन

श्री मं० र० कृष्ण (वेट्टपल्लि) : मैं व्यापार और पण्य चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत व्यापार चिन्ह रजिस्ट्री के 31 मार्च, 1970 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4205/70]

नियम समिति के कार्यवाही सारांश

श्री नाथपाई (राजापुर) : मैं नियम समिति की 31 जुलाई, 13 अगस्त और 8 सितम्बर 1970 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्री मान, मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त सूचना देता हूँ :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश किया गया है कि राज्य सभा ने 9 नवम्बर, 1970 को हुई अपनी बैठक में जल प्रदूषण निवारण विधेयक, 1969 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए नियत समय को राज्य सभा में 65वें सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक बढ़ाने के बारे में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक
DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL

राज्य सभ द्वारा पारित रूप में

सचिव : मैं राज्य सभा द्वारा 2 सितम्बर, 1970 को पास किये गये रूप में औषधियों तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1970 को सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति
ACCENT TO BILL

सचिव : मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र में पास किये गये औषधियां तथा प्रसाधन सामग्री (संशोधन) विधेयक, 1970 को भी सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970

(2) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1970

(3) विनियोग (रेल) संख्या 3 विधेयक, 1970

श्रीमान् जी, मैं 3 सितम्बर, 1970 को सभा में पिछली बार बताये जाने के पश्चात् राज्य सभा के सचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत तथा संसद की दोनों सभाओं द्वारा पिछले सत्र में पास किये गये और अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयकों की प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 1970।

(2) सेना, वायुसेना तथा नौ सेना विधि (संशोधन) विधेयक, 1970।

(3) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन विधेयक, 1970।

(4) दिल्ली दूकान तथा स्थापन (संशोधन) विधेयक, 1970।

(5) भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक, 1970।

(6) संविद श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) विधेयक, 1970।

(7) पेटेंट विधेयक, 1970।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति प्रतिवेदन

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTIONS

67 वां प्रतिवेदन

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 67वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुट) : कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। मैसूर राज्य में बहुत से काम बिल्कुल बन्द हो गये हैं। कृपया मेरे स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये जिससे सदन में इस मामले को उठाया जा सके।

Mr. Speaker : You should maintain the dignity and decorum of the House and adhere to the Procedure.

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक-जारी

IRON ORE MINES LABOUR WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL-*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री भागवत झा आजाद द्वारा 9 नवम्बर, 1970 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार किया जाये

"लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1961 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य लोह अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण के लिए संतोषजनक व्यवस्था में करना था। अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जो लोह अयस्क पर निकाला जाय उसपर 50 पैसे प्रतिटन से अनधिक उपकर लगाया जाएगा। वर्तमान उपकर की दर 25 पैसे प्रतिटन है।

जो धन उपकर से प्राप्त हुआ है उसे लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि में रखा गया है। इस निधि का उद्देश्य लोह अयस्क खान मजदूरों के लिए, जल सप्लाई, आवास चिकित्सा, शिक्षा सम्बन्धी, मनोरंजन सम्बन्धी अन्य कल्याणकारी सुविधायें प्रदान करना है। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, बिहार, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र गोआ आदि में लगभग 50,000 लोह अयस्क खान श्रमिक हैं।

उपकर वसूल करने के प्रक्रिया अधिनियम के आयोग नियमों में निर्धारित की गई है। उपकर व्यक्तिगत रूप से खान मजदूर द्वारा उपकर आयुक्त द्वारा अन्तिम रूप से मूल्यांकन करने पर दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक लोह अयस्क पैदा करने वाले राज्यों में आठ उपकर आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। इन आयुक्तों को सहायक कर्मचारी जैसे, निरीक्षक, लिपिक तथा चपरासी आदि दिए गये हैं जिसे उन्हें उपकरों के मूल्यांकन तथा वसूली में सुविधा हो सके।

इस प्रकार उपकर एकत्रित करने का मूल्य उपकर से प्राप्त निधि की आय का 3 प्रतिशत निकलता है। यह मूल्य ज्यादा होने की संभावना है यदि, जांच निरीक्षण पर्यवेक्षण तथा लेखे-जोखे सम्बन्धी कार्य के लिए पू स्टाफ की नियुक्ति आवश्यक समझी जायेगी।

देश में पैदा हुआ लोह अयस्क या तो दूसरे देशों को इसका निर्यात कर दिया जाता है या लोहा तथा इस्पात संयत्रों द्वारा उसकी खपत की जाती है। यह पता चला है कि यदि निर्यात पर उपकर सीमाशुल्क बिना बने इस्पात संयत्रों एजेन्सी द्वारा सीमा-शुल्क के रूप में वसूल किया जाय और देश में खपत किये जाने वाले लौह अयस्क पर इस्पात संयत्रों की एजेन्सी तथा अन्य मुख्य लोह अयस्क उपभोक्ता द्वारा भेजे गये लौह अयस्कको प्राप्त करते हुए उत्पादन शुल्क के रूप में लिया जाय तो इस एकत्रित किये गये उपकर कर मूल्य 3 प्रतिशत से घटकर आधा प्रतिशत

रह जायेगा। संशोधित किये जा रहे विधेयक का मुख्य उद्देश्य उपकर एकत्र करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

Shri Shivachandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, I wanted to speak on it. The list of the Names has already been submitted to you. It is not proper to awoid Genrel disscusion on the Subject.

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री का भाषण समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव सदन में अध्यक्ष द्वारा 'प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ' के रूप में रखा जाता है। खैर आप इस खंड पर तृतीय पठन के समय बोल सकते हैं। भविष्य में यह ध्यान रखिये कि जब प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा सदन में रखा जाता है जो सदस्य बोलना चाहते हैं उन्हें खड़ा होना चाहिए, नहीं तो दूसरी स्टेज आने पर अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जाता है। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2 and 3 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के खण्ड 4 पर श्री शिव चन्द्र झा ने अपना संशोधन दिया है, वह बोल सकते हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : I move my Amendment No. 3.

The existing rate of cess on iron ore production is 25 Paisa per metric tonne but it has been sought through amendment to raise the rate to not exceeding 50 Paise per metric tonne that means the rate of cost may go to 50 Paise per metric tonne. The cost of cess collection machinery at present remains 4 or 5 per cent of the cess collected. The cost of cess collection is likely to go higher on passing of the required inspection and checking staff. In order to reduce the cost of collection, I wanted that rate should be not less than 50 Paise per metric tonne in place of not exceeding 50 Paise per metric tonne.

Shri Shinkre (Punjim) : Cess is desired to be levied without discriminating the grade of the coal. It is improper. The rate of cess on high grade ore, should be more as compared to the low grade ore.

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then Adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक-सभा दो बजकर पांच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabba reassembled after lunch at Five minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए]
[Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

श्री रंजीत सिंह (खलीलाबाद) : श्रीमन, मुझे एक निवेदन करना है। अलीगढ़ में सैकड़ों विद्यार्थियों के हड़ताल करने से एक अजीब स्थिति पैदा हो गई है। ये विद्यार्थी विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक वातावरण में परिवर्तन चाहते हैं। सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस बातावरण को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया जायेगा। वहां की स्थिति को गम्भीर होने से बचाने के लिए सरकार इस सत्र में विश्वविद्यालय के साम्प्रदायिक वातावरण में परिवर्तन करने के लिए एक विधेयक पेश करे।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : इस सम्बन्ध में भी मेरे पास अनेक तार आये हैं। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की वर्तमान गम्भीर परिस्थिति के विषय में शिक्षा मन्त्री एक वक्तव्य दें। यदि कोई यहां गम्भीर बात होती है तो उसके लिए केन्द्रीय सरकार उतरदायी होगी। अतः वहां के साम्प्रदायिक वातावरण से मुक्ति दिलाने वाला विधेयक पेश करने के बारे में सदन को सूचना की जानी चाहिए क्योंकि वर्तमान साम्प्रदायिक वातावरण अप्रजातांत्रिक और राष्ट्रविरोधी है।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : दिल्ली के बहुत से शिक्षक हड़ताल पर हैं। वे वेतनों में असमानताओं के प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। कृपया सम्बद्ध मंत्री यह बतायें कि उनकी समस्या किस प्रकार सुलझाई जायेगी।

सभापति महोदय : इन सब बातों पर सरकार विचार करेगी।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : In Delhi, a teacher has been on hunger strike for the last one month. Fifty one teachers went on hunger strike yesterday. There is wide disparity in their pay scales. An amount of Rs. seventy was increased, in the case of a teacher whereas Rs 100 were increased in the case of another teacher. The Government and the local administration should recognise the teachers organisation. I would urge the Government to make a replacement with the striking teachers so that the strike may be called off.

Shri Suraj Bhan (Ambala) : In Delhi University the Harijans are not getting job. Since yesterday one Mr. Sarsunia has been on hunger strike. This injustice should be done away with.

लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक—जारी

IRON ORE MINES LABOUR WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब सदन में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : यह विधेयक लौह अयस्क पर लगाये गए उपकर की वसूली के ढंग में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है इसका लक्ष्य है। वसूली की लागत को कम करना। जहां तक इस लक्ष्य का संबंध है हम इसका समर्थन करते हैं क्योंकि इससे श्रमिक कल्याण के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी। अतः हम सचमुच चाहते हैं कि वसूली की लागत कम हो।

परन्तु मैं एक दो बातों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। पहली बात यह है कि प्रस्तावित नई योजना के अनुसार वास्तव में उपकर कौन देगा? अब तक खान के मालिक उपकर दिया करते थे। यह उत्पादन के आधार पर वसूल किया जाता था परन्तु अब निर्यात किये जाने वाले माल पर सीमा शुल्क के रूप में उपकर वसूल किया जायेगा और जो माल देश में लोहा तथा इस्पात कारखानों को सप्लाई किया जायेगा उस पर उत्पादन शुल्क के रूप में उपकर वसूल किया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस परिवर्तन का सरकारी क्षेत्र के निगमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री भगवान दास ने अपने भाषण में यह शिकायत की थी कि निगम को अपने संतुलन पत्र में हानि दिखाने को बाध्य किया जाता है। यद्यपि उनका काम केवल अयस्क का उत्पादन करना है। उन्हें पूरा व्यय जिसमें उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क कर, पत्तन शुल्क आदि सब कुछ शामिल हैं, उठाना पड़ता है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि नई योजना के अन्तर्गत उपकर कौन देगा। क्या इस प्रकार उपकर के रूप में जो वृद्धि की गई है। इसका प्रभाव खनिज तथा धातु विकास निगम पर या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम पर पड़ेगा जो अब सीमा शुल्क दे रहा है अथवा विदेशी आयातकर्त्ताओं पर पड़ेगा? गत वर्ष निर्यात एक करोड़ टन था। अगर प्रतिटन 25 या 50 पैसा उपकर के रूप में अधिक लगाया जायेगा वह तो बहुत बड़ी रकम होगी। श्री भगवान सिंह ने कहा था अगर राष्ट्रीय विकास निगम को ये शुल्क देना न पड़ेगा तो अवश्य ही उसको लाभ प्राप्त होगा। मेरे विचार से धातु तथा खनिज व्यापार निगम को जो कि निर्यात संगठन है, इस प्रकार सीमा शुल्क देना चाहिए। पता नहीं, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को इसके बीच क्यों घसीटा जा रहा है।

अब क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि अब तक श्रमिक कल्याण निधि में कितनी राशि एकत्र कर ली गई है? इस वर्ष के आरम्भ में राज्य सभा में दिए गये उत्तर में बताया गया था कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि के केन्द्रीय सलाह बोर्ड ने कुछ प्राथमिकतायें निश्चित की हैं। ये प्राथमिकतायें हैं (1) योजनाओं का निर्माण पूरा करना (2) जल की सप्लाई (3) चिकित्सा सुविधायें (4) आवास। मैं सदन के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूँ कि कई खानों में अधिकांश कार्य ठेके के श्रमिकों द्वारा कराया जाता है। परन्तु उन्हें इस निधि के अधीन कोई सुविधायें नहीं दी जाती हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भिलाई की खानों में दो श्रेणियों के श्रमिक है। एक श्रेणी के श्रमिक को सारी सुविधायें प्रदान की जाती हैं। जब कि दूसरी श्रेणी के श्रमिकों को उससे वंचित किया जाता है। इन दोनों श्रेणियों के श्रमिकों के काम से भिलाई के इस्पात कारखाने का कार्य चलता है। ठेके के श्रमिकों को कुछ नहीं दिया जा रहा है। यह घोर भेद-भाव है। अतः मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें ताकि सभी श्रेणियों के श्रमिकों को समान सुविधायें प्राप्त हों।

अंत में, मैं एक और बात सदन के ध्यान में लाऊंगा। कल्याण उपकर समिति में श्रमिकों के कुछ प्रतिनिधि हैं। उन में से दो प्रतिनिधियों ने मध्य प्रदेश की खानों में प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें कहा गया है कि मंत्रालय द्वारा जो प्राथमिकतायें निश्चित की गई थीं, उसका पालन नहीं किया जाता है। वहां कैरम बोर्ड या सिलाई मशीन तथा अन्य ऐसी चीजें दी जाती हैं। अवश्य ये चीजें प्रदान की जानी चाहिए। मगर प्राथमिकता के तौर पर कुछ अन्य चीजें पहले दी जानी चाहिए। अब वहां के खान श्रमिक बहुत दुखद परिस्थिति में जी रहे हैं। उन्हें पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलना। जहां तक ठेके के श्रमिकों का संबंध है। मैंने अपनी आँखों से देखा है कि उनमे से कइयों के पास आवास नहीं है। अतः उच्च प्राथमिकता इन चीजों को दी जानी चाहिए।

अतः पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय उपकर की दर बढ़ाने से सहमत होंगे। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि कल्याण निधि में अब तक कितनी राशि संचित हुई है। क्या प्राथमिकताओं का सख्ती से पालन किया जाएगा? क्या ठेके के कर्मचारियों को भी निधि के अधीन सारी सुविधायें प्रदान की जाएंगी? क्या मंत्री महोदय उपकर की वसूली के संबंध में मैंने जो प्रश्न उठाये थे, उसको स्पष्ट करेंगे?

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : श्रीमान् मेरा एक निवेदन है। एक माननीय सदस्य भूख-हड़ताल कर रहे हैं। उनका जीवन खतरे में है। उत्तर प्रदेश से कुछ गुंडे उनके पीछे पडे हुए हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है। मगर कोई उन्हें संरक्षण नहीं देता। गृह-मंत्री को इस संबंध में एक वक्तव्य देना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता कि इस संबंध में इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। माननीय सदस्य का पत्र प्रधान मंत्री तक पहुँचा दिया गया है जोकि गृह-मंत्री भी हैं। आशा करता हूं कि जब कोई सदस्य इस प्रकार कोई गंभीर शिकायत करते हैं, तो सरकार इस पर जरूर ध्यान देगी। अब श्री शिवचन्द्र झा अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Shinkre (Panjim) : I beg to move amendment nos. 4, 5 and 6. I have made a suggestion...

सभापति महोदय : मुझसे कहा गया है कि आप पहले ही इस पर बोल चुके हैं।

श्री शिंकरे : मेरा एक ही संशोधन है। उस समय मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था। उस समय मैंने संशोधन प्रस्तुत इसलिए नहीं किया था कि विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिली थी। अब मैं अपने संशोधन संख्यायें 4, 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही बोल चुके हैं। अब दुबारा आप बोल नहीं सकते।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने जो रचनात्मक सुझाव पेश किये, मैं उन्हीं पर और जोर दे रहा हूँ। ठेके के श्रमिकों की स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। उनके साथ वह व्यवहार नहीं किया जाता

जो और तरह के श्रमिकों के साथ किया जाता है । मैं यह कहता चाहता हूँ कि हरेक श्रमिक के नाम का पंजीकृत किया जाना चाहिए चाहे वह एक घंटे के लिए ही काम करता हो और उनके संरक्षण के लिए उचित व्यवस्थायें भी होनी चाहिए। अधिकांश श्रमिकों को अपने जिले या जहां तक कि अपने राज्य के बाहर जाकर नौकरी ढूंढनी पड़ती है । जब वे ठेके के श्रमिक हो जाते हैं तो आने-जाने में उन्हें रेल भाड़ा देना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि नई योजना में ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि श्रमिकों को आने-जाने में रेल भाड़ा कल्याण निधि में से प्राप्त हो सके ।

उनके आवास के संबंध में अब भी कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । वे बहुत शोचनीय स्थिति में रहते हैं । अत: उनके लिए स्थायी तौर पर आवास की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए । छोटे ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को आवास की सुविधायें प्रदान करने के लिए कल्याण निधि में से राशि का उपयोग किया जाना चाहिए । इसी एक कारण से मैं चाहता हूँ कि उपकर की दर बढा दी जाए । अगर ठेकेदार किसी हालत में आवास की सुविधायें प्रदान नहीं कर सकते हैं, और अगर निधि भी पर्याप्त नहीं हैं तो सरकार को एक प्रकार से कल्याण कार्य करने चाहिए ताकि इन अस्थायी आवासों के निर्माण में निधि तथा निधेक्ता दोनों का अंशदान दे सके।

उन्हें संरक्षित जल सप्लाई तथा चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए। उनके मनोरंजन के लिए स्थानीय खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । इन खेलों में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें इनाम देने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए ।

अन्य महत्वपूर्ण बात उन के कपड़े के बारे में है । काम करते वक्त श्रमिक जो कपड़े पहनते हैं, उनमें धूल और मैल जम जाती है । यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। इसको बिना धोये या साफ किये काम के बाद भी उन्हें पहिनना पड़ता है । क्योंकि उनके पास साधारणतया और कपड़े नहीं होते । अगर इन्हें वर्दी दी जाएगी, तो वे अपने कपड़े साफ सुथरे रख सकते हैं । अतः उन्हें वर्दी देने की व्यवस्था की जानी चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण बात है ।

श्रमिकों को श्वसन संबंधी खतरे से बचाने के लिए डाक्टरों द्वारा बनाई गई दवायें मुक्त रूप से दी जानी चाहिए ।

इस बात को मैं अधिक महत्व नहीं देता कि उपकर का भार किसके ऊपर अधिक पड़ता है । एक बात अवश्य है । यद्यपि इन श्रमिकों में कई को जमीन के अन्दर काम नहीं करने पड़ते हैं । फिर भी उन्हें उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कोयला खानों के श्रमिकों को करना पड़ रहा है। अतः कल्याण सेवायें उनको भी उपलब्ध करा दी जानी चाहिए । मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : आम तौर पर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूँ कि इस में काफी सुधार किया जा सकता था। खंड 4 में मीट्रिक टन पर अधिकतम उपकर 50 पैसे निश्चित कर दिया गया है । पता नहीं मीट्रिक टन के आधार सीमा क्यों निश्चित की गई है । माननीय मंत्री जानते हैं कि एक मीट्रिक टन लौह

अयस्क की विभिन्न श्रेणी का विभिन्न मूल्य होता है। अतः आम तौर पर 50 पैसे की अधिकतम सीमा से इच्छित राजस्व प्राप्त नहीं होगा। आशा है कि मंत्री महोदय अपने उत्तर में इसको स्पष्ट करेंगे।

एक बात जिसका मैं स्वागत करता हूं, यह है कि उपकर वसूल करने वाले अधिकारियों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। मगर इसके वावजूद भी इस कार्य के लिये काफी संख्या में अधिकारी होंगे। पता नहीं इनका क्या कार्य रहेगा। कहा गया है कि पहले विधेयक के कार्यान्वियन के लिए काफी संख्या में उपकर आयुक्त नियुक्त किये गये थे। इसके बाद उनका क्या कार्य रहेगा? इस काय के लिए क्या और अधिक लोगों को नियुक्त किया जाएगा? यदि हां, तो उनका क्या कार्य रहेगा?

हम नहीं जानते कि अब तक कितनी राशि संचित की गई है और किस प्रकार श्रमिकों के कल्याण के लिए उस राशि का उपयोग किया गया है।

भारत में खान श्रमिक सब से अधिक दुखद परिस्थिति में रह रहे हैं। उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है और जीवन स्तर बहुत निम्न है। उनमें से अधिकांश लोग आदिवासी तथा हरिजन इलाकों से आते हैं। उनकी समस्याओं के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्ता तथा श्री रंगा ने कहा। अस्थाई श्रमिकों को सब से अधिक कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं। संविद श्रम (निरोध) अधिनियम द्वारा कुछ हद तक शोषण पर रोक लगा दी गई है। परन्तु कई खानों में साल भर काम नहीं होता, और वहां शोषण की प्रक्रिया जारी है। अतः मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर दें कि संचित राशि का किस ढंग से व्यय किया जाएगा। अगर वे पहले तरीके को अपनायेंगे तो कर्मचारियों की नियुक्ति आदि में सारी राशि खर्च हो जाएगी। अतः मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि धन राशि का व्यय श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

जैसा पहले कहा जा चुका है। खान श्रमिकों की अपनी मुख्य समस्यायें हैं आवास, पीने के पानी की उपलब्धता अपने बच्चों के लिए शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधायें। कई खानों के मालिक डाक्टरों को नियुक्त करते हैं। मगर जरूरत पड़ने पर इन डाक्टरों के पास कोई दवा नहीं मिलेगी। वैसे ही ये श्रमिक जिन झोपड़ियों में रहते हैं, उनमें पशु भी नहीं रह सकते। अतः सरकार को इन चारों चीजों को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि प्राथमिकताओं को निश्चित करने का कार्य अफसरों को सौंप न दिया जाए।

खानों के स्वामित्व के बारे में यहां कहा गया है। मुझे पता चला है—मेरा कथन गलत भी हो सकता है—कि पिछले वर्षों में उपकर की वसूली में बहुत घांधली हुई है। कई मामलों में अब तक उपकर वसूल नहीं किया गया है। सरकार किस तरीके से इसको वसूल करने जा रही है?

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का सामान्यतः समर्थन करता हूं।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : Mr. Chairman, Sir, I support the spirit of this Bill. But the Government proceeds in this direction at theirs' pace and this disappoints me. Today there are so many mine labourers who get only Rs. 1-25 per day. I wonder how they manage to earn two times meal with this. How can an average labourer maintain his family, how can he brings up his children in a healthy atmosphere ? In these circumstances, the rate of cess should be increased. As Shri Shiva Chandra Jha said, the minimum rate should be 50 nP. The living condition of the labourers is deplorable. They don't have proper houses to live. They have no school to educate their children and no medical facilities. In order to accord them these facilities, some solid steps should be taken up and this can only be done through raising the rate of cess from 50 nP.

Another thing which I would like to emphasise is that the contract labourers working in these mines at present should be given all these facilities which are being given to permanent labourers, till they are also made permanent.

Finally, the mine owners generally take up the mines on lease. After utilising a certain amount of labour force, and extracting minerals to a certain quantity, generally they give up work with the result that on the one end the contract labour is not made permanent and on the other end the land become obsolete. Keeping this in view it is further necessary that the rate of cess should be increased so that the land might be levelled up. I support this Bill and at the same time want that this amendment be accepted.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Mr. Chairman, Sir, the proposed increase in the rate of cess by 50 nP is a clear indication to the fact that we began to pay heed to the problems of the poor labourers. But keeping in view the magnitude of the problem this cannot be considered a radical measure. More and more taxes should be levied on the affluent class and the resulting income should be diverted to the tackling of the hydra-headed problems facing the workers. As Shri Shinkre has suggested, the rate should be further increased to 70 nP.

The Government have sought to do one appreciable thing through this Bill. The collection of cess is instrusted to the custom and Income Tax Departments which was hither to done by the cess Commissioner. Here in I would like to make another suggestion, although it is not directly connected with this Bill, that collection of all the taxes should be entrusted to the Customs and Income Tax Department.

Another important point needs to be classified. The miner collects the cess and he will keeps it with him. There is no time-limit prescribed for the transfer of the collected amount to the Government. Therefore a time-limit should be prescribed for this. Otherwise we have so many instances before us where in the factory owners failed to transfer the amount of Provident fund of the labourers to the Government. The Government in those cases eventually will impose a penalty of Rs. 100 or 500, but by that time they will have earned a lot.

Therefore, what I want to say is that the rate of cess should be raised from 50 nP. to 70 nP., so as to meet the growing demands of the workers. The more the taxes are levied on the rich, the bitter for the welfare of the poor workers.

Shri Bhagaban Das (Ausgram) : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill and request the Minister to accept the amendment moved by Shri Shiva Chandra Jha. In my view, the ceiling should not be less than 50 nP. The most important thing that I want to stress upon is that the labourers are living in deplorable conditions. They are not getting any facility in life. Therefore it is imperative that the Government should pay heed to their problems and bring out some measures to tackle them. I support this measure.

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : सभी

माननीय सदस्यों ने आमतौर पर इस विधेयक का समर्थन किया है। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने पूछा था कि संचित राशि कितनी है। इस समय कुल राशि (272.51) लाख रुपये है। माननीय सदस्यों ने कहा कि आवास, जल की सप्लाई, और चिकित्सा सुविधाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम इन बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हम इस योजना को पूर्ण रूप से इसलिए कार्यान्वित नहीं कर सके क्योंकि नियोक्ताओं ने अपना अंशदान नहीं दिया। इस योजना के अन्तर्गत नियोक्ताओं को जल की सप्लाई के लिए 5 प्रतिशत देना पड़ेगा और आवास के लिए 25 प्रतिशत देना पड़ेगा। उन्हें जमीन तथा अन्य चीजें भी देनी पड़ेंगी। दुर्भाग्यवश अब तक नियोक्ताओं के पास से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। चूंकि हम नियोक्ताओं को समझा नहीं सके, अतः हमने यह मामला राज सरकारों के साथ उठाया है।

हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि स्वीकृत योजनाओं को पूरा किया जाए। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा और गोआ में 4,193 आवास एककों के लिए मंजूरी दी गई है। इन में 1,186 आवास एकक पूरे किये जा चुके हैं। 180 एकक निर्माणाधीन हैं और 2,327 एककों का निर्माण अभी प्रारम्भ करना है। हम इसलिए निर्माण कार्य आरम्भ नहीं कर सके क्योंकि नियोक्ताओं ने अपना अंशदान नहीं दिया था। अब हम राज्य सरकारों से निवेदन कर रहे हैं कि वे नियोक्ताओं को समझा दें। जल की सप्लाई के मामले में 29 कुएं में से 11 कुओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 18 कुओं का निर्माण अभी आरम्भ करना है। चिकित्सा सुविधाओं के मामलों में हमने 7 चलते फिरते चिकित्सा औषधालयों को मंजूरी दे दी है जिनमें 6 औषधालयों का निर्माण पूरा हो चुका है।

यह सच है कि प्रगति इतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अतः हम राज्य के श्रम सचिवों को इस मामले में विशेष ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। अगर जरूरी है, तो मैं राज्य के श्रम मंत्रियों की बैठक बुलाऊंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वे नियोक्ताओं को श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए प्रेरित करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उपकर से प्राप्त धन-राशि का तब तक उपयोग नहीं हो सकता जब तक नियोक्ता आगे अंशदान नहीं देते ?

श्री भागवत झा आजाद : जी, हां। नियोक्ताओं को जल सप्लाई के लिए 50 प्रतिशत अंशदान होता है और आवास के मामले में 25 प्रतिशत अंश-दान देना होता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : सरकारी क्षेत्र के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें भी अंशदान देना पड़ता है। जैसा कि, मैंने आंकड़े प्रस्तुत करते समय बताया था कि सरकार सरकारी क्षेत्र या गैर-सरकारी क्षेत्र में उन्हें अंश-दान का भाग देने के लिए समझा नहीं सकी है।

श्री एस० कंडप्पन (मैट्टूर) : सरकार क्षेत्र के लिए आप किसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : मैं श्रम विभाग का मंत्री हूं और मैं अन्य विभागों, जैसे लौह

तथा इस्पात विभाग के मंत्री को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। कई माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या संविद श्रमिक भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आयेंगे ? जी हां, वे भी इस अधिनियम के अन्तर्गत आयेंगे। अब संविद श्रमिक अधिनियम संविधान में शामिल हो चुका है। हम नियम बना रहे हैं और वे अन्य मामलों पर भी लागू होंगे। पर जहां तक इस अधिनियम का संबंध है, हम मूल न्यूनतम सुविधाओं जैसे पेय जल आदि के लिए संविद श्रमिक तथा दूसरे श्रमिक के बीच भेद-भाव नहीं करना चाहते। अतः यह अधिनियम उन पर भी लागू होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या संविद श्रमिक को भी समान रूप से सुविधाएं दी जाएंगी ? उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी क्योंकि ठेकेदारों को अंशदायी अनुदान देने के लिए कहा जाएगा और वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होंगे।

श्री भागवत झा आजाद : जैसा कि मैंने पहले कहा है यह एक अंशदायी संयोजना है और स्वभावतः नियोक्ताओं को अंशदान देना चाहिये। इसका अधिक से अधिक विस्तार हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि नियोक्ताओं के लिए अंशदान की निश्चित प्रतिशतता होनी चाहिए और संयोजना के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि नियोक्ता अंशदान दे और संयोजना को बनाए रखें। संविद श्रमिक अधिनियम में व्यवस्था दी गई है जिसके अनुसार हम ठेकेदारों को कुछ सुविधाएं देने के लिए बाध्य करेंगे। इसी प्रकार लौह अयस्क खानों के ठेकेदारों को भी हम कुछ सुविधाएं देने के लिए बाध्य करेंगे। माननीय गुप्ता जी ने पूछा था कि उपकर कौन देगा ? जैसा कि अधिनियम में बताया गया है—सरकार मिलों या मिल-मालिकों से उत्पादन शुल्क लेगी और मालिक उत्पादक से शुल्क लेंगे। निर्यातकर्ताओं के मामले में निर्यातकर्ता उपकर देंगे। अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि उपकर की दर 50 पैसे की जाए। श्री शिव चन्द्र झा चाहते हैं कि यह उपकर 50 पैसे होना चाहिए। जब भी हम संयोजनाओं को चलाने तथा धन-राशि को व्यय की स्थिति में होंगे, उसी समय उपकर की दर बढ़ाकर सीधे 50 पैसे कर दी जाएगी या 35,40 अथवा 45 पैसे कर दी जाएगी। अधिनियम में ऐसा समर्थ उपबंध दिया गया है। हमने उपकर की दर 25 पैसे रखी है और तदानुसार कल्याण संयोजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर हैं। इस सम्बन्ध में हमारे पास 2.73 करोड़ की संचित धन-राशि है। जब भी हम स्थिति को सरल बनाने की स्थिति में होंगे और नियोक्ता तथा राज्य सरकारें संयोजनाओं को चलायेंगे तो उसी समय उपकर की दर 25 पैसे से बढ़ा दी जाएगी। अतः मैं श्री शिव चन्द्र झा से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने संशोधन पर जोर न डालें। श्री शिंकरे ने उपकर की दर बढ़ाकर 75 पैसे करने के लिए कहा है। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे अपने संशोधन पर अधिक जोर न डालें। श्री शिंकरे द्वारा प्रस्तुत अन्य संशोधन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि कल्याण उपकर केवल लौह अयस्क तक ही सीमित नहीं है, अभ्रक और कोयले पर भी उपकर लगाया गया है। विभिन्न श्रेणियों के बीच अन्तर करना सम्भव नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि हमको मात्रा पर ध्यान देना चाहिए किस्म पर नहीं। इसलिए हमने उपकर की दर 25 पैसे रखी है और यदि आवश्यकता हुई तो भविष्य में यह दर 25 पैसे कर दी जाएगी। अतः हम श्रेणियों के आधार पर उपकर की दर निर्धारित नहीं करेंगे। इसलिए हमने सभी श्रेणियों पर उपकर की समान दर निर्धारित की है। अतः मुझे आशा है कि दोनों माननीय

सदस्य अपने संशोधन वापिस ले लेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि 25 पैसे दर से संचित राशि कल्याण-कार्य में नहीं लगाई गई। मैं इस मामले पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहता हूँ और यदि उपकर की दर बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं करेगी। मुझे आशा है कि संशोधन वापिस ले लिए जायेंगे और खंड संख्या 4 को पारित किया जाएगा।

सभापति महोदय : मैं श्री झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 सदन के समक्ष मतदान हेतु रखता हूं।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 19 **विपक्ष में 87**

Ayes 19 **Noes 87**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was Negatived.

श्री शिकरे (पंजिम) : मैं संशोधन संख्या 4, 5 तथा 6 वापिस लेना चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 4, 5 तथा 6 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

Amendment Nos. 4, 5 and 6 were, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 5—धारा संख्या 8 का संशोधन।

सभापति महोदय : खंड 5 पर श्री लोबो प्रभु का एक संशोधन है।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपनी सशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ। इस विधेयक को केवल श्रमिक विधेयक मान कर इस पर चर्चा की जा रही है यद्यपि इस विधेयक का सम्बन्ध लौह अयस्क, खान, धातु तथा धातु-विज्ञान से भी है। मैं नहीं जानता कि इस समय खान तथा धातु मंत्री सदन में उपस्थित क्यों नहीं हैं? उनको भी इस मामले में रुचि दिखानी चाहिए और सभी प्रकार के विधान बनाने का कार्य श्रम विभाग पर नहीं छोड़ना चाहिए। श्रम मंत्रालय में भी अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ रहा है। श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने 2.6 करोड़ रुपये की संचित धन-राशि, जो व्यय नहीं की गई, के बारे में प्रश्न पूछा था। यदि मन्त्रालय इस आधार पर, कि धातु-सम्बन्धी उद्योगों से अथवा सम्बद्ध खान मालिकों से अंशदान प्राप्त नहीं हुआ, संचित धन-राशि

को व्यय नहीं करती तो मन्त्रालय का कार्य क्या है ? जब सरकार कुछ संयोजनाओं को लागू करने के लिए तैयार नहीं है तो वह संशोधन क्यों करना चाहती है? काफी संख्या में खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। अब ये खानें राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अधीन हैं। अतः यह बहुत ही शर्म की बात है कि यह मंत्रालय केवल धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है और संचित धनराशि को व्यय करने के लिए तैयार नहीं है। खानों की स्थिति दिन प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही है। विश्व में खानों का जो कुल निर्यात होता है, उसका एक प्रतिशत भारत करता है। कुद्रमुक परियोजना में 49 प्रतिशत तक समान भाग है औ उसके लिए 1972 तक 50 लाख टन के निर्यात की सम्भावना है लेकिन मन्त्रालय कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। केवल धन-राशि इकट्ठा करना पर्याप्त नहीं है बल्कि, उद्योगों तथा खानों से अधिक लाभ कमाने, और निर्यात बढ़ाने और वर्तमान परियोजनाओं को चालू रखने के लिए मन्त्रालयों को कुछ और अधिक कार्य करना चाहिए।

विधेयक में बताया गया है कि कर वसूल करने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों को आधा प्रतिशत दिया जाता है। परन्तु विधेयक में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि धातु-सम्बन्धी कारखानों को, जो खान मालिकों से कर वसूल करते हैं और फिर वसूल राशि सरकार को देते हैं, कितना भुगतान किया जाएगा। इसके विपरीत सरकार स्वयं को तो भुगतान करना चाहती है परन्तु उनको कुछ भी नहीं देना चाहती जो इनके एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए मैंने प्रस्ताव किया था कि खंड 5 में उप-खंड (क), (क क), (क क क) तथा (क क क क) के साथ (क क क क क) भी जोड़ देना चाहिए जिसकी सहायता से सरकार इन एजेंटों को भुगतान करने सम्बन्धी नियम बना सकेगी। मैंने यह भी कहा था कि कमीशन की दर आधे प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि विधेयक में कमीशन को अनिवार्य रूप से देने की बात शामिल कर ली जाए।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि खान मजदूरों को वस्त्र, शिक्षा, आवास, जल आदि की सब सुविधाएं दी जाएं जबकि देश में ऐसे श्रमिक भी हैं जिन्हें वेतन तक प्राप्त नहीं है। हमें संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। हमें सभी प्रकार के श्रमिकों की सुविधाओं के बारे में सोचना चाहिए चाहे वह श्रमिक कारखाने में काम करता हो अथवा खान में। हर एक को जीवन स्तर बनाए रखने का अधिकार है। हमें स्वयं को संविद श्रमिक की उलझन में नहीं डालना चाहिए क्योंकि अब ठेके पर श्रमिक नहीं लगाये जाते और अब सब प्रकार के कदाचार समाप्त हो चुके हैं। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे उपबन्ध में दी गई त्रुटि पर विचार करें। अतः यह आवश्यक है कि सरकार कर से प्राप्त राशि को भुगतान करने की व्यवस्था करे।

श्री भागवत झा आजाद : यह सच है कि सरकार को धन-राशि की वसूली की दर निर्धारित करनी चाहिए। इस समय वसूली की दर 3 प्रतिशत है परन्तु जब यह प्रक्रिया अपनाली जाएगी तो यह दर आधा प्रतिशत रह जाएगी। मैं माननीय सदस्य का ध्यान 1961 के मूल अधिनियम की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें धारा 8(2)(ख) में नियम बनाने की शक्ति के

अधीन उप-कर की वसूली की दर निर्धारित करने सम्बन्धी व्यवस्था दी गई थी। अधिनियम में वे सब बातें दी गई हैं जिनका राष्ट्रीयकरण माननीय सदस्य चाहते हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि केवल खान मजदूरों को ही वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं क्यों दी जाएं। परन्तु कल ही उनके दल के नेता प्रोफेसर रंगा यह अनुरोध कर रहे थे कि मजदूरों को न केवल, चिकित्सा, जल-सप्लाई की सुविधा प्रदान की जाए बल्कि उन्हें पहनने के लिए वर्दियां भी दी जाएं। मालूम ऐसा होता है कि स्वतन्त्र दल में प्रत्येक सदस्य को कुछ भी कहने की स्वतन्त्रता है।

श्री लोबो प्रभु : मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं करता।

संशोधन संख्या 7, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The amendment No. 7 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड—1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में— 1967' ('1967') के स्थान पर "1970" (1970) रख दिया जाए। (2)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में *"Eighteenth"* ("अठारह") शब्द के स्थान पर *"Twenty-first"* ("इक्कीस") शब्द रख दिया जाए। (1)

(श्री भागवत झा आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री भागवत झा आजाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय :

'कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It is obvious from the reply given by the hon. Minister that he is in a contradictory position. He committed that an amount of Rs. 2.73 crores has been accumulated with the Government. He has also stated that schemes have been forwarded to the State Government for implementation. He has also stated that the accumulated amount is not enough to implement the schemes and it will be necessary for the employees to contribute. I do not know why the hon. Minister hesitates in increasing the duty. It is evident that the Ministry is not taking the matter seriously. I would like to know the criteria of distribution of the cess for the welfare of labourers. The hon. Minister should arrange to send three-fourth of the earnings to the States from which iron ore is exported.

In case you have got a better criteria, it should be placed before us. It should be clarified whatever is accumulated, if it is not properly used, it will lead to regional imbalances. Consequently, no attention will be paid to labour welfare.

Iron and Steel are the backbone of a country's economy. The development of a country can be measured on the basis of its iron and steel production. This criteria is put fourth by the economists. We are talking about the welfare of the labour who works in these industries. No justice has been done to them either by you or by the employers. They are in miserable condition. They are not having any medical or housing facilities. I want to know why iron ore industries of private sector one not nationalised ? I think Tata Iron Company is quite ripe for nationalisation. All industries in private sector should be nationalised. When they are owned by the Government only then you can implement your schemes. This Bill may be passed but you should assure the House that after six months or a year, you will tell the House about its implementation progress.

Shri Bhagwat Jha Azad : It is not correct to say that after getting the Bills passed, the Government is not serious about its implementation. I have already said that after getting this Bill passed, we will utilize our capital of Rs. 2.76 crores for the welfare of the labourers. We will try to provide as money facilities to our labour brothers as we can provide within this amount.

There is no major difference in our views. They are of the opinions that at present a cess of 50 paisa should be imposed whereas we want that the cess of 25 paisa should be increased to 50 paisa.

He has also referred to nationalisation but that is not within the perview of either the present Bill or my Ministry. He may put his demand of nationalisation at proper occasion. I have nothing to say in this regard.

Shri Shiva Chandra Jha : What will be the criteria of distribution of cess among the States ?

Shri Bhagwat Jha Azad : It is but natural that the maximum amount should be spent on the area from which the cess is earned. But ordinarily, maximum amount is spent on the welfare of labourers. In principle there is no wrong in it and we act accordingly.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कृषि उपज उपजकर (संशोधन) विधेयक

AGRICULTURAL PRODUCE CESS (AMENDMENT) BILL

खाद्य, कृषि, सामु ायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिन्दे) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि :

"कृषि उपज उपजकर अधिनियम 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस से सम्बद्ध कानून पहले ही बना हुआ है और विधेयक में केवल कुछ संशोधनों की व्यवस्था की गई हैं। इनमें से कुछ संशोधन तो महत्वपूर्ण है और कुछ केवल अनुवर्ती मात्र ही है।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

प्रस्तुत अधिनियम कुछ समय से लागू है और इससे होने वाली उपकर की आय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सहायता के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देश में कृषि के विकास के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सदन उससे भली-भांति परिचित है। हमारी अर्थ-व्यवस्था की समृद्धि का एक पहलू कृषि विकास है और यह इस क्षेत्र में किये गये अनुसंधान कार्य से ही सम्भव हो सका है। 1940 के अधिनियम में 1/2 प्रतिशत की दर से उप-कर लागू करने की व्यवस्था है जिसके साथ ही अनुसूची की सभी वस्तुओं के मूल्यों पर शुल्क लगाना भी शामिल है। प्रस्तुत अधिनियम में ऐसे मामलों में दण्ड का उपबन्ध नहीं किया गया जहां कि निर्यातक उप-कर की अदायगी से बचने का प्रयास करते है। संशोधित होने वाले इस विधेयक में ऐसे मामलों के सम्बन्ध में कुछ दण्डों की व्यवस्था की गई हैं।

कुछ समय पूर्व सरकार ने सीमाशुल्क विभाग की कार्य पद्धति का अध्ययन करने और शुल्क

की उगाही की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अन्य सुझावों के साथ यह सुझाव भी दिया था कि निर्यातकों को, जहां देय उप-कर 100 रुपये से अधिक न हो, देय उप-कर के बराबर सीमाशुल्क राजस्व टिकटें लगाने की अनुमति दी जाये। इनमें से एक सुझाव यह भी था कि कृषि उपज उप-कर अधिनियम में एक औपचारिक उपबन्ध कर दिया जाये ताकि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत दिये गये नियम तथा विनियम इस अधिनियम के अन्तर्गत उगाही, एकत्र और वापसी पर भी लागू हो सके।

पिछली अनुसूची में सुधार करने के लिए एक और संशोधन भी प्रस्तुत किया गया है। मौलिक अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत उन वस्तुओं की अनुसूची दी गई है जो कि उप-कर के अन्तर्गत आती है। वर्तमान मद 21 को जिसमें 'कच्ची ऊन" शब्द आते है, इनके स्थान पर "भेड़ अथवा मेमने की ऊन या पशु के बाल" शब्द रखे जाये। इसका कारण यह है कि कच्ची ऊन में कुछ मिश्रण भी हो सकते हैं और सीमा शुल्क की उगाही करते समय, यदि ऊन स्वच्छ है, तो कानूनी प्रश्न उठाया जा सकता है। अतः इसी संदेह को दूर करने के लिए अनसूची की मद 21 को संशोधित किया गया है।

अन्य संशोधन बहुत असाधारण से है। जहां "केन्द्रीय विधेयक" शब्द का प्रयोग किया गया है हमने उसके स्थान पर संस्द शब्द रख दिया है क्योंकि जिस समय पुराना विधेयक बनाया गया था, उस समय न तो वर्तमान "संसद" ही विद्यमान थी और न ही संविधान। अतः कुछ एक संशोधन तो केवल नाममात्र ही है ताकि विधेयक को वर्तमान कानून के अनुरूप बनाया जा सके।

मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली उप-कर आय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इसीलिए इसमें कोई भी विवादास्पद बात नहीं है। अतः मैं सभा के सभी वर्गों के सभी सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूँ ताकि यह विधेयक सभा में सर्वसम्मति से पारित हो।

सभापति महोदय : इससे पूर्व कि मैं अन्य सदस्यों से बोलने के लिए कहूँ मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि आज लगभग 5 बजे म० प० प्रधान मंत्री मेघालय के बारे में वक्तव्य देंगी।

Shri Sarjoo Pandey (Gazipur) : Mr. Chairman, Sir, my friend Shri Shiva Chandra Jha, has suggested an amendment to increase the penalty. I do not agree to it because I know that the people who evade the cess are more clever and powerful than the people who implement our laws. So, you may increase the punishment to any extent, it is not going to fetch you anything. My point is that Government should nationalise this industry so that the profit which is going to private hands may go to Government. I may add one thing more. The Government may do any thing for socialism but all its bureaucrats are anti-social minded. They are always reluctant to implement its basic policies. So the machinery through which you want to implement your policies is corrupt. I can quote several instances where acts and legislations were not implemented. I want that correct implementation of legislations should be ensured.

I must emphasise that the commodities which have not been included in the schedule such as ivory etc., should be included in it. If you wish to give true incentives to agriculturists along with welfare of the country, this trade must be nationalised. Its income should be invested on research work. I am fully alive, how our Custom Officers are performing their duties. Goods worth thousands of Rupees are auctioned in pennies. They

hardly understand the socialism or the language of Government. Therefore, I want that this trade should be nationalised so that its income could be properly utilized.

Shri Satya Narayan Singh (Varanasi) : Mr. Chairman, Sir, I support the object of this legislation. I want to request the hon. Minister that whatever we earn by exports, it must be utilized for promoting agriculture production, so that our food problem can be solved. But the production of the items which we export is decreasing. My point is that special attention should be given to such items so that their production may be increased, which will ultimately lead to increase in exports.

The implementation of the legislation is equally important. The Government machinery through which legislations are implemented must be efficient and constructive If this aspect is neglected, the very object of the legislation will be forefieted.

With these words, I support the Bill.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, it has not been clarified by hon. Minister in his statement that how much sheep and lamb wool or animal hair is being exported since 1940 or 1947 ? How much cess has been eraded ? Does he thinks that goods which are exported through customs are not yielding proper Duty to the Government. I want that a complete data of all these things should be given. I think that alongwith animal hair, other things such as ivory should also be included in schedule. I wish that hon. Minister should give a clarification, if he has any objection to add these things in the schedule.

Secondly, under clause (4), more powers of levy and refind are being given to Custom Officers, which should be reconsidered. The Government machinery should be made vigilant and brought upto date.

With these words, I wish my amendments should be accepted and a little clarification should be given about the commodities which are being brought under the legislation.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, I strongly appreciate the Bill brought before the House by the hon. Minister. It is all the more good that the object of this Bill is to give economic assistance to Agricultural Institute, Delhi.

According to Law of Diminishing Return, there is a staturate point after which there is no return, whatever you may spend. The farmers undergo hard labour and they must get their due.

The research institute have made a rich contribution in Green Revolution of India. But these institutions have got no funds. There are Japan, Canada and America qualified scientists who are working at Rs. 200 or Rs. 300 P.M. I must emphasise once again that the scientists who are working for agricultural research are doing a greater service to mankind then the scientists who are working in the field of Hydrogen or Atom Bombs. The job of nation construction is being executed by these scientists. These people are working for the uplift of 40 crore people of India who are living in villages. It is because of their hard work that the production of 50 million tonnes has risen upto 112 million tonnes. The solid work of the scientists is on the back of this study increase in production.

Agricultural Scientists have been doing a great service. I.C.S. and I.A.S. officers merely decorate the Chairs but real service is done by these very people. This is a matter of shame that these people are not getting proper wages. If their wages are increased they would do a lot for bringing about green revolution and thereby the farmers, Harijans and the people of other backward classes would be benefited.

Unless the standard of living of 90-95% people is raised, the country cannot prosper.

And this is possible only with increased production. These Scientists have given us high yielding varieties. Our farmers are growing four crops during a year through multiple-cropping system evolved by these scientists. All this has given a new lease of life to a farmer. I would like to say to the honourable Minister that increase in agricultural production would usher in revolution in the country and it would become resourceful. But all this would be possible only because of scientists. We should therefore raise their wages.

I would like to congratulate the Minister for his feeling for peasants the setting up of a commission is very good. This Commission also would make a similar recommendation. But I have to stress that its recommendations should be occupied by Parliament and the Government.

There is a country, Netherlands, which throws its surplus Milk and Ghee into Sea. We can imagine their production. People ask us to approach that country to send its surplus Milk and Ghee to this country. There was a time when our country used to feed the whole world and such a time can again come. This would be possible if proper research is carried on in all the Research Institute.

All this needs funds which are short in India. I would, therefore, request that there should be proper coordination amongst various laboratories conducting research. Many a time a cry is raised for minimum living wage. But these scientists do not make hare and cry for increased wages. They merely demand increased opportunities for conducting research. They are most patriotic people, they make sacrifices. It is, therefore, imperative that their lot is improved. This will result in the betterment of the country.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : I fully agree with the object of this Bill. If farmer's lot improves, everybody would be happy. But there are farmers with small holdings who do not get any benefit from the research conducted by scientists. Had farmers lot improved due to the scientists, India would have re-emerged as a golden sparrow.

We are utilizing our resources for other purposes and want farmers to be happy by imposition of cess. But this will not do. Farmer's plight is still deplorable. Inspite of our 23 years rule, we have not been able to save the farmer from the devastation caused due to floods. There is much difference between our professions and practice.

In a short span of time China has increased her production of foodgrains difficulty. She is no longer dependent on other countries whereas we are. We should compete with this country and increase our agricultural production.

Scientists have done much to evolve high yielding seeds, but poor farmers cannot make use of them. If the Government wants farmers lot to improve it should bring down its expenditure on Armed Forces. It should make efforts to establish good relations with Pakistan and China. Only scientists' efforts and levying of cess cannot improve their lot.

Government must impose this cess but it should also consider whether our farmers are in a position to make use of the achievements of researches conducted by scientists.

Scientists should be given all encouragement. Making provisions with regard to Customs Officers is also good. Only they can make this cess a success. But I feel that this measure is not going to solve the problems of the farmer. This is mere cheating. The farmer will not be happy over it. This sort of cheating will not do. This Government cannot survive in this manner. The Government should stop abusing its power.

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : I support this Bill, but I have my fears about empowering Customs Officers in this regard. Tobacco is produced in our area. There is a tax on this produce. I have seen with my own eyes how corrupt are these excise officers. On the one hand they cheat the Government, and are the other hand they harass

the farmer. Through this Bill Government propose to give powers to the collector. They would act arbitrarily and harass the farmer. I have to request that this corruption should be checked. There is another thing also. We find that when there is increase in production of foodgrains, their prices tend to fall. But the farmer has to pay more for his requirements. He feels that he should also get articles of necessity at cheaper rates. Farmers' harassment should be checked, and the farmers having small holdings should be given relief. Besides, the corruption prevalent in the Government Employees should also be checked.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं अपने संशोधनों पर बोल रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक पूर्णतया व्यर्थ एवं अनावश्यक विधेयक प्रस्तुत किया परन्तु जिससे हमें कृषि पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला है।

इस विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो सीमा-शुल्क अधिनियम में पहले ही से नहीं।

पहली धारा में कहा गया है कि जो कोई सीमा-शुल्क की अदायगी नहीं करेगा उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत सजा दी जायेगी। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 में पहिले ही ऐसी व्यवस्था थी। यही बात जानकारी न देने और आयुक्त के काम में बाधा डालने के सम्बन्ध में तथा दोषपूर्ण कार्यों में प्रयोग में लाये जाने वाले जलयानों एवं अन्य उपकरणों के जब्त करने के संबंध में हैं। जब मूल अधिनियम में पहिले ही से यह सब उपबन्ध हैं तो हमारा समय नष्ट करने की क्या आवश्यकता है ? क्या इससे उलझनें तथा मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी ?

धारा 7 में "केन्द्रीय विधान मंडल" के स्थान पर शब्द "संसद" का प्रस्ताव है। क्या इसके लिए एक विधेयक की अपेक्षा है ? धारा 6 में कहा गया है कि बनाये नियमों की प्रति सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये। पुराने अधिनियम में इस सम्बन्ध में साधारण व्यवस्था थी पर वही बात अब पन्द्रह पंक्तियों में कही गई है। इन बातों के लिए मंत्री महोदय को अपने अधिकारियों को पूछना चाहिए।

इस विधेयक का महत्व क्या है ? इससे सरकार को प्रतिवर्ष 4000 रुपये का राजस्व प्राप्त होने वाला है। केवल इतनी राशि के लिए आप एक विधेयक लाना चाहते हैं। यह मैंने इस कारण कहा कि क्या आप इतनी राशि के लिए 'उप-कर' लगाना चाहेंगे ?

मैं अब कृषि पदार्थों के निर्यात की बात करूंगा क्योंकि यह उपकर उनसे ही सम्बन्धित है न कि अनुसंधान, बैलों व अन्य बातों से। हम क्या-क्या निर्यात कर रहे हैं ? चीनी एक उत्पाद है। परन्तु मेरा विचार है कि चीनी इस विधेयक के अन्तर्गत नहीं आती अन्यथा यह राशि बहुत अधिक होती। सरकार यदि इस मामले में गंभीर होती तो चीनी को भी इसके अन्तर्गत लाया जाता। चीनी हम निर्यात अवश्य करते हैं परन्तु उसके लिए हमें राज सहायता देनी पड़ती है। कुछ तम्बाकू का भी हम निर्यात करते हैं। परन्तु इन सब के तथा अन्य मदों के सम्बन्ध में हमारे निर्यात आंकड़े गिर ही रहे हैं।

महोदय, मंत्रालय को चाहिए कि इस प्रकार के विधेयक के स्थान पर वह उपरोक्त बातों की ओर ध्यान दे। वह इस बात को सोचे कि निर्यात बढ़ाने के लिए क्या करना है। हम हड्डियों

का बहुत अधिक निर्यात करते थे परन्तु अब इनका निर्यात नहीं होता और न ही इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। संसार की पशु जनसख्या का एक-चौथाई भाग भारत में है। हम इस बात को सोचें कि जानवरों के मरने पर उनकी हड्डियों के निर्यात द्वारा हम बहुत अधिक कमाई कर सकते हैं। इस विधेयक के अन्तर्गत जिन वस्तओं के निर्यात पर उपकर लगाया जाना है उसमें हड्डियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये।

मैं प्रार्थना करूंगा कि इस विधेयक को मंत्रालय फिर से तैयार करे। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे जिन्होंने मूल सीमा शुल्क अधिनियम को ध्यान से देखे बिना इस विधेयक को यह रूप दिया।

Shri Ranjit Singh (Khalilabad): The original Act, which is now being amended, was accepted in 1940. We had thought that on attaining independence all the old laws would be governed by a new Constitution and rules would be framed there under, be it the case of Agricultural cess, C.P.C. or I.P.C. But till this day old Acts are continuing and when amendments are proposed in those Acts it becomes evident that our attempts are merely to show our skill in framing laws. I agree with the proposal that this Bill should be reconsidered by the Government, it should be withdrawn and recast. There have been many changes in the field of agriculture and Government can make use of them.

The proposal of spending the revenue from cess on agricultural research is a good one. But to the Indian Council of Agricultural Research, where annual budget seems to crores of rupees, this amount of Rs. 4000 would be insignificant.

I compliment the Minister of State for his views about providing impetus in the Agricultural field. My submission is that Hon. Minister should review all Agricultural Laws, keeping in view the agricultural structure. It has become quite clear that unless we make progressive strides in the field of agriculture, we would remain backward. It is, therefore, submitted that all laws relating to agricultural and rural subjects should be reviewed by a Committee representing farmers, tax-experts and experts in the field of economy. Shortly, our agricultural produce would become surplus, but we would not be able to market it. Our seeds are becoming popular throughout the world. In order to earn foreign exchange we shoald start exporting certain quantities right from now so that we could capture markets.

When we take these things in view, this Bill seems useless. We should keep an eye on our future and review all the laws in that context. I submit that it is useless to consider this Bill. I therefore request you, Mr. Speaker, to direct the Minister to recast this Bill in a consolidated form, in corporate agricultural export and agriculture research and other things.

श्री अन्ना साहेब शिन्दे : यह कहा गया है कि यह विधेयक अनावश्यक और अनुपयुक्त है। पर हम इस विधेयक के कानूनी पहलुओं को देखे बिना इसे नहीं लाए हैं और विधि मंत्रालय को राय लेने के बाद ही ऐसा किया गया है हमने उन सभी बातों पर पूरा ध्यान दिया है जो यहां उठाई गई हैं। उन सभी बातों को ध्यान में रख कर हमने इसमें संशोधन किए हैं। अतः यह कहना नितान्त गलत है कि यह विधेयक अवांछनीय है।

यह पूछा गया है कि ऊन, कच्ची ऊन तथा जानवरों के बालों से कितना उपकर वसूल किया गया। मेरे पास सारे आंकड़े नहीं हैं। इस उपकर के रूप में कुल 78 से 80 लाख रुपये इकट्ठे किए गए। कुछ सदस्यों का कहना है कि चीनी आदि जैसी कुछ वस्तुओं पर भी इस कर

को वसूल किया जाना चाहिए। यह सुझाव विचार करने योग्य है। जानवरों के बालों के निर्यात से इस मद में लगभग 1,27,000 रुपये इकट्ठे किये गए।

यह कहा गया है कि निर्यात व्यापार निजी लोगों के हाथ में होने के कारण इस विधेयक से क्या लाभ। उनका यह कहना सही है पर फिर भी यह अधिनियम हमें निर्यात योग्य वस्तुओं पर उप-कर लगाने में मदद देगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को शोध कार्य के लिए रुपया मिलेगा। जहां तक निर्यात व्यापार के राष्टीयकरण का संबंध है यह इस विधेयक की सीमा से बाहर है।

यह बात कही गई है कि देश में खाद्यानों की उपज के बढ़ने पर हमें अब कानूनी उपबन्धों तथा कृषि संबंधी बातों की ओर नए दृष्टिकोण से देखना होगा। और यदि हम आवश्यकता से अधिक अन्न पैदा करने लगें तो हमें निश्चय ही इस संबंध में नए सिरे से विचार करना होगा। मंत्रालय इस ओर से पूरा जागरूक है। यदि हमारा देश खाद्यान्न का आयात करने लगता है तो उस समय उचित कार्यवाही करनी पड़ेगी। फिर समस्याओं के संबंध में भी कुछ निश्चित निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए शोध कार्य की आवश्यकता होगी।

अन्य कोई विशेष बात ऐसी नहीं है जिसके लिए स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। अतः मैं आप सब से इस विधेयक को एक मत से पास करने की प्रार्थना करता हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषि उत्पाद उप-कर अधिनियम, 1940 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 और 3

सभापति महोदय : खण्ड 2 और 3 पर कोई संशोधन नहीं आया है, प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3 were added to the Bill

खण्ड 4

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill

खण्ड 5

Shri Deorao Patil : I have been told that there are six Lok Sabha representatives on the Committee and there is one representative on the Board. In view of this I do not want to move my amendment.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 added to the Bill.

खण्ड 6

सभापति महोदय : खण्ड 6 पर कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 अनुसूची में संशोधन

सभापति महोदय : उस पर श्री शिव चन्द्र झा का एक संशोधन संख्या 2 है।

श्री शिव चन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं :

"When animal hair is in the schedule why the animal skin has not been included in it. It is also exported to the foreign countries and we are not getting any cess. The same may now kindly be added in the schedule."

Beside, tusks is smuggled to foreign countries and we do not get any cess on them. It should also be included in the schedule.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य अधिनियम की पुरानी अनुसूची को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि यह उसमें पहले ही से है। अतः यह संशोधन अनावश्यक है, क्योंकि इसका उपबन्ध मूल अधिनियम में पहले ही से है।

अब केवल एक वस्तु रह गई है जो अनुसूची में नहीं आई है, वह है हाथी दांत। पर इसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। कई जगह से इस सम्बन्ध में सलाह लेनी होगी तथा अन्य बहुत सी समस्याओं की जांच पड़ताल करनी होगी। मैं चाहता हूं कि जितनी भी वस्तुएं उपकर की अनुसूची में आ सकें उतना ही कृषि सम्बन्धी शोध के लिए बहुत अच्छा है पर इसके लिए बहुत गहन जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है। अतः इन सब बातों को देखते हुए मैं माननीय सदस्य से अपने संशोधन को वापिस लेने की प्रार्थना करूंगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri Sheo Narain (Basti) : When an Act is already there why this new Bill has been brought forth unnecessarily, and why fifty thousand rupees are going to be spent for earning a revenue of four thousand rupees ? We should try to increase the agricultural production and make efforts to stop import of food-grains from foreign countries. This is simply wastage of time and money to being forth such a Bill. With these words, I oppose this Bill and request that this be withdrawn.

श्री अन्नासाहेब शिन्दे : माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये प्रश्नों का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि आयकर अधिनियम, 1961, धनकर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958 तथा कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

यह विधेयक वर्षाकालीन सत्र में प्रस्तुत किया गया था और प्रवर समिति को सौंपा गया था। समिति ने इसमें बहुत से संशोधन किए हैं। मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में उन संशोधनों को रखता हूं।

Mr. Chairman : I want to give an information. Prime Minister was going to make a statement at 5 O' clock but now she will make that statement at 5.55 P.M.

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं सदन का ध्यान प्रवर समित द्वारा दिये गये कारणों तथा किये गये परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूँ। गत वर्ष इस सदन में पुरःस्थापित विधेयक का प्रारूप इस आधार पर बनाया गया था कि 31 मार्च, 1970 से पहले इसे अधिनियमित किया जावेगा। कुछ मामलों में करों की रियायत और राहत अथवा करदाताओं पर अतिरिक्त दायित्व या देनदारियों सम्बन्धी विधेयक के अनेक उपबन्धों को 1 अप्रैल, 1971 से लागू किये जाने का विचार किया गया था। चूंकि विधेयक वित्तीय वर्ष 1969-70 में पारित न हो सका इस लिये समिति ने सिफारिश की थी कि, जब तक अन्यथा निदेश न हों, विधेयक के उपबन्ध 1 अप्रैल, 1971 से लागू होने चाहिये।

यह विधेयक साधारणतः निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू होगा।

प्रवर समिति ने आयकर के निर्धारण के उद्देश्य से सांझेदारी फर्मों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया फिर से चालु करने सम्बन्धी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं कि जो फर्में आयकर अधिनियम की प्रक्रिया के अनुसार अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है उनसे इस तरह रजिस्टर न हुई फर्मों की अपेक्षा अच्छा व्यवहार किया जाता है। अब मूलरूप में पुरःस्थापित इस विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया के स्थान पर एक नई मान्यता के दिये जाने का है। इस परिवर्तन के विचार का आधार प्रशासन सुधार आयोग तथा श्री एस० भूतलिंगम की सिफारिशें हैं।

अधिकांश सदस्य इस नये उपबंध को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ध्यान से विचार करने के बाद प्रवर समिति ने फर्मों की रजिस्ट्री के लिये मूल प्रक्रिया का पुर्नस्थापन किया। प्रवर समिति का संशोधन अच्छा है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिये। मूल विधेयक में एक यह उपबंध है कि आयकर अधिनियम के अधीन उस फर्म को मान्यता नहीं दी जाएगी जिसका कोई हिस्सेदार फर्म की आय का सम्पति के मामले में अपने हिस्से के सम्बन्ध में किसी अन्य हिस्सेदार का बेनामीदार है। यह शर्त इस लिये लागू होने योग्य नहीं थी कि कहीं सांझीदार पति और पत्नि, मां बाप या बच्चे होते थे। सांझेदारी फर्म की मान्यता हेतु पुरानी प्रक्रिया के पुनः लागू किये जाने के फलस्वरूप, प्रवर समिति ने उपरोक्त उपबंध के, फर्मों की रजिस्ट्री से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबंध में स्थानान्तरित कर दिया है। मेरे विचार में प्रवर समिति की इस सिफारिश का सदन के सब सदस्यों को स्वागत करना चाहिये। लेकिन श्री नरेन्द्र कुमार सालवे ने इस मामले में अपनी असहमति प्रकट की है। श्री साल्वे के विचार में भूमि सम्बन्धी उन कानूनों को नहीं छेड़ना चाहिये जिनसे बेनामदारी द्वारा लेनदेन होता है। मेरे विचार में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित इस सुधार को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह अच्छा होगा कि सदन इसे स्वीकार करे।

फर्मों की रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाईयों को दृष्टि में रखते हुऐ प्रवर समिति ने कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की है। मुझे विश्वास है कि इन परिवर्तनों के साझेदारी फर्मों की कठिनाईयां दूर हो जायेंगी। इन सिफारिशों का सभी को स्वागत करना चाहिये।

प्रवर समिति ने कर से छूट तथा भारत में नियुक्त विदेशी तकनीशियनों के परिश्रमिक से सम्बन्धित विधेयक के उपबंधों में परिवर्तन करने की भी सिफारिश की है।

ये परिवर्तन इस बात को ध्यान में रखते हुए किये गये हैं कि विदेशी तकनीशियनों को जिनके बिना औद्योगिक विकास के इस दौर में हमारा काम नहीं चल सकता, दी जाने वाली कर सुविधाओं से और अधिक विदेशी तकनीशियनों को प्रोत्साहन मिलेगा। इन परिवर्तनों को स्वीकार किये जाने की सिफारिश मैं सदन से करूंगा।

विधेयक के खंड 8 के एक उपबंध के अन्तर्गत भारत की कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले प्रारम्भिक व्यय के भुगतान संबंधी व्यवस्था की गयी है। स्थानीय मतदाताओं को इस उपबन्ध से लाभान्वित करने सम्बन्धी आवेदन पत्र प्राप्त हुए। प्रवर समिति ने इस विचार को स्वीकार कर लिया है। लेकिन इस सुविधा के दुरुपयोग की आशंका को दूर करने के उद्देश्य से प्रवर समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि यह सुविधा, सहकारी समितियों तथा कम्पनियों को छोड़कर, उन्हीं करदाताओं को दी जायेगी जिनके लेखे का परीक्षण सम्बन्धित अवधि के लिये चार्टर्ड एकाउंटेन्ट ने किया हो।

अनिगमित स्थानीय करदाताओं के प्रारंभिक व्यय के परिशोधन की सुविधाओं में विस्तार करने हेतु समिति ने 'परियोजना लागत' अर्थात निर्धारित परिसम्पत्ति जमीनों, भवनों, पट्टों, कारखानों, मशीनों, फर्नीचर पुर्जों और रेलवे स्थानों की वास्तविक लागत की 2½ प्रतिशत की वैकल्पिक अधिकतम राशि की सिफारिश की है। भारत की कम्पनियों को अधिकतम राशि निर्धारित करने

के लिये, 'लगाई गई पूंजी और परियोजना की लागत में से किसी एक को आधार के रूप में चुनना पड़ता है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

सर्वश्री साल्वे, दांडेकर और सोमानी ने इस प्रस्ताव के बारे में आपत्तियां उठाई हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठान की स्वीकृति की आवश्यकता की अवहेलना की जानी चाहिये । लेकिन वर्तमान स्थिति में यह विचार ठीक नहीं है । मेरे विचार में बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान करने सम्बन्धी उपबंध रहने दिया जाना चाहिये । सर्वश्री दांडेकर तथा सोमानी का लगाई गई पूंजी पर 2.5 प्रतिशत की अधिकतम राशि संबंधी सुझाव निराधार है। यह भी सुझाव आया है कि या तो कोई सीमाबन्दी नहीं होनी चाहिए या इसको परियोजना मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर बढ़ाया जाना चाहिए । आगे जहां व्यय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होता, वहाँ सारी राशि के परिशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए चाहे इससे उपरोक्त प्रतिशतता बढ़ ही क्यों न जाय।

प्रवर समिति ने इस पर विस्तारपूर्वक विचार किया और अध्ययन से सिद्ध हुआ कि अधिकांश मामलों में प्रस्तावित सीमा हानिकारक नहीं । इस बारे में सावधानी से आगे बढ़ना जरूरी है और इस उपबंध को सुरक्षित रखा जाय जिससे कि करों में रियायत मिल रही है ।

विधेयक के खंड 8 के एक उपबंध में औद्योगिक उपक्रमों को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने संबंधी व्यय के परिशोधन की व्यवस्था है । समिति ने स्थानीय कानूनों को लागू होने से रोकने हेतु कारखानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के काम को कर रियायत देकर प्रोत्साहित न करने की बात सोचकर यह सिफारिश की है कि विधेयक के उस अंग को हटाया जाये । हमें प्रवर समिति की इस सिफारिश को स्वीकार करना चाहिये ।

भारतीय कम्पनियों द्वारा खनिजों का पता लगाने तथा विकास करने सम्बन्धी विधेयक के खंड 8 के अंतिम उपबंध में भी समिति ने संशोधन किया है । व्यय के परिशोधन की सुविधा अब भारतीय कंपनियों ही को नहीं बल्कि सहकारी समितियों के साथ-साथ स्थानीय गैर-निगमित करदाताओं को भी प्राप्त होगी । प्रवर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विदेशी कंपनियों को कर की सुविधा देकर भारत में खनिज उद्योग विस्तार के लिये प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं समिति के इस विचार से सहमत हूँ ।

संयुक्त परिवार सम्पत्ति से संबंधित विधेयक के मूल खंड 14 में भी समिति ने संशोधन किया है । इस खंड के उपबंध में प्रस्तुत विधेयक द्वारा देनदारियां कम करने पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया है जिसे लागू करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि क्या परिवर्तित सम्पत्ति संयुक्त परिवार की सम्पत्ति रहे या परिवार के सदस्यों के बीच विभाजित की जाये ।

प्रवर समिति ने इस उपबंध में कुछ परिवर्तनों की सिफारिश की है । समिति ने सुझाव दिया है कि हर मामले में उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली परिवर्तित संपत्ति पर व्यक्तिगत आय के

रूप में कर लगाये जाने चाहिये, चाहे राजस्व का लाभ हो या नहीं। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यह उपबंध कर निर्धारण वर्ष 1970-71 के स्थान पर कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 से लागू किया जाना चाहिये।

प्रवर समिति के कुछ सदस्यों ने उपरोक्त सुझावों के बारे में असहमति प्रकट की है।

इस उपबंध से हिन्दुओं सम्बन्धी कानूनों में अनावश्यक हस्ताक्षेप होगा, यह आलोचना कुछ निराधार सी लगती है। मेरे विचार में समिति द्वारा इस मामले में की गयी सिफारिशें उचित हैं जिन्हें स्वीकार करने की मैं सदन से सिफारिश करूंगा।

पेश किये गये विधेयक के खंड 34 का उद्देश्य कर-निर्धारण पूरा करने सम्बन्धी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन करना है। प्रवर समिति ने इस संबंध में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। अब यह व्यवस्था है कि जहां संक्षिप्त कर-निर्धारण, बिना निर्धारिती की उपस्थिति या उसके द्वारा पेश किये गये लक्ष्य के बिना पूरा किया गया हो, ऐसे मामलों में लेखों तथा अन्य सदस्यों की जांच संबंधी कार्यवाही तथा ऐसी जांच के आधार पर पुनः कर-निर्धारण सम्बन्धी बात आय-कर अधिकारी को नहीं बताई जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे ने इस उपबंध के प्रभावी होने के बारे में गम्भीर संदेह प्रकट किया है। उनकी दलील यह है कि धारा 143 (1) के अधीन संक्षिप्त कर-निर्धारण अन्तिम कर-निर्धारण नहीं होना चाहिए और एक करदाता को ऐसा अवसर दिया जाय कि आयकर अधिकारी उसकी बात सुन सके। उनकी उस दलील में काफी बल है। हम इस मामले में सभा का मार्ग-दर्शन चाहते हैं। प्रवर समिति ने कर अपराधों संबंधी उपबंध में काफी संशोधन किया हैं। समिति की सिफारिश है कि विवरण या कागजात पेश न करना तभी दंडनीय होगा जब कि ऐसा जानबूझ कर किया गया हो।

प्रवर समिति ने कर सुविधा संबंधी उपबंधों को और अधिक उदार रूप दिया है। इन सुझावों का उद्देश्य प्रशंसनीय है और मुझे आशा है कि सदन का हर वर्ग इनका स्वागत करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं प्रस्तावित करता हूं कि :—

> "आयकर अधिनियम 1961, दानकर अधिनियम 1957 दानकर अधिनियम 1958 तथा कंपनी (लाभ) अधिकर अधिनियम 1964 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह एक लम्बा भाषण है। हमें इसकी प्रतियां मिलनी चाहिये ताकि हम कल इस पर बोल सकें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने तो केवल प्रवर समिति के प्रतिवेदन का संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है।

श्री नारायण दांडेकर : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि

कि प्रवर समिति ने विधेयक में काफी सुधार किये है। लेकिन मैं फिर भी कुछ जरूरी बातों पर बोलना चाहूँगा।

सबसे पहले मैं विधेयक के खंड 3 को लेता हूँ। इस खण्ड में विदेशी तकनिशियनों के वेतन का उल्लेख है। मेरे विचार में सरकार ने इस बात का अनुभव नहीं किया है कि यदि वह सचमुच एक योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहती है तो हमें ऐसे योग्य व्यक्ति को अपने देश की अपेक्षा अधिक वेतन और सुविधायें देनी हैं जो उन्हें अपने देश में मिलती हैं। मैं फिर कहता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि जिस तकनीकी के क्षेत्र में हम व्यक्तियों का आयात करना चाहते हैं उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और उन आयात किये गये व्यक्तियों की सेवा-अवधि-भी सीमित की जानी चाहिए जिसका कारण यह है कि हमें अपने तकनीशियनों को अपने पांवों पर खड़ा होने का अवसर देना चाहिए। हमें उचित आयु तथा अनुभव वाले अच्छे विदेशी तकनिशियनों को इस देश में आने तथा कम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। खंड 8 तथा जोड़ी गई नई धारा का ध्येय प्रशंसनीय हैं। मैं मानता हूं कि यह एक अच्छा उपबन्ध हैं लेकिन कई अन्य बातों की तरह कर विभाग इस कार्य को इतनी मंद गति से करता है कि वांछित लाभ सामने नहीं आते।

यह बात हास्यस्पद है कि एक सलाहकार इंजीनियरी फर्म को एक परियोजना की इंजीनियरी तथा तकनीकी सम्भाव्यता के लिए प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है। यहां तक कि चार्टर्ड एकाउन्टेंट की फर्म के भी अध्ययन सम्बन्धी अध्ययन से पहले प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें छोटे उद्योगपतियों तथा उद्योग पर 10 या 15 लाख रु० लगाने का जोखम उठाने वाले व्यापारी, को प्रोत्साहित करना चाहिए। 15 लाख रुपये के ढाई प्रतिशत भाग की सीमा से उद्योग का तकनीकी परीक्षण अथवा किसी प्रकार का आर्थिक अध्ययन कराना सम्भव नहीं। अधिकांश छोटे-छोटे उद्योग इन प्रारम्भिक अध्ययनों के न होने के कारण असफल रहते हैं। ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों को इस उपबन्ध से वह लाभ नहीं पहुंचेगा, जो पहुंचना चाहिए था। मेरी असहमति प्रकट करने का यही कारण था। छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए साधारणतः यह परियोजना में लगी पूंजी या पूंजीगत लागत या दो लाख तक की राशि, जो भी सब से अधिक हो, का कम से कम 5 प्रतिशत तक होना चाहिये।

आयकर अधिनियम की नई धारा 35 ई के अधीन खनिज संसाधनों की खोज तथा सर्वेक्षण के व्यय का परिशोधन आता है। इस धारा के जोड़े जाने से औरों को तो क्या देश के बड़े संचालकों को भी लाभ नहीं पहुंचेगा।

अब इस विधेयक के बहुचार्चित खंड 16 को लीजिये जो हिन्दू अविभक्त परिवारों के बारे में है। कर न देने के उद्देश्य से सम्पति को जिस किसी तरह पति पत्नि या बच्चों के नाम हस्तांतरित करना उचित नहीं। ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए और सम्भव हो तो कर परिणाम निष्प्रभावी किये जाने चाहिए। प्रस्तुत धारा इस दिशा में एक अधूरा कदम है।

अब मैं खंड 30 की संक्षिप्त कर निर्धारण प्रक्रिया को लागू करने के बारे में चर्चा करता हूँ। इस खंड के लागू किये जाने के परिणामस्वरूप काफी संख्या में अपीलें होंगी। यदि विवरणियों,

तालिकाओं तथा प्रेषित रिकार्ड के आधार पर भी कर निर्धारण किया गया, तो भी काफी मात्रा में अपीलें होंगी। संक्षिप्त कर निर्धारण से जो भी व्यक्ति असंतुष्ट होगा वह अपील करेगा । मैं आशा रखता हूँ कि मन्त्री महोदय जी साल्वे की टिप्पणी पर और अधिक विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे कल जारी रखेंगे। अब प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी ।

मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृहकार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जैसा कि सदन को विदित है कि कुछ समय पहले हमने आसाम राज्य का पुनर्गठन किया था तथा गारो पहाड़ियों तथा और जैन्तिया पहाड़ी जिलों का गठन आसाम के भीतर एक स्वायत-शासित राज्य के रूप में किया था। यह प्रबन्ध आसाम राज्य की समूल एकता बनाये रखने हेतु इस क्षेत्र के लोगों की राजनैतिक आकांक्षाओं के लिए पर्याप्त साधन प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मणिपुर तथा त्रिपुरा को पूर्ण राज्य प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय से मेघालय के दर्जे पर नये तरीके से सोचने की आवश्यकता अनुभव हुई । मेघालय के मुख्य मंत्री ने भी बदली परिस्थिति में मेघालय को पूर्ण राज्य बनाने का आग्रह किया। कुछ समय बाद श्री कृष्णचन्द्र पंत ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र का दौरा किया और मेघालय के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों से इस सम्बन्ध में बातचीत की। अभी हाल में मेघालय विधान सभा ने पूर्णराजत्व सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया। 2 अक्तूबर को मैं स्वयं गोहाटी में थी और दोनों सरकारों से और बातचीत की। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मंत्रालय को पूर्ण राज्य प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है। आसाम सरकार को नई राजधानी के लिए सहायता की प्रर्थना पर हम सहानुभूति से विचार करेंगे।

इस क्षेत्र के विचाराधीन संवैधानिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास तथा सुरक्षा सम्बन्धी समस्या के प्रति समदृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता का महत्व और भी बढ़ गया है। यह देखने के लिये कि कौन से उपाय आवश्यक है, हम इस समस्या पर इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं। निकट भविष्य में मैं इस सम्बन्ध में राज्यपाल, उपराज्यपाल तथा मुख्य मंत्रियों से बातचीत करने का मेरा विचार है ।

मेघालय इस सदन के हर वर्ग की सद्‌भावना से बना। मुझे आशा है कि इसे राज्य स्तर तक बढ़ाने के निर्णय का भी समूचा सदन स्वागत करेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, what about Delhi. What is being done to fulfil the political aspirations as Delhi ? Statehood is being granted to other States but not to Delhi. Government want to keep this type of dircrimination, I would request that this matter should also be considered.

Mr. Speaker : Whenever a statement is made about a State, the matter concerning Delhi is also raised.

Shri Kanwar Lal Gupta : The revenue population of this place is comparatively more than other States. Even then statehood is not being granted to the people of Delhi.

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य मेघालय के बारे में है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यदि आप नये राज्य बनाते जायेंगे तो इससे अराजकता फैल जायेगी । यदि सरकार ऐसा करना चाहती है तो इसे एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग होना चाहिए जो किसी के दबाव में न आकर इन सब बातों पर विचार करे ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं । उन्हें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि समूल सीमांत क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों का शासन कैसे चलाया जाये ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : चूंकि प्रधान मंत्री ने घोषणा की है कि मेघालय पूर्ण राज्य होगा, इसलिए शिलांग आसाम राज्य की राजधानी नहीं रह सकता । अतः सरकार को शीघ्र ही शिलांग से गोहाटी राजधानी बदलने के लिए 50 करोड़ रुपये प्रदान करने चाहिए । यह भी घोषणा का एक भाग होना चाहिए । मैं प्रधान मंत्री से अभी वचन चाहता हूं ।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : केन्द्रीय सरकार ने आसाम की राजधानी बदलने के लिए जो सहायता देनी है, उसकी भी घोषणा की जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : ये उचित समय आने पर ऐसा कर देंगे ।

श्री बे० कृ० दास चौधरी (कूचबिहार) : मैं मेघालय राज्य सम्बन्धी निर्णय का स्वागत करता हूं । फिर भी मैं प्रधान मंत्री से अपील करूंगा कि वे अभी कोचर जिले के मामले पर भी विचार करें । इस पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रधान मंत्री को यहां किये गये सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई वाद-विवाद नहीं है कि मैं इन्हें उत्तर देने के लिए कहूं ।

श्री बलराज मधोक : यह एक बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य है और हमने कुछ टिप्पणियां की हैं । हम उनके उत्तर की आशा रखते हैं ।

कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 11 नवम्बर, 1970/20 कार्तिक, 1892 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the 11th November 1970/Kartika 20, 1892 (Saka)

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.